# शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन

# २०८१/८२


नेपाल सरकार

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

**शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र**

सानोठिमी, भक्तपुर

# शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन, २०८१/८२

**विद्युतीय प्रकाशन**

**प्रकाशन वर्षः २०८२**

**प्रकाशकः शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर।**
Education Review Office [ERO], Sanothimi Bhaktapur

© **सर्वाधिकारः प्रकाशकमा**

**सम्पादनः**

**जयराम अधिकारी, महानिर्देशक**
**युवराज अधिकारी, निर्देशक**

**फोनः ०१-६६३२११८, ६६३१५९१**

**वेबसाइटः** www.ero.gov.np

**इमेलः** performanceauditero@gmail.com

उद्धरणः शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र।(२०८२)। *शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन, २०८१/८२*।

## प्राक्कथन

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कामसमेतका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको हो। केन्द्रको स्थापना भएपछि सुरुका वर्षबाटै सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, शैक्षिक संस्था, निकाय, विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण तथा शिक्षा क्षेत्रका समसामायिक विषयमा अनुसन्धानका कार्यहरू हुँदै आएका छन्। यस सन्दर्भमा विगतमा केन्द्रबाट साविकका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, केन्द्रीय निकाय, साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्रहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण भएको छ। मूलतः केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व कार्यसम्पादन परीक्षणका कार्यहरू ठुलो सङ्ख्यामा भई आएको छ। यस सन्दर्भमा आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रममा सातओटै प्रदेश सरकारमातहत रहेका शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणको ढाँचा, साधन विकास गरी केन्द्रको कार्यसम्पादन परीक्षणको समितिबाट स्वीकृत गराई प्रयोग गरिएको छ। २०८१ चैत्र महिनामा भिन्न भिन्न सातजना विज्ञ परीक्षकहरू छनोट गरी एकजना विज्ञबाट स्थलगत अवलोकन, कागजात समीक्षा, सरोकारवालाहरूसँगको गहन छलफल तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणसमेतका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यो एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

सङ्गठनको कार्यसम्पादनको स्तर निर्धारण गर्दा विकसित एवम् स्थापित मानक, समान तहका सङ्गठनको कार्यसम्पादन र सङ्गठनको आफ्नै विगतको उपलब्धिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसरी तुलना गर्दा तुलनामा समावेश गरिएको विषयक्षेत्र, आधार, पद्धति, स्वमूल्याङ्कन वा बाह्य परीक्षण, सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण वा परिवेशले प्रभाव पार्छन्। तसर्थ, यी नतिजाको व्याख्या गर्दा विषयसापेक्ष गरिनु आवश्यक छ। यस परीक्षणमा प्रयुक्त साधनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशका लागि तोकेका ३३ ओटा काम, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया वा सन्तुष्टिलाई समेटेको छ। सङ्घीय स्वरूपको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशले गर्ने भनिएका ३३ ओटा कामहरूको कार्यान्वयन मूलतः यसको कानुनी आधार विकास नभएका कारण हुन नसकेको देखिन्छ। दोस्रो खण्डको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयमा परीक्षण गर्दा प्रक्रिया र पद्धतिका दृष्टिले परीक्षण गरिए पनि कार्यक्रमले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्र, बजेटको आकार, र कार्यान्वयनबाट पर्ने प्रभाव वा लक्षित वर्गको हित विषयलाई यस परीक्षणमा समेटिएको छैन। सङ्घीय सन्दर्भमा प्रदेशको परिवेश त्यहाँको शैक्षिक अवस्था वा कार्यक्रम प्राथमिकताका दृष्टिले केही विशेष जोड रहने विषय स्वाभाविक नै हुन्छ। कार्यक्रम खण्डबाहेक सातओटै शिक्षा विकास निर्देशनालयको परीक्षणमा साझा साधनको प्रयोग भएको छ, यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा परिवेशजन्य विषय समावेश गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले संस्थाको परिवेशका गुणात्मक तथ्याङ्क वा विवरण तथा प्रदेशसम्बद्ध विविध तथ्याङ्कसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। प्रदेशको आफ्नो शैक्षिक, सामाजिक एवम् सङ्गठन परिवेश, प्राथमिकता, कानुनी एवम् कार्यक्रमिक प्रबन्धहरूका कारण सात प्रदेशमा रहेका यी निर्देशनालयहरूको तुलना आफैंमा कठिन काम हो। तुलनाभन्दा परिवेश, प्राथमिकता र सङ्घीय स्वरूपमा शिक्षाको कार्यान्वयनका विषयबारे यस अनुसन्धानले केही विषय उजागर गरेको छ।

केन्द्रको यस परीक्षण अवधिमा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान् सचिवज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सङ्घीय निकायहरू, प्रदेशका मन्त्रालय तथा सबै निकायहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। परीक्षणको ढाँचा, साधन स्वीकृत गर्ने  तथा परीक्षण कार्यमा मार्गदर्शन गर्ने कार्यसम्पादन परीक्षण समितिप्रति आभारी छु। परीक्षणमा सहभागी सात प्रदेशका सबै शिक्षा विकास निर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुख महानिर्देशक/निर्देशक, संलग्न कर्मचारीहरू, अध्ययनमा सूचना तथा विचार दिई सहभागी हुने सबै सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न विज्ञद्वय डा. तुलसीप्रसाद थपलिया र श्री दीपक शर्माप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस परीक्षणको कार्यमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म संलग्न केन्द्रका सबै कर्मचारीहरू, निर्देशक श्री युवराज अधिकारी, शाखा अधिकृतद्वय श्री निशा ओली र श्री खगेन्द्र श्रेष्ठलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ। सङ्घ, प्रदेशका मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा सम्बद्ध निकायले यस प्रतिवेदन अध्ययन भई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमिक सुधारका थप कार्य हुने विश्वास यस केन्द्रले लिएको छ। यस प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिनुहुन केन्द्रको तर्फबाट सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

जयराम अधिकारी
महानिर्देशक

## कार्यकारी सारांश

शैक्षिक प्रणालीको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्ने र विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक वा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको नियमित रूपमा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने र शिक्षा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रमाणमा आधारित पृष्ठपोषण दिने कामसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण मूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सातै प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी प्राप्त तथ्याङ्क तथा जानकारीका आधारमा यो समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा करिब एकै समयको हाराहारीमा २०८१ चैत्रमा भिन्न भिन्न परीक्षकद्वारा स्थलगत अवलोकनसहित परीक्षण गरी गराई केन्द्रमा पेस हुन आएका प्रतिवेदनमा भएका प्राप्ति तथा विवरणहरूलाई एकीकृत गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हुनाले यो प्रतिवेदनमा प्राथमिक तथ्याङ्कको रूपमा परीक्षकहरूले उपलब्ध गराएको फाराममा भरिएका विवरणहरूलाई नै आधार मानिएको छ तापनि प्रदेशको शैक्षिक स्थिति विश्लेषणका लागि अन्य प्रकाशित स्रोतहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ।
कार्यसम्पादन परीक्षण शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विकास गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधन, २०८१ को परिधिभित्र रही गरिएको हुनाले यो प्रतिवेदनमा प्राप्तिहरू पनि मूलतः त्यसैको सीमा भित्र रहेको छ। कार्यसम्पादन परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डले शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी परीक्षण साधन विकास गरेको हुनाले सोहीबमोजिम यो परीक्षणकार्यलाई (क) कार्यविवरणअनुसारका सामान्य कार्यहरू, (ख) कार्यक्रमगत कार्यहरू, र (ग) कार्याअनुभवको प्रतिबिम्बन गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।

यो प्रतिवेदनलाई मूलतः चार परिच्छेदमा सङ्गठित गरिएको छ। परिच्छेद एकमा परिचयात्मक विषयहरू राखिएका छन्। यो खण्डमा परीक्षणणको उद्देश्य, विधि, प्रक्रिया, अङ्कभार, स्तर निर्धारणका आधारहरूका साथै यो कार्यसम्पादन परीक्षणको सीमाहरू उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद दुईमा प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषणका साथै निर्देशनालयको कार्य वातावरणको अवस्थाको पुनरवलोकन गरिएको छ। परिच्छेद तीनमा परीक्षणका स्थलगत प्राप्तिहरूलाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिएको छ। परिच्छेद चारमा समग्र विश्लेषणको निष्कर्ष र सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अन्य थप जानकारीहरू सन्दर्भसूची र अनुसूचीहरूमा रहेका छन्।

शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रका विषयमा सङ्घीय सरकारद्वारा मिति २०७५।०३।२२ मा स्वीकृत ३३ ओटा कार्यविवरणहरू रहेका छन्। सामान्यतया तीनै कार्यविवरणका कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी सालबसाली रूपमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले

निर्धारण गरेबमोजिम यो कार्यसम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहबारे शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पृष्ठपोषण प्रदान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु रहेको छ।

कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि तयार पारिएको साधनमा भाग-१ नेपाल सरकारले सङ्गठन संरचना सिर्जना गर्दा मिति २०७५/०३/२२को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएका ३३ ओटा कार्यविवरणसँग सम्बन्धित सूचकहरूका लागि कुल ९९ पूर्णाङ्क र यससँग सम्बन्धित सेवाग्राही सन्तुष्टिको लागि ६६ पूर्णाङ्क कायम गरिएको थियो। भाग-२ मा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सूचकहरू रहेका हुनाले प्रदेशगत पूर्णाङ्कमा विविधता रहेको थियो। यसमा प्रत्येक कार्यक्रमलाई ५ ओटा कार्यसम्पादन सूचकमा विभाजन गरी त्यसलाई कार्यसम्पादनका आधारमा ० देखि १ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्थासहित रूब्रिक्स विकास गरिएको थियो। यस भाग-२ मा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा १५ ओटा प्रश्नावली राखी ३० पूर्णाङ्क कायम गरिएको थियो। यी दुवै भागमा सूचकका प्राप्तिको लागि ९० प्रतिशत र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणका लागि १० प्रतिशत र निर्धारण गरिएको थियो। यी सूचकको समष्टिगत प्राप्तिको आधारमा सेवा प्रवाहको स्तरलाई उत्कृष्ट तथा उदाहरणीय, धेरै राम्रो, राम्रो, सामान्य वा सन्तोषजनक र कमजोर गरी ५ स्तरमा राखी स्तर निर्धारणको व्याख्या गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। परीक्षण साधनको भाग-३ मा शिक्षा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत कार्यान्वयनकर्ताहरूको अनुभवजन्य प्रतिविम्बन हुने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनाले त्यसमा अङ्क गणना गर्ने प्रावधान भने रहेको थिएन।

शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण र यसको नतिजाको व्याख्या विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशगत विद्यमान शैक्षिक अवस्थाको समीक्षा सान्दर्भिक हुने ठानी साक्षरता दर, विद्यालय र शैक्षिक सुविधाको वितरण, विद्यालय शिक्षाको आन्तरिक सक्षमताको अवस्था र शैक्षिक उपलब्धिको समग्र अवस्थाको आधारभूत पक्षहरूमा विश्लेषण गरिएको छ।

साक्षरता स्तरलाई केलाउँदा प्रदेशगत रूपमा धेरै ठुलो अन्तर देख्न सकिन्छ। बागमतीमा पाँच वर्षभन्दा माथिको पुरुष साक्षरता ८८.३ छ भने, मधेश प्रदेशको ६३.५ प्रतिशत मात्र छ। अझ मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता दर ५४.७ प्रतिशत मात्र छ। महिला र पुरूष साक्षरता दरको अन्तर पनि बागमतीमा सबभन्दा कम छ तापनि उक्त अन्तर पनि आफैँमा बढी हो। यसप्रकार, साक्षरता दरमा प्रदेशगत विविधताका साथै, लैङ्गिक रूपमा हेर्दा अझ ठुलो असमानता देख्न सकिन्छ।

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको वितरणलाई प्रदेशको भूगोल र जनसङ्ख्यासँग तुलना गरेर हेर्दा फरक फरक अवस्था देखिन्छ। खास गरी २०७८ को जनगणनासँग तुलना गर्दा जनसङ्ख्याको वितरणको अनुपातमा प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालयको सङ्ख्यात्मक वितरण मधेश प्रदेशमा कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै र संस्थागत विद्यालयको अनुपात बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।

प्रारम्भिक बालविकास वा पूर्व प्राथमिक कक्षामा सबभन्दा धेरै बालबालिका लुम्बिनी प्रदेशमा र त्यसपछि बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ भने आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ भने मधेश प्रदेशमा विद्यार्थी भर्ना अपेक्षाकृत न्यून रहेको देखिन्छ। आधारभूत तह र माध्यमिक तहको विद्यार्थी भर्नासँग शिक्षकको वितरण मिलेको देखिँदैन अर्थात्

विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई हेर्दा शिक्षकको वितरणमा प्रदेशगत असमानता देख्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षाको आन्तरिक सक्षमताको अवस्थासँग विश्लेषण गर्दा पनि मिश्रित अवस्था देखिन्छ।
बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन र उमेरगत समूहको खुद भर्ना दरको हिसाबले गण्डकी प्रदेश तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा देखिन्छ भने कक्षा एकमा बालविकास केन्द्रको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको हिसाबले लुम्बिनी राम्रो अवस्थामा देखिन्छ। यी तीनओटै सूचकमा मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर र राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको देखिन्छ। आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्ना दरमा प्रदेशगत रूपमा ठुलो भिन्नता देखिँदैन। कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्ना दरको अवस्था हेर्दा कोशी, बागमती र कर्णालीको अवस्था राष्ट्रिय औसत वा सोभन्दा माथि रहेको अवस्था छ। कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दरमा कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो रहेको छ। कक्षा ५ सम्म र कक्षा ८ सम्मका दुवै टिकाउ दरमा मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्ना दर हेर्दा बागमती, गण्डकी र कर्णालीको अवस्था औसतकै हाराहारी वा सोभन्दा केही माथि रहेको देखिन्छ। माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२) को खुद भर्नादर हेर्दा मधेश प्रदेशको उल्लेख्य रूपमा न्यून रहेको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउ दरमा गण्डकी प्रदेश र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दरमा मधेश प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ।

माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को परीक्षा (एसइइ) २०८० को नतिजा माध्यमिक तहको अन्तमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा (एसएलसी) २०८० को नतिजा दुवैमा कुल ग्रेडेड प्रतिशतको हिसाबले र माथिल्लो स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हिसाबले बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ। एसइइमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नतिजा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने एसएलसी को नतिजामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट विभिन्न वर्षमा सञ्चालित कक्षा ५, ८ र १० का सिकाइ उपलब्धिका राष्ट्रिय परीक्षणहरूको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत रूपमा शैक्षिक उपलब्धिमा ठुलो अन्तर छ। खास गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशको उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो देखिन्छ भने केही अपवादलाई छाडेर कर्णाली प्रदेशको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखिन्छ।

साविकमा क्रियाशील रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू स्थापना गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न मितिमा निर्णय गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको स्थापना भएको देखिन्छ। यसमा निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा एघारौं तहको निर्देशक रहने व्यवस्था भए पनि यस अवधिमा केही प्रदेशहरूले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविवरणमा केही विषय थप गरेको देखिन्छ भने केहीले दरबन्दी र पदनाममा सामान्य हेरफेर गरेको पाइन्छ। कतिपय प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा भएको हेरफेर र जिम्मेवारी थपघट भएको तथा जिल्ला जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयहरू स्थापना भएका कारण पनि निर्देशनालयको काममा सामान्य ढङ्गले फरक परेको देखिन्छ। कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको अवधिका निर्देशनालयका स्वीकृत कार्यक्रमलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट जारी भएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरूले मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ।

यसका साथै प्रदेश विशेषका योजना, कानुन र कार्यक्रम केन्द्रित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमार्फत कार्यसम्पादनलाई आधार प्रदान गरेको देखिन्छ।

परीक्षण साधनको भाग-१ मा निर्देशनालयको कार्यविवरणसँग सम्बन्धित ३३ ओटा सूचकहरू छन्। यसमा प्रत्येकलाई ३ अङ्कको दरले ९९ पूर्णाङ्क कायम गरिएको थियो। तर यसमा भाग-१ का १० ओटा सूचकहरू (३०.३०%) मा सङ्घीय सरकारले कानुनी बाटो नफुकाइदिएको, प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको वा आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले सम्बन्धित कार्यविवरणबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन। त्यसैगरी ५ ओटा सूचकहरू (१५.१५%) मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको र आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले कार्यसम्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन। थप अर्को १ सूचक (३.०३%) दुई प्रदेशबाहेक अन्यमा सान्दर्भिक नभएका कारण कुल ३३ मध्ये १७ ओटा (५१.५१%) कार्यविवरणमा मात्र सबै शिक्षा विकास निर्देशनालयले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएकोले ती ३३ ओटा सूचकमध्ये १६ ओटा सूचकहरूलाई यो प्रतिवेदन तयारीको क्रममा मापनको लागि प्रयोग हुन नसक्ने (Not Applicable) को रूपमा राखी १७ ओटा सूचकमा परीक्षकले दिएका अङ्कलाई मात्र प्रयोग गरिएको छ र सेवाग्राही सन्तुष्टिको अङ्कलाई पनि सोहीबमोजिम समायोजन गरिएको छ। तसर्थ, सूचकका प्राप्ताङ्कको विश्लेषण गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ। भाग-१ को १७ सूचकको ५१ पूर्णाङ्कमा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको परीक्षकले दिएको अङ्क २२ (४३.१४%) देखि ४२ (८२.३५%) सम्मकोबिचमा रहेको छ। यसमा न्यूनतम अङ्क र अधिकतम अङ्कबिचको फरक झण्डै दोब्बर रहेको छ। निर्देशनालयगत हिसाबले हेर्दा कोशीको २६, मधेशको २२, बागमतीको ४२, गण्डकीको ३४, लुम्बनीको ३२, कर्णालीको ३० र सुदूरपश्चिमको ३६ रहेको छ।

भाग-२ मा चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू रहेका छन। स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षकगत विषयलाई सूचकमा रूपान्तरण गरिएको हुनाले भाग-२ को सूचकका साथसाथै कार्यसम्पादनमा धेरै कुरामा प्रदेशगत विविधता देखिन्छ। कर्यक्रमको सङ्ख्या फरक छ, कुनैमा थोरै सङ्ख्यामा र कुनै प्रदेशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कार्यक्रम रहेको देखिन्छ। कुनैमा बजेट धेरै छ र कुनैमा अत्यन्त न्यून बजेट छ। तर हरेक कार्यक्रममा बराबर अर्थात् अधिकतम पाँच अङ्क पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ। कुनै प्रदेशमा त पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रम नै रहेको देखिँदैन। यस भागमा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको प्राप्ताङ्क प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा ठुलो अन्तरका साथ ३८.४६% देखि ९६.३५% सम्मको बिचमा रहेको छ। यसमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ। गण्डकी र लुम्बिनीको अवस्था ५० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतको बिचमा रहेको छ भने कोशी र मधेशको प्राप्ताङ्क ५० प्रतिशत भन्दा तल रहेको देखिन्छ। भावी दिनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता सफलता हासिल भए, के कस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पादन भए, दीर्घकालसम्म उपयोगी हुने गरी क्षमता निर्माण जस्ता संस्थागत आधार तयार गर्ने काम कति भए भनेर फरक प्रकारले विश्लेषण गर्ने गरी परीक्षण मार्गदर्शनलाई सुधार गर्न सकेमा प्रदेशको कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा समेत यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।

भाग-१ सँग सम्बन्धित सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको अङ्कलाई हेर्दा पनि ठुलो विविधता (२७ देखि ८२ प्रतिशत) देख्न सकिन्छ। खास प्रयोजनका विषयमा मात्र सो संस्थासँग विद्यालय सम्पर्कमा जानुपर्ने भएकाले स्वभावतः

कार्यविवरणका सबै सूचकमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलगायतका सरोकारवालाहरू जानकार नहुने हुनाले असम्बन्धित सूचकमा आफूले दिएका अङ्कमा उनीहरू आफै विश्वस्त भने छैनन्। विशेषतः कार्यक्रमका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा विद्यालय सम्म पुगेका वा पुग्न बढी चलायमान देखिएका बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू बढी सन्तुष्ट देखिएको उनीहरूको खुला टिप्पणीबाट देखिन्छ। सेवाग्राहीको रूपमा प्रतिक्रिया दिने स्थानीय शिक्षा अधिकृतहरूको टिप्पणीमा भने विशेषतः समन्वयको पाटोमा समस्या रहेको विषय औंल्याइएको छ। यस खण्डमा सेवाग्राहीले साधनमा उल्लेख गरिएको ढाँचामा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका कारणहरूमा अपवादमा बाहेक प्रतिक्रिया दिएको देखिएन। भाग-२ सँग सम्बन्धित सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा पनि सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्राप्ताङ्कमा प्रदेशगतरूपमा ठुलो अन्तर रहेको छ र उनीहरूको प्रतिक्रियामा पनि एकदमै विविधता देखिन्छ। यसमा निर्देशनालयहरूले ३८.६७ प्रतिशत देखि ८३.० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी भाग-२ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको अङ्कलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरेर हेर्दा न्यूनतम ३८.४६% देखि अधिकतम ९६.३५% को बिचमा रही ठुलो अन्तर देखिन्छ। प्रदेशगत हिसाबले यो प्रतिशत कोशीको ४६.६७, मधेशको ३८.४६, बागमतीको ८६.८२, गण्डकीको ७०.६९, लुम्बिनीको ५४.४७, कर्णालीको ८३.८६ र सुदूरपश्चिमको ९६.३५ रहेको छ। यस खण्डमा पनि केही महत्त्वपूर्ण खुला टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन् र ती प्रतिक्रियामा प्रदेशगत विविधता पनि पाइएको छ। निर्देशनालयबाट प्रवाहित आफूसँग सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छरितो प्रभावकारी भएको महसुस चाहिँ उनीहरूले गरेको देखिन्छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्दा सेवाप्रवाह भएको मात्रा- कतिले सेवा लिए र उनका निमित्त सो सेवा कत्तिको उपयोगी वा कामलाग्दो भयो भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सो को मापनबाट विश्लेषण गर्नु निकै कठिन हुनसक्ने देखियो। यसमा पनि आगामी दिनमा सबै सेवाग्राहीलाई एकै प्रकारको प्रश्नावली बनाउने भन्दापनि उनीहरूको आफ्ना खास खास कामसँग वा उनीहरूले प्राप्त गरेको सेवासँग सम्बन्धित भएर मात्र सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अवस्था भएमा मापन बढी वस्तुनिष्ठ हुने देखिएको छ।

कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शनअनुरुप कार्यसम्पादनको भारित प्राप्ताङ्क र कार्यसम्पादनको समग्र स्तरलाई हेर्दा प्रदेशगत हिसाबले कोशीको ४९.७१ (सामान्य वा सन्तोषजनक), मधेशको ३९.५१(कमजोर), बागमतीको ८०.८७ (धेरै राम्रो), गण्डकीको ६६.० (राम्रो), लुम्बनीको ५७.९१ (सामान्य वा सन्तोषजनक), कर्णालीको ७१.०३ (राम्रो) र सुदूरपश्चिमको ८३.३७ (धेरै राम्रो) रहेको छ। यसरी कार्यसम्पादन स्तरलाई विश्लेषण गर्दा सातओटा प्रदेश निर्देशनालयमध्ये दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको धेरै राम्रो, दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको राम्रो, दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको सामान्य र एउटा प्रदेश निर्देशनालयको कमजोर स्तरको रहेको पाइएको छ। कार्यसम्पादन स्तरमा विविधता आउने धेरै ओटा कारणहरू हुनसक्ने र कतिपय कारणहरू निर्देशनालयको अधीनमा नरहने प्रकृतिको समेत हुनसक्ने हुँदा यो परीक्षणमा यी सङ्गठनले प्राप्त गरेको अङ्कको निरपेक्ष ढङ्गले तुलना वा व्याख्या गर्नु युक्तिसङ्गत नहुन सक्छ भन्ने ठानिएको छ।

भाग-३ का प्राप्तिहरूको विश्लेषण गर्दा निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रअनुसारका कार्यक्रमहरू सान्दर्भिक र पर्याप्त रहेका छैनन् भन्ने बुझाइ शिक्षा विकास निर्देशनालयको रहेको देखिन्छ। हालको अवस्थामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधन पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझाइ पनि निर्देशनालयको रहेको छ। निर्देशनालयलाई सङ्घीय मन्त्रालयबाट दिइएको कार्यविवरण र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रही हाल कार्यान्वयमा रहेका कार्यहरूबिच तालमेल नभएको अवस्था पनि औंल्याएको देखिन्छ। निर्देशनालयलाई हाल तोकिएका कार्यविवरण परिमार्जन भएमा वा सम्बन्धित

निकायहरूबाट स्पष्ट कानुनी आधारहरू तयार भई ती कार्यविवरणको मर्मबमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको व्यवस्थापन भई आएमा कार्यमा उत्कृष्टता ल्याउन सहज हुने धारणा निर्देशनालयको रहेको देखिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन विशेषतः बहुवर्षीय निर्माणका काममा टेन्डर प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्।

समग्र पक्षको विश्लेषणका आधारमा यस प्रतिवेदनमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि सूचीकृत गरिएका छन्। खास गरी सङ्घीय तहबाट कार्यविवरण स्वीकृत भएपछिको करिब सात वर्षको कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको कार्यविवरण अनुरुपको काम निर्देशनालयले सहजरूपमा गर्न पाउनेगरी अपर्याप्त रहेका र बाधक बनेका कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विषयहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ ले व्यवस्था गरेको विषयगत समितिमा समीक्षा गरी कार्यविवरणका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने, प्रदेश तहमा शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयले कार्यविवरणको समीक्षासमेत गरी स-साना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धीजस्तो देखिने प्रकृतिका कार्यक्रमको सट्टा शिक्षाका समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउने गरी कार्य प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने र प्रदेश निर्देशनालयको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने, विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने गराउने र प्रदेश स्तरमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने विषयलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरी सो कार्यलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, शिक्षा विकास निर्देशनालयले स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा अनुगमन योजना र विषयको प्रकृति हेरी अनुगमन सूचक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३० को उपदफा (२) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको अनिवार्य दायित्व तथ जिम्मेवारीका विषयमा आवश्यक प्राविधिक तयारीका काम गर्न र सोही ऐनको दफा ३६ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको प्रगति विवरणलाई स्थानीय तहबाट प्राप्त गरी आवश्यक कार्य गर्ने विषयमा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयहरू रहेका छन्।

# विषयसूची


**कार्यकारी सारांश** ..... i-vi

**परिच्छेद एक**

**परिचय, परीक्षणको विधि र प्रक्रिया** ..... १

१.१ पृष्ठभूमि ..... १

१.२. उद्देश्य र अपेक्षित नतिजा ..... २

१.३. परीक्षण साधन, विधि र प्रक्रिया ..... २

भाग १ कार्य विवरणअनुसारका सामान्य कामहरू ..... २

भाग २ कार्यक्रमगत कार्यहरू ..... ३

भाग-३ कार्याअनुभवको प्रतिबिम्बन ..... ५

१.४. अङ्क भार विवरण र स्तर निर्धारण ..... ५

१.४.१. कार्यक्रमगत कार्यक्षेत्रको सङ्ख्या र कार्यसम्पादन सूचकगत पूर्णाङ्क ..... ५

१.४.२. कार्यसम्पादन परीक्षणको अन्तिम नतिजा प्रस्तुतिको पाँच स्केलमा आधारित ढाँचा ..... ६

१.५ कार्यसम्पादन परीक्षण प्रक्रिया ..... ७

१.६ एकीकृत प्रतिवेदन विश्लेषणका लागि प्रयोग गरिएको थप आधार ..... ८

१.७ अध्ययनका र प्रतिवेदन तयारीका सीमाहरू ..... ९

**परिच्छेद दुई**

**अवस्था विश्लेषण** ..... १०

२.१. प्रदेशगत सामान्य अवस्था ..... १०

२.२. शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण ..... १३

२.२.१ साक्षरता स्थितिः ..... १३

२.२.२ प्रदेशगत शिक्षण संस्थाहरूको वितरण ..... १४

२.२.३ प्रदेशगत विद्यार्थी वितरण ..... १६

२.२.३ सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेशगत शिक्षक विवरण ..... १८

२.२.४ विद्यालय शिक्षामा आन्तरिक सक्षमताको अवस्था (२०८०) ..... २१

२.२.५ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको नतिजा ..... २४

२.३. शिक्षा विकास निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार ..... २७

२.४. शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठनात्मक स्वरूप वा सङ्गठन संरचना ..... २९

२.५. शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई काम गर्ने नीतगत र कानुनी आधारहरू ..... ३०

२.६. कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा संस्थागत परिवेश ........ ३०

२.७. कार्यसम्पादन परीक्षणका अन्य सान्दर्भिक अभ्यासहरू ........ ३२

२.७.१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विगतको अभ्यास ........ ३२

२.७.२ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभ्यास ........ ३३

२.७.३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अभ्यास ........ ३४

२.७.४ प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको आफ्नै अभ्यास ........ ३४

२.८ परीक्षणको ढाँचा र नतिजाको व्याख्या गर्ने आधार ........ ३५

## परिच्छेद तीन

**परीक्षणका प्राप्तिहरूको विश्लेषण** ........ ३६

३.१ भाग-१ को कार्यविवरणमा आधारित सामान्य अवस्थाको विश्लेषण ........ ३६

३.१.१. परीक्षण साधनको विषयमा ........ ३६

३.१.२. प्रदेशगत र सूचकगत अङ्कन र सोको विश्लेषण ........ ५२

३.२ भाग-२ को कार्यक्रमको सामान्य अवस्थाको विश्लेषण ........ ६३

३.२.१. प्रदेशगत र सूचकगत अङ्कनको विवरण ........ ६४

३.२.२. प्रदेशगत खुद प्राप्ताङ्कको विश्लेषण ........ ६५

३.२.३. कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य सम्बन्धित विषयहरूको विश्लेषण ........ ६७

३.३ सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विश्लेषण ........ ७३

३.३.१ भाग-१ को सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विश्लेषण ........ ७३

३.३.२ को सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण ........ ७६

३.४ परीक्षणको समग्र प्राप्ताङ्क र त्यसको विश्लेषण ........ ८०

३.४.१ परीक्षणको प्रदेशगत भारित अङ्क, स्तर र सो को व्याख्या ........ ८०

३.४.२ परीक्षणको अङ्क र अन्य सूचकको अवस्थाको विश्लेषण ........ ८६

३.५ भाग-३ को खुला विषयको विश्लेषण ........ ८७

३.६ परीक्षणका अन्य सान्दर्भिक विषयहरू ........ ८८

३.७. शिक्षा विकास निर्देशनालयको भनाइ वा राय प्रतिक्रया ........ ९३

३.८. कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रमको सबल र सुधारात्मक पक्ष ........ ९५

३.८.१ सबल पक्ष ........ ९५

३.८.२ सुधारात्मक पक्ष ........ ९५

३.९. परीक्षणकर्ताको राय सुझाव ........ ९६

**परिच्छेद चार**

**प्राप्ति र सुझावहरू** ........ ९७

४.१. कार्यसम्पादन परीक्षणका मुख्य मुख्य प्राप्तिहरू ........ ९७

४.२. सुझावहरू ........ १००

**सन्दर्भसामग्री** ........ १०३

**अनुसूचीहरू** ........ १०६

अनुसूची १: कार्य विवरणमा आधारित सेवाप्रवाहको सामान्य अवस्थाको परीक्षण (भाग-१) साधन ........ १०६

अनुसूची २: सेवाग्राही सन्तुष्टि लेखाजोखा साधन (भाग-१) ........ ११८

अनुसूची ३: कार्यक्रमगत अवस्थाको परीक्षण (भाग-२) ........ १२५

अनुसूची ४: कार्यक्रमगत पक्षमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर (भाग-२) ........ १५०

अनुसूची ५: कार्यानुभवको प्रतिविम्वन (भाग-३) ........ १५३

अनुसूची ६: शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रमुख, सूचना अधिकृत र विज्ञ परीक्षकको नामावली ........ १५४

अनुसूची ७ : अङ्क तालिका ........ १५५

# परिच्छेद एक

# परिचय, परीक्षणको विधि र प्रक्रिया

## १.१ पृष्ठभूमि

सङ्गठनको उद्देश्यअनुसार के कति मात्रामा उपलब्धि हासिल हुन सके सकेनन्, सेवाग्राहीले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन सके सकेनन्, वा सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर सम्बन्धित विज्ञहरूमार्फत् कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने गरिन्छ। यस प्रकारका परीक्षण मार्फत उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने र कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। नियमित अर्थात् आवधिक रूपमा गरिने यस प्रकारका परीक्षणमार्फत् वार्षिक कार्यक्रममा के कति प्रगति भयो भनेर अङ्कमा हेर्ने मात्र नभई सो कार्यक्रमले सेवाग्राहीका आवश्यकताका सन्दर्भमा ती कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरू के कति सान्दर्भिक थिए र तिनले आवश्यकतालाई के कति हदसम्म सम्बोधन गर्न सफल भए भन्ने विषयलाई समेत दृष्टिमा राखेर परीक्षण सञ्चालन गरिन्छ। यसरी परीक्षणमार्फत सङ्गठनको प्रभावकारिता बढाउँदै अन्ततः जनताको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा योगदान दिने समेत अपेक्षा गरिन्छ।

विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्याङ्कन गर्ने, विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक वा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको नियमित रूपमा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने र शिक्षा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रमाणमा आधारित प्रतिक्रिया दिने काम समेत गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने कार्य शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले पाएका कार्यादेश भित्र पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसै अनुरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण मूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशगत रूपमा करिब एकै समयको हाराहारीमा २०८१ चैत्रमा भिन्न भिन्न परीक्षकद्वारा स्थलगत अवलोकनसहित परीक्षण गरी गराई केन्द्रमा पेस हुन आएका प्रतिवेदनमा भएका प्राप्ति तथा विवरणहरूलाई एकीकृत गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

विशेषतः सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिएको सेवाको कार्यसम्पादन स्तरबारे नियमित जानकारी पाउन सकिएको खण्डमा नागरिकप्रति सरकारको जवाफदेहितामा अभिवृद्धि भई सार्वजनिक शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुने छ भन्ने अवधारणाअन्तर्गत प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयको संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने र उक्त निर्देशनालयको शैक्षिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यसम्पादनको लेखाजोखा गर्ने अभिप्रायले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तय गरेको साधन, विधि र प्रक्रियाबमोजिम कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको छ। कार्यसम्पादन परीक्षण शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विकास गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधन, २०८१ को परिधिभित्र रही गरिएको हुनाले यो प्रतिवेदनमा प्राप्तिहरू पनि मूलतः त्यसैको सीमाभित्र रहेको छ। परीक्षण साधन तयार गर्दा शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रका विषयमा सङ्घीय सरकारद्वारा स्वीकृत ३३ ओटा कार्यविवरणहरूलाई सूचकको रूपमा लिइएको छ। सामान्यतया तीनै कार्यविवरणका कार्यक्षेत्र भित्र रहने गरी हरेक वर्ष शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। यसरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश

सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरूको अतिरिक्त शिक्षा विकास निर्देशनालयको आफ्नै सक्रियता र पहलमा अन्य विषयगत संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको देखिन्छ।

## १.२. उद्देश्य र अपेक्षित नतिजा

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले निर्धारण गरेबमोजिम यो कार्यसम्पादन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहबारे शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रमाणमा आधारित वस्तुनिष्ठ पृष्ठपोषण प्रदान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु रहेको छ। यसका साथै यो कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदनले शिक्षा विकास निर्देशनालयको सार्वजनिक शैक्षिक सेवा प्रवाहमा देहायको सुधारात्मक नतिजा प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छः

(क) शिक्षा विकास निर्देशनालयका सेवाग्राहीको पहिचान हुने,

(ख) बदलिँदो परिवेशमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक सेवाका क्षेत्रहरू पहिचान हुने,

(ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच शैक्षिक नीति निर्धारण, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि स्रोत परिचालन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उचित समन्वय र सन्तुलन कायम हुने,

(घ) सेवाप्रवाहमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य समस्याहरूको पहिचान हुने,

(ङ) शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू आफ्नो कार्यप्रति (स्व) जवाफदेही हुने संस्कृति विकास हुने र

(च) गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने।

## १.३. परीक्षण साधन, विधि र प्रक्रिया

कार्यसम्पादनको परीक्षणका लागि विकास गरिएको परीक्षण साधनले दुई प्रकारबाट परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छः कार्यसम्पादन सम्बन्धमा कार्यालयको तथ्य तथ्याङ्कबाट देखिने वस्तुगत अवस्था र सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मापन। पहिलो पक्षलाई ९० प्रतिशत र सेवाग्राही सन्तुष्टि पक्षलाई १० प्रतिशत भार कायम गरिएको छ। समग्रमा परीक्षण साधनलाई तीनओटा भागमा विभाजन गरी तथ्याङ्कन सङ्कलन गरी विश्लेषण गरिएको छः

### भाग १ कार्य विवरणअनुसारका सामान्य कामहरू

यस पहिलो भागमा कार्यविवरणगत सामान्य अवस्थाको परीक्षण गर्ने साधनहरू समावेश गरिएका छन्। कामको आयतनमा फरक भए तापनि सबै शिक्षा विकास निर्देशनालयको कर्यक्षेत्र समान छ र समान ३३ ओटा कार्यविवरणहरू उपलब्ध गराइएको छ। त्यसकारण, पहिलो भाग हरेक निर्देशनालयको निमित्त समान छ र प्रत्येक कार्यविवरणका लागि ३ पूर्णाङ्कका दरले ९९ पूर्णाङ्क रहेको छ।
यस भागमा नेपाल सरकारले सङ्गठन संरचना सिर्जना गर्दा मिति २०७५/०३/२२को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएका ३३ ओटा कार्यविवरणहरू छन्। ती प्रत्येक कार्य विवरणमा कार्यसम्पादनका आधारमा अङ्क प्रदान गर्नका लागि कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा ० अङ्क, कम्तीमा एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमा १ अङ्क, दुईओटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमा २

अङ्क र दुईभन्दा बढी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमा ३ अङ्क दिने गरी कुल ९९ पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ (अनुसूची १)। खण्ड-१ का लागि यो सबैको भार ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसै खण्डमा सेवाग्राहीसँग सेवाप्रवाहसम्बन्धी सन्तुष्टि परीक्षण गर्न उक्त ३३ ओटा कार्यविवरणलाई नै आधार मानेर सन्तुष्टिको स्तरलाई चार भागमा वर्गीकरण गरी ० देखि २ सम्म अङ्क प्रदान गर्ने गरी तयार गरिएको मापन साधनको प्रयोग भएको छ (अनुसूची २)। यसप्रकार यस साधनअनुसार मापन गर्दा ३३ सूचकमा प्रति सूचक बढीमा २ अङ्क पाउने गरी गणना गर्दा कुल ६६ पूर्णाङ्क कायम हुन गएको देखिन्छ। यसका साथै सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारणलाई व्याख्या गर्ने प्रयोजनका लागिः (क) कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता, (ख) सो कार्यदिश पूरा गर्न आवश्यक अधिकार र स्रोत साधन प्राप्तिको अवस्था, (ग) कार्यदिशअनुसारका कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका, सङ्घीय र स्थानीय स्तरका निकायहरूका अन्य कार्यक्रमसँगको तालमेल, वा दोहोरोपना, (घ) सोअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता वा दक्षता र (ङ) अनुगमन तथा कार्यान्वयनपश्चात् सहयोग प्रबन्ध गरी पाँच विभिन्न पक्षलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

### भाग २ कार्यक्रमगत कार्यहरू

सूचकको दोस्रो भाग वार्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ। वार्षिक कार्यक्रमका रुफमा हरेक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रत्येकले एक एक अङ्क पाउने पाँचओटा सूचकबाट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्ने आधार तय गरिएको छ। यसमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू राखिएको छ। यसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा प्रत्येक सूचकको ५ अङ्कका दरले कार्यक्रम सङ्ख्याका आधारमा हुन आउने कुल पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ (अनुसूची ३)। प्रदेशअनुसारका फरक फरक कार्यक्रम रहेका कारण सूचकको प्रकृति र सङ्ख्याका साथै यस खण्डमा कायम भएको कुल पूर्णाङ्क पनि प्रदेश पिच्छे फरक फरक रहेको छ। प्रत्येक कार्यक्रमलाई ५ ओटा कार्यसम्पादन सूचकमा विभाजन गरी त्यसलाई कार्यसम्पादनका आधारमा ० देखि १ अंङ्क प्रादन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसलाई देहायबमोजिमको आधार विकास गरी सोहीबमोजिम परीक्षण गरिएको थियो।

*तालिका १: कार्यक्रम मूल्याङ्कनका आधार*

| कार्यसम्पादन सूचक | अङ्क प्रदान गर्ने आधार | पुस्ट्याईँका प्रमाण |
|---|---|---|
| १. कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचना तथा सञ्चार/पत्राचार गरिएको | • नभएकामाः ० अङ्क<br>• सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था तोकेर पत्राचार गरिएकोमाः ०.५ अङ्क<br>• बुँदा २ सहित खुला सूचना प्रकाशन गरिएकोः १ अङ्क | • चलानी गरिएको पत्र<br>• प्रकाशित सूचना<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| २. आर्थिक तथा प्रशासनिक ऐन नियमका आधारमा तयार गरिएको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना भएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• कार्यतालिका भएमाः ०.५ अङ्क<br>• विस्तृत कार्ययोजना भएमाः १ अङ्क | • कार्यतालिका<br>• कार्ययोजना<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ३. कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृत योजना, मापदण्ड तथा | • नभएकोमाः ० अङ्क | • स्वीकृत टिप्पणी आदेश |

| कार्यसम्पादन सूचक | अङ्क प्रदान गर्ने आधार | पुस्ट्याईँका प्रमाण |
|---|---|---|
| कार्यविधि/ निर्देशिका/ मार्गदर्शन/टिप्पणी निर्णयका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको | • स्वीकृत टिप्पणीका आधारमा कार्यान्वयन तथा खर्च गरिएकोमा: ०.५ अङ्क<br>• स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि/निर्देशिका/मार्गदर्शनका आधारमा कार्यान्वयन तथा खर्च गरिएकोमा: १ अङ्क | • स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि/निर्देशिका/ मार्गदर्शन<br>• बिल भरपाइहरू<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ४. कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात् सोको उपयोग र प्रभावबारे अनुगमन/मूल्याङ्कन गरिएको | • नभएकोमा: ० अङ्क<br>• कुनै स्पष्ट योजनाबिना नै अनुगमन गरिएकोमा: ०.५ अङ्क<br>• अनुगमन योजना स्वीकृत गरी अनुमगन गरिएकोमा: १ अङ्क | • अनुगमन योजना<br>• अनुगमन प्रतिवेदन<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ५. कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रम बजेट निकासा गर्ने निकायमा पेस गरिएको | • नभएकोमा: ० अङ्क<br>• प्रतिवेदन तयार गरिएकोमा: ०.५ अङ्क<br>• प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएकोमा: १ अङ्क | • कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन<br>• प्रतिवेदन पेस गरेको चलानी पत्र<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| | जम्मा अङ्क: ५ | |

माथिका पाँच सूचकहरूले यसप्रकारका पाँच क्षेत्रलाई मापन गर्ने गरी विकास गरिएका छन्:

क) कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना र सञ्चार प्रबन्धः खासगरी कार्यक्रमबारे सरोकारवालासम्म सूचना प्रवाह भयो भएन भन्ने विषय पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ। साथै, यसले अर्को चरणमा सरोकारवालाको सहभागितालाईसमेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ। यसअन्तर्गत अङ्क प्रदान गर्ने आधार र पुष्ट्याइँको सम्भाव्य प्रमाणको स्रोतसमेत उल्लेख भएको छ।

ख) आर्थिक तथा प्रशासनिक ऐन नियमका आधारमा तयार गरिएको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना भएको: यसले विद्यमान आर्थिक प्रशासनिक ऐन नियमको पालना भए नभएको तथा निश्चित कार्ययोजनाको अधिनमा कार्यान्वयन भए नभएको हेरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतालाई परीक्षणमार्फत स्थापित गर्न खोजेको छ।

ग) कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृत योजना, मापदण्ड, तथा कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन, टिप्पणी, निर्णयका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको: सञ्चालन प्रक्रियालाई स्तरीकरण गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवधारणालाई परीक्षणमार्फत स्थापित गर्न खोजेको छ।

घ) कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् सोको उपयोग र प्रभावबारे अनुगमन, मूल्याङ्कन गरिएको: कार्यक्रम सञ्चालन हुनु नै अन्तिम उद्देश्य नभई सो को प्रयोगमार्फत सामाजिक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने भन्ने नतिजामुखी व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षलाई यस परीक्षणमार्फत स्थापित गर्न खोजेको छ।

ङ) कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रम बजेट निकासा गर्ने निकायमा पेस गरिएको: प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।

यस भाग दुईमा पनि कुल १५ जनाको सेवाग्राही सन्तुष्टि परीक्षण गर्न १५ ओटा सूचक तयार गरी प्रत्येक सूचकमा सन्तुष्टिको स्तरलाई चार भागमा वर्गीकरण गरी ० देखि २ सम्म अङ्क प्रदान गर्ने गरी कुल ३० पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ (अनुसूची ४)। यसमा पनि कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनलाइ ९० प्रतिशत र सेवा ग्राहीको सन्तुष्टिलाई १० प्रतिशत अङ्क भार निर्धारण गरिएको छ।

**भाग-३ कार्याअनुभवको प्रतिबिम्बन**

यसमा निर्देशनालयमा कार्यरत कार्यान्वयनकर्ताहरूको अनुभवजन्य प्रतिबिम्बन हुने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसमा अङ्क गणना गर्ने प्रावधान भने रहेको छैन। बरू यसमा भाग एक र भाग दुईमा उल्लेख भएका विषयहरूको सान्दर्भिकता, अधिकारको प्रत्यायोजन, मुद्दा तथा चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरूका विषयमा निर्देशनालयका प्रमुख र कर्मचारीका धारणा प्रतिबिम्बन हुने खालको एउटा ढाँचा विकास गरी उपयोग गरिएको देखिन्छ (अनुसूची ५)।

## १.४. अङ्क भार विवरण र स्तर निर्धारण

यो परीक्षण कार्यक्रमका लागि अङ्कभार विवरण र कार्यसम्पादनको समग्र स्तर निकाल्ने आधार तपसिलबमोजिम रहेको देखिन्छः

### १.४.१. कार्यक्रमगत कार्यक्षेत्रको सङ्ख्या र कार्यसम्पादन सूचकगत पूर्णाङ्क

भाग एकमा सबै निर्देशनालयको अङ्कभार एउटै रहेको भए तापनि भाग दुईमा भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सङ्ख्याको आधारमा अङ्क कायम गरिएकोले फरक फरक अङ्क कायम रहन गएको पाइन्छ। यसले कुल अङ्कभार प्रत्येक प्रदेशको फरक फरक हुने देखिन्छ। यसलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ।

*तालिका २: कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रदेशगत सूचकगत र त्यसको पूर्णाङ्क विवरण*

| शिक्षा विकास निर्देशनालय | सामान्य कार्यक्षेत्रआधारमा कार्यसम्पादन सूचकगत पूर्णाङ्क (भाग १) | कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादन सूचकगत पूर्णाङ्क (भाग २) | भाग एक सेवाग्राही सन्तुष्टि | भाग दुई सेवाग्राही सन्तुष्टि | जम्मा पूर्णाङ्क |
|---|---|---|---|---|---|
| कोशी प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | १५ × ५ =७५ | ६६ | ३० | २७० |
| मधेश प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | २६ × ५ =१३० | ६६ | ३० | ३२५ |
| बागमती प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | ४४ × ५ =२२० | ६६ | ३० | ४०९ |
| गण्डकी प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | २९ × ५ =१४५ | ६६ | ३० | ४१५ |
| लुम्बिनी प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | ३८ × ५ =१९० | ६६ | ३० | ३८५ |
| कर्णाली प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | ८८ × ५ =४४० | ६६ | ३० | ६३५ |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | ३३ × ३ =९९ | ५२ × ५ =२६० | ६६ | ३० | ४५५ |

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तय गरेबमोजिम सूचकको भाग एक भाग दुई र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा निर्देशनालयले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा कार्यक्रमको समग्र कार्यसम्पादनको कुल भारित अङ्क निकाल्ने आधार देहायबमोजिम रहेको छ।

*तालिका ३: सूचकका प्राप्ताङ्कको आधारमा कुल भारित अङ्क निकाल्ने आधार*

| शिक्षा विकास निर्देशनालय | जम्मा प्राप्ताङ्क | | अङ्क भार | खुद भारित प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क निकाल्ने सूत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** | **च** |
| कार्य विवरणगत सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क **(भाग-१)** | | कार्यसम्पादन *(सबैको लागि एउटै साधन)* | ९०% | | $\text{खुद भारित प्राप्ताङ्क} = \frac{\text{कार्यसम्पादनको प्राप्ताङ्क}}{\text{कार्यसम्पादनको पूर्णाङ्क}} \times ९०$ |
| | | सेवाग्राही सन्तुष्टि *(सबैको लागि एउटै साधन)* | १०% | | $\text{खुद भारित प्राप्ताङ्क} = \frac{\text{सेवाग्राहीको प्राप्ताङ्क}}{\text{सेवाग्राहीको पूर्णाङ्क}} \times १०$ |
| | | जम्मा | १००% | | |
| कार्यक्रमगत अवस्थाको प्राप्ताङ्क **(भाग-२)** | | कार्यसम्पादन *(सबैको लागि फरक फरक साधन)* | ९०% | | $\text{खुद भारित प्राप्ताङ्क} = \frac{\text{कार्यसम्पादनको प्राप्ताङ्क}}{\text{कार्यसम्पादनको पूर्णाङ्क}} \times ९०$ |
| | | सेवाग्राही सन्तुष्टि *(सबैको लागि एउटै साधन)* | १०% | | $\text{खुद भारित प्राप्ताङ्क} = \frac{\text{सेवाग्राहीको प्राप्ताङ्क}}{\text{सेवाग्राहीको पूर्णाङ्क}} \times १०$ |
| | | जम्मा | १००% | | |
| **जम्मा (भाग-१+ भाग-२)** | | | **१००%** | | |

भाग २ को सूचकको खुद प्राप्ताङ्क निकाल्ने तरिका:

खुद प्राप्ताङ्क = जम्मा प्राप्ताङ्क + (पूर्णाङ्क (५)प्राप्त गरेका कार्यक्रमको सङ्ख्या÷५)

### १.४.२. कार्यसम्पादन परीक्षणको अन्तिम नतिजा प्रस्तुतिको पाँच स्केलमा आधारित ढाँचा

माथिको जम्मा भारित प्राप्ताङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन परीक्षणको अन्तिम नतिजालाई देहायको पाँच स्केलमा राखी समग्र स्तर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तय गरेको सेवा प्रवाहको स्तर, स्तर निर्धारणका आधार र उक्त स्तरको व्याख्या देहायबमोजिम रहेको देखिन्छ:

*तालिका ४: सेवा प्रवाहको स्तर, स्तर निर्धारणका आधार र स्तर निर्धारणको व्याख्या*

| | सेवा प्रवाहको स्तर | स्तर निर्धारणका आधार | स्तर निर्धारणको व्याख्या |
|---|---|---|---|
| १ | उत्कृष्ट तथा उदाहरणीय (Excellent and Exemplary) | ९० प्रतिशत र सो भन्दा माथि | तोकिएका सेवा प्रवाहका सबै मापदण्डहरू उच्चतम अवस्थामा पूरा भएको र कार्यसम्पादनमा सिर्जनशीलता एवम् नवप्रवर्तनात्मक कार्यसमेत देखिएको (meeting all service standards and expectations with creativity and innovation) |

| | सेवा प्रवाहको स्तर | स्तर निर्धारणका आधार | स्तर निर्धारणको व्याख्या |
|---|---|---|---|
| २ | धेरै राम्रो (Very Good) | ८० प्रतिशत र सो भन्दा माथि ९० प्रतिशत भन्दा कम | तोकिएका सेवा प्रवाहका सबै मापदण्डहरू उच्चतम अवस्थामा पूरा भएको (meeting all service standards and expectations) |
| ३ | राम्रो (Good) | ६० प्रतिशत र सो भन्दा माथि ८० प्रतिशतभन्दा कम | तोकिएका सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू धेरैजसो पूरा हुने गरेको तर कुनै बेला नहुने गरी एकरुपता नभएको (inconsistency in meeting service standards and expectations) |
| ४ | सामान्य वा सन्तोषजनक (Satisfactory) | ४० प्रतिशत र सो भन्दा माथि ६० प्रतिशतभन्दा कम | तोकिएका सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू आंशिक रूपमा मात्र पूरा हुने गरेको (seldom meeting service standards and expectations) |
| ५ | कमजोर (Poor) | ४० प्रतिशत भन्दा कम | तोकिएका सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू विरलै मात्र पूरा हुने गरेको (partly / rarely meeting service standards and expectations) |

### १.५ कार्यसम्पादन परीक्षण प्रक्रिया

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सातओटै प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको विज्ञ परीक्षकमार्फत मिति २०८१ चैत्र महिनामा बाह्य परीक्षण गरी कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। विज्ञ परीक्षकबाट परीक्षण गरी केन्द्रमा प्राप्त हुन आएका प्रदेशगत परीक्षण प्रतिवेदनहरूको अध्ययनबाट कार्यसम्पादन परीक्षणका क्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्राबाट र परीक्षकबाट मूलतः देहायका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको छः

१. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षण साधन र परीक्षण विधिको बारेमा अभिमुखीकरणः यसक्रममा परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधनको कार्यशालामा अध्ययन तथा परीक्षण कार्य सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरी परीक्षकहरूबिच साझा बुझाइ निर्माण गर्ने तथा परीक्षणमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको। निर्देशनालयबाट सम्पादन हुने विषयमा थप प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएअनुसार भर्चुअल बैठकको समेत उपयोग गरी सबै परीक्षकहरूसहित केन्द्रको व्यवस्थापन र प्राविधिक टोलीबिच प्रश्न उठेका विषयमा छलफल गरिएको।

२. परीक्षणका क्रममा सम्बन्धित निर्देशनालयको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित हुने कारणले स्थलगत अवलोकन गर्नुअगाडि परीक्षणमा जाने शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुखसँग छलफल गरेर उपयुक्त समय निर्धारण गरेबमोजिम नै परीक्षणका लागि भ्रमण कार्यक्रम तय गरिएको।

३. निर्देशनालयमा परीक्षणपूर्वको भेटघाट (Pre-audit Conference) आयोजना गरी कार्यसम्पादन परीक्षणको उद्देश्य र कार्यप्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउने कार्यः स्थलगत भ्रमणको क्रममा सुरुको दिन प्रमुखलगायत अधिकृत र कर्मचारीहरूसँग परिचयात्मक बैठक सञ्चालन गरिएको (प्रदेशगत निर्देशनालय प्रमुख, सूचना अधिकृत र परीक्षकको नामावली अनुसूची-६ मा रहेको छ)। सोही

क्रममा कार्यक्रमबारे सम्बन्धित निर्देशनालयका प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र परीक्षण कार्ययोजना तयार गर्ने काम समेत गरिएको।

४. विभिन्न स्रोतबाट सूचना सङ्कलन र छलफलः परीक्षणका क्रममा कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क, प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित विषयको कागजातहरूको अध्ययनका साथै निर्देशनालयका विभिन्न शाखाहरूको अवलोकन, सम्बन्धित अधिकृत तथा कर्मचारीसँग छलफल र कार्यसम्पादन स्तरबारे आफ्ना व्यावसायिक अनुभव तथा कार्यालयको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा विश्लेषण, निर्देशनालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय, सूचना सङ्ग्रह र छलफल गरिएको छ। यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा यस्ता छलफलका विषयमा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका टिपोटहरूको समेत उपयोग गरिएको छ।

५. सेवाग्राही सन्तुष्टि मापनः परीक्षण साधनमा उल्लेख गरिएबमोजिमका विभिन्न प्रकारका सेवाग्राहीसँग सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारम भराउने कार्य गरिएको, यस क्रममा प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफलका साथै टेलिफोन तथा इमेललगायतका माध्यमबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मापन गरिएको।

६. निर्देशनालयबाट परीक्षण सूचकहरूको नतिजासँग सम्बन्धित प्रमाण तथा पुस्ट्याइँका आधारहरू सङ्कलनः परीक्षणका क्रममा निर्देशनालयबाट प्राप्त विभिन्न दस्तावेजहरू अध्ययन गरिएको थियो। सो अध्ययनका सम्बन्धमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारी वा शाखा वा कर्मचारी वा सम्बन्धित निकाय मार्फत प्रमाण तथा पुस्ट्याइँका आधारहरू र सोसम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिएको।

७. सूचकगत प्राप्तिका विषयमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित अधिकृत कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया, तथा समापन बैठक (Wrap up Meeting) सञ्चालन गरी कार्यसम्पादन परीक्षणका प्राप्तिबारे समान दृष्टि कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको।

## १.६ एकीकृत प्रतिवेदन विश्लेषणका लागि प्रयोग गरिएको थप आधार

यो एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने मूल आधार भनेको परीक्षकले प्रयोग गरेका साधनहरू, अवलोकनका क्रममा भरेका फारामहरू, सङ्कलन गरेर ल्याएका थप पुष्ट्याइँ गर्ने कागजातहरू र उनीहरूले तयार पारेका संक्षिप्त स्थलगत प्रतिवेदनहरू हुन्। यसबाहेक विद्यालय शिक्षा र शैक्षिक उपलब्धिका विषयमा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलगायत केन्द्रीय निकायबाट तयार पारिएका विभिन्न विवरणहरू, निर्देशनालयका प्रकाशनहरू र निर्देशनालयका कामसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबाट प्रकाशित प्रतिवेदनको पनि उपलब्ध भएसम्मका सम्बन्धित विवरणहरू अध्ययन गरिएको छ। यस क्रममा परीक्षण साधनमा उल्लिखित सूचकगत तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या र प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी सूचकमा दिइएका थप पुष्ट्याइँ, विशेषतः यसको भाग तीनमा व्यक्त गरिएका धारणा र स्थलगत अवलोकनको दौरानमा व्यक्त हुन आएका धारणा भनी परीक्षकबाट प्राप्त हुन आएका विवरणसमेतको विश्लेषण गरिएको छ।

## १.७ अध्ययनका र प्रतिवेदन तयारीका सीमाहरू

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले उपलब्ध गराएको कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधनको सीमाभित्र रही यो कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले कार्यसम्पादन परीक्षणका अन्य अभ्यासको यसमा प्रयोग भएको छैन।

परीक्षकले अवलोकनका क्रममा भरेका फारामहरू, सङ्कलन गरेर ल्याएका थप पुष्टयाइँ गर्ने कागजातहरू र उनीहरूले तयार पारेका सङक्षिप्त स्थलगत प्रतिवेदनहरूको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको तर कतिपय गुणात्मक विश्लेषणका पक्षमा नगन्य वा अत्यन्त सीमित सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थाले विश्लेषणलाई केही सङ्कुचित बनाएको छ।

भाग-१ मा निर्देशनालयलाई तोकिएका कार्यविवरणसँग सम्बन्धित ३३ ओटा सूचकहरू दिइएको भए तापनि कार्यविवरणमा भएका कतिपय विषयहरू अहिले पनि शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९बमोजिम सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका विभागीय निकायबाट नै सम्पादन भइरहेको र निर्देशनालयले सोबमोजिमको काम गर्न चाहेर पनि नसक्ने अवस्था देखिएकोले ती सूचकहरूमा मापन भएर अङ्क प्राप्त हुन आएका छैनन्। त्यस्तै कार्यविवरणमा भएका कतियप विषयहरूमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिनुपर्ने र कति अधिकार वा जिम्मेवारी वा भूमिका दिइएको छ भन्ने विषयमा प्रदेशगत विविधता हुनाले ती कतिपय सूचकमा सबै प्रदेशमा कार्यान्वयनको अवस्था पनि समान रहेको छैन। निजामती स्कुलसम्बन्धी सूचक त कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अरूको हकमा सान्दर्भिक नै छैन। तसर्थ यस एकीकृत प्रतिवेदनमा हाल सबै निर्देशनालयले कुनै न कुनै रूपमा गरिआएको वा चाहेमा गर्न सक्ने प्रकृतिका गरी ३३ ओटा सूचकमध्ये १७ ओटा सूचकहरूको मात्र अङ्क विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिएको हुनाले भाग एकमा सूचकगत पूर्णाङ्क ५१ र सेवाग्राही सन्तुष्टि पूर्णाङ्क ३४ कायम गरी अङ्कको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै प्रदेशको परिवेशअनुसारको वार्षिक कार्यक्रम, कार्यक्रमको कुल रकम निरपेक्ष अङ्कनको आधार, आआफ्नो कार्यपद्धतिका कारण समष्टिमा चर्चा गरिए पनि तुलना त्यत्ति धेरै उपयुक्त हुने देखिन्न, तथापि सङ्घीयतामा शिक्षाका कामहरूको कार्यान्वयनको अवस्था एक किसिमले यसले देखाएको छ।

# परिच्छेद दुई

## अवस्था विश्लेषण

कुनै शैक्षिक सङ्गठनको कार्यसम्पादनको अवस्थालाई बुझ्न र व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा सो सङ्गठनको सामाजिक/सांस्कृतिक परिवेश तथा विद्यमान शैक्षिक अवस्थाका बारेमा समेत सामान्य जानकारीमा राख्न उपयुक्त हुने मानिन्छ। यस सन्दर्भमा सङ्गठनको कार्यसम्पादनको परिवेशलाई बुझ्न सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले प्रदेशगत अवस्था झल्काउने केही तथ्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।

### २.१. प्रदेशगत सामान्य अवस्था

निर्देशनालयहरूको कार्यक्षेत्र भूगोलका दृष्टिले समान छैन। यी निर्देशनालयहरूको संस्थागत परिवेश अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा भूगोल, जनसङ्ख्या, शैक्षिक अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषतालाई हेर्दा प्रदेशगत रूपमा उल्लेख्य विविधता देख्न सकिन्छ। तल तालिकामा भौगोलिक अवस्था, राजनैतिक विभाजन र २०७८ को जनगणनाको नतिजाका केही आधारभूत विषयहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

*तालिका ५: प्रदेशगत अवस्थिति, राजनैतिक, प्रशासनिक, जनसाङख्यिकलगायत विवरण*

| प्रदेश | अवस्थिति र राजनैतिक तथा प्रशासनिक विवरण | जनसङ्ख्या र जनसाङख्यिक तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| कोशी | • अवस्थितिः नेपालको पूर्व क्षेत्रको हिमाल, पहाड र तराई<br>• जिल्लाः १४ (हिमाली-३, पहाडी-७, तराई-३, भित्री मधेश-१)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः १७.६%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ५६<br>• स्थानीय तहः कुल १३७<br>•महानगरपालिका-१,<br>•उपमहानगरपालिका-२,<br>•नगरपालिका-४६ र<br>•गाउँपालिका -८८<br>• राजधानीः मोरङ्को विराटनगर | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः ४९,६१,४१२<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ९५.०२%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा १७.०१%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या १७.९%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ३.७%<br>• प्रदेशको जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी): १९२<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः ०.८६%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः २९.२% |
| मधेश | • अवस्थितिः नेपालको पूर्वी र मध्य तराई<br>• जिल्लाः ८ (तराइ-८)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः ६.५६%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ६४<br>• स्थानीय तहः कुल १३६<br>•महानगरपालिका-१, | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१,१४,६००<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः १००.५५%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा २०.९७%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या १७.४% |

| प्रदेश | अवस्थिति र राजनैतिक तथा प्रशासनिक विवरण | जनसङ्ख्या र जनसाङख्यिक तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| | •उपमहानगरपालिका-३,<br>•नगरपालिका-७३ र<br>•गाउँपालिका-५९<br>• राजधानीः धनुषाको जनकपुरधाम | • प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ४.४%<br>• प्रदेशको जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी): ६३३<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः १.१९%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः २३.४% |
| बागमती | • अवस्थितिः नेपालको पूर्वी र मध्य पहाड तथा काठमाडौं उपत्यका र भित्री मधेश<br>• जिल्लाः १३ (हिमाली-५, पहाडी-२, उपत्यका-३, भित्री मधेश-३)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः १३.७९%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ६६<br>• स्थानीय तहः कुल ११९<br>•महानगरपालिका-३,<br>•उपमहानगरपालिका-१,<br>•नगरपालिका-४१ र<br>•गाउँपालिका-७४<br>• राजधानीः मकवानपुरको हेटौंडा | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः ६१,१६,८६६<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ९९.३६%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा २०.९७%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या २३.६%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ३.१%<br>• प्रदेशको जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी): ३०१<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः ०.९७%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः ३३.% |
| गण्डकी | • अवस्थितिः नेपालको मध्य र पश्चिम पहाड र भित्री मधेश<br>• जिल्लाः ११ (हिमाली-३, पहाडी-७, भित्री मधेश-१)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः १४.८३%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ३६<br>• स्थानीय तहः कुल ८५<br>•महानगरपालिका-१,<br>•नगरपालिका-२६ र<br>•गाउँपालिका-५८<br>• राजधानीः कास्कीको पोखरा | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः २४,६६, ४२७<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ९०.३७%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा ८.४६%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या ९.९%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ३.१%<br>• प्रदेशको जनघनत्व ( प्रति वर्ग किमी): ११५<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः ०.२५%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः ३२.७% |
| लुम्बिनी | • अवस्थितिः नेपालको पश्चिम तराई, भित्री मधेश र पहाड | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः ५१,२२,०७८ |

| प्रदेश | अवस्थिति र राजनैतिक तथा प्रशासनिक विवरण | जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| | • जिल्लाः १२ (हिमाली-१, पहाडी-५, तराइ-५, भित्री मधेश-१)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः १३.४१%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ५२<br>• स्थानीय तहः कुल १०९<br>•उपमहानगरपालिका-४,<br>•नगरपालिका-३२ र<br>•गाउँपालिका-७३<br>• राजधानीः दाङको देउखुरी | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ९२.०१%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा १७.५६%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या १७.१%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ३.१%<br>• प्रदेशको जनघनत्व ( प्रति वर्ग किमी): २३०<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः १.२४%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः २८.०% |
| कर्णाली | • अवस्थितिः नेपालको मध्यपश्चिम हिमाली र पहाडी क्षेत्र र सुर्खेत उपत्यका<br>• जिल्लाः १० (हिमाली-५, पहाडी-४, भित्री मधेश-१)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः २०.५३%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः २४<br>• स्थानीय तहः कुल ७९<br>• नगरपालिका-२५ र<br>• गाउँपालिका-५४<br>• राजधानीः सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः १६,८८,४१२<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ९५.२७%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा ५.७९%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या ५.५%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ७.२%<br>• प्रदेशको जनघनत्व ( प्रति वर्ग किमी): ६०<br>• प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरः ०.७०%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाः १२.७% |
| सुदूर पश्चिम | • नेपालको सुदूरपश्चिम भूभागको हिमाल, पहाड र तराइ<br>• जिल्लाः ९ (हिमाली-३, पहाडी-४, तराइ-२)<br>• नेपालको कुल क्षेत्रफलमा प्रदेशले ओगटेकोः १३.२७%<br>• प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः ३२<br>• स्थानीय तहः कुल ८८<br>•उपमहानगरपालिका-१,<br>•नगरपालिका-३३, र | • प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याः २६,९४,७८३<br>• प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लैङ्गिक अनुपातः ८९.५१%<br>• देशको कुल जनसङ्ख्यामा प्रदेशको हिस्सा ९.२४%<br>• देशको कुल परिवार सङ्ख्यामा प्रदेशमा रहेको परिवार सङ्ख्या ८.७%<br>• प्रदेशको कुल परिवारमध्ये कुनै पनि साधन र सुविधा नभएको परिवारः ५.५%<br>• प्रदेशको जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी): १३८ |

| प्रदेश | अवस्थिति र राजनैतिक तथा प्रशासनिक विवरण | जनसङ्ख्या र जनसाङख्यिक तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| | •गाउँपालिका-५४<br>• राजधानी: कैलालीको गोदावरी धनगढी (हाल धनगढीमा रहेको) | • प्रदेशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर: ०.५२%<br>• ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिका मध्ये जन्मदर्ता नभएका बालबालिका: १६.७% |

(स्रोत, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सूचना तथा प्रसारण विभाग)

## २.२. शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण

विद्यमान शैक्षिक उपलब्धि स्तरको अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा प्रदेशगत शैक्षिक अवस्थालाई देखाउन सहयोग पुग्छ। यसकारण यस खण्डमा प्रदेशगत साक्षरता, शैक्षिक संस्थाहरूको वितरण, विद्यार्थी भर्ना लगायत तहगत तथा विषयगत विद्यार्थी उपलब्धिको विश्लेषण गरिएको छ।

### २.२.१ साक्षरता स्थितिः

साक्षरता दरलाई शैक्षिक उपलब्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले देशभर ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको कुल २,६७,२५,२९५ मध्ये २,०३,७७,९८० जना पढ्न र लेख्न जान्ने देखाएको छ। यसअनुसार देशको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हिसाब गरिएको छ। यसमा पुरूषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा साक्षरताको विद्यमान अवस्थालाई तलको तालिकामा तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छः

*तालिका ६: साक्षरताको प्रदेशगत स्थितिः*

| प्रदेश | ५ वर्ष माथिको साक्षरता % | | | महिला पुरूष बिचको अन्तर (% विन्दुमा) | अन्य विषय |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | पुरूष | महिला | | |
| कोशी | ७९.७ | ८६.१ | ७३.६ | १२.५ | तीनओटै दरमा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको |
| मधेश | ६३.५ | ७२.५ | ५४.७ | १७.८ | तीनओटै दरमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर |
| बागमती | ८२.१ | ८८.३ | ७६ | १२.३ | तीनओटै दरमा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि |
| गण्डकी | ८१.७ | ८८.८ | ७५.३ | १३.५ | तीनओटै दरमा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि |
| लुम्बिनी | ७८.१ | ८५.२ | ७१.७ | १४.१ | तीनओटै दरमा राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि |
| कर्णाली | ७६.१ | ८३.३ | ६९.४ | १३.९ | महिला साक्षरता राष्ट्रिय औसतसरह। अरू दुईमा कम |
| सुदूरपश्चिम | ७६.२ | ८५.४ | ६८.२ | १७.२ | महिला साक्षरता बहेक अन्य सूचकमा राष्ट्रिय औसत हाराहारी |
| **राष्ट्रिय औसत** | **७६.२** | **८३.६** | **६९.४** | १४.२ | |

(*स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन,* राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक तथा घरधुरीको सर्वेक्षण, २०२१)

तालिका ६ मा उल्लेख गरिएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा केही तथ्यहरू उजागर हुन्छन्। साक्षरता स्तरलाई केलाउँदा प्रदेशगत रूपमा धेरै ठुलो अन्तर देख्न सकिन्छ। बागमतीमा पाँच वर्षभन्दा माथिको

पुरुष साक्षरता ८८.३ छ भने, मधेश प्रदेशको ६३.५ प्रतिशत मात्र छ। अझ मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता दर ५४.७ प्रतिशत मात्र छ। यसप्रकार, साक्षरता दरमा प्रदेशगत विविधताका साथै, लैङ्गिक रूपमा हेर्दा अझ ठुलो असमानता देख्न सकिन्छ।

कुल साक्षरता दर र महिला साक्षरता दर दुबैमा बागमती प्रदेश अगाडि रहेको छ भने पुरूष साक्षरता दरमा गण्डकी प्रदेश अगाडि रहेको छ। महिला र पुरूष साक्षरता दरको अन्तर पनि बागमतीमा सबभन्दा कम छ यद्यपि यो दर पनि आफैंमा बढी हो। साक्षरता दर र महिला तथा पुरूषको साक्षरताबिचको अन्तर जनाउने यी चारवटै सूचकहरूमा मधेश प्रदेश कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशभित्र पनि रौतहट जिल्लाको साक्षरता दर सबैभन्दा कमजोर रहेको छ। जिल्लागत हिसाबले हेर्दा पनि साक्षरता दर सबैभन्दा बढी काठमाडौं(८९.२३)मा र सबैभन्दा कम रौतहट (५७.७५) मा रहेको छ।
साक्षरता दरको अवस्थाले शैक्षिक सहभागितालाई, आफ्ना सन्तानको शिक्षाबाट गरिने अपेक्षा र शिक्षा प्राप्तिको चाहनाको गहिराइलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा यो तथ्याङ्कीय अन्तर सामान्य विषय मात्र होइन। यसलाई भविष्यको शैक्षिक उपलब्धिलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने वर्तमान शैक्षिक उपलब्धिको चित्रात्मक प्रस्तुतिका रूपमा समेत हेर्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।

### २.२.२ प्रदेशगत शिक्षण संस्थाहरूको वितरण

कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको वर्षलाई आधार मानेर हेर्दा यो वर्ष अर्थात् २०८० को शैक्षिक सत्रमा प्रदेशगत शिक्षण संस्थाहरूको वितरणलाई तलका तालिकाहरूमा दिइएको छ।

*तालिका ७:* प्रदेशगत प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरू (शैक्षिक सत्र २०८०):

| प्रदेश | सङ्घीय अनुदान प्राप्त | स्थानीय तहबाट सञ्चालित | धार्मिक प्रकृतिका | संस्थागत | जम्मा | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोशी | ५८८६ | ४२४ | ७८ | १५६४ | ७९५२ | १९.५ |
| मधेश | ४१८३ | ३२५ | १७० | ११७२ | ५८५० | १४.४ |
| बागमती | ४८६२ | ४८१ | ११ | २०२९ | ७३८३ | १८.१ |
| गण्डकी | ३३२० | २९२ | १२ | ६४० | ४२६४ | १०.५ |
| लुम्बिनी | ५३२४ | ३९० | २८७ | १२५५ | ७२५६ | १७.८ |
| कर्णाली | २७६९ | ३३२ | ३ | २४१ | ३३४५ | ८.२ |
| सुदूरपश्चिम | ३४९२ | ४१५ | ५ | ७२२ | ४६३४ | ११.३ |
| नेपालभर | २९८३६ | २६५९ | ५६६ | ७६२३ | ४०६८४ | १०० |

*(स्रोत: CEHRD EMIS 2081)*

*तालिका ८:* प्रदेशगत कुल विद्यालय विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | सामुदायिक विद्यालय | | संस्थागत विद्यालय | | जम्मा विद्यालय | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| कोशी | ५३५९ | ७७.० | १६०३ | २३.० | ६९६२ | १९.४ |
| मधेश | ३५०९ | ७३.० | १२९७ | २७.० | ४८०६ | १३.४ |
| बागमती | ४७४३ | ६९.४ | २०९४ | ३०.६ | ६८३७ | १९.१ |
| गण्डकी | ३४०७ | ८४.२ | ६३७ | १५.८ | ४०४४ | ११.३ |
| लुम्बिनी | ४५३१ | ७८.१ | १२६९ | २१.९ | ५८०० | १६.२ |
| कर्णाली | २९८३ | ९२.३ | २५० | ७.७ | ३२३३ | ९.० |
| सुदूरपश्चिम | ३४५८ | ८२.५ | ७३६ | १७.५ | ४१९४ | ११.७ |
| नेपालभर | २७९९० | ७८.० | ७८८६ | २२.० | ३५८७६ | १०० |

(*स्रोतः CEHRD EMIS 2081)*

*तालिका ९:* प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतका संस्थाहरू

| प्रदेश | आङ्गिक स्कुल | टेक्स (TECS) | साझेदारी | निजी | जम्मा | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोशी | ७ | ४४ | १५ | ५४ | १२० | १०.३ |
| मधेश | ८ | ९१ | १५ | ५८ | १७२ | १४.७ |
| बागमती | १८ | ११८ | ८ | १३१ | २७५ | २३.६ |
| गण्डकी | १२ | ६० | ८ | ३४ | ११४ | ९.८ |
| लुम्बिनी | १० | ८८ | ७ | ८१ | १८६ | १५.९ |
| कर्णाली | ४ | १०७ | २ | १७ | १३० | ११.१ |
| सुदूरपश्चिम | ६ | १२९ | ३ | ३२ | १७० | १४.६ |
| **नेपालभर** | **६५** | **६३९** | **५८** | **४०७** | **११६७** | १०० |

*(स्रोतः शिविप्रमं २०८१)*

माथिका विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको वितरणलाई प्रदेशको भूगोल र जनसङ्ख्यासँग तुलना गरेर हेर्दा फरक फरक अवस्था देखिन्छ। वि.स. २०७८ को जनगणनासँग तुलना गर्दा जनसङ्ख्याको वितरणको अनुपातमा प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालयको सङ्ख्यात्मक वितरण मधेशप्रदेशमा कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै र संस्थागत विद्यालयको अनुपात बागमती प्रदेशमा सबभन्दा धेरै देखिन्छ।

*तालिका १०:* क्याम्पसहरूको प्रदेशगत वितरण

| प्रदेश | आङ्गिक क्याम्पस | सामुदायिक क्याम्पस | निजी क्याम्पस | जम्मा क्याम्पस | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| कोशी | २८ | ९० | ८७ | २०५ | १४.१ |
| मधेश | ११ | ४३ | ६९ | १२३ | ८.५ |
| बागमती | ४४ | १८७ | ४१३ | ६४४ | ४४.३ |
| गण्डकी | १९ | ६८ | ४३ | १३० | ८.९ |

| प्रदेश | आङ्गिक क्याम्पस | सामुदायिक क्याम्पस | निजी क्याम्पस | जम्मा क्याम्पस | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| लुम्बिनी | २१ | १०० | ७९ | २०० | १३.८ |
| कर्णाली | १९ | २९ | १० | ५८ | ४.० |
| सुदूरपश्चिम | २२ | ५० | २२ | ९४ | ६.५ |
| नेपालभर | १६४ | ५६७ | ७२३ | १४५४ | १०० |

(Source: www.ugcnepal.edu.np)

*तालिका ११: अन्य शैक्षिक संस्थाको वितरण*

| प्रदेश | नमुना मावि | कक्षा ९-१२ प्राविधिक धार | सामुदायिक सिकाइ केन्द्र | दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरू |
|---|---|---|---|---|
| कोशी | ८१ | ११२ | ३३३ | ४५ |
| मधेश | ६५ | ९१ | २७५ | १२ |
| बागमती | ६९ | ९० | ४६१ | ६४ |
| गण्डकी | ५६ | ५२ | २४८ | ३८ |
| लुम्बिनी | ७० | १०१ | ३२९ | ३४ |
| कर्णाली | ३७ | ३७ | २४८ | ८ |
| सुदूर पश्चिम | ४४ | ५४ | २५७ | २६ |
| नेपालभर | ४२२ | ५३७ | २१५१ | २२७ |

*(स्रोत: CEHRD 2081, MOEST 2022)*

तालिका ११ मा दिइएका नमुना माध्यमिक विद्यालय, कक्षा ९-१२ प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सङ्घीय ससर्त अनुदान पाउने सङ्ख्या मात्र हिसाब गरिएको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारको अनुदान र स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम वा विद्यालयलाई यसमा समावेश गरिएको छैन। सामुदायिक पुस्तकालयको हकमा क्याम्पस र विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा भएका पुस्तकालयहरू यसमा समावेश छैन। सामुदायिक पुस्तकालयको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा जिल्ला विकास समिति वा स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम दर्ता भई सन् २०२२ को सर्वेक्षणको समयमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक पुस्तकालयको सङ्ख्या मात्र समावेश गरिएको छ।

### २.२.३ प्रदेशगत विद्यार्थी वितरण

*तालिका १२:* प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्व प्राविमा बालबालिकाको प्रदेशगत भर्ना विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | सामुदायिकतर्फ | | संस्थागततर्फ | | जम्मा विद्यार्थी | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| कोशी | ९४५०१ | ४५.९ | ११०६८१ | ५४.१ | २०४७३२ | १५.९ |
| मधेश | १२८३४३ | ५४.९ | १०५२६४ | ४५.१ | २३३६०७ | १८.२ |

| प्रदेश | सामुदायिकतर्फ | | संस्थागततर्फ | | जम्मा विद्यार्थी | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| बागमती | १०१०२० | ३८.४ | १६१९५२ | ६१.६ | २६२९७२ | २०.४ |
| गण्डकी | ५०९६८ | ५०.६ | ४९८३७ | ४९.४ | १००८०५ | ७.८ |
| लुम्बिनी | १२९०१३ | ४८.७ | १३५६३९ | ५१.३ | २६४६५२ | २०.६ |
| कर्णाली | ६०७३२ | ७३.२ | २१७२८ | २६.३ | ८२४६० | ६.४ |
| सुदूरपश्चिम | ७५७५० | ५५.२ | ६१५४८ | ४४.८ | १३७२९८ | १०.७ |
| नेपालभर | ६३९८७७ | ४९.७ | ६४६६४९ | ५०.३ | १२८६५२६ | १०० |

*(स्रोत: CEHRD, EMIS 2081)*

*तालिका १३:* आधारभूत तह (कक्षा१-८)मा विद्यार्थी भर्ना विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | सामुदायिकतर्फ | | संस्थागततर्फ | | जम्मा विद्यार्थी | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| कोशी | ५१४८१८ | ६२.४ | ३१०३९४ | ३७.६ | ८२५२१२ | १५.४ |
| मधेश | १००९८३५ | ७९.० | २६८२७४ | २१.० | १२७८१०९ | २३.८ |
| बागमती | ४८४३७७ | ५०.० | ४८४७९७ | ५०.० | ९६९१७४ | १८.० |
| गण्डकी | २४३१११ | ६३.२ | १४१३७७ | ३६.८ | ३८४४८८ | ७.२ |
| लुम्बिनी | ६८५०८७ | ७०.० | २९३३५६ | ३०.० | ९७८४४३ | १८.२ |
| कर्णाली | ३३२६०५ | ८८.६ | ४२६९१ | ११.४ | ३७५२९६ | ७.० |
| सुदूरपश्चिम | ४२३०२६ | ७५.४ | १३७९५९ | २४.६ | ५६०९८५ | १०.४ |
| नेपालभर | ३६९२८५९ | ६८.७ | १६७८८४८ | ३१.३ | ५३७१७०७ | १०० |

*(स्रोत: CEHRD, EMIS 2081)*

तालिका १२अनुसार आधारभूत तहमा हेर्दा प्रारम्भिक बालविकास वा पूर्व प्राथमिक कक्षामा सबभन्दा धेरै बालबालिका लुम्बिनी प्रदेशमा र त्यसपछि बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ भने कक्षा १ देखि ८ सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ।

*तालिका १४:* माध्यमिक तह (कक्षा९-१२)मा विद्यार्थी भर्ना विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | सामुदायिकतर्फ | | संस्थागततर्फ | | जम्मा विद्यार्थी | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| कोशी | २०८७४३ | ७२.१ | ८०९५५ | २७.९ | २८९६९८ | १६.४ |
| मधेश | २४२५८६ | ८३.५ | ४७७७१ | १६.५ | २९०३५७ | १६.४ |
| बागमती | २०७२५३ | ५१.२ | ९९७९११ | ४८.८ | ४०५१६४ | २२.९ |
| गण्डकी | ११५४३५ | ७६.६ | ३५३३३ | २३.४ | १५०७६८ | ८.५ |
| लुम्बिनी | २४०५२२ | ७७.६ | ६९३०३ | २२.४ | ३०९८५५ | १७.५ |
| कर्णाली | १२९००० | ९५.० | ६८१८ | ५.० | १३५८१८ | ७.७ |

| प्रदेश | सामुदायिकतर्फ | | संस्थागततर्फ | | जम्मा विद्यार्थी | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्ख्या | प्रतिशत | सङ्ख्या | प्रतिशत | | |
| सुदूरपश्चिम | १५९०३८ | ८३.८ | ३०८५७ | १६.२ | १९९८९५ | १०.७ |
| नेपालभर | १३०२६०७ | ७३.५ | ४६८९४८ | २६.५ | १७७१५५५ | १०० |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

तालिका १४अनुसार माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा सभन्दा धेरै विद्यार्थी बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशको जनसङ्ख्या हाराहारीमा रहेको र आधारभूत तह (कक्षा १-८) मा सबभन्दा धेरै बालबालिका मधेश प्रदेशमा रहेको देखिएपनि माध्यमिक तहमा भने मधेशप्रदेशमा विद्यार्थी भर्ना अपेक्षाकृत न्यून रहेको र यो लुम्बिनी भन्दा केही पछाडि र कोशी प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

*तालिका १५: उच्च शिक्षामा प्रदेशगत विद्यार्थी विवरण*

| प्रदेश | स्नातक | स्नातकोत्तर | पोष्ट ग्रयाजुअट डिप्लोमा | एमफिल | पिएचडी |
|---|---|---|---|---|---|
| कोशी | ६९७०५ | ५५५७ | | ३४ | १ |
| मधेश | ४३२२३ | ५०७७ | | | |
| बागमती | २२७३९१ | ३८०३८ | २०१ | ११६९ | २०३९ |
| गण्डकी | ४४९८३ | ३२४३ | | १२ | |
| लुम्बिनी | ७०६५९ | ६२०४ | | | |
| कर्णाली | २०५८१ | १५८० | | | |
| सुदुर पश्चिम | ३७०४१ | २४९० | | २०४ | १६ |
| नेपालभर | ५१३५८३ | ६२१८९ | २०१ | १४१९ | २०५६ |

*(स्रोतः शिविप्रमं, २०८१)*

### २.२.३ सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेशगत शिक्षक विवरण

*तालिका १६:* आधारभूत तहमा स्वीकृत दरवन्दी र राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | प्राथमिक शिक्षक | | | निम्नमाध्यमिक शिक्षक | | | जम्मा शिक्षक | जम्मा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | राहत | स्थायी | अस्थायी | राहत | | |
| कोशी | १४२५८ | २३९९ | ३४८० | ३००६ | ६०१ | १७८२ | २५५२६ | २०.० |
| मधेश | ८७३२ | ८१८ | ३४७२ | १७४८ | १३१ | ७५२ | १५६५४ | १२.२ |
| बागमती | १४०५७ | १७३५ | ४०७९ | २९०८ | ३३७ | २२७४ | २५३९० | १९.९ |
| गण्डकी | ११५१४ | १३०४ | १५३५ | २३४८ | ३६९ | १०८८ | १८१५८ | १४.२ |
| लुम्बिनी | १०७८६ | १४५९ | ३६८४ | २११७ | २१५ | १५०५ | १९७६६ | १५.५ |
| कर्णाली | ५२९६ | ६९८ | २१९६ | ९१० | १२० | ८३८ | १००५८ | ७.९ |
| सुदुरपश्चिम | ६४१५ | ६९३ | ३४२५ | १३०२ | १३९ | १३७० | १३३४४ | १०.४ |

| प्रदेश | प्राथमिक शिक्षक | | | निम्नमाध्यमिक शिक्षक | | | जम्मा शिक्षक | जम्मा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | राहत | स्थायी | अस्थायी | राहत | | |
| नेपालभर | ७१०५८ | ९१०६ | २१८७१ | १४३३९ | १९१३ | ९६०९ | १२७८९६ | १०० |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

आधारभूत तहको विद्यार्थी सङख्या र शिक्षकको अनुपातलाई हेर्दा वितरण मिल्ने देखिँदैन अर्थात् विद्यार्थीको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने शिक्षकको वितरण असमान देखिन्छ। उदाहरणको लागि करिब २४ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशत शिक्षक छन् भने करिब ९ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत शिक्षक छन्। बागमती प्रदेशमा जम्मा १८ प्रतिशत विद्यार्थी छन् र त्यसको ५० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् तर आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अनुपात यो प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

*तालिका १७: आधारभूत तहमा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक* (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | कक्षा (१-५) का लागि | | | | कक्षा (६-८) का लागि | | | | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सङ्घ | प्रदेश | स्थानीय | अन्य | सङ्घ | प्रदेश | स्थानीय | अन्य | |
| कोशी | ५४ | ९२ | १९० | ४३ | १५० | ४६ | १२५ | २८ | ७२८ |
| मधेश | ९३ | ४९ | १८९ | ७४ | ८६ | २७ | १०७ | ३३ | ६५८ |
| बागमती | ३८ | ६१ | २३१ | ९० | १५० | ४८ | २३३ | १७ | ८६८ |
| गण्डकी | २४ | ४१ | ९८ | ३६ | ७१ | ९ | ६२ | ९ | ३५० |
| लुम्बिनी | १२५ | ९३ | ४९७ | ५७ | २१९ | ६८ | ५५५ | ५२ | १६६६ |
| कर्णाली | ७८ | ४९ | ३६६ | १५ | १५१ | ४८ | ३६५ | २६ | १०९८ |
| सुदूरपश्चिम | १०२ | ८१ | ४४७ | २९ | २०३ | ४१ | ५०६ | १३ | १४२२ |
| नेपालभर | ५१४ | ४६६ | २०१८ | ३४४ | १०३० | २८७ | १९५३ | १७८ | ६७९० |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

*तालिका १८: आधारभूत तहमा विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक* (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | कक्षा (१-५) का लागि | कक्षा (६-८) का लागि | निजीस्रोतका जम्मा |
|---|---|---|---|
| कोशी | २५१५ | ८१३ | ३३२८ |
| मधेश | १२१६ | ३७५ | १५९१ |
| बागमती | २४४५ | ७७० | ३२१५ |
| गण्डकी | २३१२ | ६५९ | २९७१ |
| लुम्बिनी | ३९१५ | १३७४ | ५२८९ |
| कर्णाली | २४३ | ६८९ | ९३२ |
| सुदूरपश्चिम | २२६२ | १२७७ | ३५३९ |
| नेपालभर | १४९०८ | ५९५७ | २०८६५ |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

*तालिका १९:* माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी र राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक विवरण (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | माध्यमिक (कक्षा ९-१०) | | | माध्यमिक (कक्षा ११-१२) | | | जम्मा शिक्षक | जम्मामा प्रदेशगत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | राहत | स्थायी | अस्थायी | राहत | | |
| कोशी | २२४३ | २८४ | १२९४ | | २५५ | ५९५ | ४६७१ | १८.४ |
| मधेश | १५४८ | ६३ | ५६७ | | २२९ | २७८ | २६८५ | १०.६ |
| बागमती | २५२९ | २६६ | १४६५ | | ४२३ | ६५७ | ५३४० | २१.० |
| गण्डकी | २०५२ | १६७ | ८७९ | | २५७ | ६०३ | ३९५८ | १५.६ |
| लुम्बिनी | १८३४ | ९१ | १००१ | | २५२ | ६०६ | ३७८४ | १४.९ |
| कर्णाली | ५९८ | ८९ | ५४७ | | १९८ | ३८८ | १८२० | ७.२ |
| सुदूर पश्चिम | ९३० | ८२ | ९९१ | | ३०४ | ८१४ | ३१२१ | १२.३ |
| नेपालभर | ११७३४ | १०४२ | ६७४४ | | ३९४१ | ३९४१ | २५३७९ | १०० |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

माध्यमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रदेशगत अनुपातलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको वितरणसँग तुलना गरेर हेर्दा पनि आधारभूतको जस्तै असमान अवस्था देखिन्छ। तथापि माध्यमिक तहको विषयगत शिक्षकको आवश्यकता र प्रदेशको जनघनत्व तथा विद्यालयबिचको भौगोलिक दुरीलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या आफैमा पर्याप्त हो भन्न चाही सकिदैन।

*तालिका २०: माध्यमिक तह* कक्षा (९-१०) *मा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक* (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | सङ्घीय अनुदान | प्रदेश अनुदान | स्थानीय तह अनुदान | अन्य स्वयंसेवक | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| कोशी | २३६ | ५७ | ६४ | २७ | ३८४ |
| मधेश | ९५ | १८ | ५४ | ३१ | १९८ |
| बागमती | ३१९ | १६५ | १७६ | २४ | ६८४ |
| गण्डकी | १२२ | २३ | ४४ | १ | १९० |
| लुम्बिनी | ३८४ | ५१ | २८८ | १८ | ७४१ |
| कर्णाली | २२७ | ३३ | १७४ | १० | ४४४ |
| सुदूरपश्चिम | ३६३ | ३० | २२६ | १० | ६२९ |
| नेपालभर | १७४६ | ३७७ | १०२६ | १२१ | ३२७० |

*(स्रोतः CEHRD,2081)*

*तालिका २१: माध्यमिक तहमा विद्यालयको आन्तरिक स्रोत वा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक* (शैक्षिक सत्र २०८०)

| प्रदेश | कक्षा (९-१०) का लागि | कक्षा (११-१२) का लागि | निजीस्रोतका जम्मा |
|---|---|---|---|
| कोशी | ३५० | १४८ | ४९८ |
| मधेश | २२१ | ६२ | २८३ |
| बागमती | ४९६ | १८१ | ६७७ |
| गण्डकी | ३२२ | १९४ | ५१६ |
| लुम्बिनी | ७०० | २६८ | ९६८ |
| कर्णाली | २४३ | ५७ | ३०० |
| सुदूरपश्चिम | ५०८ | १५९ | ६६७ |
| नेपालभर | २८४० | १०६९ | ३९०९ |

(स्रोत: CEHRD, 2081)

### २.२.४ विद्यालय शिक्षामा आन्तरिक सक्षमताको अवस्था (२०८०)

*तालिका २२:* प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा आन्तरिक सक्षमताको अवस्था

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ मध्ये न्यूनतम तीन सक्षमता पूरा गर्ने केन्द्र (प्रतिशतमा) | ५७.९ | ५३.९ | ४६.४ | ६३.६ | ६७.१ | ५७.२ | ६०.१ | ६१.२ |
| कुल भर्नादर | ९९.३ | ९६.३ | ९१.८ | १०९.९ | १००.७ | १००६.८ | ८६.८ | ९८.९ |
| खुद भर्नादर (४ वर्षको) | ७०.६ | ६८.४ | ६१.८ | ७८.० | ७९.० | ७२.६ | ६७.२ | ६९.८ |
| कक्षा एकमा बालविकासको अनुभवसहितको भर्ना (प्रतिशतमा) | ७६.९ | ७६.५ | ७०.० | ७२.३ | ८२.३ | ८४.३ | ८१.९ | ८१.३ |

(स्रोत: CEHRD,2081)

बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापनको हिसाबले र उमेरगत समूहको खुद भर्ना दरको हिसाबले गण्डकी प्रदेश तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा देखिन्छ भने कक्षा एकमा बालविकास केन्द्रको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको हिसाबले लुम्बिनी राम्रो अवस्थामा देखिन्छ। यी तीनओटै सूचकमा मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर र राष्ट्रिय औसत भन्दा तल रहेको देखिन्छ।

*तालिका २३: आधारभूत तहमा* आन्तरिक सक्षमताको अवस्था

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा १ मा कुल प्रवेश दर (GIR) | ११५.९ | ११०.५ | १११.८ | १२२.८ | ११३.१ | ११९.५ | १२१.० | ११५.७ |
| कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर (NIR) | ९५.७ | ९५.९ | ९५.९ | ९५.१ | ९४.९ | ९५.८ | ९६.० | ९६.० |
| कुल भर्ना दर (कक्षा १-५) | १२४.८ | ११६.४ | १२४.५ | १३०.६ | ११७.९ | १२८.४ | १२६.४ | १२७.३ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा १-५) | ९५.६ | ९५.६ | ९५.४ | ९६.१ | ९५.४ | ९५.५ | ९५.९ | ९५.७ |
| कुल भर्ना दर (कक्षा ६-८) | ११६.१ | ११८.३ | १०६.२ | १२४.६ | १२०.८ | ११५.८ | ११७.५ | ११४.३ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा ६-८) | ९४.४ | ९४.८ | ९२.२ | ९५.६ | ९४.६ | ९४.३ | ९४.६ | ९४.४ |
| कुल भर्ना दर (कक्षा १-८) | १२१.६ | ११७.१ | ११८.३ | १२८.३ | ११९.० | १२३.९ | १२३.१ | १२२.२ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा १-८) | ९५.३ | ९५.३ | ९४.६ | ९५.९ | ९५.१ | ९५.१ | ९५.४ | ९५.२ |

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खुद भर्ना दर (कक्षा १-८) मा लैङ्गिक समता | १.० | १.० | १.०१ | ०.९९ | ०.९९ | १.० | १.० | १.० |
| कक्षा ५ सम्मको टिकाउ दर | ८८.४ | ८९.३ | ८७.६ | ८९.२ | ८७.३ | ८८.८ | ८८.२ | ८८.३ |
| कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर | ८६.३ | ८७.६ | ८४.२ | ८७.८ | ८४.९ | ८७.३ | ८५.७ | ८६.७ |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

माथिको तालिका हेर्दा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्ना दरमा प्रदेशगत रूपमा ठुलो भिन्नता देखिंदैन। कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्ना दरको अवस्था हेर्दा कोशी, बागमती र कर्णालीको अवस्था राष्ट्रिय औसत वा सो भन्दा माथि रहेको र बाँकी प्रदेशको राष्ट्रिय औसत भन्दा तल रहेको अवस्था छ। कक्षा ५ सम्मको टिकाउ दरमा कोशी, बागमती र लुम्बिनीको अवस्था राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि छ भने कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दरमा कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको अवस्था राष्ट्रिय औसत भन्दा राम्रो रहेको छ। यी दुवै टिकाउदरमा मधेश प्रदेशको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको छ।

*तालिका २४: माध्यमिक तहमा आन्तरिक सक्षमताको अवस्था*

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल भर्ना दर (कक्षा ९-१०) | ९८.७ | ९७.९ | ९६.४ | १०८.८ | ९९.६ | ९६.८ | ९५.४ | ९४.० |
| खुद भर्ना दर (कक्षा ९-१०) | ७६.५ | ७५.९ | ७५.७ | ७६.६ | ७७.१ | ७५.७ | ७७.७ | ७८.१ |
| कुल भर्ना दर (कक्षा ११-१२) | ६७.६ | ६७.८ | ४३.३ | ९१.५ | ७२.३ | ६६.० | ७०.१ | ६१.५ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा ११-१२) | ३७.१ | ३६.९ | २६.० | ४६.६ | ४०.६ | ३५.९ | ४१.५ | ३५.८ |
| कुल भर्ना दर (कक्षा ९-१२) | ८३.२ | ८२.७ | ७०.३ | ९९.८ | ८६.० | ८०.९ | ८२.७ | ७७.९ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा ९-१२) | ५६.८ | ५६.२ | ५१.३ | ६१.० | ५८.५ | ५५.२ | ५९.५ | ५७.२ |
| खुद भर्ना दर (कक्षा ९-१२)मा लैङ्गिक समता | ०.९६ | ०.९५ | ०.८७ | ०.९८ | ०.९६ | ०.९५ | ०.९७ | ०.९२ |
| कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर | ६९.८ | ७०.४ | ६९.३ | ७०.५ | ६८.९ | ६९.६ | ७०.१ | ७०.२ |
| कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर | ३७.२ | ३८.० | ३४.६ | ३८.१ | ३५.४ | ३८.८ | ३६.५ | ३९.१ |

*(स्रोतः CEHRD, 2081)*

माथिको तालिका हेर्दा माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) को खुद भर्नादरका हिसाबले बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिको अवस्था राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि रहेको छ। यसमा मधेश र लुम्बिनीको अवस्था कमजोर रहेको छ। माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२) को खुद भर्ना दरको हिसाबले बागमती, गण्डकी र कर्णालीको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ। यस तहमा मधेश प्रदेशको खुद भर्नादर धेरै तल रहेको देखिन्छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्नादर हेर्दा पनि बागमती, गण्डकी र कर्णालीको अवस्था औसतकै हाराहारी वा सो भन्दा केही माथि रहेको देखिन्छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउदरमा गण्डकी प्रदेश र कक्षा १२ सम्मको टिकाउदरमा मधेश प्रदेशको अवस्था तुलनात्मकरूपमा कमजोर रहेको छ।

## २.२.४ कक्षा १० को एसइइ र कक्षा १२ को एसएलसीको नतिजा (२०८०)

*तालिका २५: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (SEE) को नतिजा २०८०*

| स्तरीकृत औसत अङ्क (GPA) | विवरण | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३.६० =< ४.० | विद्यार्थी | ३१२०९ | ३९९६ | ३९५७ | १५७६६ | २९६९ | ३२९० | ४४१ | ७९० |
| | प्रतिशत | ६.१७ | ५.२६ | ४.९७ | १५.७८ | ७.३३ | ४.१४ | १.२६ | १.४८ |
| ३.२०< ३.६० | विद्यार्थी | ६८२५१ | ११५८५ | १२४९१ | २३४०२ | ६२१८ | ९०१५ | २३४७ | ३१९३ |
| | प्रतिशत | १४.६८ | १५.२५ | १५.७० | २३.४३ | १५.३४ | ११.२२ | ६.७० | ५.९७ |
| २.८० < ३.२० | विद्यार्थी | ७८८७६ | १३५१० | १३८१९ | १९१०२ | ७४६५ | ११८७२ | ६२७३ | ६८३५ |
| | प्रतिशत | १६.९७ | १७.७८ | १७.३६ | १९.१२ | १८.४२ | १४.७८ | १७.९१ | १२.७९ |
| २.४०< २.८० | विद्यार्थी | ४११७८ | ६५०२ | ६७६२ | ७४३४ | ३४२६ | ६२६१ | ५१६९ | ५६२४ |
| | प्रतिशत | ८.८६ | ८.५६ | ८.५० | ७.४४ | ८.४५ | ७.७९ | १४.७६ | १०.५२ |
| २.००< २.४० | विद्यार्थी | २९५२ | ४९९ | २७३ | ३३२ | १७१ | ६६३ | ४२२ | ५९२ |
| | प्रतिशत | ०.६४ | ०.६६ | ०.३४ | ०.३३ | ०.४२ | ०.८३ | १.२० | १.११ |
| १.६० <२.० | विद्यार्थी | ६ | १ | ० | १ | २ | २ | ० | ० |
| | प्रतिशत | | | | | ०.०१ | | ०.०१ | |
| कुल ग्रेडेड (Graded) | विद्यार्थी | २२२४७२ | ३६०९३ | ३७३०२ | ६६०३७ | २०२५१ | ३११०३ | १४६५२ | १७०३४ |
| | प्रतिशत | ४७.८७ | ४७.५ | ४६.८७ | ६६.११ | ४९.९७ | ३८.७२ | ४१.८३ | ३१.८७ |
| कुल ननग्रेडेड (NG) | विद्यार्थी | २४२३१३ | ३९८९५ | ४२२८३ | ३३८५२ | २०२७५ | ४९२२२ | २०३७७ | ३६४०९ |
| | प्रतिशत | ५२.१३ | ५२.५ | ५३.१३ | ३३.८९ | ५०.०३ | ६१.२८ | ५८.१७ | ६८.१३ |
| जम्मा परीक्षार्थी | | ४६४७८५ | ७५९८८ | ७९५८५ | ९९८८९ | ४०५२६ | ८०३२५ | ३५०२९ | ५३४४३ |
| देशभरको प्रतिशत | | १०० | १६.३५ | १७.१२ | २१.४९ | ८.७२ | १७.२८ | ७.५४ | ११.५० |

*(स्रोतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पनिका कक्षा १०)*

माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को परीक्षा (एसइइ) को नतिजामा कुल ग्रेडेड प्रतिशतको हिसाबले र माथिल्लो स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हिसाबले बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको नतिजा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

*तालिका २६ : कक्षा १२ को अन्तमा हुने एसएलसी परीक्षाको नतिजा २०८०*

| स्तरीकृत औसत अङ्क (GPA) | विवरण | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३.६१ देखि ४.० | विद्यार्थी सङ्ख्या | ९५९१ | ८५६ | २५० | ६७५२ | ५४४ | १०४४ | २४ | १२१ |
| | प्रतिशत | २.४५ | १.३६ | ०.५२ | ५.८१ | १.५७ | १.५७ | ०.०९ | ०.३४ |
| ३.२१ देखि ३.६० | विद्यार्थी | ४६८३९ | ५५९६ | ३५४८ | २५१४५ | ३६२० | ६६९२ | ७३४ | १५५८ |
| | प्रतिशत | ११.९८ | ८.८६ | ७.३१ | २१.६३ | १०.४३ | १०.०४ | २.८३ | ४.३७ |
| २.८१ देखि ३.२० | विद्यार्थी | ७८०७५ | १०७७० | ९१७५ | २९५६७ | ७४५९ | १२८३७ | ३५०७ | ४७६० |
| | प्रतिशत | १९.९७ | १७.०५ | १८.९० | २५.४३ | २१.४९ | १९.२६ | १३.५३ | १३.३६ |
| २.४१ देखि २.८० | विद्यार्थी | ६१०३६ | ९२३५ | ८४२२ | १५२२८ | ६१७७ | १०१९८ | ५३७८ | ६३९८ |
| | प्रतिशत | १५.६२ | १४.६२ | १७.३५ | १३.१० | १७.८० | १५.३० | २०.७५ | १७.९६ |
| २.०१ देखि २.४० | विद्यार्थी | ८२४० | १५७७ | १०६० | १४२३ | ८६७ | ११८७ | ९१८ | १२०८ |
| | प्रतिशत | २.११ | २.५० | २.१८ | १.२२ | २.५० | १.७८ | ३.५४ | ३.३९ |
| १.६ देखि २.० | विद्यार्थी | १२ | २ | ० | १ | ४ | २ | २ | १ |
| | प्रतिशत | ०.००३ | ०.००३ | ०.००० | ०.००१ | ०.०१२ | ०.००३ | ०.००८ | |
| कुल ग्रेडेड (Graded) | विद्यार्थी | २०३८४७ | २८०३६ | २२४५५ | ७८११६ | १८६७१ | ३१९६० | १०५६३ | १४०४६ |
| | प्रतिशत | ५२.१५ | ४४.३८ | ४६.२३ | ६७.१९ | ५३.८ | ४७.९५ | ४०.७५ | ३९.४२ |
| कुल ननग्रेडेड (NG) | विद्यार्थी | १८७०२१ | ३५१३१ | २६०८६ | ३८१४६ | १६०३३ | ३४४८६ | १५३५७ | २१५८२ |
| | प्रतिशत | ४७.८५ | ५५.६२ | ५३.७४ | ३२.८१ | ४६.२० | ५१.७५ | ५९.२५ | ६०.५८ |
| जम्मा परीक्षार्थी | | ३९०८६८ | ६३१६७ | ४८५४१ | ११६२६२ | ३४७०४ | ६६६४६ | २५९२० | ३५६२८ |

*(स्रोतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पनिका कक्षा १२)*

माध्यमिक तहको अन्तमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा (एसएलसी) २०८० को नतिजामा कुल ग्रेडेड प्रतिशतको हिसाबले र माथिल्लो स्तरीकृत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हिसाबले बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको नतिजा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ।

### २.२.५ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको नतिजा

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न वर्षमा विभिन्न कक्षामा गरेको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको नतिजामा प्रदेशगत अवस्था तलका तालिकाहरूमा विश्लेषण गरिएको छ।

***कक्षा ५ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको प्रदेशगत अवस्था***

सन् २०१८ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ५ मा नेपाली र गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो भने सन् २०२२ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा उपलब्धि

परीक्षण गरिएको थियो। यी परीक्षणको नतिजा ५०० स्केल स्कोरमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसको अर्थ ५०० औसतको मध्यमान बुझाँउछ भने प्रदेशगत नतिजालाई मध्यमानको आधारमा घटी (कमजोर) वा बढी (राम्रो) भनेर तुलना गर्न सकिन्छ। सन् २०१८ र सन् २०२२ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा तलको तालिकामा दिइएको छ।

*तालिका २७:* कक्षा ५ को सन् २०१८ र २०२२ को सिकाइ उपलब्धिको प्रदेशगत तुलना

| प्रदेश | सन् २०१८ को परीक्षणको नतिजा | | सन् २०२२ को परीक्षणको नतिजा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नेपाली | गणित | नेपाली | अङ्ग्रेजी | गणित | विज्ञान |
| कोशी | ५०० | ४९४ | ५०२ | ५१० | ४८६ | ५०५ |
| मधेश | ४८९ | ५२१ | ४९२ | ४८५ | ४८७ | ४८७ |
| बागमती | ५०६ | ५०५ | ५०९ | ५२४ | ४८९ | ५१२ |
| गण्डकी | ५११ | ५०३ | ५०५ | ५११ | ४९० | ५१८ |
| लुम्बिनी | ४९६ | ४८६ | ४९९ | ४८८ | ४८१ | ४९४ |
| कर्णाली | ४८८ | ४९६ | ४९० | ४७४ | ४७५ | ४८७ |
| सुदूरपश्चिम | ४९१ | ५०० | ४८७ | ४९२ | ४८० | ५०० |

*(स्रोतः शैगुपके २०७६;२०८१)*

**कक्षा ८ को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको प्रदेशगत अवस्था**

कक्षा ८ को सन् २०१७ को परीक्षण सबै विषयमा ५०० स्केल स्कोरमा प्रस्तुत गरिएको थियो अर्थात् राष्ट्रिय मध्यमान ५०० मानिएको थियो। सन् २०२० को अध्ययनमा पनि ५०० मध्यमानमा नै प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा राष्ट्रिय औसत नेपालीमा ५००, गणितमा ४८३, विज्ञानमा ४७२ रहेको छ।

*तालिका २८:* कक्षा ८ को सन् २०१७ र २०२० को परीक्षणको प्रदेशगत नतिजा

| प्रदेश | सन् २०१७ को परीक्षणको नतिजा | | | सन् २०२० को परीक्षण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नेपाली | गणित | विज्ञान | नेपाली | अङ्ग्रेजी | गणित | विज्ञान |
| कोशी | ४९२ | ४८६ | ४८३ | ५०५ | ५०१ | ४८३ | ४७२ |
| मधेश | ४७८ | ५०१ | ४८८ | | | ४७७ | ४४४ |
| बागमती | ५१८ | ५२० | ५२९ | ५११ | ५२९ | ५०९ | ४९२ |
| गण्डकी | ५११ | ५१४ | ५१८ | ५२१ | ५२२ | ४९७ | ४८५ |
| लुम्बिनी | ५०१ | ५०१ | ४९८ | ४९८ | | ४८५ | ४७५ |
| कर्णाली | ४९२ | ४६७ | ४८४ | | | ४६० | ४५४ |
| सुदूरपश्चिम | ४९६ | ४८० | ४८८ | | | ४६२ | ४६३ |

*(स्रोतः ER0, 2022)*

***कक्षा १० को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको प्रदेशगत अवस्था***

कक्षा १० को सन् २०१९ र सन् २०२३ को सिकाइउपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको नतिजाको प्रदेशगत अवस्थालाई तलको तालिकामा देखाइएको छ।

*तालिका २९:* कक्षा १० को सन् २०१९ र २०२३ को परीक्षणको प्रदेशगत नतिजा

| प्रदेश | सन् २०१९ को परीक्षणको नतिजा | | | | सन् २०२३ को परीक्षणको नतिजा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नेपाली | अङ्ग्रेजी | गणित | विज्ञान | नेपाली | अङ्ग्रेजी | गणित | विज्ञान |
| कोशी | ५०५ | ५०० | ४९१ | ४९१ | ४९९ | ५२० | ४९९ | ४९७ |
| मधेश | ४७४ | ४८२ | ४९५ | ४८४ | ४९० | ५०४ | ५०५ | ४९६ |
| बागमती | ५११ | ५३४ | ५२१ | ५२५ | ५०५ | ५३६ | ५१७ | ५३० |
| गण्डकी | ५१६ | ५१६ | ५१३ | ५१५ | ५०२ | ५३४ | ५११ | ५०८ |
| लुम्बिनी | ५१३ | ५०२ | ५०३ | ५०७ | ५०४ | ५१६ | ४९१ | ५०४ |
| कर्णाली | ४७५ | ४७४ | ४७६ | ४८२ | ४८९ | ४९० | ४७२ | ४८७ |
| सुदूरपश्चिम | ५०० | ४८३ | ४८८ | ४८६ | ४९६ | ४९२ | ४९० | ४८८ |

*(स्रोतः शैगुपके २०७७; २०८१)*

माथि दिइएका तालिकाका आधारमा विभिन्न विषयमा विभन्न कक्षामा कुन प्रदेश तुलनात्मक रूपमा सबै भन्दाअगाडि छ र कुन सबैभन्दा पछाडि छ भनेर तुलनात्मक विश्लेषण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

*तालिका ३०:* विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा राष्ट्रिय औसत र प्रदेशगत अवस्था

| विषय | कक्षा | वर्ष (सन्) | औसत अङ्क | अधिकतम स्कोर र प्रदेश | | न्यूनतम स्कोर र प्रदेश | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्कोर | प्रदेश | स्कोर | प्रदेश |
| नेपाली | ५ | २०१८ | ४९८ | ५११ | गण्डकी | ४८८ | कर्णाली |
| नेपाली | ५ | २०२२ | ४९९ | ५०९ | बागमती | ४८७ | सुदूरपश्चिम |
| नेपाली | ८ | २०१७ | ५०० | ५१८ | बागमती | ४७८ | मधेश |
| नेपाली | ८ | २०२० | ५०० | ५२१ | गण्डकी | ४९८ | लुम्वीनी |
| नेपाली | १० | २०१९ | | ५१६ | गण्डकी | ४७४ | मधेश |
| नेपाली | १० | २०२३ | ४९९ | ५०५ | बागमती | ४८९ | कर्णाली |
| अङ्गेजी | ५ | २०२२ | ५०० | ५२४ | बागमती | ४७४ | कर्णाली |
| अङ्ग्रेजी | ८ | २०२० | | ५२९ | बागमती | ५०१ | कोशी |
| अङ्ग्रेजी | १० | २०१९ | | ५३४ | बागमती | ४७४ | कर्णाली |
| अङ्ग्रेजी | १० | २०२३ | | ५३६ | बागमती | ४९० | कर्णाली |
| गणित | ५ | २०१८ | | ५२१ | मधेश | ४८६ | लुम्बिनी |
| गणित | ५ | २०२२ | ४८५ | ४९० | गण्डकी | ४७५ | कर्णाली |
| गणित | ८ | २०१७ | | ५२० | बागमती | ४६७ | कर्णाली |
| गणित | ८ | २०२० | ४८३ | ५०९ | बागमती | ४६० | कर्णाली |
| गणित | १० | २०१९ | | ५२१ | बागमती | ४७६ | कर्णाली |
| गणित | १० | २०२३ | ५०० | ५१७ | बागमती | ४७२.३ | कर्णाली |
| विज्ञान | ५ | २०२२ | ५०० | ५१८ | गण्डकी | ४८७ | मधेश र कर्णाली |
| विज्ञान | ८ | २०१७ | NA | ५२९ | बागमती | ४८३ | कोशी |
| विज्ञान | ८ | २०२० | ४७० | ४९२ | बागमती | ४४४ | मधेश |

| विषय | कक्षा | वर्ष (सन्) | औसत अङ्क | अधिकतम स्कोर र प्रदेश | | न्यूनतम स्कोर र प्रदेश | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्कोर | प्रदेश | स्कोर | प्रदेश |
| विज्ञान | १० | २०१९ | NA | ५२५ | बागमती | ४८२ | कर्णाली |
| विज्ञान | १० | २०२३ | ५०५ | ५३० | बागमती | ४८७ | कर्णाली |

*(NA: प्रकाशित रिपोटमा फेला नपरेको)*

सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी माथिको तालिकाको विश्लेषणबाट र यस अघिका अन्य तालिकाहरूसमेत राखेर हेर्दा प्रदेशगत शैक्षिक उपलब्धिको अवस्थाका बारेमा देहायअनुसारको अवस्था देखिन्छः

१) प्रदेशगत रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठुलो अन्तर छ। चाहे त्यो साक्षरता दर होस् वा विषयगत शैक्षिक उपलब्धि होस्। यी सूचकहरूमा खास गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशको उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो देखिन्छ। अर्कोतिर, कर्णाली, मधेश र सुदूर-पश्चिम प्रदेशको उपलब्धितस्तर कमजोर देखिएको छ। प्रदेशगत शैक्षिक उपलब्धिको यो अन्तर सामान्य स्तरको मात्र भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

२) यसबाट प्रस्ट देखिन्छ कि प्रदेशको शैक्षिक अवस्था समान छैन। यसका कारणहरू धेरै होलान्। तर, यस प्रतिवेदनको अध्ययन र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको कार्यसम्पादनबारे छलफल र विश्लेषण गरिरहँदा वर्तमान शैक्षिक उपलब्धिको यो स्तरलाई ध्यानमा राख्न जरुरी देखिन्छ।

३) विद्यमान उपलब्धिको यो प्रस्ट देखिने ठुलो अन्तरलाई शिक्षा विकास निर्देशनालय स्वयम्ले कसरी हेरेको छ? यो अन्तरलाई कम गर्ने गरी निर्देशनालयका वार्षिक कार्यक्रमहरू लक्षित छन् वा छैनन्, जस्ता प्रश्नहरू पक्कै पनि कार्यक्रमको सान्दर्भिकताको समीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले, भौतिक र वित्तीय प्रगतिका आँकडाले देखाउने तथ्याङ्कका साथै आवश्यकताको कसीमा उपलब्धिलाई हेर्ने र सोहीअनुसार आफ्ना भावी कार्यक्रमलाई लक्षित गर्नेतर्फ भएका प्रयत्नलाई विश्लेषण गर्न समेत यो सिकाइ उपलब्धिलाई ध्यानमा राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

## २.३. शिक्षा विकास निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

सङ्घीय स्वरूपमा राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/३२ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहत रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गर्ने र यसका ३३ ओटा कार्यविवरण तोक्ने काम भएको देखिन्छ। यो कार्य विवरणमा केही प्रदेशले सामान्य केही विषयहरू थप गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै कार्यविवरण हटाएको भने देखिदैन। जसअनुसार सबै शिक्षा विकास निर्देशनालयको साझा कार्य विवरण देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः

१. शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धताअन्तर्गतका विभिन्न नीति, आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

२. प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने दिगो विकासका लक्ष (sustainable development goal) अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक पठन सिप परियोजना, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लगायतका सबै प्रकारका परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने।
३. प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने।
४. विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन व्यवस्था प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने।
५. प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने।
६. शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने।
७. प्रदेश स्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रबृत्ति व्यवस्थापन गर्ने।
८. शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने।
९. प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमनर परीक्षण गर्ने।
१०. प्रदेश स्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि नीति, कानुन, मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।
११. प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यक्ता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने।
१२. विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेश स्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने।
१३. स्थायी शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, बिमा, औषधी उपचार खर्च, पारिवारिक निवृत्तिभरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति र उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने।
१४. स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गराउने।
१५. शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने।
१६. शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीन लगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने।
१७. प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
१८. सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने।
१९. प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने।
२०. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने।
२१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्तिको नियमन गर्ने।
२२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने।

२३. सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश भित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अद्यावधिक गर्ने।
२४. विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धानहरू सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने।
२५. सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षासम्बन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्वान्त कार्यान्वयन गर्ने।
२६. साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने।
२७. प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण (audit) कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने।
२९. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने।
३०. शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरू गर्ने।
३१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य लगायत कानुनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्यसम्पादन गर्ने।
३२. प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने।
३३. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

## २.४. शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठनात्मक स्वरूप वा सङ्गठन संरचना

साविकमा क्रियाशील रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी शिक्षा विकास निर्देशनालयहरू स्थापना गर्ने नेपाल सरकारबाट मिति २०७५/०३/३२ मा निर्णय भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न मितिमा निर्णय गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूको स्थापना भएको देखिन्छ। यसमा निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा एघारौं तहको निर्देशक रहने व्यवस्था भएपनि यस अवधिमा केही प्रदेशहरूले संरचना, दरबन्दी र पदनाममा सामान्य हेरफेर गरेको पाइन्छ। कतिपय प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा भएको हेरफेर र जिम्मेवारी थपघट भएको कारण पनि निर्देशनालयको कामको आयतनमा फरक परेको देखिन्छ। कतिपय प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत अन्य निकायहरू स्थापित भएका कारणले समेत कार्यक्षेत्रको दायरामा फरक परेको देख्न सकिन्छ। सात मध्ये पाँच निर्देशनालय प्रदेशको राजधानीमा नै रहेका छन् भने दुई निर्देशनालय प्रदेश राजधानीभन्दा भिन्न स्थानमा ३ देखि ६ घण्टाको सडक यातायातको दुरीमा रहेका छन्। निर्देशनालयको अवस्थिति र प्रदेशको राजधानीको अवस्थितिको भौगोलिक दुरी पनि कार्यविवरणअनुसारका काम गर्ने विषयमा असर पर्ने गरी निकट वा टाढा रहेको देखिन्छ।

सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा सघाउने गरी थप संरचना हुनु र नहुनेले वा भएका सङ्गठनहरूबिचको सम्बन्धको स्वरुपले समेत सङ्गठनको कार्यसम्पादन प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाहरूमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको भएपनि कुनै प्रदेशमा रिपोर्टिङको हिसाबले निर्देशनालयको मातहत रहने गरी सङ्गठनको विन्यास गरिएको कुनै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई

सोझै प्रतिवेदन दिने गरी एकप्रकारले निर्देशनालयको समानान्तर सङ्गठन जस्तो देखिने गरी विन्यास गरेको देख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा मानव संसाधन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद र भाषा, धर्म तथा संस्कृतिसम्बन्धी कामहरू हेर्ने गरी समाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी २०७७ सालमा हरेक जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलेको देखिन्छ (साविका, २०७९)। यी कार्यालयहरू शिक्षासम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय तथा निर्देशनालयबाट प्रत्यायोजित कामका लागि भने निर्देशनालयप्रति नै जवाफदेही हुने अभ्यासको थालनी भएको देखिन्छ। यस्तै प्रकारको अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ यी कार्यालयहरू निर्देशनालयप्रति जवाफदेही हुने गरी सङ्गठन संरचना तयार गरिएको छ। तर, गण्डकी लगायत अन्य प्रदेशहरूमा सामाजिक विकास कार्यालयहरू सोझै सामाजिक विकास मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने गरी स्थापित भएका कारण निर्देशनालयको भूमिका केही सङ्कुचन भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

## २.५. शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई काम गर्ने नीतगत र कानुनी आधारहरू

नेपालको संविधान, नेपाल सरकारका शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ लगायत प्रचलित सङ्घीय कानुनका अलावा कार्यसम्पादन परीक्षण गरिएको अवधिका निर्देशनालयका स्वीकृत कार्यक्रमलाई देहायका सङ्घीय कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यविधि र मापदण्डहरूले मार्गदर्शन गरेको देखिन्छः

सबै निर्देशनालयको हकमा

१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका
२. शिक्षक सेवा आयोगबाट जारी भएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरू
३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट जारी भएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशनहरू

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेश सरकारका फरक फरक प्रदेश शिक्षा नीति, प्रदेशका आवधिक विकास योजनाहरू, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सुशासन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली जस्ता कानुनी व्यवस्थाका साथै खास शैक्षिक प्रयोजन र कार्यक्रम लक्षित प्रदेश सरकारबाट जारी भएका निर्देशिका तथा कार्यविधिको आधारमा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले कार्यक्रम र बजेट प्राप्त गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिएको छ। यद्यपि शिक्षासम्बन्धी कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिको व्यवस्थामा भने सङ्ख्या र प्राथमिकता दुबै हिसाबले प्रदेशगत विविधता देखिन्छ।

## २.६. कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा संस्थागत परिवेश

संस्थागत परिवेश आन्तरिक वा बाह्य हुन सक्छ। आन्तरिक परिवेश भन्नाले सरकारी संरचनाभित्रको विभागीय सङ्गठनहरू, तालुक कार्यालय र सङ्गठन, विधायिकी संरचना र विधायिकी परीक्षण र सोप्रतिको उत्तरदायित्त्वको प्रबन्ध, न्याय प्रणली र सोसँगको सम्बन्ध र न्यायिक सुपरिवेक्षणको अवस्था, लेखापरीक्षण लगायतको बाह्य परीक्षण निकाय र सोमार्फत उत्तरदायी बनाउने पद्धति र पेसागत मापदण्ड लगायतको नियमन प्रबन्धहरू पर्न सक्दछन्। विभिन्न पेसागत निकायहरू (जस्तै, डाक्टरको मेडिकल काउन्सिल) ले पेसागत मापदण्डका आधारमा पेसागत अभ्यासको नियमन गर्ने गरेको देखिन्छ।

राज्य प्रणाली वा सरकारी संयन्त्र बाहिरका कर्ताहरू (Non-State Actors) ले पनि आफ्नै प्रकारले प्रभाव पारेका हुन सक्छन्, चाहे ती कर्ताहरू औपचारिक रूपमा अधिकार पाएका हुन् वा नहुन्। जस्तै, उपभोक्ता समितिले वैधानिक हैसियत राख्न सक्छन्, कुनै सामाजिक क्लब वा संस्थाले प्रश्न गर्ने वैधानिक हैसियत नपाएको हुन सक्छ, तर पनि नागरिक हितका विषयमा एजेन्डा उठाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको बढदो प्रयोगले यदाकदा आफूलाई सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनाउने व्यक्तिसमेत कुनै वैधानिक अधिकार पाएर भन्दा पनि प्रश्न गर्दैजाँदा, सार्वजनिक समर्थन र स्वीकृति हासिल गरेर अप्रत्यक्ष वैधानिकता पाएको जस्तो देखिने सक्छ।

संस्थागत परिवेशले सङ्गठनमा पर्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थागत परिवेशले कार्यसम्पादनका बारेमा सङ्गठनलाई कताबाट कस्तो प्रकारको दबाब आउँछ, र सो को कारणले सङ्गठन सञ्चालन पद्धतिलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने पनि विश्लेषण हुनुपर्दछ।

तालिका ३१: संस्थागत परिवेशले सङ्गठनमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण

| सम्बन्ध र संस्थागत नियन्त्रणको स्वरुप | को बाट? | कसरी? | प्रभाव? |
|---|---|---|---|
| औपचारिक सम्बन्ध, औपचारिक आदेश दिने गर्ने | तालुक कार्यालय वा निकायबाट, कहिलेकाँही एकभन्दा बढी निकायबाट समेत आदेश आउन सक्ने (Poly-centric)। | औपचारिक आदेश; स्रोतमाथिको नियन्त्रण, एकभन्दा बढी निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा हरेका निकायको नियन्त्रण रहन सक्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा कहिलेकहीँ बहु-केन्द्रको आदेश तामेली गर्नुपर्दा प्राथमिकीकरणको मुद्दा आउन सक्छ, र द्विविधा हुने अवस्था आउन सक्छ। | सोझो प्रभाव, मान्नै पर्ने बाध्यता |
| सेवा करार प्रकृतिको सम्बन्ध- करारको प्रकृतिअनुसार नियन्त्रण | करार गर्ने पक्ष; जस्तै कुनै मन्त्रालयले बिभागीय प्रमुखलाई वा कुनै बिभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करार गरेर सोअनुसार काम गराउने अभ्यास। | करारमा लेखिएअनुसार स्रोतमा नियन्त्रण गरेर, अरु कुनै सुविधा पाउने वा नपाउने कुरा कार्यसम्पादनसँग जोडेर निर्धारण हुने अवस्थामा सो को पालना बाध्यकारी हुने देखिन्छ। सामाजिक विकास कार्यालयहरू आफूप्रति सोझै जवाफदेही हुने अवस्थामा निर्देशनालयले सो मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हुँदा काम गराउने हैसियत पाउने र यसले कार्यसम्पादन प्रभावित हुनसक्छ। | सोझो प्रभाव, बाध्यकारी |
| कार्यसम्पादनको लक्ष्य किटान गरेर | तालुक अड्डा, वा अधिकारवाला व्यक्तिले, वा स्रोतमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले | लक्ष्य तोक्ने र सो प्राप्ति भएको अवस्थामा र सो प्राप्तिको मात्राको आधारमा मात्र incentives प्राप्त हुने गरी शर्तनामा गर्ने र नियन्त्रण गर्ने। | सङ्गठन सञ्चालनमा स्रोतको प्राप्तिमार्फत नियन्त्रण, सोझो प्रभाव |
| कार्यसम्पादनको स्तर झल्कने तुलना | कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्ने निकायले | सेवा लिने व्यक्तिले सेवा छान्न पाउने अवस्थामा कार्यसम्पादनको स्तर खुल्ने गरी | उपभोक्ताको सेवा |

| सम्बन्ध र संस्थागत नियन्त्रणको स्वरुप | को बाट? | कसरी? | प्रभाव? |
|---|---|---|---|
| तालिका (League table) मार्फत | | तुलनात्मक सूचना तालिका जारी गर्ने र सही निर्णय लिन सक्ने बनाउने, उनीहरूको सही निर्णयले न्यून स्तरको कार्यसम्पादन गर्नेको सेवाको माग घट्ने र सो मार्फत उत्तरदायी हुन बाध्य हुने।<br>तर, सेवा छनोटको अवसर नहुँदा, वा अन्य बाधकहरूका कारण अन्यत्रको सेवा लिन बाधा हुने अवस्थामा न्यून स्तरको सेवा दिएको सूचना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई दण्डित गर्ने गरी निर्णय गर्ने सम्भावना कम हुने। | छनोटको निर्णय मार्फत नियन्त्रण |

(Adapted from Talbot, 2010)

## २.७. कार्यसम्पादन परीक्षणका अन्य सान्दर्भिक अभ्यासहरू

शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको विधि र प्रक्रियाका विषयमा परिच्छेद एकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। यो विधि र प्रक्रियालाई हाम्रा अन्य राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भसँग जोडेर हेरिनु नतिजाको विश्लेषणका लागि सान्दर्भिक हुने हुनाले यहाँ केही प्रयास र अभ्यासहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपालमा प्रचलनमा रहेका अरू अभ्यासहरूको तुलनामा यो कार्यसम्पादन परीक्षणको उद्देश्य, विधि र प्रक्रियामा के कस्ता समानता वा विशिष्टता छ भनेर यसका मूल चरित्र तथा सीमाहरूलाई बुझ्न सहयोग गर्ने अपेक्षासहित अन्य अभ्यासहरूको सङक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ।

### २.७.१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विगतको अभ्यास

साविकको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि २०६३ सालमा सूचकहरू विकास गरी क्षेत्र र जिल्लास्तरका शिक्षा व्यवस्थापनका सङ्गठनहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणको सुरुआत गरेको देखिन्छ। जसअन्तर्गत साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमनका लागि तीन प्रकारका सूचकहरू विकास गरेको पाइन्छः पहिलो, कार्यसम्पादनसम्बन्धी सामान्य विषयहरू। यसअन्तर्गत वित्तीय एवम् कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना निर्माण र अनुगमन, शिक्षक एवम् विद्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्याभूती गरी ५ विषयसँग सम्बन्धित सूचकहरू रहेको देखिन्छ। दोस्रो, शैक्षिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत विषयहरू। यसमा शैक्षिक उपलब्धि, पेसागत सहयोग पाठ्यसमाग्री र छात्रवृत्ति, तथ्याङ्कीय कार्यहरूको व्यवस्थापन र सञ्चारसम्बन्धी गरी तीन विषयहरू रहेको देखिन्छ। तेस्रो, आकस्मिक तथा प्रवर्तनात्मक कार्यहरू। यसमा निर्देशनालयले आकस्मिक भैपरी आउने कार्यहरूको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भनेर कुनै चारओटासम्म कार्यहरू र प्रवर्तनात्मक/अन्वेषणात्मक/सिर्जनात्मक कामहरूमध्ये कुनै तीनओटा कामहरू हेर्ने र तिनको आधारमा अङ्कन गर्ने व्यवस्था यसमा गरेको देखिन्छ (शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, २०६३)। वर्तमानमा शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादनको परीक्षणका सूचकहरू त्यो ढङ्गले भन्दा पनि कार्यविवरणका बुँदाहरूमा र वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरूको शीर्षक र उपशीर्षकमा केन्द्रित गरी दुई भागमा वर्गीकृत रहेको छ।

### २.७.२ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभ्यास

विगतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र हालको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र सेवाग्राही सन्तुष्ट सर्बेक्षणको अभ्यास गर्दै आएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८ ले सेवाग्राही भन्नाले सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनु पर्दछ भनेको छ। यस निर्देशिकाले सेवाग्राही सन्तुष्टि नागरिक बडापत्रले गरेको व्यवस्था, सेवाप्रवाह गर्न लाग्ने समय, लागत र सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था, सेवाप्रवाह गर्न गरिएको कर्मचारीको प्रबन्ध र कार्यालयको विन्यासजस्ता विषयहरूसँग जोडेर सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेको देखिन्छ। यो मान्यताभन्दा अलि पृथक ढङ्गले अहिले शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादन परीक्षणमा प्रयोग गरिएको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा भाग-१ र भाग-२ का लागि फरक फरक ढाँचाको प्रयोग गरिएको छ र यसले उपल्लो निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयसमेत सेवाग्राहीको दायरा भित्र राखिएको छ जसबारेमा सम्बन्धित खण्डमा नै चर्चा गरिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित नीति, कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे नगरेको, वार्षिक योजना तथा बजेटबमोजिम कार्य गरे नगरेको, कार्य सम्झौताको पालना गरे नगरेको एवम् कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास, अनुशासन र आचरणलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समग्र विषयको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जाँचबुझ र परीक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन परीक्षणको दायरा भित्र समेटेको छ। यसले यी विषयक्षेत्रहरूलाई ११ ओटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कुल १०० ओटा सूचक तयार पारेको छ र ती प्रत्येकमा १ अङ्कको दरले कुल १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ। प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थालाई उल्लेख गरी शून्यदेखि अधिकतम १ अङ्सम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यसले कुनै सूचक कुनै खास निकायको हकमा लागु नहुने भएमा परीक्षकले उचित कारण उल्लेख गरी उक्त सूचकलाई गणनामा समावेश नगर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।त्यस्तै मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा कार्यालयको स्तरलाई अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, राम्रो, सन्तोषजनक, कमजोर र खराब गरी छ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको कार्यप्रक्रिया उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबिचको तुलना योग्य सूचकहरू विकास गरी स्व-मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय गरी १० ओटा विषयक्षेत्र समेटेको छ। यसमा प्रत्येक सूचकलाई उत्तम, सामान्य र कमजोर गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरएको छ भने समग्र स्थितिलाई २१ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिलाई ३४ प्रतिशत र परिमाणात्मक स्थितिलाई ४५ प्रतिशत भार दिइएको छ।यसका साथै दिइएका सूचकहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कुन दफासँग सम्बन्धित छन् भनेर खुलाइएको पनि छ। परिमाणात्मक

स्थितिको स्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि दिइएको सूचकमा शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँचसम्बन्धी एक सूचक पनि रहेको छ। यो सूचकअनुसार मूल्याङ्कन अवधिमा विद्यार्थी भर्ना दर ८० प्रतिशत भन्दा कम रहेको र गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर नघटेको अवस्थालाई कमजोर अवस्था, विद्यार्थी भर्ना दर (८०-९०) प्रतिशत भई गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर ५० प्रतिशत सम्म घटेको अवस्थालाई सामान्य अवस्था र भर्ना दर ९० प्रतिशत भन्दा बढी भई गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको अवस्थालाई उत्तम अवस्था मानिएको छ।

### २.७.३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अभ्यास

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ ले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अलग अलग सूचक तयार पारेको देखिन्छ। यसमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकमा समयमा प्रदेशले निकासा वा अनुदान दिए नदिएको विषय र बेरूजु फस्यौंटका विषयहरू महत्त्वपूर्ण सूचकभित्र समावेश गरेको देखिन्छ।

### २.७.४ प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको आफ्नै अभ्यास

कार्यसम्पादन परीक्षण नभनिएपनि कतिपय अवस्थामा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले खास खास प्रयोजनका लागि वस्तुगत सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन स्तर र क्षमताको मापन गर्नेगरी सूचकहरूको निर्माण र प्रयोग गरेका छन्। उदाहरणको लागि परीक्षकहरूले स्थलगत अवलोकनका क्रममा सङ्कलन गरेका कागजात र छलफल गरेका विवरणका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको अभ्यासको विषयमा तलका दुई अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादनको आधारमा विज्ञान विषय पढाइ हुने क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने प्रयोजनका लागि क्याम्पस आफैंले स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरी सूचकहरूको विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ। यो सूचक सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको र यसमा क्याम्पसको जेष्ठता, विद्यार्थी सङ्ख्या, पूर्वाधारको अवस्था, गुणस्तर प्रत्यायन तथा स्तरीकरण (QAA), छात्र/छात्रा अनुपात, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित विद्यार्थीका लागि क्याम्पसले गरेको विशेष व्यवस्था, क्युएए प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा प्रणाली, प्राध्यापकहरूको योग्यता, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाइ, शासकीय प्रबन्ध, सामाजिक परीक्षण, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, आन्तरिक गुणस्तर अनुगम, आइक्युएसी (IQAC) जस्ता विषय समेटिएका छन्। दिइएका सूचकमा स्वमूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित क्याम्पसले नै अङ्क प्रदान गर्ने र त्यसलाई तोकिएका सामाजिक विकास कार्यालयका सुपरिवेक्षकले स्थलगत रूपमा सत्यापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयको पहलमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले पनि विद्यालय स्तरीकरण सूचक २०८१ स्वीकृत गरी जारी गरेको देखिन्छ। यसले स्तरीकरणका लागि नौ ओटा विषयक्षेत्रहरू समेटेको छः विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा, शिक्षक व्यवस्थापन र विकास, शिक्षण सिकाइ, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, सुशासन र व्यवस्थापन, सह/अतिरिक्त क्रियाकलाप, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको पेसागत सन्तुष्टि र अनुसन्धान र विकास।

## २.८ परीक्षणको ढाँचा र नतिजाको व्याख्या गर्ने आधार

कार्यसम्पादन परीक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई हेरेर विद्यमान कार्यसम्पादन कुन स्तरको हो भनेर निर्णय दिन कुनै मानकसँग तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ। सामान्यतया औसत उपलब्धिलाई मानक मानेर औसतभन्दा राम्रो वा कमजोर भनेर तुलना गर्ने गरिन्छ। जस्तै, राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने कुनै सार्वजनिक परीक्षाको नतिजामा राष्ट्रिय औसतलाई नै एउटा आधार मानेर सो को तुलनामा कुनै प्रदेश विशेषको उपलब्धि कस्तो छ भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर, यसरी तुलना गर्ने सन्दर्भमा केही सर्तहरू व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा रहेका हुन सक्छन्ः जस्तै, ती सङ्गठनहरूको अन्य अवस्था तुलनीय छ, एउटै परीक्षण साधन, वा समानस्तका परीक्षण साधनको प्रयोग गरिएको छ, सबैतिर स्तरीय र समान मापन विधिको प्रयोग गरिएको छ र अन्य कुनै विषयले परीक्षणलाई अवाञ्छित रूपमा प्रभावित पार्न नपाओस् भनेर आवश्यक नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ। जे होस्, एकभन्दा धेरै निकायको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने क्रममा परीक्षणमा 'तुलनीयता' कायम गर्नु आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हुने देखिन्छ।

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयहरूको सन्दर्भमा तुलनीयताको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्दा, यी सबै निकायले प्राप्त गरेका कार्यादिश मूल रूपमा समान छन्। सबै निकाय प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर शिक्षा सेवा प्रवाहमा संलग्न छन्। तर पनि कार्यक्षेत्रको विस्तार, संरचनागत विशेषता र अन्य निकायहरूसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक कार्य-संस्कृति र प्राथमिकताजस्ता पक्षहरूलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यी सङ्गठनहरू सबै दृष्टिले पूर्ण रूपमा तुलनीय छन् भन्न सकिने अवस्था देखिन्न।

माथि उल्लेख गरिएजस्तो मानकसँग, वा अन्य सङ्गठनहरूको कार्यसम्पादन स्तरसँग तुलना गर्ने विधिहरूका अतिरिक्त एकै सङ्गठनको विगतको उपलब्धिसँग तुलना गरेर सङ्गठनले विगतको तुलनामा कार्यसम्पादनमा के कति मात्रामा सुधार गर्न सक्यो, प्रगतिको दिशा र गति कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने आधार प्राप्त हुन सक्छ र यसले समयक्रममा सङ्गठनले गरेका प्रगतिको अवस्था झल्काउने र यसबाट उपयोगी सूचना पाउन सम्भव हुन्छ। तर यसका निमित्त विगतका वर्षहरूदेखि नै सोही प्रकारका परीक्षण साधनहरू प्रयोग गरी तयार गरिएका तुलनायोग्य नतिजा र प्रतिवेदनहरू उपलब्ध हुनुपर्छ। अर्थात्, यसले परीक्षण प्रणालीमा दिगोपनाको समेत माग गर्दछ। भर्खर विकास भएका नयाँ पद्धतिमा, वा छिटोछिटो परीक्षण प्रणाली परिवर्तन हुने अवस्थामा यसप्रकारको तुलना गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ। यो परीक्षण शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा प्रयोग भएको पहिलो वर्ष भएकाले तुलनाका निमित्त यस्तै साधनमा आधारित विगतको कार्यसम्पादनको नतिजा उपलब्ध छैन। यसर्थ, यसवर्षको उपलब्धिलाई कार्यादिशको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था, समूह औसत जस्ता मानकसँगको तुलना तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि जस्ता आधारहरूलाई नै सावधानीपूर्वक तुलनाका निमित्त उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

# परिच्छेद तीन

# परीक्षणका प्राप्तिहरूको विश्लेषण

## ३.१ भाग-१ को कार्यविवरणमा आधारित सामान्य अवस्थाको विश्लेषण

यस खण्डमा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यविवरणअनुसार के कति मात्रामा कार्य सम्पादन भयो भएन भनेर हेर्नेगरी परीक्षण साधनको उपयोग गरिएको छ। निर्देशनालयलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई ३३ ओटा बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार परीक्षण साधनमा ३३ ओटा नै सूचकको उपयोग गरिएको छ। तर पनि कतिपय अवस्थामा कार्यविवरणमा तोकिएका कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मा पाइनसकेको, आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक निर्णय नइनसकेको, सोही काम विगतदेखि नै अन्य कुनै निकायमार्फत हुँदै आएको अवस्था समेत देखियो। यसर्थ, कार्यविवरणमा लेखिएका आधारमा परीक्षण साधनमा ३३ ओटा सूचक भएपनि सबै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सबै सूचकहरूमा एकै प्रकारले मापन गर्ने वस्तुगत अवस्था भने देखिएन र सोहीअनुसार परीक्षणका क्रममा कतिपय सूचकमा अङ्कन नभएको पाइयो।

प्रचलित ऐन कानुनका व्यवस्थाले कार्यविवरणले निर्दिष्ट गरेको र निर्देशनालयले चाहेको भएपनि कतिपय काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन। त्यस्तै प्रदेशैपिच्छेको प्रदेशको मन्त्रालयले प्रदान गरेका अधिकार तथा अख्तियारीमा भएको फरकपनाका आधार र निर्देशनालय र मन्त्रालयको अवस्थितिको भौगोलिक दुरीका कारण पनि प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइने जिम्मेवारीमा पनि प्रदेशगत फरक अवस्था समेत रहेको देखियो।

### ३.१.१. परीक्षण साधनको विषयमा

मापनका लागि दिइएका ३३ ओटा सूचकमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट दिइएको जवाफ तथा प्रतिक्रियासमेतका आधारमा परीक्षकबाट गरिएका टिप्पणी र त्यसको निष्कर्ष तल तालिकामा देखाइएको छः

तालिका ३२: परीक्षणको भाग-१ का ३३ कार्य विवरणमा परीक्षकको सूचकगत टिप्पणीको सार सङ्क्षेप

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्णणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| १. अन्तर / राष्ट्रिय स्तरका प्रतिबद्धता, र नीतिको कार्यान्वयन | • प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्दैन सङ्घीय सरकारबाट अनुदान बढाउन आवश्यक छ (कोशी)।<br>• अलग्गै कार्यक्रम नभएको, तर वार्षिक क्रियाकलापमा पर्ने क्रियाकलापले सोमा योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने (गण्डकी)<br>• विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP) को शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले निर्माण गरेको वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजना (Annual Strategic Implementation Plan-ASIP) का निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यक्रमहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाबमोजिम कार्यान्वयन गरिँदै आएको (सुदूरपश्चिम)। | नेपाल सरकारले गरेका शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता एवम् राष्ट्रसङ्घीय घोषणा तथा प्रतिबद्धताअन्तर्गत सङ्घीय सरकारले तय गरेका कार्यक्रम सङ्घीय ससर्त अनुदानबाट र प्रदेश सरकारका कार्यक्रममार्फत पनि कार्यान्वयन हुने भएकोले यो कार्यविवरणबमोजिम काम हुने वा गर्न सकिने मान्नुपर्ने देखिन्छ। भएका प्रतिबद्धताको सूची र प्रदेश स्तरको भूमिका सहितको |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | | तालिका तयार गर्दा गराउँदा कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ। |
| २. दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य | • सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको (कोशी)<br>• शैक्षिक सामग्री वितरण गरी विद्यालय उपस्थिति दर वृद्धि र गुणस्तर वृद्धि गर्न पहल गरेको। साक्षर मधेश प्रदेश कार्यक्रममा सहजीकरण गरेको। प्रारम्भिक बालविकास सिकाइ सामग्री वितरण गरेको (मधेश)।<br>• SDG , SESP लाई आधार बनाएर वार्षिक कार्यक्रम तय हुने,सो को आधारमा भएको प्रगति स्थिति प्रतिवेदनमा देखिने (गण्डकी)<br>• सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको चौथो लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्ययोजना (SDG4: Education 2030: National Framework for Action) का ७+३ ओटा लक्ष्य र त्यसका अनुगमन सूचकसँग सम्बन्धित रहेको (सुदूरपश्चिम) | सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना र दिगो विकासको चौँथो लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्ययोजना (SDG4: Education 2030: National Framework for Action) सँग सम्बन्धित रहेको र यो कार्यविवरणअनुसारका केही कामहरू शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट हुने गरेको देखिन्छ। |
| ३. प्रदेश स्तरमा उच्च शिक्षा नीति तयारी | • नीति निर्माणमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले आवश्यक सहयोग गर्ने गरेको (कोशी)<br>• मन्त्रालयले गर्ने यससम्बन्धी कार्यमा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई कुनै अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय नभएको (मधेश)<br>• यस्ता कार्य मन्त्रालयबाट सोझै हुने गरेको हुँदा निर्देशनालयको भूमिका न्यून रहेको (गण्डकी)<br>• प्रदेशस्तरमा उल्लिखित कार्य थालनी भई नसकेको (कर्णाली)<br>• मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्देशन वा कार्यजिम्मेवारी दिएको अवस्था नभएको (सुदूरपश्चिम) | प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने भनिएकोले यो विषयमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन शैली नै निर्णायक हुने देखिन्छ। उद्देश्य हासिल गर्ने गरी सम्बद्ध सङ्गठन, संरचना र निकायको परिचालनमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने देखिएको। |
| ४. विज्ञान सम्बन्धी | • सूचना प्रविधि (ICT) उपयोगिता र सार्वजनिक विद्यालयमा प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न कार्ययोजना निर्माण भएको (कोशी)।<br>• निर्देशनालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नभएको र यस सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको (मधेश)।<br>• विज्ञान विषयको पठन पाठनमा प्रवर्धन गर्न STEM Lab, Science Lab Support कार्यक्रम र विगतमा | निर्देशनालयले वार्षिक कार्यक्रममा प्रस्तावित गरी यी कार्यसम्पादन गर्न सकिने देखिन्छ। यसमा विभिन्न प्रदेशमा भिन्न भिन्न ढङ्गले कार्य भएका देखिन्छन्। यसलाई अलग्ग विषयका रूपमा हेरेर मात्र उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले शिक्षाका |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | Tunnel Engineering कोर्स विकासमा अनुदान प्रदान गरिएको (गण्डकी)।<br>• विज्ञान विषय लिई कक्षा ११ र १२ एवम् स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको (लुम्बिनी)।<br>• विज्ञान, खोज तथा अनुसन्धान प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन भएको। विद्यालयमा ICT स्थापना कार्यक्रम रहेको (कर्णाली)।<br>• विज्ञान पढाइ हुने क्याम्पसलाई प्रोत्साहन अनुदान तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान, STEAM Education सम्बन्धी विज्ञान, गणित शिक्षकका लागि कार्यशाला सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयलाई ल्याव सुदृढीकरण अनुदान, तह कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय पठन पाठन हुने सामुदायिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन अनुदान, माध्यमिक विद्यालयहरूमा ICT व्यवस्थापन अनुदान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा विज्ञान सङ्कायमा ICT Lab व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको (सुदूरपश्चिम)। | समग्र कार्यक्रममा वैज्ञानिक चिन्तन, खोज गर्नेतर्फ प्रोत्साहन गर्ने गरी संयोजन गर्दा एकीकृत रूपमा यसको समेत उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। |
| ५. प्रदेश विश्वविद्यालय | • निर्देशनालयबाट नीति निर्माणसम्बन्धी बैठकहरूमा सहभागिता मात्र हुने गरेको, कार्यान्वयनमा सहभागिता नभएको (कोशी)।<br>• यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले गर्ने गरेको र निर्देशनालयलाई कुनै कार्य जिम्मेवारी नदिएको (मधेश)।<br>• प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको तर नियमनको विषय निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा नपरेको (गण्डकी)।<br>• निर्देशनालयबाट यस सम्बन्धमा कुनै कार्य सम्पादन नभएको (लुम्बिनी)।<br>• प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नै नभएको (कर्णाली)।<br>• प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको भए पनि यो कार्यमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको वा प्राविधिक सहयोग नमागेको (सुदूरपश्चिम)। | प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी तयारीका कार्य प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले नै गरेको र कुनै प्रदेशमा बैठकमा समान्य सहभागी गराउने र कतै निर्देशनालयलाई मन्त्रालयले सामान्य जानकारी दिन पनि आवश्यक नठानेको अवस्था देखियो। यो विषयमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन शैली नै निर्णायक हुने देखिएको। मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई दिएको वा नदिएको भूमिकाबारेमा समीक्षा गरी निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| ६. शैक्षिक परामर्श सेवाको नियमन | • सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने गरेको (कोशी)।<br>• मन्त्रालयबाट मापदण्डको तयारीको काम भई रहेको (मधेश)।<br>• मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन भएको (बागमती)।<br>• मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयारी भई निर्णयको प्रक्रियामा रहेको रसो तयारीमा मूल भूमिका मन्त्रालयको रहेको (गण्डकी)।<br>• शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०८० मन्त्रालयबाट विकास भई मन्त्रालयबाट नै सो सम्बन्धी कार्यसम्पादन हुने गरेको (कर्णाली)।<br>• मन्त्रालय आफैंले कार्यसम्पादन गरिरहेको र निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका, कार्यक्रम, अख्तियारी वा बजेट प्रदान गरेको अवस्था नरहेको यो सूचकमा मापन गर्ने अवस्था नरहेको (सुदूरपश्चिम)। | शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्यहरू प्रदेश तहबाट भइरहेको तर ती कार्यहरू सबै प्रदेशमा मन्त्रालयबाटै सम्पादन हुने गरेको र कार्य विवरणबमोजिमको जिम्मेवारी प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई नदिएको पाइएको।<br>मापदण्ड विकास जस्ता नीतिगत कार्य र नियमन जस्ता कार्य अलग निकायबाट गर्ने गरी निर्णय गर्न र कार्यविवरणमा प्रस्टता ल्याउन सकिने। |
| ७. उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति | • विगत २ वर्षअघि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति छनोट गर्ने कार्य भएको। आ.व. २०८०/०८१ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै कार्यसम्पादन भएको (कोशी)।<br>• निर्देशिकाअनुसार उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति वितरण गरी अभिलेख राखिएको (मधेश)।<br>• उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्गता लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा रहेको (गण्डकी)।<br>• एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ का आधारमा प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ती, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति वितरण, अभिलेख र प्रतिवेदन राखिएको (कर्णाली)।<br>• प्रदेश सरकारले यसविषयमा आफैले कार्य सम्पादन गरिरहेको र निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका, कार्यक्रम, अख्तियारी वा बजेट प्रदान गरेको अवस्था नरहेको (सुदूरपश्चिम)। | उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशअनुसार अभ्यासमा विविधता पाइएको छ। प्राय प्रदेशका निर्देशनालयहरूले कार्यान्वयन गरेको देखियो। कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयले पहिले निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिएकोमा पछि आफैले लिएको छ भने सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका, कार्यक्रम, अख्तियारी वा बजेट प्रदान गरेको अवस्था देखिदैन।<br>प्राथमिकता भित्र परेका समूहले सहज रूपमा, दोहोरो नपर्ने गरी छात्रवृत्ति पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्न सकिने र यसका लागि निर्देशनालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रस्ट पारी सक्रिय बनाउने सम्भावना देखिन्छ। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| ८. प्रादेशिक नीति तर्जुमा गर्न सहयोग | • मन्त्रालयको मागबमोजिम सहभागिताको लागि कर्मचारी खटाउने कार्य भएको तर निर्देशनालयको जिम्मेवारी नतोकिएको (कोशी)।<br>• प्रदेशको शिक्षा नीति निर्माणमा मस्यौदा निर्माण समितिमा निर्देशनालयका उपसचिवले सदस्य सचिव भई काम गरेको (मधेश)।<br>• प्रदेश शिक्षा नीति जारी भएको, शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको तर यी कामको नेतृत्व मूलतः मन्त्रालयबाट भएको (गण्डकी)।<br>• कार्यसम्पादन परीक्षणका समयमा निर्देशनालयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा दलित सहभागिता र प्रादेशिक आवधिक योजनाबारे छलफल भइरहेको पाइएको (लुम्बिनी)।<br>• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८, कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति २०८० ,र प्रारम्भिक बालविकास रणनीति (२०७९-८३) को मस्यौदाको तयारी कार्यमा मन्त्रालयले माग गरेबमोजिमको सहजीकरण गरिएको (कर्णाली)।<br>• यस विषयमा निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका,जिम्मेवारी प्रदान गरेको वा प्राविधिक सहजीकरणका लागि राय माग वा निर्देशन दिएको अवस्था नरहेको (सुदूरपश्चिम)। | शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले निर्देशनालयललाई सहभागी गराउने विषयमा प्रदेशगत विविधता देखिन्छ।<br>यो विषयमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन शैली नै निर्णायक हुने देखिएको। मन्त्रालयबाट हालसम्मका कामको समीक्षा गरी आगामी दिनका लागि आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिएको। |
| ९. गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण | • मन्त्रालयबाटै मस्यौदा तयार हुँदै गरेको (कोशी)।<br>• अनुगमन गर्नको लागि मापदण्ड उल्लिखित अनुगमन फाराम विकास गरी अनुगमन गर्ने गरेको (मधेश)।<br>• प्रदेश विद्यालय स्तरीकरण सूचक तयार गरिएको (गण्डकी)।<br>• गत वर्ष नै कक्षा ८ को गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको (लुम्बिनी)।<br>• कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक सुधार सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा गुणस्तर मापदण्ड उल्लेख गरिएको। शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न संयुक्त अनुगमन निरीक्षणको साधन विकास गरिएको (कर्णाली)।<br>• निर्देशनालयले हालसम्म कुनै कार्यक्रम गरेको अवस्था नरहेको (सुदूरपश्चिम)। | प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धी काम कुनै न कुनै रूपमा भएको र केही प्रदेशहरूले मापदण्ड निर्धारणको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। तर त्यसको परीक्षण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा भने अपेक्षित काम हुन सकेको देखिदैन। खास गरी आफ्नो प्रदेशभित्र कुन स्थानीय तहमा गुणस्तरको अवस्था के छ, समस्या के कस्ता छन्, भनेर विश्लेषण गर्न र के कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू सहयोगी हुनसक्छन् भनेर स्थानीय तहलाई प्राविधिक सुझाव प्रदान गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| १०. पुस्तकालय | • पुस्तकालयसम्बन्धी कार्यक्रम निर्देशनालयबाट र सङ्ग्रहालयको काम मन्त्रालयबाट हुने गरेको (कोशी)।<br>• प्रदेशस्तरमा पुस्तकालयको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा सहजीकरण गरिएको (मधेश)।<br>• प्रदेशस्तरीय सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालन, पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रालयबाट अनुदान जाने गरेको र यसमा निर्देशनालयको खासै भूमिका नरहेको (गण्डकी)।<br>• सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय स्थापना भएको (कर्णाली)।<br>• सामुदायिक पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्ने लगायत पुस्तकालयमा लघु सङ्ग्रहालय स्थापनाको लागि अनुदान दिएको (सुदूरपश्चिम)। | प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयका लागि भए गरेका काममा निर्देशनालयको सहभागिता रहने गरेको तर कार्य प्रकृति र सहभागिता वा नेतृत्वको स्तरमा विचार गर्दा भने प्रदेशगत विविधता पाइएको। कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्देशनालयबाट गर्ने गरी मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय हुन सक्ने देखिएको। |
| ११. जनशक्ति प्रक्षेपण | • मन्त्रालयले सेडाको सहयोगमा कार्य सुरु गरेको (कोशी)<br>• निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा नरहेको (मधेश)<br>• प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा मन्त्रालयले कार्य गरेको (गण्डकी)<br>• प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो कामका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेको (सुदूरपश्चिम) | प्रदेशको कार्यविवरणमा भएपनि सोअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको, केही प्रदेशमा मन्त्रालय आफैले काम गरेको र केहीमा छुट्टै आयोगसमेत भएका कारण यसमा निर्देशनालयको भूमिका नरहेको देखिएको। यो कार्यविवरणलाई मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले समीक्षा गरी निर्णय लिन आवश्यक देखिएको। |
| १२. शिक्षक सेवासम्बन्धी | • सबै निर्देशनालयहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित भएका ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्र वितरण तथा स्थायी शिक्षकको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन भएको।<br>• सबै निर्देशनालयलहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएका निमावि र मावि तहका शिक्षकको पदस्थापनाको लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको निर्देशनबमोजिम पदस्थापनाको लागि जिल्ला छनोट गरी पठाएको।<br>• शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न कार्य योजना बनाई अभिमुखीकरण समेत गरेको र सम्पादित कार्यको समीक्षा र विश्लेषण गरी सुधारका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयन समेत गरेको देखिएको (सुदूरपश्चिम)। | सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक छनोट, बढुवा र अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कामहरू समयमै तोकिएबमोजिम हुने गरेको पाइएको। तर, शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी आधिकारिक सूचना, अभिलेख, वा नियमनसम्बन्धी काममा खास भूमिका नदेखिएको। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्णणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| १३. योग्यता सक्षमता, मापदण्ड र नियमन | शिक्षा नियमावली, २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन भइरहेको। | शिक्षकको सेवासर्त, योग्यता र सक्षमताको मापदण्डका विषय कानुनी रूपमा सङ्घीय सरकारमा नै रहेको र प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएको। कानुनी प्रबन्धबाटै प्रदेश निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा मात्र निर्देशनालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। |
| १४. शिक्षकको अवकाशपछिको सुविधा | शिक्षा नियमावली २०५९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी कामहरू नेपाल सकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्गठन संरचनामा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालबाट बजेट र कार्यक्रम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गरिरहेको। प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भइनसकेको | सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी कामहरू राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट सम्पादन हुँदै आएको र प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी प्राप्त भइनसकेको। |
| १५. शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन | शिक्षा नियमावली २०५९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने काम नेपाल सकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्गठन संरचनामा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट सम्पादन हुँदै आएको। | सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने काम राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट सम्पादन हुँदै आएको र प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी प्राप्त भइनसकेको |
| १६. शिक्षकको सम्पत्ति विवरण | शिक्षा नियमावली २०५९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने काम नेपाल सकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्गठन संरचनामा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट सम्पादन हुँदै आएको। | सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने काम राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट सम्पादन हुँदै आएको र प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी प्राप्त भई नसकेको। |
| १७. क्षमता विकास | • स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरेको (कोशी)<br>• शिक्षकका लागि पेशागत तालिम सञ्चालन गर्ने, जिम्मेवारी शिक्षा तालिम केन्द्रमा रहेको र तालिम केन्द्र निर्देशनालयको मातहत नभएकोले यो विषय निर्देशनालयसँग सम्बन्धित नरहेको (मधेश)। | नीतिगत मार्गदर्शन सङ्घीय सरकाबाटै हुने र तालिम सञ्चालनको लागि प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको लागि अलग्गै संरचनाको रूपमा शिक्षा तालिम केन्द्र रहेकोले यो विषयमा हाल |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | • शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत कार्यसम्पादन भएको, नीतिगत मार्गदर्शन स्वीकृत नभएको, तर सशर्त अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई PIM ले मार्गनिर्देशन गर्ने गरेको, प्रदेश कार्यक्रमको हकमा 'कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड' स्वीकृत गर्ने गरिएको (गण्डकी)।<br>• प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो काम सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सोको मातहतमा रहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सम्पादन गरिरहेको र तालिम प्रदान गर्न प्रदेश सरकारको मातहतमा अलग्गै संरचना शिक्षा तालिम केन्द्र रहेको तथा प्रदेशमा नीतिगत मार्ग दर्शनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत रहेको अवस्था भएको (सुदूरपश्चिम) | निर्देशनालयमा व्यवहारतः कुनै जिम्मेवारी रहेको नदेखिएको। यस विषयमा हालसम्म भए गरेका कामको समीक्षा समेत गरी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। |
| १८. पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक | • नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको पाठ्यक्रम प्रारूपले प्रदेशको भूमिकाको परिकल्पना गरे पनि शिक्षा नियमावली २०५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो सूचकमा उल्लेख भएका कामहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आइरहेको। यस निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी मुद्रकहरूले गर्दै आएका। कति कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी जनक शिक्षालाई वा निजी मुद्रकलाई दिने भन्ने विषयमा के छपाइ गर्न दिने र कसकसलाई छपाइ गर्न दिने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने र प्रदेशगत रूपमा निजी प्रकाशकको छनोटको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालय मातहतमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको<br>• स्थानीय पाठ्यक्रम र सामग्री निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिएको, आधारभूत मानवीय सिप विकास पाठ्यक्रम तयार गरिएको; Friday for Future Activity Guideline तयारीमा सहयोग पुर्‍याइएको | सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् वितरणको व्यवस्था मिलाउने कामको जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै रहेकोले र प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी प्राप्त भइनसकेको। यस विषयमा हालको अवस्थाको समीक्षा गरी कानुनी प्रबन्ध सहितको नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | तर यो कामको मूल नेतृत्व मन्त्रालयमै रहेको (गण्डकी) | |
| १९. निजी क्षेत्रबाट प्रकशित पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीको स्वीकृति | शिक्षा नियमावली २०५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो सूचकमा उल्लेख भएबमोजिमका कामहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आइरहेको। | सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थगत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यको जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै रहेको र प्रदेश तहमा कानुनी रूपमा निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी प्राप्त भै नसकेको। यस विषयमा हालको अवस्थाको समीक्षा गरी कानुनी प्रबन्धसहितको नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने। |
| २०. पाठ्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन | • पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै अनुगमन नभएको तर अन्य कार्यक्रम सञ्चालन तथा निरीक्षण अनुगमनका क्रममा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन र सो पक्षमा सहजीकरण गर्ने गरेको (कोशी)<br>• पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अलग्गै योजना तथा कार्यक्रम नभएको तर नियमित अनुगमनको सिलसिलामा केही केही मात्रामा सहजीकरण गरिएको जानकारी प्राप्त। (मधेश)।<br>• केही मात्रामा अनुगमन भएको भनिए तापनि अनुगमनको स्पष्ट स्वीकृत योजना नभएको र अनुगमन प्रतिवेदनहरूको सङ्कलन र समीक्षा नभएको (लुम्बिनी) | निर्देशनालयबाट गरिने सामान्य र नियमित प्रकृतिका अनुगमनमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन भए तापनि यसलाई अनुगमन योजना बनाई र अनुगमन साधन प्रयोग गरी अनुगन गरेको भने नपाइएको। अनुगमन भएको अवस्थामा पनि सो को प्रतिवेदनमाथि समीक्षा हुने गरेको नपाइएको। योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्रबन्धसहितको अनुगमनको विषयमा निर्देशनालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले निर्णय तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। |
| २१. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम | • नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको विषय हेर्ने सिटिइभिटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण समेत नभएको अवस्था रहेको। सिटिइभिटीले तर्जुमा गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटअनुसारको सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पठाइने गरेको।<br>• मन्त्रालयको नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको (कोशी) | सिटिइभिटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरणसमेत नभएको अवस्था रहेको। सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पठाइने र मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरेको। यसका |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | • TVET सम्बन्धी नीति निर्माण हालसम्म नभएको (मधेश)<br>• TVET Profile तयारी, गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ स्वीकृत भएको (गण्डकी)<br>• परीक्षणका समयमा मन्त्रालय र निर्देशनालयबिच प्रादेशिक नीति तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल भइरहेको (लुम्बिनी)<br>• मन्त्रालयबाट निर्देशनालयलाई यस विषयमा केही निर्देशन नभएको अवस्था रहेको (सुदूरपश्चिम)। | अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नै कार्यक्रमहरूमा भने प्रदेशपिच्छे फरक फरक अभ्यास रहेको। प्राविधिक शिक्षामा राष्ट्रले दिएको प्राथमिकतालाई समेत विचार गरी कानुनी तवरबाटै प्रदेशमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी निर्देशनालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ। |
| २२. प्राविधिक शिक्षा र तालिमको छात्रवृत्तिको नियमन | • नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विषय हेर्ने सिटिइभीटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण समेत नभएको अवस्था रहेको। सिटिइभीटीले तर्जुमा गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटअनुसारको सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पठाइने गरेको।<br>• मन्त्रालयवाटै आवश्यक कार्य हुने गरेको र निर्देशनालयलाई कुनै जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएन (कोशी)।<br>• निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको अवस्था रहेको (मधेश)<br>• सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्तिमार्फत प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान (गण्डकी)<br>• निर्देशनालयमा यससम्बन्धी कुनै अभिलेख नभेटिएको र यो काम मन्त्रालयबाट सम्पादन भएको जानकारी प्राप्त (लुम्बिनी)<br>• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको विषय हेर्ने सिटिइभिटीको पुनसंरचना र प्रदेशमा हस्तान्तरण समेत नभएको। यससम्बन्धी सङ्घीय ससर्त अनुदान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आउने र त्यहाबाट सिटिइभिटीका प्रदेश कार्यालयमा पठाउने काम हुने र निर्देशनालयलाई यस विषयमा केही पनि निर्देशन वा परिपत्र नभएको अवस्था रहेको (सुदूरपश्चिम)। | सिटिइभीटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरणसमेत नभएको अवस्था रहेको। सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पठाइने र मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरेको। यसका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नै कार्यक्रमहरूमा भने मन्त्रालयको फरक फरक अभ्यास रहेको। कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई छात्रवृत्तिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ। |
| २३. प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको | • नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको विषय हेर्ने सिटिइभीटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण समेत नभएको अवस्था रहेको। सिटिइभिटीले तर्जुमा गरेको वार्षिक | सिटिइभीटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरणसमेत नभएको अवस्था रहेको। सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| नीति, पाठ्यक्रम, सामग्री स्वीकृति | कार्यक्रम र बजेटअनुसारको सङ्घीय ससर्त अनुदान प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा पठाइने गरेको।<br>• हालसम्म यो कार्य मन्त्रालयबाट नै हुँदै आएको र मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई छलफलमा आमन्त्रणसम्म पनि हुने नगरेको (कोशी)<br>• प्रदेशमा उल्लिखित कार्य नभएको (मधेश)<br>• मूल नेतृत्व मन्त्रालयको रहेको, GTEVT Academy सञ्चालमा रहेको र सोझै मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था रहेको (गण्डकी)<br>• मन्त्रालयबाट निर्देशनालयलाई यस विषयमा केही निर्देशन नभएको अवस्था रहेको (सुदूरपश्चिम) | पठाइने र मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरेको। यसका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नै कार्यक्रमहरूमा भने मन्त्रालयको फरक फरक अभ्यास रहेको। प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानहरू गठन हुँदै गरेको सन्दर्भ समेतमा यो कार्यविवरणमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। |
| २४. एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन (EMIS) | • छुट्टै तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था नभएको, केन्द्रीय EMIS लाई नै प्रयोगमा लिने गरेको (कोशी)<br>• परम्परागत विधिबाट निर्देशनालयलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क लिने गरिएको (मधेश)<br>• शैक्षिक तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने गरिएको, विश्लेषण कमै मात्र हुने गरेको, सङ्घबाट तयार गरिएको तथ्याङ्कको उपयोग गरिएको (गण्डकी)<br>• प्रादेशिक सूचना प्रणालीको अलग्गै सफ्टवेयर तयार गर्ने लक्ष्य भए तापनि तयार भई प्रयोगमा आएको पाइएन (लुम्बिनी)<br>• शैक्षिक प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने गरिएको (कर्णाली)<br>• शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको IEMIS प्रयोग गर्ने गरेको। हरेक वर्ष तथ्याङ्क विवरण भएको शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशन हुँदै आएको (सुदूरपश्चिम) | प्रायः शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट विद्यालयस्तरीय तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्ने, प्रोफाइल र EMIS रिपोर्ट बनाउने र अन्य उपक्षेत्रको हकमा सामान्य ढङ्गले परम्परागत विधिबाट आवश्यक तथ्याङ्क लिई काम चलाउने गरेको पाइएको। |
| २५. अनुसन्धान र निर्णय निर्माणमा यसको प्रयोग | • सामुदायिक क्याम्पसहरूको पार्श्वचित्र (profile) तयार भएको (कोशी)<br>• "बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ " कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी निचोडअनुसार सुधारका कार्य अघि बढाइएको (मधेश)<br>• मन्त्रालयबाट शैक्षिक अनुसन्धान सञ्चालन गरेको, उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्ने गरेको, मूल नेतृत्व मन्त्रालयको हुने गरेको (गण्डकी)<br>• कर्णालीः स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम विगतका आर्थिक वर्षमा अध्ययन अनुसन्धान भएको (कर्णाली) | प्रायः शिक्षा विकास निर्देशनलायहरूले वार्षिक कार्यक्रममा प्रस्ताव गरी परम्परागत ढङ्गका शैक्षिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने अभ्यास भएको देखिए तापनि आफ्नै अभ्यासमा सुधार गर्ने गरी कार्यमूलक अनुसन्धान भने कुनै निर्देशनालयहरूबाट सम्पादन भएको नदेखिएको। अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | | कार्यविवरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। |
| २६. फैसला कार्यान्वयन | • निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा त्यस्तो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फैसला नआएको (मधेश)<br>• सबै फैसला र आदेशअनुसार कार्य गर्ने गरिएको (गण्डकी)।<br>• फैसला भई आएबमोजिम नियमानुसार २ जना शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको (लुम्बिनी) | शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई विपक्षी अनुमगन वा फलोअपको जिम्मेवारी वा अरू बनाई भएका अदालती फैसला र आदेशहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित निर्देशनालयबाट भएको देखिन्छ। तर प्रदेशभित्रका शिक्षासम्बन्धी फैसलाहरूको कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका दिएको देखिँदैन। खास गरी शिक्षण संथाहरूसँग सम्बन्धित फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा निर्देशनालयलाई सहजीकरणको भूमिका दिन सक्ने देखिन्छ। |
| २७. निजामती विद्यालय | • साविकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा साविकका प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एक निजामति स्कुल स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत धनकुटा र दिपायलमा गरी जम्मा दुईओटा विद्यालय स्थापना भएको।<br>• निजामती आवाशीय विद्यालय धनकुटा सातचुलीको विनियम निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरेको (कोशी)<br>• निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) कार्यविधि, २०८० माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भई जारी भएको र महानिर्देशक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भई कार्यगर्ने गरेको (सुदूरपश्चिम) | हाल कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा यस प्रकारका विद्यालय नरहेको र यी दुई प्रदेशमा निर्देशनालयले तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गरेको अवस्था रहेको। |
| २८. अनौपचारिक शिक्षा र कार्य सम्पादन परीक्षण, सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी | • शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले यससम्बन्धी कामका लागि कुनै निर्देशिका वा मापदण्ड नबनाएको र केन्द्रबाट हाल सम्पादन हुने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका काममा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई संलग्न गराउने वा भूमिका दिने गरेको पनि नपाइएको।<br>• शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन भई आएमा कार्य गर्न सकिने तर हाल यो | विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण र विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी काममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालसम्म शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई सङ्लग्न गराउने वा भूमिका दिने गरेको देखिँदैन भने प्रदेशस्तरबाट सो काम गर्नकालागि कुनै निर्देशिका वा |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | व्यवस्था नभएकोले निर्देशनालयसँग सम्बन्धित देखिएन (मधेश)।<br>• शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणकेन्द्रको समन्वयमा परीक्षण सञ्चालन गरिएको (गण्डकी)<br>• अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत यस प्रकारको कुनै कार्य नभएको (लुम्बिनी)<br>• शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सहकार्यको मापदण्ड पनि नबनाएको र केन्द्रबाट हाल सम्पादन हुने काममा निर्देशनालयलाई संलग्न गराउने वा भूमिका दिने पनि नगरिएको (सुदूरपश्चिम) | मापदण्ड बनाएको पनि देखिएन। यसमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्नु पर्दछ। |
| २९. साक्षरता सम्बन्धी | • २०७९ भाद्र २३ गते कोशी प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेको कारण कार्यक्रम नरहेको (कोशी)<br>• साक्षर मधेश प्रदेशको कार्यक्रमअन्तर्गत रकम विनियोजन भएको र योजना निर्माण भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको (मधेश)<br>• साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेको। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, मन्त्रालयबाट निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय (गण्डकी)<br>• आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाँके र कपिलवस्तु २ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भई रहेको (लुम्बिनी)<br>• चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा साक्षर प्रदेश घोषणाको तयारी भइरहेको (सुदूरपश्चिम) | साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने र यसका तयारीका काममा निर्देशनालयहरूको भूमिका देखिन्छ। तर एकपटक प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेपछि पनि विविध कारणले केही निरक्षर बाँकी रहन सक्छन र अरू निरक्षर थपिन सक्छन् भन्ने विषयलाई ध्यान दिँदै निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम विकासमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नेतर्फ ठोस कार्य भएको देखिँदैन। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। |
| ३०. कक्षा १० को एसइइ परीक्षा सञ्चालन | सबै निर्देशनालयहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेका कार्यहरू बोर्डको मापदण्ड र निर्देशनबमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गरेको र परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी नियमित रिपोर्टिङ गरेको पाइएको। | सबै निर्देशनालयहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र तोकेका कार्यहरू बोर्डको निर्देशनबमोजिम समयमै सम्पन्न गर्ने गरेको पाइएको। |
| ३१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले किटान गरे बाहेक विषय | • शिक्षक अवकाशसम्बन्धी कार्य, गुठी विधान निर्माण तथा दर्ता सम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहको मागको आधारमा सहजीकरण गर्ने गरिएको (कोशी)<br>• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का २३ कार्यमध्ये १६ नं कार्यअन्तर्गत विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन तथा अनुगमन गरेको (मधेश) | आवश्यकताका आधारमा र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका केही कामहरू निर्देशनालयबाट भएको देखिएको तर ती कार्यक्रमहरूमा निर्देशनालयगत विविधता रहेको। |

| सूचक नं | प्रदेशगत परीक्षकको टिपोट वा टिप्पणीको सारांश | टिप्पणीको सार र निष्कर्ष |
|---|---|---|
| | • निर्देशनालयबाट आधारभूत तह र मन्त्रालयको समन्वयमा माध्यमिक तह परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरिएको (गण्डकी)<br>• कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक सुधार सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा अगुवा विद्यालयको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको (कर्णाली)<br>• स्थायी शिक्षकलाई गरिने कारवाही र अवकाश सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको (सुदूरपश्चिम) | |
| ३२. शिक्षा तालिम केन्द्रको अनुगमन, नियमन | • शिक्षक तालिमका लागि समन्वय इकाइको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने र निर्देशनालयबाट अभिलेख रहने गरी अनुगमन हुने नगरेको (कोशी)<br>• तालिम केन्द्र निर्देशनालयअन्तर्गत नरही समानान्तर निकायका रूपमा रहेकोले नीतिगत र कानुनी रूपमा अनुगमन गर्ने अधिकार नरहेको (मधेश)<br>• कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड विकासमा मन्त्रालय तथा शिक्षा तालिम केन्द्रसँग समन्वय,सहकार्य र सहजीकरण गरिएको (गण्डकी)<br>• शिक्षा तालिम केन्द्र र शिक्षा विकास निर्देशनालय मन्त्रालय मातहतको समानान्तर सङ्गठन भएकोले कानुनी प्रबन्ध विना निर्देशनालयले अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने तालिम केन्द्रको धारणा रहँदै आएको। निर्देशनालयले आवधिक समीक्षा लगायत विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आमन्त्रण गर्ने गरेको (सुदूरपश्चिम)। | प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा शिक्षा विकास निर्देशनालयले सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यविवरणमा उल्लेख भएपनि सङ्गठन संरचनामा यी दुई निकाय मन्त्रालय मातहका समानान्तर निकायको रूपमा रहेको र मन्त्रालयले अनुगमन र नियमनका सम्बन्धमा थप अख्तयारी वा निर्देशन दिएको अवस्था पनि नरहेकोले तालिम केन्द्रबाट माग भई आएमा सामान्य सहजीकरण गर्ने बाहेक यसमा खास कार्य भएको नदेखिएको। |
| ३३. मन्त्रालय बाट तोकिएका अन्य कार्य | • प्रत्यायोजित बजेट व्यवस्थापन भएका कार्यहरू सम्पन्न भएका र सम्पन्न गर्न नसकेका कार्यक्रमहरूको यथा समयमै बजेट फिर्ता गरिएको (कोशी)<br>• शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन भएअनुसार काम गर्ने गरिएको,तर मन्त्रालयले सबै विषयमा जिम्मेवार बनाउने नगरेको (मधेश)<br>• मन्त्रालयले तोकेका दुईओटा कार्यक्रम- STEM Lab र "सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै" सम्झौता भई सञ्चालन हुँदै गरेका र अन्य सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न (गण्डकी) | तालुक निकाय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका साथै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट लाए अह्राएका कार्यहरू निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा प्रदेशगत विविधता भने देखिन्छ। |

परीक्षण साधनको भाग-१ मा निर्देशनालयको कार्यविवरणसँग सम्बन्धित ३३ ओटा सूचकहरू छन्। यसमा प्रत्येकलाई ३ अङ्कको दरले ९९ पूर्णाङ्क कायम गरिएको थियो। तर यसमा उल्लेख भएका कतिपय कामहरू प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम सङ्घीय तहबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएको अवस्था छ भने कतिपयमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आफ्नै मातहतमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको र कुनै सहजीकरण पनि नगरेका कारण प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले

कार्यसम्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन। कार्यविवरणको कार्यान्वयनमा सीमितता हुनुमा संरचनागत र प्रशासनिक कठिनाइसँग सम्बन्धित कारणहरू पहिल्याउनका निमित्त विभिन्न सूचना स्रोतलाई उपयोग गरिएको छ। खास गरी, तालिका नं ३२ मा परीक्षकले उल्लेख गरेका थप जानकारी तथा टिपोट तथा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा परीक्षकहरूबिच भएको छलफल समेतलाई आधार बनाउँदै यी कारणहरूको खोजी गर्ने क्रममा प्राप्त सूचना र विश्लेषणलाई तालिका नं ३३ र ३४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

*तालिका ३३: सङ्घीय तहबाट हस्तान्तरण नभएका वा सहजीकरण नगरिएका विषयहरू*

| क्र.स. | सूचकको कार्यविवरण र सूचक नं. | कारण वा अवस्था |
|---|---|---|
| १ | विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने (सूचक १३) | शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन भइरहेको। |
| २ | स्थायी शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, बिमा, औषधी उपचार खर्च, पारिवारिक निवृत्तभरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति र उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने (सूचक १४) | शिक्षा नियमावली २०५९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी कामहरू नेपाल सकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालबाट बजेट र कार्यक्रम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गरिरहेको। |
| ३ | स्थायी शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गराउने (सूचक १५) | |
| ४ | शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने (सूचक १६) | |
| ५ | शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीन लगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने (सूचक १७) | नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सोको मातहतमा रहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यो विषयमा कार्यसम्पादन गरिरहेको र तालिम प्रदान गर्न प्रदेश सरकारको मातहतमा अलग्गै संरचना शिक्षा तालिम केन्द्र रहेको। |
| ६ | प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने (सूचक १८) | नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट यी कार्यहरू सम्पादन हुँदै आइरहेको। |
| ७ | सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री | |

| क.स. | सूचकको कार्यविवरण र सूचक नं. | कारण वा अवस्था |
|---|---|---|
| | प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने (सूचक १९) | |
| ८ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने (सूचक २१) | नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको विषय हेर्ने सिटिइभीटीको पुनसंरचना नभएको र यो कामहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण समेत नभएको अवस्था रहेको। यसमा सङ्घीय ससर्त अनुदान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आउने र त्यहाँबाट सिटिइभीटीका प्रदेश कार्यालयमा पठाउने काम हुने गरेको। |
| ९ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्तिको नियमन गर्ने (सूचक २२) | |
| १० | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने (सूचक २३) | |
| ११ | प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण (audit) कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न (सूचक २८) | शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणकेन्द्रले यस सम्बन्धी कामका लागि कुनै निर्देशिका वा मापदण्ड नबनाएको र केन्द्रबाट हाल सम्पादन हुने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका काममा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई सङ्लग्न गराउने वा भूमिका दिने गरेको पनि नपाइएको। |

माथि उल्लेख भएका भाग-१ का ११ ओटा सूचकहरू (३३.३३%) मा सङ्घीय सरकारले कानुनी बाटो नफुकाइदिएको, प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको वा आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले सम्बन्धित कार्यविवरणबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन।

*तालिका ३४: प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएका विषयहरू*

| क.स. | सूचकको कार्यविवरण र सूचक नं. | कारण वा अवस्था |
|---|---|---|
| १ | शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने (सूचक ८) | शिक्षा विकास निर्देशनालयमा भएको छलफलअनुसार यी विषयहरूमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायनै यस कार्यमा संलग्न रहेको र मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई कुनै खास भूमिका, जिम्मेवारी प्रदान गरेको वा प्राविधिक सहजीकरणका लागि राय माग गरेको वा राय पठाउन निर्देशन दिएको अवस्था देखिन नआएको। |
| २ | प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने (सूचक ३) | |

| क्र.स. | सूचकको कार्यविवरण र सूचक नं. | कारण वा अवस्था |
|---|---|---|
| ३ | प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने (सूचक ५) | |
| ४ | शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने (सूचक ६) | प्रदेश सरकारले शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय आफैंले यस विषयमा कार्यसम्पादन गरिरहेको र निर्देशनालयलाई कुनै खास भूमिका, कार्यक्रम, अख्तियारी वा बजेट प्रदान गरेको अवस्था नरहेको। |
| ५ | प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने (सूचक ११) | निर्देशनालयमा यसक कामको लागि संगठनात्मक संरचना र जनशक्तिको प्रबन्ध नरहेको। केही प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय आफैंले केही काम गरिरहेको र केहीमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत अलग्गै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकाय रहेको। साथै निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका, कार्यक्रम, अख्तियारी वा बजेट प्रदान गरेको अवस्था नरहेको। |

माथि उल्लेख भएका भाग-१ का ५ ओटा सूचकहरू (१५.१५%) मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको र आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले कार्यविवरणमा अपेक्षा गरिएअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सकेको देखिएन।

### ३.१.२. प्रदेशगत र सूचकगत अङ्कन र सोको विश्लेषण

यस पूर्वको छलफलबाट निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यविवरण सूचीका कतिपय बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने विषय निर्देशनालयबाहिरका कतिपय अवस्थाले प्रभावित गरेको र यसको आफ्नै नियन्त्रण भित्रको विषय मात्र नरहेको भन्ने स्पष्ट भएको छ। यही तर्कका आधारमा अगाडि बढ्दा निर्देशनालयलाई प्राप्त कार्यविवरणहरू मध्ये परीक्षणका सन्दर्भमा कुन कुन कायम राख्ने र कुन कुन छोड्ने भनेर छनोटको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा कुन कुन कार्य आफैं गर्नै नसक्ने प्रकृतिको हो र कुन कुन कार्य विशेष प्रयत्न गर्दा सम्पादन गर्न सकिने प्रकृतिको हो भनेर छुट्याउनु पर्ने देखियो। जस्तै, तालिका ३७ मा उल्लेख भएका मध्ये सूचक नं २८ को हकमा प्रदेशको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा निर्देशनालयले आफ्नै पहलमा पनि केही काम गर्न सक्ने र गण्डकी प्रदेशमा कार्यसम्पादन परीक्षणजस्तै काम भएकोसमेत देखिएकोले त्यसलाई गणनामा समावेश गर्ने र सूचक नं २७ (निजामती विद्यालयको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित) को हकमा दुईओटा प्रदेशमा मात्र कार्यान्वयन हुने अवस्था भएकोले त्यस्ता सूचकलाई हटाई जम्मा १७ ओटा सूचकको आधारमा कार्य सम्पादनस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने गरी छलफल भएअनुसार मापन गरिएका १७ ओटा सूचकहरूका लागि कुल ५१ पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ। ती १७ सूचकमा सम्बन्धित परीक्षकबाट निर्देशनालयका प्रमुखको रोहवरमा प्रदान गरी दुवैजनाबाट प्रमाणित गरिएको अङ्क विवरण तलको तालिका ३५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

*तालिका ३५:* भाग एक कार्यविवरणका छनोट गरिएका सूचकमा प्राप्त अङ्क विवरण

| क्र.स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| १ | शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धताअन्तर्गतका विभिन्न नीति, आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने (सूचक नं. १) | २ | २ | ३ | २ | ३ | ३ | ३ |
| २ | प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने दिगो विकासका लक्ष्य (sustainable development goal) अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने (सूचक नं. २) | २ | २ | ३ | २ | ३ | ३ | ३ |
| ३ | विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन व्यवस्था प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने (सूचक नं. ४) | २ | | ३ | २ | १ | २ | ३ |
| ४ | प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने (सूचक नं. ७) | ० | ३ | ३ | २ | ३ | ३ | |
| ५ | प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने (सूचक नं. ९) | ० | २ | २ | २ | २ | १ | ० |
| ६ | प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने (सूचक नं. १०) | ३ | १ | ३ | १ | १ | २ | ३ |
| ७ | विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक छनोट र अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षासम्बन्धी शिक्षक | २ | २ | ३ | ३ | २ | २ | ३ |

| क.स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| | सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरू सम्पादन गर्ने मिलाउने (सूचक नं. १२) | | | | | | | |
| ८ | प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने (सूचक नं.२०) | २ | १ | १ | १ | १ | १ | १ |
| ९ | सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशभित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अद्यावधिक गर्ने (सूचक नं. २४) | ० | १ | ३ | २ | १ | ३ | ३ |
| १० | विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने (सूचक नं. २५) | १ | ३ | १ | २ | ० | ० | ० |
| ११ | सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षासम्बन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्दान्त कार्यान्वयन गर्ने (सूचक नं. २६) | ३ | | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ |
| १२ | प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण (audit) कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने (सूचक नं .२८) | १ | | १ | १ | ० | ० | |
| १३ | अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम प्रदेशभित्र | ० | १ | ३ | ३ | ३ | १ | ३ |

| क.स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| | बाँकी रहेका निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने (सूचक नं .२९) | | | | | | | |
| १४ | राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। (सूचक नं.३०) | ३ | १ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ |
| १५ | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलगायत कानुनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्य सम्पादन गर्ने। (सूचक नं. ३१) | २ | २ | ३ | २ | ० | १ | ३ |
| १६ | प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने (सूचक नं. ३२) | ० | | १ | १ | ३ | | २ |
| १७ | सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएका अन्य कार्य गर्ने (सूचक नं. ३३) | ३ | १ | ३ | २ | ३ | २ | ३ |
| | जम्मा (५१ पूर्णाङ्कमा) | २६ | २२ | ४२ | ३४ | ३२ | ३० | ३६ |

तालिका नं ३५ मा उल्लेख भएका १७ सूचकको हकमा पनि केही सूचकमा केही प्रदेशको हकमा परीक्षकले अङ्क दिएको देखिँदैन। त्यस्तै गरी एकीकृत प्रतिवेदनमा अङ्क समावेश नगरिएका १६ सूचकमध्ये १३, १४, र १५ मा कुनै पनि परीक्षकबाट अङ्क प्रदान गरिएको छैन भने बाँकीका हकमा केही परीक्षकबाट केही सूचकहरूमा अङ्कन गरिएको देखिन्छ। यस सम्बन्धी विवरण र वर्णन तलका तालिका नं ३६, ३७ र ३८ मा देखाइएको छ।

तालिका ३६: *कार्यविवरणका सूचकमा प्राप्त अङ्क (एकीकृत प्रतिवेदनमा समावेश नभएका)*

| क. स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| १ | प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास | ३ | | ३ | १ | ३ | | |

| क्र. स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| | मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने (सूचक नं .३) | | | | | | | |
| २ | प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने (सूचक नं .५) | | | ३ | २ | | | |
| ३ | शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने (सूचक नं .६) | | | ३ | १ | | | |
| ४ | शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने (सूचक नं. ८) | | १ | ३ | ३ | १ | २ | |
| ५ | प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यक्ता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने (सूचक नं. ११) | | | | १ | | | |
| ६ | शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने (सूचक नं. १६) | | | १ | | | | |
| ७ | शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीनलगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने (सूचक नं. १७) | | | ३ | २ | | | |
| ८ | प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने (सूचक नं. १८) | | | २ | २ | | | |
| ९ | सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि | | | १ | | | | |

| क्र. स. | सूचक | परीक्षकबाट प्रदान गरिएको अङ्क विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
| | स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने (सूचक नं. १९) | | | | | | | |
| १० | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने (सूचक नं. २१) | २ | | ३ | २ | १ | | |
| ११ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रबृत्तिको नियमन गर्ने (सूचक नं. २२) | | | ३ | २ | | | |
| १२ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने (सूचक नं. २३) | | | १ | १ | | | |
| १३ | साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने गर्ने (सूचक नं. २७) | ३ | | | | | | ३ |

एकीकृत प्रतिवेदनमा अङ्क भार मापनका लागि छनोट गरिएका १७ सूचकमध्ये अङ्क प्रदान नगरिएका विषयको कारण तालिका नं ३७ मा उल्लेख गरिएको छ।

*तालिका ३७: छनोट भएका सूचकमा अङ्कन नगरिएको विवरण र सोको पुष्टयाइँ*

| सूचक नं | अङ्क नपाउने प्रदेश र सो विषयमा परीक्षकको पुष्टयाइँ |
|---|---|
| ४ | मधेशः प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग सम्बन्धित नभएको र यस सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको। |
| ७ | सुदुरपश्चिमः मन्त्रालय आफैंले यो विषयमा कार्यसम्पादन गरिरहेको र निर्देशनालयलाई कुनै भूमिका, कार्यक्रम, बजेट र अख्तियारी प्रदान नगरेको। |
| २६ | मधेशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फैसला भई निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा नआएको। |
| २८ | मधेशः शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन भई आएमा मात्र गर्न सकिने, हाल यो व्यवस्था नभएकोले निर्देशनालयसँग सम्बन्धित देखिएन।<br>सुदूरपश्चिमः शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले यस सम्बन्धी कामका लागि कुनै निर्देशिका वा मापदण्ड नबनाएको र केन्द्रबाट सम्पादन हुने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणका काममा निर्देशनालयलाई संलग्न गराउने नगरेको |
| ३२ | मधेशः तालिम केन्द्र निर्देशनालय अन्तर्गत नरही समानान्तर निकायको रूपमा रहेकोले अनुगमन गर्ने अधिकार नितीगत रूपमा नरहेको |

| | |
|---|---|
| | कर्णाली: यो सूचक लागु नहुने (Not Applicable) |

एकीकृत प्रतिवेदनमा अङ्कभार गणना नगरिएका तर परीक्षकले तालिका नं ३६ मा उल्लेख भएबमोजिम अङ्क दिएका सूचकमा अङ्क प्रदान गरिएको कारण तथा आधारसम्बन्धी परीक्षकको पुष्ट्याइँ तल तालिका नं ३८ मा दिइएको छ।

तालिका ३८: छनोटमा नराखिएका सूचकमा परीक्षकले प्रदान गरेको अङ्को पुष्ट्याइँ विवरण

| सूचक नं | अङ्क पाउने प्रदेश र सोसम्बन्धी परीक्षकको पुष्ट्याइँ विवरण |
|---|---|
| ३ | कोशी: प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहेको, नीति निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरेको।<br>बागमती सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएका सबै विषयमा सहयोग पुऱ्याएको।<br>गण्डकी: मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएका एक विषयमा सहयोग पुऱ्याएको।<br>लुम्बिनी: मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएका सबै विषयमा सहजीकरण गरेको। |
| ५ | बागमती: कार्यान्वयनमा आई नियमन तथा अनुगमन भएको पाइएको<br>गण्डकी: कार्यान्वयनमा आएको। नियमनको विषय यसको क्षेत्रमा नपारिएको। |
| ६ | बागमती अनुमति पाएका सबै कार्यक्रमको मन्त्रालयमार्फत अनुगमन भइरहेको।<br>गण्डकी: प्रक्रियाअगाडि बढी मस्यौदा तयार भई निर्णयका लागि राय प्रक्रियामा रहेको। |
| ८ | मधेश: प्रदेश शिक्षाको नीति निर्माणमा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिवले सदस्य सचिव भई काम गरेको देखिएको।<br>बागमती चारभन्दा बढी नीति तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरेको पाइएको<br>गण्डकी: चार भन्दा बढी नीति तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरेको। प्रदेश शिक्षा नीति जारी तथा शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको।<br>लुम्बिनी: दुईओटा नीति तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी काममा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको। परीक्षणको क्रममा शिक्षामा दलित सहभागिता र प्रादेशिक आवधिक योजना तर्जुमाका विषयमा छलफलको आयोजना भई रहेको पाइएको।<br>कर्णाली: लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८, कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति २०८० र प्रारम्भिक बालविकास रणनीति कर्णाली प्रदेश (२०७९-२०८३) को मस्यौदा तयारीमा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको। |
| ११ | गण्डकी: कार्यदल बनाई जिम्मेवारी तोकिएको। मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा एकपटक विकास भएको तर अद्यावधिक नभएको। |
| १६ | बागमती कारण प्रस्ट नभएको |
| १७ | बागमती अनुसन्धान र अध्ययनमा आधारित भई नीतिगत मार्गदर्शन तयारी गरिएको पाइएको। |

| सूचक नं | अङ्क पाउने प्रदेश र सोसम्बन्धी परीक्षकको पुष्ट्याइँ विवरण |
|---|---|
| | गण्डकीः शिक्षा तालिमकेन्द्रमार्फत कार्य सम्पादन भएको। नीतिगत मार्गदर्शन तयारी र स्वीकृति नभएको (शसर्त अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई PIM ले मार्ग निर्देश गर्ने)।प्रदेशको आफ्नै कार्यक्रमको हकमा "कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड" स्वीकृत गर्ने गरिएको। |
| १८ | बागमती पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमध्ये कुनै एक निर्माण तथा स्वीकृती गरी वितरण गरेको पाइएको<br>गण्डकीः स्थानीय पाठ्यक्रम/सामग्री निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गरिएको। आधारभूत मानवीय सिप विकास पाठ्यक्रम विकास। 'Friday for Future' पाठ्यक्रम वा Activities Guideline तयारीमा सहयोग। |
| १९ | बागमती कारण प्रस्ट नभएको। |
| २१ | कोशी कम्तीमा एक नीति निर्माणमा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको। मन्त्रालयमा नीति सम्बन्धी ड्राफ्ट पेस भई सकेको, स्वीकृति हुन बाँकी।<br>बागमती दुई वा दुई भन्दा बढी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको।<br>गण्डकीः कम्तीमा एक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको। TVET Profile तयारी, गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ स्वीकृत भएको।<br>लुम्बिनीः नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयसँग समन्वय मात्र गरेको। परीक्षणको क्रममा शिक्षामा दलित सहभागिता र प्रादेशिक आवधिक योजना तर्जुमाका विषयमा छलफलको आयोजना भई रहेको पाइएको। |
| २२ | बागमती स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम सबै स्थानीय तहमा नियमन गरिएको।<br>गण्डकीः सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति (प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति अनुदान) कार्यान्वयन, स्थानीय तह स्तरमा नियमन नभएको। |
| २३ | बागमती मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको पाइएको।<br>गण्डकीः सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति (प्राविधिक विषयमा छात्रवृत्ति अनुदान) कार्यान्वयनमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको। |
| २७ | कोशीः निजामति आवासीय विद्यालयको विनियम निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता लगायतका तोकिएका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरेको।<br>सुदूरपश्चिमः निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सोहीबमोजिम निर्देशनालयबाट कार्य सम्पादन भइरहेको। |

परीक्षण साधनको भाग १ मा रहेका कुल ३३ ओटा कार्यविवरणसँग सम्बन्धित सूचकमध्ये कुन प्रदेशमा कतिओटा सूचकको प्रयोग भयो र कतिवटाको प्रयोग भएन भन्ने सङ्ख्यात्मक विवरणको सारांश तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। यसका कारणहरूबारे भने माथिल्ला खण्डहरूमा चर्चा भइसकेको छ।

*तालिका ३९: प्रदेशगत रूपमा मापनमा प्रयोग गरिएका र नगरिएका सूचकको सारांश विवरण*

| प्रदेश | मापनमा प्रयोग गरिएका सूचक सङ्ख्या र प्रतिशत | मापनमा प्रयोग नगरिएका सूचक सङ्ख्या र प्रतिशत |
|---|---|---|
| कोशी | २१ (६३.६४%) | १२ (३६.३६%) |
| मधेश | १५ (४५.४५%) | १८ (५४.५५%) |
| बागमती | २८ (८४.८९%) | ५ (१५.१५%) |
| गण्डकी | २७ (८१.८२%) | ६ (१८.१%८) |
| लुम्बिनी | २० (६०.६१%) | १३ (३९.३९%) |
| कर्णाली | १७ (५१.५२%) | १६ (४८.४८%) |
| सुदूरपश्चिम | १६ (४८.४८%) | १७ (५१.५२%) |

माथिका तालिकाहरूले मापन गर्ने अवस्थाले धेरै कुरा प्रतिबिम्बन गर्छ जस्तो कि निर्देशनालयले कार्य विवरणलाई कत्तिको ध्यान दिएको छ। उसको सक्रियता कस्तो छ, मन्त्रालय र निर्देशनालयको समन्वय, सम्वाद र सहकार्य कत्तिको प्रभावकारी छ आदि। नियमित सम्पर्क सहभागिताका विषयमा निर्देशनालय र मन्त्रालयको अवस्थितिको दुरी पनि सहजताको कारण वा बाधक बन्न सक्छ भन्ने पनि देखाउँछ। उदाहरणका लागि प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने सूचक ३ का विषयमा माथिका तालिकाको अध्ययनबाट निर्देशनालयहरूले प्राप्त गरेका कार्यदिशबमोजिमको कार्यसम्पादनस्तर बापत प्राप्त अङ्कबिचमा ठुलो अन्तर छ भन्ने देखिन्छ।
तसर्थ, सूचकका प्राप्ताङ्कको विश्लेषण गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने कार्यविवरण र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यसम्पादन मापनको पाटोमा यी विषयहरू विचारणीय छन्।

१. कार्यदिशमा उल्लेख भएका सबै काम निर्देशनालयले गर्न सकेका छैनन्, यसमा केही आन्तरिक कारण होलान् तर मूल रूपमा हेर्दा सङ्गठनभित्रको भन्दा बाहिरको परिस्थितिगत कारणले गर्दा सङ्गठनको कामलाई प्रभावित गरेको देखिएको छ।
२. निर्देशनालयको कार्यदिशमा परेका काममध्ये केही काम सङ्घीय सरकारका निकायहरूले आफैं सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था पनि देखिएको छ। परीक्षणका लागि तयार पारिएको सूचकको भाग-१ मा उल्लेख भएका विषय निर्देशनालयलाई तोकिएका कार्यविवरणको आधारमा तयार पारिएको भएतापनि कार्यविवरणमा भएका कतिपय विषयहरू अहिले पनि शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ र अन्य कानुनी प्रबन्धका हिसाबलेबमोजिम सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका विभागीय निकायबाट नै सम्पादन भइरहेको अवस्था देखिएकोले ती सूचकहरूमा मापन गर्नसक्ने अवस्था नरहनु स्वभाविकै हो। जस्तै, शिक्षकको निवृत्तिभरण तथा सेवा निवृत्त हुँदा पाउने अन्य सुविधाको विषय, तलबी विवरण प्रतिवेदन पास गर्ने विषय, वा शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने विषय निर्देशनालयको कार्यविवरणमा परे पनि पूर्ण जिम्मामा आउन सकेको छैन र सो काम सङ्घीय स्तरको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मार्फत हुँदै आएको अवस्था छ। त्यस्तै, सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने पाठ्यसामग्रीको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुँदै आएका कारणले गर्दा यस्ता विषय कार्यविवरणमा परे पनि जिम्मामा आइसकेको देखिन्न।

३. कतिपय अवस्थामा सेवाको नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रदेशस्तरका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले आफैं स-साना  कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्नेतिर लाग्दा कार्यविवरणले दिएको निर्देशनालयको भूमिका समेत सङ्कुचन हुन पुगेको छ।
४. कतिपय अवस्थामा निर्देशनालयको कार्यविवरणमा परेका कतिपय काम गर्ने गरी समानान्तर जस्ता देखिने सङ्गठन प्रदेशबाट सिर्जना भएका कारणले समेत निर्देशनालयको भूमिका सीमित भएको छ। यति मात्र होइन, यस्ता सङ्गठनले निर्देशनालयलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रकारको सम्बन्ध कायम नभएका कारणले निर्देशनालयको भूमिका वृहत् शैक्षिक उद्देश्यका निमित्त आफू र सम्बद्ध संरचनालाई परिचालन गर्ने प्रकृतिको नभई, मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई आफ्ना जिम्मामा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कुनै 'कार्यालय' स्तरको सङ्गठनको तहमा सीमित हुन पुगेको जस्तो देखिएको छ।
५. निर्देशनालयलको जिम्मामा आउने कार्यक्रम पनि हरेक वर्ष एकैनास नहुँदा वर्षभरिमा गरिनुपर्ने कामका बारेमा सुरुमा यकिन हुन सजिलो नहुनु, निर्देशनालय आफैंले तय गरेका कार्यक्रम पनि एकैनासे नहुने र अन्य निकायबाट प्रत्यायोजन भई आउने कामको पनि पूर्वानुमान सहज नहुने कारणले पनि कार्यविवरणको मर्म अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा केही समस्या हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
६. निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध र दुरिलेसमेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। खासगरी, कोशी र सुदूरपश्चिममा निर्देशनालय र मन्त्रालयको भौगोलिक रूपमा टाढा परेका कारणले समेत नियमित छलफल, सहभागिता, सहयोग आदान-प्रदान हुन कठिनाइ हुने र कतिपय काम मन्त्रालयस्तरबाट नै हुने अवस्थाले निर्देशनालय अनभिज्ञ रहने स्थिति रहेको समेत देखियो। यस्तो भौगोलिक परिस्थितिजन्य कारण र आपसी सम्बन्धका कारणले निर्देशनालयको भूमिका निर्धारण र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पारेको देख्न  सकिन्छ।
७. कार्यसम्पादन मापनको पाटोबाट हेर्दा पनि कतिपय अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पनि सो को अभिलेखन ठिकसँग नभएका कारणले प्राप्ताङ्कलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। जस्तै, सूचक ७ मा "प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने" रहेअनुसार सो व्यवस्थापन भएर पनि अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थित भए मात्र पूर्ण प्राप्ताङ्क पाउन सक्ने व्यवस्था परीक्षण साधनमा गरिएको छ। यसप्रकार, काम सम्पन्न भएर पनि उचित अभिलेखनको अभावमा कार्यसम्पादन नतिजाको स्तर कमजोर देखिन पुगेको छ।

सङ्गठनको कार्यविवरणले उसको अस्तित्वको औचत्यलाई पुष्टि गर्न सहयोग गर्छ, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दछ र सङ्गठनको संरचना कस्तो हुने, कस्ता जनशक्ति चाहिने भन्ने समग्र सङ्गठनको स्वरुपको निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने मान्न सकिन्छ। तर, औपचारिक रूपमा प्राप्त कार्यविवरण र वास्तविक रूपमा व्यवहारमा अभ्यास गरिएको कार्यविवरण एकै नहुन पनि सक्छ। कहिले, सो कार्यविवरणमा विस्तार भएको हुनसक्छ, कहिले संकुचन। यसलाई सङ्गठन भन्दा बाहिरको पर्यावरण र सङ्गठन भित्रको स्वार्थ, उत्प्रेरणा, अन्य अवसर जस्ता विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको हुन सक्छ।

बाह्य वातावरणको कुरा गर्दा सो सङ्गठनले उत्पादन र प्रवाह गर्ने सेवा र सो सेवाप्राप्तिको निमित्त बाह्य दबाब के कति छ भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ। सेवाप्राप्तिको माग कमजोर हुँदा सार्वजनिक लगानीको बाध्यता कमजोर हुन सक्छ। अथवा, सो सङ्गठनको अपरिहार्यताले सङ्गठनको जीवनको निरन्तरताका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान गर्छ। सामान्यतया कार्यविवरण प्रष्ट हुने कारणले सार्वजनिक सङ्गठनले

काममा एकाधिकार हासिल गर्ने गर्दछन् र तिनले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। तर, कतिपय अवस्थामा कुनै काममा स्रोत र पहिचान वा अन्य आकर्षण सँगै जोडिएर आउने कारणले केही काम मिल्ने अन्य सङ्गठनले समेत सो विषयमा रुचि देखाउने, सो काम आफूतिर तान्ने प्रयत्न गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसर्थ, सो सँग सम्बन्धित काम गर्ने अन्य निकायहरू, अन्तर-निकाय सम्बन्ध, अन्य निकाय मार्फत कार्यसम्पादनको सम्भावना र ती बाह्य सङ्गठन संरचनाको संलग्नताको रुचि र त्यसको प्रतिफल स्वरूप हुनसक्ने अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा समेत सङ्गठन जीवनमा धेरथोर, प्रकट वा अप्रकट रूपमा देखापर्ने विषय हुन्।

सङ्गठनको बाह्य पर्यावरणको अतिरिक्त आन्तरिक पक्षहरूले समेत कार्यविवरणको विस्तार र संकुचनलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै कार्यसँग जोडिएको प्रोत्साहनको स्वरूप र सघनता, जनशक्ति र कामको चापको अवस्था, नेतृत्वले देखाउने कुनै खास काम प्रतिको प्राथमिकताजस्ता संरचनागत र व्यवहारिक पक्षहरूले समेत कार्यविवरणको व्यवहारमा रुपान्तरण कुन रूपमा र कसरी हुने गर्छ भन्ने विषय प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ। शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त कार्यविवरणका सन्दर्भमा समेत यी विषयले प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यी विविध पक्षलाई दृष्टिमा राखेर कार्यसम्पादनलाई विश्लेषण गर्न उचित हुने देखिन्छ। यी विषयका अतिरिक्त सार्वजनिक सङ्गठनका ऐतिहासिक आधारहरू समेत हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा विगतमा एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाका बखत मुलुकलाई विकास क्षेत्रहरूमा बाँडिएको र सो सन्दर्भमा हरेक विकास क्षेत्रमा रहने गरेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्दै आएका कतिपय काम वर्तमानको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई ऐतिहासिक विरासतका रूपमा प्राप्त हुन आएको छ। जस्तैः शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने कार्यहरू, शिक्षक अवकाश आदि। यसले सरोकारवालाले हेर्ने दृष्टिकोण र अपेक्षा, सेवाको निरन्तरता जस्ता विषयलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यस सङ्गठनको औपचारिक कार्यविवरण तथा वास्तविक कार्य सम्पादनबिचको अन्तरलाई समेत व्याख्या गर्न, र सङ्गठनको प्रभावकारिताबारेमा निर्णय निर्माण गर्न दरिलो आधार प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

कुनै पनि संस्थाको कार्य विवरणमा उक्त संस्थाले साल बसाली रूपमा गर्ने काममात्र नभएर दीर्घकालमा गर्नुपर्ने वा आइपर्ने सम्भाव्य कामहरू समेतलाई समेटिएको हुन्छ। यो विषय शिक्षा विकास निर्देशनालयको हकमा पनि लागु हुने हो। तसर्थ, कार्यविवरणमा उल्लेख भएका सबै ३३ ओटै कामहरू प्रत्येक वर्ष अटुट रूपमा गरिन्छ वा गर्नै पर्छ वा गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै एक वर्ष शिक्षा नीति तर्जुमा भयो भने अरु केही वर्ष सो सम्बन्धी काम गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ। त्यसकारण, कार्यविवरणमा परेका हरेक कार्यक्रम हरेक वर्षको कार्यक्रममा नपर्नु अस्वाभाविक होइन। परीक्षणका निमित्त तयार गरिएको मार्गदर्शनले पनि हरेक वर्ष सो कार्यक्रम परोस् भन्न खोजेको नहुन पनि सक्छ। कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि कार्यविवरणलाई वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ख्याल गरियो गरिएन? कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट सङ्गठन विमुख त भएन? वा त्यसका कारण कुनै खास समुदाय विशेषको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था त आएन? तोकिएको अर्थात् सङ्गठनको जिम्माको मूल कार्यभारलाई भन्दा कम महत्त्वपूर्ण त छैन? भनेर आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्र प्रति सदैव सचेत होस् भन्ने उद्देश्य राखेर कार्यविवरण र कार्यक्रमको तालमेल सुनिश्चित गर्न खोज्नु कार्यसम्पादन परीक्षणका सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुनसक्छ। यसरी हेर्दा कार्यविवरण र कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यसम्पादन परीक्षणका अवधारणा तथा तिनको व्यवहारिक अभ्यासबिचमा केही असङ्गति जस्तो देखिन गएको छ। सङ्गठनको मूल ध्येयलाई शिरोपर गरी कार्यविवरण

मध्ये प्रत्येक वर्षको कार्यसम्पादनमा निश्चित सङ्ख्यामा कामहरू छनोट गरी प्राथमिकताका साथ वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने विकल्प समेत उपयुक्त देखिन सक्छ।

अङ्कन गर्दा सबै सूचकमा समान अङ्कभार कायम गर्दा अभ्यासमा सहजता हुने देखिए तापनि सो सङ्गठनको जीवनमा कामको महत्त्व, सेवाग्राहीको अपेक्षा र सो को सम्बोधनको विषय, त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने समय र स्रोत जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर अङ्कभार फरक गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषय पनि पक्कै मननीय छन्। शिक्षाको रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन जस्तो वृहत् विषय र जनशक्ति विकास जस्तो संवैधानिक रूपमा प्रदेशलाई प्राप्त जिम्मेवारीको सफल कार्यान्वयनले प्रदेशको शिक्षा अवस्थालाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्नसक्छ र यस्ता विषयले पक्कै पनि विशेष महत्त्व पाउनुपर्ने हुन सक्छ। तर, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले तोकिएका काम बाहेकका काम गर्ने वा राय माग गरेका विषयमा राय दिनेमा पनि समान ढङ्गले अङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्राललयले अरू काम लगाउन आवश्यक ठानेन वा राय माग गरेन भने निर्देशनालयले कार्यसम्पादन नगरेमा नम्बर नदिने व्यवस्था परीक्षण साधनमा रहेको छ। यसले भविष्यमा परीक्षणलाई सङ्गठनलाई मूल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर र कामको महत्त्वलाई समेत ध्यानमा राखेर प्राथमिकतासाथ काम गर्न प्रेरित गर्न परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ। यस क्रममा, परीक्षणलाई मुख्य जिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रित गर्ने गरी सीमित सङ्ख्यामा सूचकहरू राखेर वा महत्त्वअनुसार सूचकमा फरक अङ्कभार कायम गरी मूल उद्देश्यमा जोड दिन प्रेरित गर्ने विकल्पहरू समेत छनोट गर्न सकिने देखिन्छ। त्यस्तै, परीक्षणलाई स्व-मूल्याङ्कन र बाह्य परीक्षक मार्फत परीक्षण गर्ने गरी दुई चरणमा विभाजन गर्दा त्यसले सङ्गठनको आन्तरिक कार्यप्रक्रियामा सुधार गर्न सहयोग गर्नुका साथै बाह्य परीक्षणको प्रक्रियामा कुशलता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

## ३.२ भाग-२ को कार्यक्रमको सामान्य अवस्थाको विश्लेषण

दिइएको साधनको भाग-२ खण्डमा मूलतः दुई विषयक्षेत्र रहेका छन्।

१. प्रदेश अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

२. सङ्घीय ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू

यी दुवैमा चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू रहेका छन। स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षकगत विषयलाई सूचकमा रूपान्तरण गरिएको हुनाले भाग-२ को सूचकका साथ साथै कार्यसम्पादनमा धेरै कुरामा प्रदेशगत विविधता देखिन्छ। कर्यक्रमको सङ्ख्या फरक छ, कुनैमा थोरै सङ्ख्यामा र कुनै प्रदेशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कार्यक्रम रहेको देखिन्छ। हरेक कार्यक्रमलाई बराबर भार दिने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेशले (क) सूचना सञ्चार गरे नगरेको पारदर्शिताको मापन गर्ने, (ख) कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना भए नभएको, (ग) विधि सम्मत निर्णय प्रक्रियाको अबलम्बन गरे नगरेको, (घ) कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात अनुगमन/ मूल्याङ्कन गरे नगरेको, र (ङ) प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरे नगरेको भन्ने पाँच ओटा आधारमा, प्रत्येकमा एक एक अङ्कका दरले प्रति कार्यक्रम पाँच अङ्क पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ। पुँजीगत प्रकृतिका धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र सामान्य खर्च लेख्ने प्रकृतिका

कार्यक्रममा छुट्याउने व्यवस्था नभएका कारणले कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राप्त गरेको अङ्कले सो निर्देशनालयले गरेको प्रयत्न वा उपलब्धिलाई यथार्थ रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ।

### ३.२.१. प्रदेशगत र सूचकगत अङ्कनको विवरण

भाग-२ को कार्यक्रमगत सूचकमा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले प्राप्त गरेको अङ्क विवरणलाई तलको तालिकामा देखाइएको छः

*तालिका ४०: भाग-२ का सूचकहरूमा परीक्षकले प्रदान गरेको कुल अङ्कको विवरण*

| प्रदेश | सूचक सङ्ख्या | पूर्णाङ्क | कुल प्राप्ताङ्क | प्राप्ताङ्क प्रतिशतमा |
|---|---|---|---|---|
| कोशी | १५ | ७५ | ३५ | ४६.६७ |
| मधेश | २६ | १३० | ५० | ३८.४६ |
| बागमती | ४४ | २२० | १९१ | ८६.८२ |
| गण्डकी | २९ | १४५ | १०२.५ | ७०.६९ |
| लुम्बिनी | ३८ | १९० | १०३.५ | ५४.४७ |
| कर्णाली | ८८ | ४४० | ३६९ | ८३.८६ |
| सुदूरपश्चिम | ५२ | २६० | २५०.५ | ९६.३५ |

माथिको तालिकाअनुसार प्रदेशगत रूपमा कार्यक्रमको सङ्ख्यामा ठुलो अन्तर हुनुका साथै कार्यक्रममा मापन गरिएको प्राप्ताङ्क प्रतिशतका आधारमा पनि धेरै ठुलो अन्तर देखिन्छ। यसमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको देखिन्छ। गण्डकी र लुम्बिनीको अवस्था ५० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतको बिचमा रहेको छ भने कोशी र मधेशको प्राप्ताङ्क ५० प्रतिशत भन्दा तल रहेको देखिन्छ।

माथि उल्लेख गरिएको अवस्थालाई चालु खर्चका कार्यक्रम र पुँजीगत खर्चका कार्यक्रमका आधारमा छुट्याएर हेर्दा देखिने अवस्थालाई तल तालिका ४१ मा देखाइएको छ।

*तालिका ४१: भाग-२का सूचकहरूमा चालु र पुँजीगत खर्चका कार्यक्रमका आधारमा प्राप्ताङ्कको वितरण*

| प्रदेश | चालु खर्चतर्फका कार्यक्रमहरू | | | पुँजीगत खर्चतर्फका कार्यक्रमहरू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | प्राप्ताङ्क प्रतिशतमा | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | प्राप्ताङ्क प्रतिशतमा |
| कोशी | ५५ | २० | ३६.३६ | २० | १५ | ७५.० |
| मधेश | १३० | ५० | ३८.४६ | - | - | - |
| बागमती | २२० | १९१ | ८६.८२ | - | - | - |
| गण्डकी | ९० | ७२.५ | ८०.५६ | ५५ | ३० | ५४.५५ |
| लुम्बिनी | १७५ | ८८.५ | ५०.५७ | १५ | १५ | १००.० |
| कर्णाली | २९० | २४४ | ८४.१४ | १५० | १२५ | ८३.३३ |
| सुदूरपश्चिम | २२० | २१२.५ | ९६.५९ | ४० | ३८ | ९५.० |

### ३.२.२. प्रदेशगत खुद प्राप्ताङ्कको विश्लेषण

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको मार्गदर्शनले निर्देशनालयअनुसार कार्यक्रमको सङ्ख्या फरक फरक हुने भएकोले तुलनात्मक रूपमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबिच प्राप्ताङ्कमा भिन्नता देखाउने अभिप्रायले जम्मा प्राप्ताङ्कमा तलको सूत्रअनुसार थप अङ्क जोडी खुद प्राप्ताङ्क निकाल्ने व्यवस्था छ।
*खुद प्राप्ताङ्क= जम्मा प्राप्ताङ्क + (पूर्णाङ्क (५) प्राप्त गरेका कार्यक्रमको सङ्ख्या ÷ ५)*

कुल कार्यक्रम सङ्ख्या र कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा उल्लिखित सूत्र प्रयोग गरी खुद प्राप्ताङ्क निकाल्दा देखिन आउने प्रदेशगत स्थिति तलको तालिकाहरूमा देखाइएको छ।

*तालिका ४२: कुल कार्यक्रममा खुद प्राप्ताङ्कको स्थिति*

| प्रदेश | कार्यक्रमको सङ्ख्यात्मक विवरण | | | | प्राप्ताङ्कसम्बन्धी विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जम्मा | शून्य अङ्क पाउने | आंशिक अङ् पाउने | पूर्णाङ्क पाउने | परीक्षकले दिएको | थप पाउने अङ्क | खुद प्राप्ताङ्क |
| कोशी | १५ | ७ | ३ | ५ | ३५ | १ | ३६.० |
| मधेश | २६ | १२ | ११ | ३ | ५० | ०.६ | ५०.६ |
| बागमती | ४४ | १ | १७ | २६ | १९१ | ५.२ | १९६.२ |
| गण्डकी | २९ | ८ | ५ | १६ | १०२.५ | ३.२ | १०५.७ |
| लुम्बिनी | ३८ | १४ | १६ | ८ | १०३.५ | १.६ | १०५.१ |
| कर्णाली | ८८ | १२ | १९ | ५७ | ३६९ | ११.४ | ३८०.४ |
| सुदूरपश्चिम | ५२ | १ | ८ | ४३ | २५०.५ | ८.६ | २५९.१ |

माथि दिएका तालिकाको आधारमा अन्तर निकाय तुलनामा भने धेरै जटिलता देखिएका छन्। कुनै प्रदेशले चालुखर्चअन्तर्गत तलबभत्ता वितरण जस्ता विषयसमेत कार्यक्रममा समावेश गरेर सो सम्पन्न गरेबापत अङ्क हासिल गर्ने, कसैले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमलाई टुक्रयाएर अलग अलग शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत गराउने र कसैले एकमुष्ट कार्यक्रम राखे त्यस्तै पुँजीगत कार्यक्रमको हकमा कुनैमा अर्को निकायले गर्ने, कुनैमा समान्य थौरै रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम हुने र कुनैमा धेरै लागत भएका जटिल प्रकृतिका कामहरू हुनु र अन्यले फरक रूपमा हेर्ने कारणले तुलनीयताबारे विशेष होसियारी जरूरी छ।

निर्देशनालयगत पूर्णाङ्कमा नै ठुलो फरक हुनु नै यस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण रहेको देखिन्छ। साथै धेरैओटा कार्यक्रम राख्नुलाई निर्देशनालयले गरेको अतिरिक्त मेहनतका अर्थमा लिएर त्यसलाई गणना गरी अङ्कमा समावेश गर्न चाहेको देखिए पनि यसको सही अर्थ आएको नदेखिएकाले सामान्य संशोधनसहित तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसो गर्दा, पूर्णाङ्कमा भएको फरकलाई सम्बोधन गर्दै थप मेहनतलाई समेत अङ्क दिने गरी खूद प्राप्ताङ्कको सूत्रमा देहायअनुसार सामान्य संशोधन गरिएको छः
खुद प्राप्ताङ्क = [(कुल प्राप्ताङ्क)/कार्यक्रम सङ्ख्या] +(पूर्णाङ्क (५) प्राप्त गरेका कार्यक्रमको सङ्ख्या/ कुल कार्यक्रम)
यसप्रकार संशोधन गर्दा तालिकामा देखिएको असामान्य फरकलाई व्याख्या गर्न सकिने तहमा रुपान्तरण हुने देखिन्छ। यसलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ।

तालिका ४३: कुल कार्यक्रममा खुद प्राप्ताङ्कको स्थिति (रुपान्तरित तालिका)

| प्रदेश | कार्यक्रमको सङ्ख्यात्मक विवरण | | | | प्राप्ताङ्कसम्बन्धी विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जम्मा | शून्य अङ्क पाउने | आंशिक अङ् पाउने | पूर्णाङ्क पाउने | परीक्षकले दिएको अङ्क | थप पाउने अङ्क | कुल प्राप्ताङ्क/ कार्यक्रम # | खुद प्राप्ताङ्क |
| कोशी | १५ | ७ | ३ | ५ | ३५ | ०.३३ | २.३३ | २.६६ |
| मधेश | २६ | १२ | ११ | ३ | ५० | ०.१२ | १.९२ | २.०४ |
| बागमती | ४४ | १ | १७ | २६ | १९१ | ०.५९ | ४.३४ | ४.९३ |
| गण्डकी | २९ | ८ | ५ | १६ | १०२.५ | ०.५५ | ३.५३ | ४.०८ |
| लुम्बिनी | ३८ | १४ | १६ | ८ | १०३.५ | ०.२१ | २.७२ | २.९३ |
| कर्णाली | ८८ | १२ | १९ | ५७ | ३६९ | ०.६५ | ४.१९ | ४.८४ |
| सुदूरपश्चिम | ५२ | १ | ८ | ४३ | २५०.५ | ०.८३ | ४.८२ | ५.६५ |

यस तालिकाले तुलनीयतामा केही सुधार गरे पनि कार्यक्रमलाई स-साना, र तलब भुक्तानी जस्ताबिना प्रयास उपलब्धि आउने बुँदा समेत समावेश गरेका कारणले प्राप्ताङ्कमा आउने ठुलो फरकलाई भने सच्याउन सक्ने देखिन्न। यसका निमित्त कुन् कुन् कार्यक्रमलाई अङ्कन प्रयोजनका लागि गणना गर्ने वा नगर्ने भनेर विवेकसम्मत निर्णय दिएपछि मात्र थप प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ। भावी दिनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता सफलता हासिल भए, के कस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पादन भए, दीर्घकालसम्म उपयोगी हुने गरी क्षमता निर्माण जस्ता संस्थागत आधार तयार गर्ने काम कति भए भनेर फरक प्रकारले विश्लेषण गर्ने गरी परीक्षण मार्गदर्शनलाई सुधार गर्न सकेमा प्रदेशको कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियाले समेत यसबाट लाभ लिन सक्ने र अन्ततः प्रदेशको शिक्षा सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ। अन्यथा, परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कनले भावी दिनमा शैक्षिक सुधारका लागि ठोस योगदान पुग्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन।

कार्यसम्पादन स्तर हेरेर के कति सुधार भयो भनेर हेर्न, सोही सङ्गठनको विगतको कार्यसम्पादन स्तर सँग तुलना गर्नुपर्नेमा यो पहिलो वर्ष भएकाले सो सम्भव भएन तर यसले आगामी वर्षका लागि एउटा बेन्चमार्कको काम गर्न सक्ने भने देखिन्छ।

मूलभूत रूपमा यी कार्यक्रमगत सूचकको मापनका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तयार पारेको अङ्कन निर्देशिकाका आधारमा गरिएको छ। सङ्घीय अनुदानको हकमा सङ्घीय कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/८१ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट र प्रदेश अनुदानको हकमा यसप्रकारको कार्यविधि माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकोले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लगायत प्रचलित कानुन र स्वीकृत गाइडलाइन तथा कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिएका विधि र प्रक्रियासँग अङ्कन निर्देशिका (रुब्रिक्स) दिइएका सूचकहरूको अङ्क मापनका आधारहरू नमिलेको तर निर्देशनालयबाट तोकिएका निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा उक्त सूचकका लागि प्रदान गरिने अङ्कमा परीक्षकगत विविधता हुनसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ।

निर्देशनालयको कार्यसम्पादनका कारण समग्र प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा, शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिमा, समताको प्रवर्धनमा, कुशलता र प्रभावकारिताको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा के कति योगदान पुग्यो भनेर भन्ने पर्याप्त सूचना उपलब्ध हुन सकेन। बहु निकायको प्रयत्नबाट हासिल हुने यी वृहत्तर नतिजाको प्राप्तिलाई कुनै एउटा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै भएको भनेर दाबी गर्न र पुष्टि गर्न सजिलो छैन। तर पनि, गरेका काम र तिनको बृहत् नतिजासँगको आबद्धतालाई सुनिश्चित गर्न सक्दा यस्ता परीक्षण कार्यक्रमको औचित्य स्थापित गर्न समेत मद्दत पुग्न सक्छ।

### ३.२.३. कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य सम्बन्धित विषयहरूको विश्लेषण

**वार्षिक प्रगति र कार्यसम्पादन परीक्षण**

माथि उल्लेख गरिएका कार्यक्रमको परीक्षणका नतिजालाई शिक्षा विकास निर्देशनालयका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरूलाई सम्बन्धित निर्देशनालयले समीक्षा अवधिमा वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको विवरणसँग जोडेर पनि हेर्न र बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय सुदूर पश्चिमको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बउशीनं ३५००१०११३/११४ कुल भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ भने परीक्षणमा आएको अङ्क ९६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

प्रदेश सरकारका समग्र वार्षिक स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमहरू र त्यसमध्ये शिक्षा विकास निर्देशनालयले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका कार्यक्रमहरूलाई निर्देशनालयको स्वीकृत कार्यविवरणसँग राखेर विश्लेषण गर्दा मूलतः प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्रालयको तीनओटा भूमिकाले निर्देशनालयका कामलाई खुम्च्याएको देखिन्छः (१) कतिपयमा मन्त्रालय आफैं सामाजिक विकास कार्यालहरू खोलेर निर्देशनालयको भूमिकालाई गौण पार्दै सिधै जिल्लासँग र स्थानीय तहसँग जोडिन खोजेको पाइन्छ, (२) दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति भएको देखिन्न, र (३) निर्देशनालयमार्फत् गर्ने गराउने भनी परिकल्पना गरिएका विषयमा पनि मन्त्रालय आफैं कार्यान्वयन तहमा गएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्ज भएका विद्यालयलाई अनुदान, आधारभूत विद्यालयमा नमुना बालमैत्री कार्यक्रम, प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई अनुदान जस्ता धेरै कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफैंले सञ्चालन गरेको वा कार्यक्रम र बजेट आफैंसँग राखेको देखिएको छ।

प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सम्पादन भएका र हुन नसकेका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा सबै निर्देशनालयले सम्पन्न गरेका माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्तमा हुने एसइइ परीक्षालगायत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रत्यायोजित कामहरू, शिक्षक सेवा आयोगको ७५% कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवालगायत अध्यापन अनुमति पत्र, अन्तर्वार्ता सञ्चालनलगायत अन्य प्रत्यायोजित कार्यहरू गरेका छन्। सूचकमासमेत भएका यी कामहरूबाहेक निर्देशनालयले सम्पादन गरेका र कार्यक्रम स्वीकृत गराएका तर वर्षभरिमा सम्पादन हुन नसकेका कामहरू मध्येबाट केही प्रमुख कामहरू उल्लेख गरिएको छ। सम्पादन भएका कामहरूमा पूर्णाङ्क वा सोभन्दा कम अङ्क पनि प्राप्त गरेको दुवै कामबाट लिइएको छ भने सम्पादन नभएका कामको हकमा परीक्षकले कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको रोहवरमा स्थलगत अवलोकनका क्रममा शून्य अङ्क दिएका कार्यक्रमहरूबाट मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू लिइएको छ। यसको विवरण तालिका ४४ मा दिइएको छ।

*तालिका ४४: सम्पादन भएका र नभएका मुख्य मुख्य वार्षिक कार्यक्रमहरू*

| प्रदेश | सम्पादन भएका मुख्य कार्यक्रमहरू | सम्पादन नभएका प्रमुख कार्यहरू |
| --- | --- | --- |
| कोशी | • बौद्धिक अपाङ्गता स्रोत कक्षामा रहेका बालबालिकाका लागि सिपमूलक तालिम<br>• स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतका लागि क्षमता विकास तालिम<br>• एसइइ परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया | • प्राविधिक धार सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका प्रशिक्षकका लागि पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण<br>• स्थानीय मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया<br>• उत्कृष्ट नतिजा भएका र सुधार गर्नुपर्ने माध्यमिक विद्यालयबिच अनुभव आदन प्रदान<br>• शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापन<br>• निजामती आवासीय विद्यालयको छात्रावास निर्माण |
| मधेश | • कक्षा १२ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ICT व्यवस्थापन<br>• दलित, विपन्न तथा जेहन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम<br>• मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानलाई सफल पार्न भर्ना अभियान र अनुगमन<br>• प्रदेशअन्तर्गत प्राविधिक विद्यालयलाई ICT तालिम<br>• निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालयहरूलाई AIVR Lab अनुदान | • प्रत्येक जिल्लामा एक एक ओटा नमुना विद्यालय विकास<br>• स्थानीय तहले छनोट गरेका बालविकास केन्द्रमा बालमैत्री शिक्षा विकास कार्यक्रम<br>• प्रदेशस्तरीय सभाहल (Auditorium) निर्माण<br>• दलित शिक्षा बीजक सहयोग कार्यक्रम (मुसहर, चमार, डोम, दुसाध, हलखोरका लागि)<br>• पिछडा वर्गहरूको हकहित संरक्षण एवम् सशक्तीकरण विशेष कार्यक्रम<br>• छात्राहरूका लागि लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा<br>• स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन<br>• सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्री, खेलकुद सामग्री र किट वितरण |
| बागमती | • माध्यमिक तहमा शून्य दरवन्दी भएका विद्यालयहरूलाई शिक्षण सिकाइ अनुदान<br>• स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति<br>• सामुदायिक पुस्तकालय सबलीकरण कार्यक्रम<br>• शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम<br>• नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम<br>• आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान<br>• माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान | • माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, उत्पादन र वितरण |

| प्रदेश | सम्पादन भएका मुख्य कार्यक्रमहरू | सम्पादन नभएका प्रमुख कार्यहरू |
|---|---|---|
| | • सामुदायिक क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम<br>• अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम | |
| गण्डकी | • शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन<br>• विद्यालयका असल अभ्यास प्रवर्धन<br>• अपाङ्ग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति<br>• कक्षा ८-१० मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन<br>• स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण | • शैक्षिक प्रदर्शनी<br>• एसइइ परीक्षा प्रयोजनका लागि सर्भर सिस्टम सेटअप, नेटवर्किङ र हेभीड्युटी प्रिन्टर व्यवस्थापन (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट अधिकार प्रत्यायोजनको कार्य हुन नसकेका कारण सो खरिद र सिस्टम सेटअपको कार्यक्रम रोकिएको) |
| लुम्बिनी | • सामुदायिक विद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसमा कक्षा ११ र १२ तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कम्लरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रा र विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृति<br>• विद्यालयको कक्षाकोठा, शौचालय, घेराबारा निर्माण<br>• मापदण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालय निर्माण कार्यक्रम<br>• धार्मिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम<br>• सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण अनुदान | • प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका आङ्गिक शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग<br>• महिला विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण<br>• विशेष शिक्षा (अटिज्म विद्यालय) सहयोग कार्यक्रम<br>• समायोजन हुने विद्यालयलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा सहयोग कार्यक्रम<br>• विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम<br>• पुस्तकालयहरूलाई ई-लाइब्रेरीको रूपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम<br>• विज्ञान विषय पढाइ हुने ठूला विद्यालयहरूमा विज्ञान सामग्री सहयोग |
| कर्णाली | • दलित छात्रावास निर्माण<br>• चारकोठे भवन निर्माणः सात विद्यालयमा<br>• शारिरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय विरूद्धको तालिम<br>• एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष शिक्षा सञ्चालन विद्यालय शैक्षिक सामग्री अनुदान | • विज्ञान खोज तथा अनुसन्धान प्रोत्साहन कार्यक्रम<br>• प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम<br>• विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम<br>• एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण<br>• चारकोठे भवन निर्माणः दुई विद्यालयमा |

| प्रदेश | सम्पादन भएका मुख्य कार्यक्रमहरू | सम्पादन नभएका प्रमुख कार्यहरू |
|---|---|---|
| | • उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षणसंस्थाको सहकार्यमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम<br>• जिल्लास्तरमा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम<br>• प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति (तीनवर्षे डिप्लोमा/प्रविणता प्रमाणपत्र) र उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति | |
| सुदूरपश्चिम | • कार्यसम्पादनका आधारमा सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान कार्यक्रम<br>• कार्यसम्पादनका आधारमा विज्ञान विषय पढाइ हुने सरकारी क्याम्पसलाई अनुदान कार्यक्रम<br>• स्थानीय तह र प्रदेशको साझेदारीमा ठुला विद्यालयका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम<br>• मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम<br>• शिक्षकको कासमु व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तह/जिल्लास्तरीय गोष्ठी<br>• STEM Education को विकास र प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम<br>• अनिवार्य तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य | • सामाजिक विकास कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण |

माथिको तालिकाले उपलब्धि र सम्पन्न हुन नसकेका काम मात्र देखाउँदैन। यी दुवै जोड्दा निर्देशनालयको प्राथमिकता, कार्यक्रमसम्बन्धी सोच के थियो भन्ने देखाउँछ र उसको कार्य क्षमता कस्तो रह्यो भन्ने विश्लेषण गर्न पनि मद्दत पुऱ्याउँछ। यसका साथै यो तालिकाले निर्देशनालयका आआफ्ना प्राथमिकता कसरी फरक प्रकृतिका छन् भन्ने बुझ्न र स्रोतको विनियोजनको प्राथमिकता र खर्च गर्ने क्षमता पनि हेर्न सकिन्छ।

### एसइइ परीक्षाको सम्बन्धमा

माध्यमिक तह कक्षा १० को अन्तमा लिइने एसइइ (SEE) परीक्षा सम्बन्धी काम शिक्षा विकास निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो। भाग-२ का कतिपय सूचकहरू एसइइ परीक्षासम्बन्धी कामसँग जोडिएका छन्। परीक्षा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम सामान्यतः व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। यसमा मूलतः उत्तरपुस्तिका छपाइ र ढुवानी गर्ने कार्यदेखी केन्द्रको व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अनुदान निकासा, परीक्षा सञ्चालनको समयमा अनुगमन, उत्तरपुस्तिका ढुवानी र उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्बन्धी कार्यहरू समेत पर्दछन्। २०८० चैत्रमा कक्षा १० को एसइइ तथा २०८१ बैशाखमा माध्यमिक

शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा १२) को परीक्षा भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीअनुसारको प्रदेश सामाजिक विकास सचिवको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको रूपमा पनि निर्देशनालयले काम गरेको देखिन्छ। यसबाहेक कक्षा १० को विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग तथा प्रश्न बैङ्क स्थापनाका लागि विषयगत प्रश्न निर्माण, विद्यार्थीहरूलाई पुरानो एसएलसी र हालको एसइइका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने र तोकिएको कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाबमोजिम पुराना प्रमाणपत्रमा देखिएका सामान्य त्रुटि सच्याउने काम पनि भएका छन। निर्देशनालयको भनाइमा निर्देशनालयले गरि आएको प्रमाणपत्रका सामान्य त्रुटि सच्याउने काम उक्त आर्थिक वर्षको बिचमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै खिची लिएको छ।

**शिक्षक सेवा आयोगका प्रत्यायोजित कामहरू**

निर्देशनालयको अर्को प्रमुख काम भनेको शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको कामसँगै आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्नु हो। यससम्बन्धी केही सूचकहरू पनि रहेका छन्। सबै निर्देशनालयले शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षाका कामहरू तथा शिक्षकको बढुवा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन सम्बन्धी कामहरू आयोगले तोकेको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवधिमा सबै तह र सबै श्रेणीको प्रदेशभित्र जिल्लागत रूपमा ७५% शिक्षकको कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवाका कार्यहरू सम्पादन गरेका छन्। त्यस्तै गरी २५% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेको, निम्नमाध्यमिक तहकै तृतीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धाको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेको र निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षकको नियुक्तिका लागि जिल्ला छनोट गरी पठाउने काम सम्पन्न गरेको देखिएको छ।

रिक्त पदको ७५% पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवामा शिक्षक सेवा आयोगले उजुरी मात्र सुन्नेगरी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। यो सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रिक्तपदमध्ये ७५ प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने शिक्षकको प्रदेशगत सङ्ख्या देहायबमोजिम रहेको छ।

*तालिका ४५: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने शिक्षकको प्रदेशगत विवरण*

| प्रदेश | प्राथमिक शिक्षक | | निम्न माध्यमिक शिक्षक | | माध्यमिक शिक्षक | | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | द्वितीय श्रेणी | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | प्रथम श्रेणी | |
| कोशी | १०७ | २८ | ३० | ३ | ३० | ५ | २०३ |
| मधेश | ३३ | १६ | १२ | २ | ११ | ६ | ८० |
| बागमती | १६६ | १७ | २८ | ३ | ३६ | ७ | २५७ |
| गण्डकी | १७० | २० | २८ | २ | २३ | ४ | २४७ |
| लुम्बिनी | ५० | १३ | १२ | २ | १५ | ४ | ९६ |
| कर्णाली | ३३ | ९ | १० | २ | ९ | २ | ६५ |
| सुदूरपश्चिम | २५ | १३ | ११ | ३ | १२ | ० | ६४ |

*(स्रोतः शिविप्रम २०८२)*

### ३.२.४ योजना तर्जुमा, अभिमुखीकरण, अनुगमन, समन्वय र समीक्षा

यस अन्तर्गत एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) को अध्यावधिक तथा प्रयोग, कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण, निर्देशनालयका कर्मचारी, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख वा कर्मचारीहरूलाई शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको सहजीकरणमा एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक तालिम प्रदान गरिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यक्रमको अभिमुखीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमन र आवधिक तथा आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यक्रमको समीक्षा बैठकहरू भएका छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन तयार पारेको पनि देखिएको छ। सूचना प्रवाह गर्न निर्देशनालयको आफ्नै वेबसाइट छ।ती वेवसाइटहरू कतिपय ठिकैसँग चलेका छन् भने केहीको हकमा अपडेट छैन। नियमित सञ्चालन गरिएका धेरै निर्देशनालयको साइटमा पनि वार्षिक प्रतिवेदन, एसइइको प्रदेशगत नतिजा विश्लेषण, निर्देशनालयले प्रयोग गरिराखेका कार्यविधि जस्ता आवश्यक विषयसँग सम्बन्धित सामग्री भने भेटिँदैनन्। यस्ता विषयसँग सम्बन्धित शैक्षिक क्यालेन्डर र शैक्षिक प्रोफाइल, प्रगति बुलेटिन लगायतका प्रकाशित सामग्रीहरूको डिजिटल कपी निर्देशनालयको वेबसाइटमा आगामी दिनका नियमित रूपमा अपलोड हुने र सर्वसाधारणले सजिलैसँग व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

अनुगमन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने गरेको तर्क केही शिक्षा विकास निर्देशनालयको रहेको भए तापनि सामान्यतया अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट अनुगमन योजना र सूचक बनाई प्रयोगमा ल्याएको छ भन्ने कुरा प्राप्त हुन आएका अभिलेख, कागजात र प्रतिवेदनबाट देखिँदैन। तसर्थ, शिक्षा विकास निर्देशनालयले अनुगमन योजना र विषयको प्रकृति हेरी अनुगमन सूचक बनाउने र त्यसलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सोअनुसारको प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशनालयको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

**कार्यालयको आन्तरिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य विषय**

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूमा सबैमा धेरै वा थोरै मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ। जिल्लास्तरमा कार्यालय थप्ने तर सो को दरबन्दी सिर्जना नगर्ने पदपूर्ति नगर्ने अवस्थाले पनि निर्देशनालयको धेरै दरबन्दीमा जनशक्ति नरहेको अवस्था देखिएको छ। निर्देशनालयमा सिर्जना भएका दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति गर्न मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले तदारूकता नदेखाएको जस्तो देखिएको छ। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिममा चार जना उपसचिवले गर्ने काम एकजनाले हेरिराखेको, कोशी प्रदेशमा लेखा अधिकृत नभएर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीले काम चलाइराखेको अवस्था देखिएको छ। सङ्गठनको पदोसोपानअनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्न गई समग्रमा वार्षिक कार्यसम्पादनमा नै नकारात्मक असर पर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने काम पनि यो अवधिमा प्रदेश तहमा भएको छ। उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कार्यविधि बनाएको छ भने गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले पनि विद्यालय स्तरीकरण सूचक २०८१ स्वीकृत गरी जारी गरेको देखिन्छ।सबै निर्देशनालयको आफ्नो वेबसाइट भए पनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने वा सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुकूलका सामग्री अपलोड गर्ने, वा त्यसमार्फत आफ्नो सङ्गठनको कामकारवाहीको पारदर्शिताको साथै सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषयमा भने यी वेबसाइटको प्रयोगमा एकरुपता छैन।

निजामती कर्मचारी सन्तति आवासीय विद्यालय धनकुटा र दिपायलको व्यवस्थापन सम्बन्धित शिक्षा विकास निर्देशनालयले हेर्दै आएका छन्। यसका लागि आ-आफ्नै निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि स्वीकृति भई लागु भएको देखिन्छ।

परीक्षण साधनको यस भागमा दिएका सूचकमा कार्यक्रममा बजेट धेरै भएका, अत्यन्त थोरै वजेट भएका, सामान्य दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्ने विषय, कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउने विषय र ठुला विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण जस्ता जटिल विषय सबैलाई परीक्षणमा एकै तरिकाले बराबर अङ्क दिने विषय त्यति औचित्यपूर्ण भने देखिन आएन । यसले निर्देशनालयबिचको कार्यसम्पादनको तुलना गर्ने विषयलाई उपयुक्त देखिएन, प्राथमिकता, परिवेश पहिचान तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अनुभव भने उपयोगी पाइयो।

## ३.३ सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विश्लेषण

### ३.३.१ भाग-१ को सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विश्लेषण

शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमका विषयमा सेवाग्राहीको धारणा कस्तो रहेछ भनेर हेर्न कार्यविवरणमा परेका विभिन्न ३३ ओटा बुँदाहरू, प्रत्येकमा थाहा छैन, असन्तुष्ट (०), सामान्य सन्तुष्ट (१) र धेरै सन्तुष्ट (२) गरी चार विकल्प छान्न दिइएको थियो। यसप्रकार कुल ३३ बुँदामा प्रत्येकमा अधिकतम २ अङ्कका दरले हुन आउने ६६ पूर्णाङ्कमा निर्देशनालयको काम प्रति १५ जना सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सेवाग्राही सन्तुष्टि प्रत्यक्ष भेटेर वा टेलिफोन वा इमेल र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर एकीकृत प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा विविध अवस्थालाई विचार गरेर १७ ओटामात्र सूचकलाई मापन र अङ्कभार प्रदान गर्नु पर्ने भएपछि स्वभावतः यसमा पनि सूचक १७ ओटा नै कायम गर्नुपर्ने भएकोले छनोट भएका सूचकमा प्राप्त सेवाग्राहीको अङ्कलाई मात्र यसमा गणना गर्ने गरी पूर्णाङ्क ३४ कायम गरिएको छ।

यस खण्डमा सहभागी भएका सेवाग्राहीले दिएको अलग अलग अङ्कको आधारमा निर्देशनालयहरूले प्राप्त गरेको औसत अङ्कको विवरण तलको तालिकामा देखाइएको छ र अङ्कसम्बन्धी विवरणहरू अनुसूची ७ अन्तर्गत राखिएको छ।

*तालिका ४६: सेवाग्राही सन्तुष्टिको अवस्था*

| प्रदेश | प्रासाङ्क | प्रासाङ्क प्रतिशत |
|---|---|---|
| कोशी | १३ | ३८.२४ |
| मधेश | ९.३ | २७.३५ |
| बागमती | १२.५ | ३६.७६ |
| गण्डकी | ११.५ | ३३.८२ |
| लुम्बिनी | १९ | ५५.८२ |
| कर्णाली | २३ | ६७.६५ |
| सुदूरपश्चिम | २७.९ | ८२.०६ |

यस तालिकाको स्कोरलाई हेर्दा ठुलो विविधता (२७ देखि ८२ प्रतिशत) देख्न सकिन्छ। निर्देशनालयबाट दैनिक रूपमा सेवा लिनुपर्ने भन्दा पनि सङ्गठनात्मक सम्बन्धका कारणले जोडिनुपर्ने सरोकारवालाहरूसमेत समेटिएका, कतिपय कार्यविवरणमा परेका विषयबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुने कारणले- सेवा लिएर फर्कंने बेला कतिको सजिलोसँग काम भयो, वा कति समय लाग्यो वा कर्मचारीको व्यवहार कस्तो लाग्यो, वा सेवाग्राही मैत्री संरचना, व्यवहारको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्न सकिएको देखिएन। कार्यालयमा भेट नहुँदा बाहिर भेटेर वा फोनमार्फत वा इमेल मार्फत समेत फाराम भराउनु परेको र कार्यविवरणप्रति सेवाग्राहीको ठुलो सरोकार नहुनेसमेत कारणले यो प्राप्ताङ्कलाई विशेष सावधानी साथ व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्बेक्षणमा दिइएका ३३ ओटा सूचकबाट निर्देशनालयको कार्यसम्पादनलाई परीक्षण गर्न आवश्यक र उपयुक्त सूचना प्राप्त हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन। प्रदेश विश्वविद्यालय नै नभएको प्रदेशमा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दुईजनालाई सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा सहभागी गराउने गरी भएको व्यवस्था, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई ३३ बाट कार्यविवरणको विषयमा सन्तुष्ट हो की असन्तुष्ट भनेर सोध्ने विधि, तालुक वा माथिल्लो निकाय मन्त्रालयलाई पनि निर्देशनालयको सेवाग्राहीको श्रेणीमा राख्ने विषय वस्तुपरक देखिन आएन भनी प्रश्नहरू पनि यस सूचकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठेका छन्। प्रदेशका आफ्नै सामाजिक विकास कार्यालयहरू र अन्य सम्पर्क कार्यालयहरू छन् तर उनीहरूलाई परीक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शनले नचिनेको अवस्था पनि देखिएको छ।

माथि उल्लिखत कारणलाई समेत विमर्श गर्दा कार्यदिशका ३३ बुँदाहरूमध्ये कुन् कुन् बुँदा कुन् कुन् सरोकारवालासँग सोध्न उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने बारेमा सामान्य विश्लेषण गरिएको छ। यसलाई तलको तालिकामा दर्साइएको छ।

*तालिका ४७: सर्वेक्षण फाराम १ को उपयुक्तताको विश्लेषण*

| क.स. | सरोकारवाला | विशेष रूपमा सोध्न उपयुक्त हुने कार्यदिश नम्बर |
|---|---|---|
| १ | शिक्षक, प्रधानाध्यापक | १२, १३, |
| २ | विद्यालय व्यवस्थापन समिति | १९, २० |
| ३ | स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत | ६, २४, २५, २९ |
| ४ | प्रदेश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी | ५, ७ |
| ५ | शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ | १,२,४, १२, १३, २७, ३०, ३१ |
| ६ | शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रमुख वा प्रशिक्षक | १७, ३२ |
| ७ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ३, ८, ९, १०, ११, १३, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २८, ३०, ३१, ३३ |

कतिपय कार्यविवरणमा परेका विषयलाई सरोकारवालासँग सोध्ने भन्दा अन्य तरिकाबाट त्यसको सूचना लिन उपयुक्त हुने अनुभव भएको छ। जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि सम्झौता वा प्रतिवद्धता र सोका बारेमा निर्देशनालयले कतिओटा कार्यक्रम गऱ्यो भनेर सोधेर सो को मर्मसम्म पुग्न सक्ने देखिएन। बरु सो को सूची तयार गरेर बजेट कार्यक्रम तयारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय मार्गदर्शनमा समावेश गर्न सक्दा हरेक कार्यक्रमलाई सो विषयप्रति संवेदनशील भए नभएको हेर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यसअनुसार, कार्यसम्पादन परीक्षणका क्रममा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताबारे मार्गदर्शनमा उल्लेख भए नभएको हेर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ।

सेवाग्राही मध्ये केही शिक्षक वा प्रधानाध्यापकको टिप्पणी छ कि निर्देशनालयले खास प्रयोजनका लागि जारी गरेका सूचनाहरू जस्तै भौतिक निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरण जस्ता विषयमा मात्र विद्यालय जोडिने हुनाले स्वभावतः कार्यविवरणका सबै सूचकमा उनीहरू जानकार नहुने हुनाले असम्बन्धित सूचकमा आफूले दिएका अङ्कमा उनीहरू आफैं विश्वस्त भने छैनन्। निर्देशनालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अनभिज्ञता भएकोले मूल्याङ्कन उपयुक्त ढङ्गले भयो भन्ने लागेको छैन भन्ने टिप्पणी पनि उनीहरूले लेखेका छन्। सान्दर्भिकताअनुसार केही कार्यहरू निर्देशनालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा नभई विद्यालय तहमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुन्छन् जसका सबै अन्तरवस्तुहरूमा विद्यालयलाई जानकारी हुँदैन। एसइइका कार्यहरू पूर्ण रूपमा प्रदेश स्तरमा प्रत्यायोजन अझै हुन नसकेको कारण निर्देशनालयले चाहेजति काम गर्न सकेको छैन। निर्देशनालयको आगामी भूमिकाका विषयमा केही प्रधानाध्यापकको विचारमा माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी प्रदेशले लिनुपर्छ र आधारभूत तहको खास खास विषयमा अनुगमन र सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु राम्रो हुने, एसइइलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, माध्यमिक शिक्षकको नियुक्ति जस्तै बढुवा पनि प्रदेशको भूगोलगत आधारमा हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि छन्। त्यस्तै विद्यालतहमा सञ्चालन गरिने तीनै तहका कार्यक्रमकाबिचमा समन्वय, सहकार्य र अभिभावक वा समुदायसम्मको लागत साझेदारीको प्रबन्ध हुँदा राम्रो हुने विचार पनि छ। कतिपय, विशेषतः सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रधानाध्यापकको टिप्पणी छ कि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट निर्देशित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू नियमित, कानुनसम्मत ढङ्ग र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ र समय समयमा शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रमहरू विकेन्द्रित ढङ्ले प्रत्येक जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ जसले गर्दा उनीहरू सन्तुष्ट छन्। विशेषतः कार्यक्रमका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा विद्यालयसम्म पुगेका वा पुग्न बढी चलायमान देखिएका बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू बढी सन्तुष्ट देखिएको उनीहरूको खुला टिप्पणीबाट देखिन्छ।

सेवाग्राहीको रूपमा प्रतिक्रिया दिने स्थानीय शिक्षा अधिकृतहरूको टिप्पणीमा भने विशेषतः समन्वयको पाटोमा समस्या रहेको विषय औंल्याइएको छ।खासगरी सिटिइभीटीसँग जोडिएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसयिक तालिमको पाटोमा बढी समस्या उनीहरूले महसुस गरेका छन्। निर्देशनालयले काम गर्न खोज्दा पनि प्रादेशिक ऐन नभएका कारणले पनि काम हुन नसकेको तर्क उनीहरूको छ। खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आएका प्रतिक्रियाहरूमा अनुगमन तथा सहजीकरण, शिक्षक तालिम, प्रमाणपत्र वितरण प्रदेशस्तरमा, साक्षर प्रदेश घोषणा लगायतका कतिपय काममा निर्देशनालयले जिल्लास्तरमा समन्वय गर्ने गरेको प्रतिक्रिया केही शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूले दिएका छन्।

यस खण्ड एकमा सेवाग्राहीले साधनमा उल्लेख गरिएको ढाँचामा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका कारणहरूमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् वा अपवादमा बाहेक दिएनन्। उनीहरूले सन्तुष्टिको स्तरमा अङ्कन गरेपनि सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिमा दिइएका चारओटा कारणहरूमा भने प्रायः खुल्न वा प्रतिक्रिया दिन चाहेको देखिएन।

## ३.३.२ को सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण

यस भागमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्बेक्षणमा सञ्चार र पारदर्शिता, सान्दर्भिकता र गुणस्तर, अन्तरसरकारी सम्बन्ध, सहजीकरण र समन्वय, अनुगमन र पेसागत सहयोग, सूचना प्रविधिको उपयोग, स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, समावेशीकरण र समताको अवसर र योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन क्षेत्रलाई समेटी १५ ओटा प्रश्नहरू दिइएको थियो र त्यसको पूर्णाङ्क ३० कायम गरिएको थियो। प्रति १५ जना सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सेवाग्राही सन्तुष्टि प्रत्यक्ष भेटेर वा टेलिफोन वा इमेल र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्राप्ताङ्कलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ।

तालिका ४८: सेवाग्राही सन्तुष्टिको प्राप्ति

| प्रदेश | प्राप्ताङ्क | प्राप्ताङ्क प्रतिशत |
|---|---|---|
| कोशी | १३.९ | ४६.३३ |
| मधेश | ८.५ | २९.६७ |
| बागमती | १७.५ | ५८.३३ |
| गण्डकी | १५ | ५०.० |
| लुम्बिनी | १४.२ | ४७.३३ |
| कर्णाली | २०.५ | ६८.३३ |
| सुदूरपश्चिम | २४.९ | ८३.० |

माथिको तालिका हेर्दा पनि सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्राप्ताङ्कमा प्रदेशगतरूपमा ठुलो अन्तर रहेको छ। यसमा निर्देशनालयहरूले २९.६७ प्रतिशत देखि ८३.० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेका छन्।यस खण्डमा पनि केही महत्त्वपूर्ण खुला टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन् र ती प्रतिक्रियामा प्रदेशगत विविधता पनि पाइएको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको प्रतिक्रियामा शिक्षा विकास निर्देशनालयले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरूमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको कार्यान्वयनको अवस्थामा विद्यालय शिक्षकको भूमिका न्यून रहेको भएकोले आफूलाई जानकारी भएको कतिपय कुराहरू राम्रो लागे तापनि सबै विषय जानकारी नहुने र विद्यालयले प्राप्त गर्ने सेवाको प्रक्रिया (Process) र प्रतिवेदन (Reporting) प्रणाली झन्झटिलो छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। एसइइ परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्बन्धी काम, शिक्षक तालिम, प्रधानाध्यापक क्षमता विकास तालिम, एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम, टिपिडिजस्ता कार्यक्रमहरूको सामान्य जानकारी भएको तर निर्देशनालयको समग्र कार्यविवरण र यसको व्यापक कार्यक्षेत्रवारे जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन्। खास गरी 'शिक्षक'ले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिनुपर्ने अवस्था त्यति धेरै नहुने भएकाले निर्देशनालयका काम, प्रक्रिया र उपलब्धिबारे धेरै जानकारी नभएको भन्ने प्रतिक्रिया स्वाभाविक नै देखिन्छ। खासमा बढुवा हुने शिक्षकहरू, शिक्षक छनोटको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने मानिसहरू निर्देशनालयको सेवामा जोडिन्छन्। विभिन्न ढङ्गले तुलनात्मक रूपमा निर्देशनालयको

कामलाई नजिकबाट हेरेकाहरू सामान्यतया निर्देशनालयको भूमिकासँग सन्तुष्ट नै देखिन्छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट हुने योजना, सूचना प्रवाह, सेवाग्राहीलाई सम्मान, भेदभावरहित र समावेशी हुने गरेकोले आफू प्रभावित भएको र सन्तुष्ट रहेको भन्ने कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया छ। निर्देशनालयबाट प्रवाहित सेवाहरू छिटो छरितो प्रभावकारी भएको महसुस उनीहरूले गरेका छन्। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रिया सन्तुष्टि बढी देखिन्छः (हेर्नुहोस तल दिइएको बक्स)

*शिक्षा विकास निर्देशनालयले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा सुविधा पारदर्शिताका साथ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हरेक कार्यक्रमको जानकारी पारदर्शिताका साथ गराइन्छ। निर्देशनालयबाट गरिने कार्यक्रमहरू स्थानीय र सङ्घीय सरकारको शैक्षिक कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी नै सञ्चालन गरिएको हुन्छ। निर्देशनालयले विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने, खेलकुद सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने तथा समयसमयमा प्रधानाध्यापक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समेत तालिमका अवसरहरू प्रदान गरी कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि गराउने कार्यहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरूले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा पर्याप्त योगदान पुऱ्याएको देखिन्छ। महानिर्देशकज्यूबाट समेत शिक्षकहरूको हौसला बढाउनका लागि पटकपटक विद्यालयहरूमा अनुगमन गरिनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नमा हुने त्रुटिहरू कम गर्न जिल्लास्तर र विद्यालयमै समेत शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण गरिनुले पनि शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको कार्यसम्पादनप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको छु। (प्रधानाध्यापक, डडेलधुरा)*

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा पदाधिकारीहरूको प्रतिक्रिया पनि मिश्रित छ। कोशी प्रदेशको धनकुटाको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बारेमा कुनै जानकारी नभएको र शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएपनि व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी संलग्न हुने नगरेको वा सहभागी गराइने नगरेको भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन्। सायद विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने प्रकृतिका कार्यक्रम नभएकाले पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुनसक्छ। त्यस्तै शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन पश्चात् गरिने अनुगमनहरू अझै प्रभावकारी हुन नसकेकोले प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्बेक्षणमा देखिन्छ।

स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतको सन्तुष्टि सर्बेक्षणमा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू कतै समन्वयात्मक रूपमा कार्य सञ्चालन भएको (कोशी प्रदेश, धनकुटा) भने कतै नभएको (मधेश प्रदेश, धनुषा) भन्ने देखिन्छ। निर्देशनालयबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोगले शिक्षा कार्यक्रममा सहकार्य कायम गर्न सहयोग पुगेको टिप्पणी धनकुटाका सेवाग्राहीले दिएका छन्। संस्थाको कार्य क्षेत्राधिकार भित्रका कार्यसम्पादनका लागि सङ्घीय सरकारबाट व्यवहारिक रूपमा कार्य हस्तान्तरण नगरेको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रदेशबाट विद्यालयमा कार्यक्रम जाँदा कतिपय कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा नआउने हुँदा सबै कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय तह जानकार नहुने अवस्था सिर्जना भएको, प्रदेशबाट योजना तयार गर्दा स्थानीय तहको संलग्नता भएको नदेखिएको, ससाना कार्यक्रम पनि मन्त्रालय आफैंले गर्ने रूचि देखाएको, सामाजिक विकास कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ उस्तै कामको लागि जिल्लामा रहँदा कतै अन्यौल र दोहोरोपना देखिएको, निर्देशनालय प्रदेश स्तरको शिक्षाको वृहत् कार्यको जिम्मा लिने सङ्गठनभन्दा पनि शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रत्योजित काम गर्ने निकाय जस्तो भूमिकामा बढी देखिएको छ।

स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरू निर्देशनालयबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएको, समन्वय इकाइ, निर्देशनालय र स्थानीय तहको संयुक्त विद्यालय अनुगमनमा

सहभागी भएको, निर्देशनालयको वेबसाइटबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने गरेको प्रतिक्रिया पनि उनीहरूले दिएका छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहबिच सम्बन्ध कायम गर्ने कुनै नियमित औपचारिक माध्यमको विकास नहुँदा स्थानीय तह र निर्देशनालयका कार्यक्रमहरूको बारेमा एक अर्कोलाई पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्था तर्फपनि उनीहरूले गरेका छन् भने निर्देशनालयलाई कानुनी रुपमै स्थानीय तहको सशक्तीकरण र सहयोगी तथा अनुगमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि केहीले औंल्याएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूको विचारमा कतिपय कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय निकायबिच तारतम्य मिलेको छैन। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रयोगशाला र शैक्षिक सामग्री, विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, र कतिपय प्रदेशका ससर्त अनुदानका कार्यक्रमले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्न गएको छ तर प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई तोकिएको कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ। शैक्षिक कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधार विकास, क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यविधि निर्माण, कार्यविधिको प्रबोधीकरणपश्चात् मात्र कार्यान्वयन हुने गरेकोले सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयले सामाजिक विकास कार्यालयहरू स्थापना भएपछि निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने कार्य जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयलाई दिँदा निर्देशनालयको २०७६/७७ सम्मको भूमिका र संरचनामा सङ्कुचन आएको छ। निर्देशनालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू मन्त्रालय आफैंले सम्पादन गर्दा निर्देशनालयको भूमिका प्रदेश स्तरको शिक्षाको समग्र कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, अन्य निकायका कार्यक्रमको उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोगी हुँदै समग्र नतिजालाई प्रभावकारी बनाउने गरी क्षमता विकास, योजना र अनुगमन, कार्यक्रमको मूल्याङ्कनबाट ज्ञान निर्माणमा सक्रिय हुँदै समग्र शिक्षा सुधारमा सक्रियता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रत्यायोजित काममा बढी नै व्यस्त भएको र मूल जिम्मेवारीप्रति उचित ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ, यसक्रममा मन्त्रालयले समग्रतामा काम गर्ने गरी निर्देशनालयलाई पुनःअभिमुखीकरण गर्नेतर्फ पनि तत्परता देखाएको देखिन्न भन्ने टिप्पणी भनि देखिन्छ।

प्रदेश विश्वविद्यालय सबै प्रदेशमा स्थापना नभएको र भएकोमा पनि निर्देशनालयले कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नपाएको अवस्थामा सेवाग्राहीका रूपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सन्तुष्टि सर्वेक्षणले वास्तिवकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने बलियो आधार देखिन्न। तथापि उनीहरूले दिएको प्रतिक्रियामा शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग तालमेल नहुनु, शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन र सुधारको प्रयास नहुनु, शैक्षिक कार्यक्रम र सेवामा सूचना प्रविधिको अर्थपूर्ण प्रयोग नहुनु, पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको व्यवस्था नहुनु, आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पहुँचको आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम लागु गरिनु, निर्देशनालयका गतिविधि वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिनु जस्ता विषय औंल्याइएको छ जुन विषयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उनीहरूले निर्देशनालयले नयाँ नयाँ कामलाई भन्दा पहिला अपूरा कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

शिक्षा तालिम केन्द्र निर्देशनालयकै समानान्तर संरचनाको रूपमा रहेको देखिन्छ। कार्य-विवरणमा अनुगमन नियमन गर्ने भनिएको भएता पनि समानान्तर संरचनाका कारण सो हुन नसक्ने र छलफलमा सामान्य सहभागिता हुनुबाहेक आफूले प्रत्यक्ष सेवा नलिने कुरा औंल्याएका छन्। त्यस्तै तालुक निकाय मन्त्रालयका अधिकृतले सेवाग्राहीको रूपमा सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा अरू थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन् केहीले भने निर्देशनालयको बारेमा गुनासो लिएर कुनै पनि सेवाग्राही मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नआएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

निर्देशनालयको नागरिक वडापत्र हेर्दा एसइइसँग सम्बन्धित कामका लागि सेवाग्राही बढी आउनेजस्तो देखिन्छ। यसमा वर्तमानको काम मात्र नभई विगतमा प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने वा सो मा केही विवरण सच्याउने प्रयोजनका लागि समेत सेवाग्राही निर्देशनालयमा आउने देखिन्छ। निर्देशनालयको बडापत्रले नागरिकले पाउने सेवा, आवश्यक कागजात, सेवा पाउन गर्नुपर्ने प्रक्रिया, वा गुनासो गर्ने विकल्प बारे उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक भनी प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्दा सेवाप्रवाह भएको मात्रा- कतिले सेवा लिएः र उनका निमित्त सो सेवा कत्तिको उपयोगी वा कामलाग्दो भयो भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सो को मापन निकै कठिन हुनसक्छ। सेवाग्राही फरक फरक हुन्छन् र अझ उनका अपेक्षा एकनास हुन्नन्, निकै फरक हुन्छन् 'सन्तुष्टि' भन्ने स्थायी हुन्न र अर्कोपटक सो विषय निकै फरक हुन सक्छ। यस दृष्टिले हेर्दा- कसलाई सोध्ने, कतिपटक सोध्ने, खास खास समयमा सोध्दा र सामान्य दिनमा सोध्दा पाउने उत्तर उस्तै होला त? अर्थात्, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मापन महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सो को स्थिरता र विश्वसनीयताबारे ढुक्क हुन सजिलो छैन।

सरोकारवालाहरूको म्यापिङ गर्ने क्रममा निर्देशनालयको नागरिक बडापत्रको अध्ययन गर्दा सो बडापत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको अध्ययन गर्दा निर्देशनालयमा देहायअनुसारको सेवाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्ने रहेछन् जसमा निम्नानुसारका तथ्यहरू उद्घाटित भएको परीक्षकहरूले उल्लेख गरेका छन्ः

*तालिका ४९: निर्देशनालयबाट सेवाग्राहीले लिने सेवा र त्यसका अपेक्षा तथा चुनौतीहरू*

| सेवा | सेवाग्राही | अपेक्षा र चुनौती |
|---|---|---|
| एसइइ र एसएलसी परीक्षाको नामथर र जन्ममिति सच्याउने | माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीहरू | समयमा झन्झटरहित सेवा, (जनशक्ति, प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन र सूचनामा पहुँच) |
| एसइइ र एसएलसी परीक्षाको पुराना प्रमाणपत्रमा रहेका त्रुटि सच्चाउने तथा प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि वितरण | माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीहरू | समयमा झन्झट रहित सेवा, (जनशक्ति, प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन र सूचनामा पहुँच) |
| अपाङ्ग छात्रवृत्ति सम्बन्धी निवेदन सङ्कलन र कारवाही | अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू | समयमा झन्झटरहित सेवा, (तर सूचनाको अभावले समस्या हुन सक्छ) |
| शिक्षक बढुवाको पुनरवलोकन सम्बन्धि कार्य (निवेदन सङ्कलन, बढुवा नतिजाको कुल प्राप्ताङ्कबारे सूचना दिने) | बढुवा चित्त नबुझेका शिक्षकहरू | शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याउने र गुनासो व्यवस्थापन सहयोगी भूमिकालाई सहज रूपमा गर्ने |

| सेवा | सेवाग्राही | अपेक्षा र चुनौती |
|---|---|---|
| विद्यालयहरूलाई वितरण गरिने अनुदानको प्रस्ताव लिने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र सो को जानकारी दिने | विद्यालयका प्रअ वा विव्यस पदाधिकारीहरू | निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अनुदानको वितरण, सूचनाको अभावले सो कार्यलाई प्रमाणमा आधारित निर्णयबाट सम्पादन गर्न चुनौती |
| Province Integrated Education Management Information System (PIEMIS) सम्बन्धी सूचना दिने | प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला र स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी कार्यालयहरू, शिक्षा सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू | वर्गीकृत तथ्याङ्क, विश्लेषणसहित, एकीकृत प्रकृतिको सूचना |

## ३.४ परीक्षणको समग्र प्राप्ताङ्क र त्यसको विश्लेषण

### ३.४.१ परीक्षणको प्रदेशगत भारित अङ्क, स्तर र सो को व्याख्या

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको मार्गनिर्देशन पुस्तिकामा दिइएको भार र सूत्रको प्रयोग गरी सबै परीक्षकहरूले प्रदेशगत कुल भारित अङ्क गणना गर्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयोजनका लागि सकेसम्म एकरूपता कायम होस् भन्ने अभिप्रायले १७ ओटा सूचकलाई छनोट गरिएकोले भाग-१ को सन्दर्भमा परीक्षण ढाँचाले तयार गरेको तालिकामा केही हेरफेर हुन गएको छ। यसबमोजिम निर्देशनालयले प्राप्त गरेको अङ्क, त्यसबमोजिम कायम हुन आएको भारित अङ्क, उक्त अङ्कबमोजिम निर्धारण भएको स्तर र उक्त स्तरबमोजिमको कार्यसम्पादनको स्तरको व्याख्यालाई तलका तालिकाहरूमा दिइको छः

*तालिका ५०: शिक्षा विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशको भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **कोशी प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | २६.० | ४५.८८ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | १३.० | ३.८२ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ३९ | **४९.७१** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालयअनुसार फरक | ९०% | ७५ | ३५.० | ४२.०० |

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | कोशी प्रदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| प्राप्ताङ्क (भाग-२) | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | १३.५६ | ४.५२ |
| | **जम्मा** | | १००% | १०५ | ४८.५६ | ४६.५२ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | १९० | ८७.५६ | ९६.२२ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **४८.११** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **सामान्य वा सन्तोषजनक** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्या:** तोकिएको सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू आंशिक रूपमा मात्र पूरा हुने गरेको तर कुनै बेला नहुने गरी एकरूपता नभएको। | | | | | | |

*तालिका ५१: शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | मधेश प्रदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | २२.० | ३८.८२ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | ९.३ | २.७४ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ३१.३३ | **४१.५६** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालय अनुसार फरक | ९०% | १३० | ५०.० | ३४.६१ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | ८.५ | २.८३ |
| | **जम्मा** | | १००% | १६० | ५८.५ | ३७.४५ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | २४५ | ८९.८३ | ७९.०२ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **३९.५१** |

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **मधेश प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **कमजोर** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्याः** तोकिएको सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू बिरलै मात्र पूरा हुने गरेको। | | | | | | |

*तालिका ५२: शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **बागमती प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्य सम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | ४२.० | ७४.१२ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | १२.५ | ३.६६ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ५४.४५ | **७७.७८** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालय अनुसार फरक | ९०% | २२० | १९१.० | ७८.१४ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | १७.५ | ५.८२ |
| | **जम्मा** | | १००% | २५० | २०८.४५ | ८३.९५ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | ३३५ | २६२.९१ | १६१.७३ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **८०.८७** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **धेरै राम्रो** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्याः** तोकिएको सेवा प्रवाहका सबै मापदण्डहरू उच्चतम अवस्थामा पूरा भएको | | | | | | |

*तालिका ५३: शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **गण्डकी प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | ३४.० | ६०.० |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | ११.५ | ३.३८ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ४५.५ | **६३.३८** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालयअनुसार फरक | ९०% | १४५ | १०२.५ | ६३.६ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | १५ | ५.० |
| | **जम्मा** | | १००% | १७५ | ११७.५ | ६८.६२ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | २६० | १६३ | १३२.० |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **६६.००** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **राम्रो** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्या:** तोकिएको सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू धेरैजसो पूरा हुने गरेको तर कुनै बेला नहुने गरी एकरूपता नभएको। | | | | | | |

तालिका ५४: शिक्षा विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **लुम्बिनी प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | ३२.० | ५६.४७ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | १९.० | ५.५९ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ५१ | **६२.०६** |

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **लुम्बिनी प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालयअनुसार फरक | ९०% | १९० | १०३.५ | ४९.०३ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | १४.२ | ४.७४ |
| | **जम्मा** | | १००% | २२० | ११७.७२ | ५३.७७ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | ३०५ | १६८.७२ | ११५.८३ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **५७.९१** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **सामान्य वा सन्तोषजनक** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्या:** तोकिएको सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू आंशिक रूपमा मात्र पूरा हुने गरेको तर कुनैबेला नहुने गरी एकरूपता नभएको | | | | | | |

*तालिका ५५: शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्क भार | **कर्णाली प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | ३० | ५२.९४ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | २३.०८ | ६.७९ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ५३.०८ | **५९.७३** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालयअनुसार फरक | ९०% | ४४० | ३६९ | ७५.४८ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | २०.५ | ६.८५ |

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्क भार | **कर्णाली प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| | **जम्मा** | | १००% | ४७० | ३८९.५५ | ८२.३३ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | **५५५** | ४४२.६३ | १४२.१ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **७१.०३** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **राम्रो** | | |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्या:** तोकिएको सेवा प्रवाहका मापदण्डहरू धेरैजसो पूरा हुने गरेको तर कुनैवेला नहुने गरी एकरूपता नभएको। | | | | | | |

*तालिका ५६: शिक्षा विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको खुद भारित अङ्क र स्तर*

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **सुदूरपश्चिम प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-१) | कार्यसम्पादन (सबैको लागि एउटै साधन) | ५१ | ९०% | ५१ | ३६ | ६३.५३ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३४ | १०% | ३४ | २७.९ | ८.२ |
| | **जम्मा** | | १००% | ८५ | ६३.८७ | **७१.७३** |
| कार्य विवरण सामान्य अवस्थाको प्राप्ताङ्क (भाग-२) | कार्य सम्पादन (निर्देशनालय पिच्छे फरक फरक साधन) | निर्देशनालयअनुसार फरक | ९०% | २६० | २५०.५ | ८६.७१ |
| | सेवाग्राही सन्तुष्टि (सबैको लागि एउटै साधन) | ३० | १०% | ३० | २४.९३ | ८.३१ |
| | **जम्मा** | | १००% | २९० | २७५.४३ | ९५.०२ |
| **जम्मा (भाग १+भाग २)** | | | | ३७५ | ३३९.३ | १६६.७५ |
| **कुल औसत भारित प्राप्ताङ्क** | | | १००% | | | **८३.३७** |
| **सेवा प्रवाहको स्तर** | | | | **धेरै राम्रो** | | |

| शीर्षक | विवरण | पूर्णाङ्क | अङ्कभार | **सुदूरपश्चिम प्रदेश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पूर्णाङ्क | प्राप्ताङ्क | खुद भारित प्राप्ताङ्क |
| **स्तर निर्धारणको व्याख्या:** तोकिएको सेवा प्रवाहका सबै मापदण्डहरू उच्चतम अवस्थामा पूरा भएको | | | | | | |

## ३.४.२ परीक्षणको अङ्क र अन्य सूचकको अवस्थाको विश्लेषण

प्रदेशको शिक्षा विकासको वर्तमान अवस्थाको निर्धारक शिक्षा विकास निर्देशनालय एक्लै हुन सक्दैन। यसमा धेरैओटा निकायहरूको भूमिकाले महत्त्व राख्दछ। तर पनि प्रदेशको शिक्षालाई देखिने प्रभाव पार्ने हैसियत यस सङ्गठनले राख्दछ भनेर मान्ने हो भने, समग्र शिक्षा विकासको अवस्था र यस निकायको कार्यसम्पादन स्तरलाई जोडेर हेर्दा वर्तमानको परीक्षणको प्राप्ताङ्कलाई समग्र उपलब्धिसँग जोडेर व्याख्या गर्न तथा भोलिको दिनमा गरिनुपर्ने प्रयत्नलाई समेत मार्गनिर्देश गर्न सहयोगी हुनसक्छ भन्ने आधारमा समग्र अवस्था झल्काउने गरी केही महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सूचकहरूको साथ कार्यसम्पादन परीक्षणबाट प्राप्त अङ्कलाई तालिका ५७ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

*तालिका ५७: परीक्षणको अङ्क र अन्य सूचकसँगको सम्बन्ध विश्लेषण*

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नेपालको कुल भूभाग मध्ये प्रदेशले ओगटेको भूभाग (प्रतिशतमा) | १०० | १७.६ | ६.५६ | १३.७९ | १४.८३ | १३.४१ | २०.५३ | १३.२७ |
| नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये प्रदेशको हिस्सा (प्रतिशतमा) | १०० | १७.०१ | २०.९७ | २०.९७ | ८.४६ | १७.५६ | ५.७९ | ९.२४ |
| ५ वर्ष माथिको साक्षरता दर | ७६.२ | ७९.७ | ६३.५ | ८२.१ | ८१.७ | ७८.१ | ७६.१ | ७६.२ |
| कुल बालविकासका भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये प्रदेशको हिस्सा (प्रतिशतमा) | १०० | १५.९ | १८.२ | २०.४ | ७.८ | २०.६ | ६.४ | १०.७ |
| कुल बालविकास केन्द्र/पूर्व प्राविमध्ये प्रदेशको हिस्सा (प्रतिशतमा) | १०० | १९.५ | १४.४ | १८.१ | १०.५ | १७.८ | ८.२ | ११.३ |
| कुल आधारभूत तहका विद्यार्थी मध्ये प्रदेशको हिस्सा (प्रतिशतमा) | १०० | १५.४ | २३.८ | १८.० | ७.२ | १८.२ | ७.० | १०.४ |
| कुल माध्यमिक तहका विद्यार्थी मध्ये प्रदेशको हिस्सा (प्रतिशतमा) | १०० | १६.४ | १६.४ | २२.९ | ८.५ | १७.५ | ७.७ | १०.७ |
| कुल विद्यालयमध्ये प्रदेशको हिस्सा | १०० | १९.४ | १३.४ | १९.१ | ११.३ | १६.२ | ९.० | ११.७ |
| सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा दरवन्दी र राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको हिस्सा | १०० | २०.० | १२.२ | १९.९ | १४.२ | १५.५ | ७.९ | १०.४ |
| सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा दरवन्दी र राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको हिस्सा | १०० | १८.४ | १०.६ | २१.० | १५.६ | १४.९ | ७.२ | १२.३ |

| विषय | नेपाल | कोशी | मधेश | बागमती | गण्डकी | लुम्बिनी | कर्णाली | सुदूरपश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खुद भर्नादर (कक्षा १-८) | ९५.३ | ९५.३ | ९४.६ | ९५.९ | ९५.१ | ९५.१ | ९५.४ | ९५.२ |
| खुद भर्नादर (कक्षा ९-१०) | ७६.५ | ७५.९ | ७५.७ | ७६.६ | ७७.१ | ७५.७ | ७७.७ | ७८.१ |
| खुद भर्नादर (कक्षा ११-१२) | ३७.१ | ३६.९ | २६.० | ४६.६ | ४०.६ | ३५.९ | ४१.५ | ३५.८ |
| एसइइ २०८० मा ग्रेडेड हुने विद्यार्थीको प्रतिशत (सुरु नतिजामा) | ४७.९ | ४७.५ | ४६.९ | ६६.१ | ५०.० | ८८.८ | ४१.९ | ३१.९ |
| एसएलसिइ कक्षा १२ को २०८० मा ग्रेडेड हुने विद्यार्थीको प्रतिशत (शुरु नतिजामा) | ५२.२ | ४४.४ | ४६.२ | ६७.२ | ५३.८ | ४८.० | ४०.८ | ३९.४ |
| कार्य विवरणका सूचकमा निर्देशनालयले प्राप्त गरेको अङ्क प्रतिशतमा | | २६ | २२ | ४२ | ३४ | ३२ | ३० | ३६ |
| कार्यक्रमगत सूचकमा निर्देशनालयले प्राप्त गरेको अङ्क प्रतिशतमा | | ४६.७ | ३८.५ | ८६.८ | ७०.७ | ५४.५ | ८३.९ | ९६.३ |
| परीक्षणको खुद भारित अङ्क | | ४८.१ | ३९.५ | ८०.९ | ६६.० | ५७.९ | ७१.० | ८३.४ |

तालिका ५७ अनुसार प्रस्तुत तथ्याङ्कमा संस्थागत परिवेशलाई निरपेक्ष राखेर कुनै कार्यसम्पादन परीक्षणको प्राप्ताङ्कलाई व्याख्या गर्नु युक्तिसङ्गत नहुन सक्छ। संस्थागत परिवेश र संस्थागत क्षमता, विगतको उपलब्धिको जगले वर्तमानमा काम गर्न पुऱ्याउन सक्ने सहयोग वा बाधा, समाधान गरिनुपर्ने समस्याको स्तर र सो लाई सम्वोधन गर्न आवश्यक स्रोत मात्र होइन सोलाई तार्किक रूपमा सम्वोधन गर्न सक्नेतर्फ संस्थाको रणनीतिक क्षमता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई हेरिनुपर्ने हुन सक्छ। यो समग्र परिवेशका बारेमा परीक्षणबाट प्राप्त सूचकहरूले मात्रै सबै सूचना दिन नसक्ने हुँदा हुँदै पनि यी प्रणालीगत सूचकमार्फत व्याख्या गर्न तथा सम्बोधन गर्न उपयुक्त उपाय खोजी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेर तालिकामा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सूचकहरू, जनसाङख्यिक तथा अन्य अवस्थासमेत झल्काउने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।

## ३.५ भाग-३ को खुला विषयको विश्लेषण

भाग-३ मा दिइएको साधनमा मूलतः तीन विषय क्षेत्रहरू रहेका थिए: निर्देशनालयको ३३ बुँदे कार्य विवरण, प्रदेश अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू र सङ्घीय ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू:
यी तीनओटै क्षेत्रमा सान्दर्भिकता र पार्याप्त (Relevancy and Adequacy), अधिकारको प्रत्यायोजन र स्रोत साधन (Authority and Resources),कार्यक्रममा दोहोरोपना र सम्बन्ध (Duplication and Linkages), पेशागत विकास र तालिम (Professional Development and Training) र अनुगमन र फलोअप (Monitoring and Follow-up) गरी पाँच विषय क्षेत्रमा समस्या र मुद्दाहरू तथा समाधानका उपायहरूका बारेमा निर्देशनालयका कर्मचारीहरूलाई खुला विचार राख्न भनिएको थियो। उक्त खुला विचारबाट प्राप्त भएका विषयहरूको विश्लेषण तल उल्लेख गरिएको छ:

भाग-३ का प्राप्तिहरूको विश्लेषण गर्दा निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रअनुसारका कार्यक्रमहरू सान्दर्भिक र पर्याप्त रहेका छैनन् भन्ने बुझाइ शिक्षा विकास निर्देशनालयको रहेको कुरा कार्यसम्पादन परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएको देखिन्छ। केही कार्यहरू सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण नभएको र केहीमा प्रदेश सामाजिक

विकास मन्त्रालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन नभएको वा कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नपाएको कारण कार्यविवरणबमोजिमका अधिकांश कार्यहरू कार्यान्वयनमा नरहेका भन्ने व्यहोरा निर्देशनालयका कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। निर्देशनालयलाई सङ्घीय मन्त्रालयबाट दिइएको कार्यविवरण र प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रही हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यहरूबिच तालमेल नभएको अवस्था पनि प्रतिवेदनमा औँल्याएको देखिन्छ। निर्देशनालयलाई हाल तोकिएका कार्यविवरण परिमार्जन भएमा वा सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट कानुनी आधारहरू तयार भई ती कार्यविवरणको मर्मबमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको व्यवस्थापन भई आएमा कार्यमा उत्कृष्टता ल्याउन सहज हुने धारणा निर्देशनालयका कर्मचारीहरूबाट व्यक्त भएको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।

हालको अवस्थामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोतसाधन पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझाइ पनि निर्देशनालयको रहेको छ। कार्यक्रमगत रूपमा हेर्दा केही कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना देखिन्छ भने केही अन्तर सम्बन्धित रहेका छन्। दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नभएको अवस्था देखिन्छ। कर्मचारीको लागि पेसागत क्षमता र दक्षताको बढाउने खालका न्यून कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएता पनि आवश्यकताअनुरूप नभएको अवस्था छ। यसमा सुधारका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गरिनुपर्ने र कर्मचारीको लागि पेसागत क्षमता र दक्षताको बढाउन समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निर्देशनालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको विषयमा सङ्घीय ससर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको अख्तियारी सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै निर्देशनालयमा जाने र यसो गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट निर्देशनालयमा ढिलो गरी प्राप्त भएका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको विचार केही निर्देशनालयको रहेको छ। सङ्घीय ससर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतका ठुला विद्यालय लगायतका भौतिक निर्माण कार्यको बजेट सालवसाली प्राप्त हुनेहुँदा प्रत्येक वर्ष एउटै कामका लागि टेन्डर गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यसमा सुधारका लागि मन्त्रालयबाट समयमै सङ्घीय ससर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको अख्तियारी दिइनुपर्ने र एउटै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने प्रकृतिका निर्माण कार्यको लागि बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितता गरी एकैपटक टेन्डर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। किनकी एउटै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्यको लागि सालवसाली रूपमा बजेट व्यवस्था हुने तर बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता नहुने हुँदा एउटै कार्यको लागि प्रत्येक वर्ष टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले धेरै समय लाग्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको देखिन्छ। यसमा सुधारका लागि एउटै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने प्रकृतिका निर्माण कार्यको लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरी डिपीआरका आधारमा एकैपटक टेन्डर गर्ने व्यवस्था गर्ने र भौतिक निर्माणका कार्यहरू गर्न प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर/सव इन्जिनियर) को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।

## ३.६ परीक्षणका अन्य सान्दर्भिक विषयहरू

**कार्य विवरणका विषयमा**

सङ्गठन संरचना र जनशक्ति विवरणका विषयमा कार्य विवरण प्रदान गर्नु भनेको सङ्गठन रहनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रदान गर्नु पनि हो। सङ्गठनले कसका निमित्त के कस्ता सेवाको उत्पादन गर्ने हो भनेर गर्ने काम र उत्पादन गर्ने सेवाका बारेमा किटान गरेर सीमा निर्धारण गर्ने कार्य पनि यसैअन्तर्गत पर्दछ। यसैअनुसारको संरचना र जनशक्ति बन्नुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। शिक्षा विकास निर्देशनलयहरूको हकमा कार्य विवरणमा भएका कतिपय कार्यहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी अख्तियारी अझै प्राप्त हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। जस्तै, शिक्षकको निवृत्तिभरणलगायत सुविधा वितरणसम्बन्धी काम गर्ने, तलबी प्रतिवेदन पास गर्ने र सम्पत्ति विवरण राख्नेजस्ता काम हालसम्म पनि शिक्षक किताबखानामार्फत हुँदै आएकोले सो कार्य गर्ने अख्तियारी प्रदेश निर्देशनालयले पाइसकेको देखिन्न। कतिपय कार्यहरू गर्न अलग्गै र स्वायत्त प्रकृतिका संस्थाहरू गठन भएका कारणले निर्देशनालयले जिम्मा नपाएको र त्यसैले सो काम नगरेको भन्न सकिने स्थिति देखिएन। जस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी काम गर्नाका निमित्त गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान (CTEVT Academy) गठन भई सो प्रतिष्ठान मार्फत काम हुने, सो निकायले मन्त्रालयमार्फत बजेट प्राप्त गर्ने र मन्त्रालयमा नै रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था भएका कारण निर्देशनालयले सो कार्यको नियन्त्रण मात्र होइन समन्वय गर्न समेत व्यावहारिक हुने देखिन्न।

शिक्षाका समग्र कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएर सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय गर्ने कार्य निर्देशनालयले गर्न मन्त्रालयको सहयोग चाहिने देखिन्छ। मन्त्रालयले आफैं त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वयमा रुचि देखाएका अवस्थामा सो मातहतको निकाय- निर्देशनालयले कार्यविवरणले तोकेका काम जिम्मा पाउनसमेत मन्त्रालयको प्रतिस्पर्धी जस्तो बन्नुपर्ने अवस्था आउने भयो। यस्तो अवस्था हुँदा मातहतको निकायले आफ्नो जिम्माका काममा मात्र आफूलाई सीमित राख्नुको विकल्प देखिन्न।

प्रदेश स्तरमा शिक्षाका काम गर्ने धेरैओटा निकाय रहेको देखिन्छ। जस्तैः गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (परीक्षण सकिए लगतै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यो प्रतिष्ठान खारेज भएको जानकारी आएको छ), गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र कास्की र पर्वत, रोजगार सूचना केन्द्र, पोखरा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को गण्डकी प्रदेश कार्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू र सामाजिक विकास कार्यालयहरू। यी निकायको कार्यक्रम तय गर्ने, यिनको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन लिने, आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता व्यवस्थापकीय नियन्त्रणका महत्त्वपूर्ण काममा निर्देशनालयको खासै भूमिका नदेखिँदा यी सबै सङ्गठन निर्देशनालयकै समानान्तर जस्ता देखिन पुगेका छन् जसले निर्देशनालयको भूमिकामा व्यापक सङ्कुचन गरेको देखिन्छ।

प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय आफैं विद्यालय तहमा जाने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग भूमिकाको विषयमा केही अन्यौल, द्विविधा वा सोही क्रममा द्वन्द्वसमेत हुन सक्ने देखिन्छ। तालिमका विषयमा भूमिकामा स्पष्टता भएकाले प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रको भूमिकाका बारेमा खासै द्विविधा छैन। तर पाठ्यक्रम वा शिक्षण वा परीक्षा व्यवस्थापन, स्कूलबसको व्यवस्था, नमुना विद्यालय घोषणा वा विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता विषयमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा अन्य तहका कार्यक्रमसँग दोहोरो पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। विद्यालय शिक्षाको सुधारमा प्रदेश निर्देशनालयले कुनै कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सङ्घ र स्थानीय तहका

कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गर्न, एक अर्को कार्यक्रममा तालमेल कायम गर्न, र एकले अर्कोलाई सहयोग पुऱ्याई समग्र सेवाको नतिजामा सुधार गर्न विशेष ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ।

स्थापना कालदेखि अहिले सम्मको अवधिमा प्रदेशतहबाटै निर्देशनालयको सङ्गठन सर्वेक्षण भई दरबन्दी र पदनाममा केही हेरफेर भए पनि कार्यविवरणमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको देखिन्न। निर्देशनालयको कार्यविवरण यथावत रहे पनि कतिपय प्रदेशहरूमा सोही कार्यविवरण भित्रका काम गर्ने गरी नयाँ सङ्गठनहरू स्थापना भएका देखिन्छन्। कतिपयमा मूल कार्यविवरण यथावत राखी केही कार्यविवरणहरू प्रदेश सरकारले थप गरेको पनि देखिन्छ। खास गरी सामाजिक विकास कार्यालयहरूको स्थापनाले गर्दा प्रदेश तहका कार्यक्रमहरूको जिल्लास्तरमा कार्यान्वयनको जिम्मा ती सङ्गठनले प्राप्त गरेका अवस्थामा निर्देशनालयको भूमिका सङ्कुचन भएको समेत देखिन्छ।

निर्देशनालयको प्रत्येक शाखाको नेतृत्व उपसचिवबाट हुने सङ्गठनात्मक प्रबन्ध गरिएको भए पनि कार्यसम्पादन परिक्षणका लागि स्थलगत अवलोकन गर्दाको शाखा प्रमुख लगायत अन्य दरबन्दीमा पनि पद पूर्ति भएको अवस्था देखिएन। निर्देशनालयमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने विषय निर्देशनालय स्वयम्को नियन्त्रणभित्र रहेको विषय होइन। कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने जनशक्ति आपूर्ति जस्ता विषयको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व उपरि-संरचना र खास गरी तालुक निकायको हुन जाने देखिन्छ। त्यसैले कार्यसम्पादन परीक्षणका क्रममा देखिएको अवस्थालाई-कार्यसञ्चालनको निमित्त उपयुक्त वातावरण पाए नपाएको भन्ने अर्थमा समेत व्याख्या हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ।

निर्देशनालयको भूमिकालाई सेवाको व्यवस्थापन (service management) गर्ने निकायका रूपमा हेर्ने हो भने, सेवाको नीतिगत पक्ष निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको मातहत बसेर उपयुक्त रूपमा स्रोतको प्राथमिकीकरण र परिचालन, रणनीतिक दिशानिर्देश गरेर, अन्य सेवा प्रवाह (service delivery) मा संलग्न निकायहरूलाई सहजीकरण गर्ने, तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर उत्तरदायित्वको संरचनामार्फत सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने भूमिका रहनुपर्ने देखिन्छ, अर्थात, आफैं कार्यान्वयनकर्ता हुँदा भन्दा फरक रूपमा सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने गरी कामको स्वरुप तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा कार्यान्वयनको रणनीति निर्माण, स्रोत परिचालन, प्राथमिकीकरण, समन्वय, सहजीकरण, जस्ता भूमिका प्रधान हुनुपर्ने हो। तर प्रदेश स्तरमा शिक्षा सम्वद्द निकायहरू केही प्रदेशमा धेरै ओटा हुँदा पनि शिक्षा विकास निर्देशनालयको भूमिका भने मूलतः आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। अन्य निकायहरूलाई निर्देशन, समन्वय गरेर समग्र कार्यक्रममा तालमेल भएको सुनिश्चित गरी समग्र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि नेतृत्व लिने गरी यो सङ्गठनलाई विकास गर्न सकिएको देखिएन। बरु, अन्य निकायका कार्यक्रममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेतिर यसका समय बढी खर्च हुने गरेको देखिन्छ। खासगरी, विद्यालय तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही काम र शिक्षक सेवा आयोग सँग सम्बन्धित काममा नै यसको धेरै उर्जा खर्च हुने जस्तो देखिन्छ। सायद सानो क्षेत्र हुने भएका कारणले पनि हुन सक्छ, सङ्गठनमा कुन व्यक्ति प्रमुख पदमा रहेको छ भन्ने विषयले समेत सङ्गठनको कार्यक्रमको दायरा कति फराकिलो हुने वा नहुने भन्ने विषय प्रभावित हुन गरेको भन्ने पनि देखिएको छ।

**प्रदेश निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने सन्दर्भ र वार्षिक कार्यक्रमका विषयमा**

सेवाग्राहीको चासो र माग (कुनै कार्यक्रम रिक्त हुँदा आउन सक्ने माग वा दबाब), मन्त्रालयको चासो र अपेक्षा, कार्यक्रमको निरन्तरताबारे सुनिश्चितता, अन्य तह र सोही तहका शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूको कार्यक्रमसँग तालमेलका कुराहरूले वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्। निर्देशनालयको तुलनात्मक सक्षमता उच्च भएका कार्यक्षेत्रहरू र समग्र शैक्षिक कार्यक्रममा प्रभावकारिता बढाउन यस निकायको सम्भाव्य भूमिका पनि हुन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अन्य निकायबाट आउने मागले समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ। जस्तै, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, निर्माण र कार्यन्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग वा सहजीकरण गर्न पाँच लाख छुट्ट्याइएकोमा स्थानीय तहको माग नआएको वा तत्परता नदेखिएका कारण गण्डकी प्रदेशको निर्देशनालयले छुट्याएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। परीक्षा वा शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा नै मूलतः सेवाको माग आउने गरेको देखिन्छ। अर्थात्, कुनै कार्यक्रम नचल्दा त्यसले सेवामा रिक्तता आउने अवस्था कमै मात्रामा आउनेजस्तो देखिन्छ र यसले कार्यक्रम र सेवाको निरन्तरतामा दबाब सिर्जना गर्दैन भने एक वर्ष रहेको कार्यक्रम अर्को वर्ष हट्दासमेत ठुलो फरक नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको अवस्थामा निर्देशनालयले के कस्ता क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ वा उचित हुन्छ भन्ने पनि छलफलको विषय बन्नु उचित हुन्छ। यस सन्दर्भमा मूलतः यी चार प्रकारका सेवा प्रवाहमा निर्देशनालयले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छः (१) स्थानीय तहको भूमिकालाई प्राविधिक दृष्टिले सघाउने (तथ्याङ्क विश्लेषण, शिक्षा र शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास र उपयोग गर्न सहज हुने गरी त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, योजना निर्माण वा एप्रेज गर्ने), (२) आयतनको लाभका दृष्टिले स्थानीय तहले आफैं गर्न नसक्ने, वा कुशलता हासिल नहुने, जस्ता प्रकृतिका कार्यहरू (जस्तै, प्राविधिक शिक्षाको योजना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दिइने विशेष शिक्षाको व्यवस्थापन, संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै खास समूहलाई लक्षित सेवा दिने गरी सञ्चालित कार्यक्रम-जुन छरिएर रहेका कारणले स्थानीय तहले सेवाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनसक्छ), (३) क्षमता विकास-स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता विकास लक्षित कार्यहरू गर्ने (यसबाट प्रदेशस्तरमा स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने र सहयोग गर्न सक्ने सक्षमताको समेत विकास हुने) र (४) कार्यक्रमिक समन्वय गर्ने प्रकृतिका कार्यहरूः स्थानीय र सङ्घले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन, समन्वय गर्न योगदान पुग्ने, दोहोरोपन हुन नदिई कार्यक्रममा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिने कार्यक्रमहरू।

### निर्देशनालयको तुलनात्मक सक्षमता उच्च भएका कार्यक्षेत्रहरू र यस निकायको सम्भाव्य भूमिका

निर्देशनालयले प्राविधिक दृष्टिले सक्षमता विकास गरेर स्थानीय तहमा सहयोग पुऱ्याउन सुरु गरेपछि, सो सेवाको माग स्वतः सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ। रणनीतिक दृष्टिले सोच्दा, आफूले अलग्गै कार्यक्रममार्फत विद्यालयसम्म पुग्दा कतिपय अवस्थामा असामञ्जस्यको अवस्था सिर्जना हुने, दोहोरोपन हुन सक्ने र कतै सेवा रिक्तता हुन सक्ने भएकाले समग्र योजनामा सहकार्य गर्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। तथ्याङ्क विश्लेषण, नीति र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, भावी दिनमा लिन सकिने कार्यदिशाबारे निश्चित दृष्टिकोणसहित छलफल गर्न सक्ने, प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहले सोबाट लाभ लिन सक्ने र कार्यक्रममा अन्तर-तह सौहार्द बढ्ने र अन्तिम तहमा अपेक्षित नतिजामा सुधारमा सह-प्रयत्न हुने अवस्थातर्फ काम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

**कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भ**

यस सन्दर्भमा निर्धारित प्रक्रिया मार्फत अन्य निकायसँग तालमेल र समन्वय र प्रक्रियामा प्रभावकारिताको अवस्थालाइ विचार गर्नुपर्दछ। योजनाका बखत छलफल गर्ने अभ्यासले समन्वयको निश्चित आधार दिएको देखिन्छ। यसबाहेक कहिलेकाहीँ हुने समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना हुने गरेको र सोबाट समेत आपसी समन्वयमा सहयोग पुगेको देखिन्छ। तर विभिन्न तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रममा समपूरक र परिपोषक हुने गरी तर्जुमा र सञ्चालन गर्न अझै मेहनत गर्न बाकिँ रहेको देखिन्छ। कुन प्रकारको कार्यक्रम कुन तहले गर्दा प्रभावकारी र कुशलतासाथ सम्पादन हुन सक्छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषण गरेर सो आधारमा कार्यक्रमको विनियोजन गर्ने काममा समेत सहकार्य हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ। जस्तै, कोभिड-१९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई राहत दिने कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय कुन तहले गर्दा बढी प्रभावकारी होला? घरपारिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर दिइने यस्ता अनुदानलाई जति नजिकबाट दिइयो उत्ति नै बढी उद्देश्यपरक र कुशलताका साथ सञ्चालन हुन सक्छ। समग्र नतिजालाई केन्द्रमा राखेर सो नतिजा प्राप्ति गर्न कुन तहले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने समन्वयात्मक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास बिकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

**प्रदेशगत कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था, समस्या तथा चुनौति, सुधार सम्भावना र भावी कार्यदिशा**

यस प्रतिवेदनमा सातओटै प्रदेशमा रहेका शिक्षा विकास निर्देशनालयको आव २०८०/८१ को कार्यक्रम र प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा यी प्रदेशमा शिक्षाको स्तरमा निकै विविधता छ, त्यस्तै कार्यक्रमको प्रकृति, स्रोतको लगानी र कार्यसम्पादनको स्तर एकनास छैन। साथै निर्देशनालयले कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न उपयोग गरेका वृहत्तर सङ्गठन र संरचनामा समेत निकै नै विविधता देखिन्छ।

सबै प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर, शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा उपलब्धिहरू 'सामान्य' स्तरका वा अझ चिन्ता लिनुपर्ने स्तरका रहेको देखिन्छ।

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा सो प्रदेशको शिक्षाको स्तर र प्राथमिकता, प्रदेशबाट लगानी गर्दा समग्र प्रणालीमा उच्चतम लाभ हुनसक्ने नसक्ने जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा हुन सके सकेनन् भनेर समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ। शिक्षाका समस्या र चुनौतिको अवस्थाको विशल्लेषण, सो अनुरुप प्रदेशस्तरबाट लगानी जुटाउने वा विनियोजन गर्ने तत्परता र सो अनुरुपका कार्यक्रम रणनीतिक लगानी गर्ने कि सबै जिल्ला वा स्थानिय तहमा निश्चित अंश पुऱ्याउने गरी कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ।

कार्यक्रम तर्जुमा भएपछि सो को नतिजा सुरुमै निर्धारण गरी नतिजामा आधारित व्यवस्थापन गर्ने विषय समेत अन्य निकायमा जस्तै प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको कार्यसम्पादन परीक्षणका क्रममा समेत केन्द्रीय विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।

वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत वा राम्रो प्रगति हासिल गरेर पनि शिक्षाको अवस्था सुधारमा खासै योगदान पुगेन भने, जस्तै- प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सहभागिताको अवस्थामा सुधार भएन भने, वा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार वा कमजोर विद्यालयलाई उद्धार गर्ने उद्देश्यमा टेवा पुगेन र देखिने

परिवर्तन हासिल हुन सकेन भने हाम्रो योजना र कार्यक्रम तर्जुमा पद्धतिमा, वा कार्यान्वयन ढाँचामा वा प्रगति मापन गर्ने पद्धतिमा केही गम्भीर समस्या छ भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि २०८० सालको एसइइ को नतिजा हेर्दा उल्लेख्य सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको नतिजा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) स्तरको भयो, अर्थात् ती विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पढ्न अयोग्य ठहरिए। यो स्तरको नतिजाले शिक्षा व्यवस्थापनको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने र योजनामा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ, जिल्लागत रूपमा हेर्दा दैलेख जिल्लाबाट करिब १६.८५ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र वर्गीकृत नतिजा आयो, अर्थात, ८३ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी अवर्गीकृत स्तरमा रहन पुगे। यस्तो अत्यन्त कमजोर स्तरको नतिजा आउनुलाई सङ्कटपूर्ण अवस्थाका रूपमा लिएर तत्काल सुधारको लागि गम्भीर प्रयत्न हुनुलाई स्वाभाविक कार्य मानिन्छ र जुन अपेक्षित पनि हुन्छ। त्यस्तै परीक्षामा विषयगत रूपमा नतिजाको विश्लेषण गर्दा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता तीन विषयमा सबैभन्दा कमजोर नतिजा रहेको देखिन्छ। यस्ता अवस्थाहरूमा अर्को वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा कुन स्कुलको नतिजा कमजोर रह्यो, त्यहाँको त्यो स्तरको नतिजा आउनुमा के के कारणहरू रहे? र तत्काल के गर्न सकिने हो भन्ने विषयमा व्यावहारिक रणनीतिहरू तयार गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने कुरा ज्यादा स्वाभाविक मानिन्छ। तर त्यसपछिको २०८१/८२ को शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको योजना र वार्षिक कार्यक्रम वा शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई प्रादन गरिएको स्वीकृत कार्यक्रममा सामन्यतया यस्ता विषय परेको देखिएन। एसईई परीक्षाको ब्यवस्थापनलगायत परीक्षासम्बन्धी कार्यमा निर्देशनालयले सो नतिजाको विश्लेषण गर्ने, सो बारेमा वृहत् छलफल गर्ने, र आफ्नो कार्यक्रममार्फत र अन्य निकायका कार्यक्रममार्फत नतिजा सुधारका लागि प्रयत्न गर्न सकेको देखिएन। यसलाई विश्लेषण गर्दा परीक्षाको व्यवस्थापनका कतिपय सन्दर्भमा खास गरी प्रत्यायोजित जिम्मेवारी फछ्र्यौट गर्ने सन्दर्भमा निर्देशनलायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे पनि नतिजाको विश्लेषण गरी सोबाट सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने जस्ता परीक्षा पछिका शिक्षा सुधारका विषयमा ठोस भूमिका निर्वाह हुन सकेको देखिएन।

## ३.७. शिक्षा विकास निर्देशनालयको भनाइ वा राय प्रतिक्रया

भाग-३ मा उल्लेख भएका विषय र कार्यसम्पादन परीक्षणको समग्र नतिजाबारे निर्देशनालय प्रमुखको भनाइ वा प्रतिक्रिया लिने सन्दर्भमा निर्देशनालयका महानिर्देशक वा निर्देशक र कर्मचारीहरूको संयुक्त बैठकमा छलफलमा उठेका केही विषयहरू तलका अनुच्छेदहरूमा उल्लेख गरिएको छः

सेवाको मागका विषयमा निर्देशनालयमा बाहिरका सेवाग्राहीहरू कमै आउने र खास गरी शिक्षक बढुवाको बेलामा शिक्षकहरू बढुवाको बारेमा सोधन आउने वा बढुवाको निर्णय चित्त नबुझेका बखत उजुरी गर्नेहरू पनि सम्पर्कमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ। यसबाहेक प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशनालयमार्फत विद्यालयमा जाने कार्यक्रमहरूका बारेमा पनि बुझ्न आउने गरेको देखिन्छ। केही कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले आवेदन माग गरी विद्यालय छनोटको निर्णय गर्ने सन्दर्भमा (जस्तै- STEM Lab जस्ता कार्यक्रम) सो निर्णयका बारेमा सोध्ने, वा सूचना दिने प्रयोजनका लागि सरोकारवालाहरूले सम्पर्क गर्ने गरेको देखिन्छ। यसबाहेक आफ्ना एसइइ र एसएलसी परीक्षाका प्रमाणपत्रमा भएका नाम, थर र जन्म मितिमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउन आउने र परीक्षाका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि लिन आउने विद्यार्थीहरू पनि सेवा लिन आउनेमा पर्छन्। यो काम मूलतः एसइइ वा एसएलसी परीक्षाको अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएको देखिन्छ।

कार्यविवरणमा शिक्षा तालिम केन्द्रको कामसा समन्वय गर्ने दृष्टिले हेर्दा सरोकारवाला निकायका रूपमा यसलाई पनि हेर्ने गरिन्छ। प्रत्येक निर्देशनालयको भूगोल भित्र एउटा शिक्षा तालिम केन्द्र छ जुन समानान्तर संरचनाको रूपमा रहेको बुझिन्छ यद्यपि निर्देशनालयको नेतृत्व सहसचिवस्तरबाट हुने र तालिम केन्द्रको नेतृत्व उपसचिवस्तरबाट हुने (केही प्रदेशमा बाहेक) व्यवस्था छ। शिक्षा तालिम केन्द्रको कार्यक्रमको समन्वय गर्ने काम सोझै मन्त्रालयबाट हुने गरेका कारण तालिम केन्द्रका कार्यक्रमहरू यस निर्देशनालयको काममा जोडिँदैन।

केही प्रदेशहरूले जिल्ला जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेका छन्। यी कार्यालयहरू सुदूर-पश्चिम र कर्णाली प्रदेशको रिपोर्टिङ् प्रणलीमा आवद्ध गर्ने वा कामका विषयमा निर्देशनालयप्रति उत्तरदायी बनाउने सीमित व्यवस्थालाई छाडेर अन्यत्र निर्देशनालयको मातहतभन्दा पनि मन्त्रालयबाट सोझै सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यी कार्यालयले शिक्षाका कार्यक्रमका अतिरिक्त समाज कल्याणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। सो कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने शिक्षाका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा, वा समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा यी कार्यालयहरू शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग जोडिएपनि निर्देशनालय भन्दा मन्त्रालयबाट समन्वय र नियन्त्रण हुने गरेको देखिन्छ। यसबाट कुनै प्रदेशमा त मन्त्रालयले कुनै एक कार्यक्रम एक वर्ष शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट र अर्को वर्ष सामाजिक विकास कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरी विना आधारमा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ। जस्तै, कुनै आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालित न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन तथा सहयोग कार्यक्रम अर्को वर्ष निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने गरी विनियोजन भएको अवस्था पनि देखिएको छ र यसले यी निकायबिच अनावश्यक प्रतिस्पर्धी भाव बढाउन मदत पुग्ने देखिन्छ। यी निकायका कार्यक्रमले एक अर्को निकायमा हुने कार्यक्रमलाई र खासगरी अन्तिम नतिजालाई कसरी सहयोग पुऱ्याउँछन् भन्ने विषयमा बहस र छलफल हुनुपर्ने र सहकार्यको भाव विकास हुनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धी भावको विकास हुन जाँदा अन्तिम नतिजाको प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै कुनै वर्ष रहेको कार्यक्रम प्रभावकारिताको कुनै समीक्षाबिना नै अर्को वर्ष नरहने गरेको उदाहरण पनि छ। प्रदेश भित्र शिक्षाका मूल समस्याहरू के रहेका छन्? ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएला भन्ने विषयमा बजेट तयारीको बेला निर्देशनालयको कुनै विश्लेषण भएको वस्तुगत आधारहरू देखिएको छैन।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन भएका प्रदेशमा पनि कार्यक्रमको समन्वय गर्ने लगायतको विषयमा पनि निर्देशनालयको ठोस भूमिका रहेको देखिएन। बजेट प्रक्रियालगायत सुपरिवेक्षणका विषयमा मन्त्रालयबाट नै समन्वय हुने भएका कारण यी विषयमा निर्देशनालय निरपेक्ष भएकोजस्तो देखिन्छ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयहरूले वार्षिक कार्यक्रमहरूको अभिमुखीकरण र समीक्षामा प्रदेशभित्र रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू र स्थानीय तहका शिक्षा शाखालाई सहभागी गराइ कार्यक्रमको प्रबोधीकरण र समीक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ। यसबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा यी विभिन्न निकायबिच समन्वय गर्न सहजता आएको देखिन्छ। प्रदेश स्तरीय शिक्षासम्बन्धी एकीकृत सूचनाको विकास गर्नेतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ। विभिन्न स्रोतको सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, समस्या चिनेर हरेक निकायले कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने के के विषय हुनसक्लान् भनेर प्रस्ताव तयार गर्ने जस्ता कार्य गर्न निर्देशनालयको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षाका समग्र कार्यक्रम सञ्चालनको अनुगमन गरेर,

सोबारेमा अनुसन्धान गरेर समृद्ध सूचना तयार गर्न सकेमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई पक्कै पनि थप सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ।

निर्देशनालयले प्रि-बजेट छलफल सञ्चालन गर्दैन, अन्य निकाय जस्तै आफ्ना कार्यक्रम प्रस्ताब गर्ने र सो का सन्दर्भमा छलफलमा भाग लिनेबाहेक प्रदेशभित्रका शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय गर्ने भूमिकामा निर्देशनालय देखिन्न। अन्य निकायले आगामी वर्ष के कस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दै छन् भन्ने निर्देशनालयलाई सुरुमा जानकारी हुन्न। यसकारण, सो का निमित्त निर्देशनालयले के कस्ता कार्यक्रममार्फत सहजीकरण गर्ने र अझ उन्नत रूपमा र प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था निर्माण गर्ने, आफ्ना कार्यक्रमलाई कसरी समन्वयकारी बनाउने र शिक्षाको अन्तिम अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा योगदान गर्ने भन्ने बारेमा समग्र योजना बनाउन सक्रियता देखाउन सकेको देखिन्न। यी कार्यहरूका निमित्त मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिने र सोअनुरुप निर्देशनालयको क्षमता विकास गर्ने कार्य दुबै महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ।

प्राविधिक शिक्षाको योजना गर्ने कार्य प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भए पनि यस उपक्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गर्न सूचना प्रणाली विकास हुन सकेको छैन र निर्देशनालय यसमा जोडिएको छैन र सङ्कलन हुने गरेका सूचनामा समेत पहुँच पुगेको देखिन्न। शिक्षाको समग्र कार्यक्रममा जिम्मेवारी लिने, सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, उनीहरूको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका विषयमा सक्रिय उपस्थिति देखाउने र प्रदेश स्तरमा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको मूल नेतृत्व लिने निकायका रूपमा विकास गर्न यसको क्षमता विकास गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ।

## ३.८. कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रमको सबल र सुधारात्मक पक्ष

### ३.८.१ सबल पक्ष

मार्गदर्शन र परीक्षण साधनले कार्यसम्पादन परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाएको छ। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व तह कार्यसम्पादन परीक्षणप्रति सकारात्मक रहेको देखिन्छ। परीक्षणको क्रममा निर्देशनालयको तत्परता, सहयोग र संलग्नता अत्यन्तै प्रभावकारी र सौहार्दपूर्ण रहेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएको भेटिएको छ। सम्बन्धित आर्थिक वर्षका कागजातहरू व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको भेटिएको तथा परीक्षणका क्रममा परीक्षण गरिने निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी परीक्षणका क्रममा सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराममा अधिकांशले सकारात्मक दृष्टिकोणले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको कुरा प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरेको वा छलफलका क्रममा व्यक्त गरेको पाइएको छ। समग्रमा भन्दा यस परीक्षणले गरेका काम देखाउने, सो प्ति गर्व गर्ने, अवसर दिनुका साथै, छलफलका दौरान आगामी दिनमा के मा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भनेर आत्म-समीक्षा गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ।

### ३.८.२ सुधारात्मक पक्ष

कार्य विवरणमा भएका कतिपय विषयहरू अहिले पनि सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारका कारण निर्देशनालयले सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले यस्ता विषयमा मापनका साधन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कार्यालयका कार्यविवरणमा कुनै सधैं गर्नुपर्ने र कुनै कहिलेकहीं मात्र गर्नुपर्ने हुनाले कार्यसम्पादन परीक्षणको लागि सूचक बनाउँदा कार्यविवरण हुबहु राख्नुभन्दा पनि खास खास समूहमा वर्गीकरण गरेर प्रयोग गर्ने गरी साधनमा सुधार गरेमा परीक्षण अझै वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ।

परीक्षणका लागि तयार पारिएको सूचकको भाग-२ मा बजेटको भार र कार्यक्रमको प्रकृतिलाई विचार नगरी सबै शीर्षकलाई समान अङ्कभार दिइएका कारण भाग-२ को अङ्कनको औचित्य र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने अवस्था देखिएको र यस्ता सूचकहरू कार्यक्रमको नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामुखी हुने अवस्था रहेको छ। चालु खर्चका तलब भत्ता, कर्मचारी पोसाक, इन्धन, बिजुली, कार्यालय प्रयोजनका सामग्रीहरूकोमर्मत सम्भार, लगायतका विषहरूको खर्च प्रणालीलाई मार्ग निर्देश गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली रहेका छन्। सङ्घीय अनुदानको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/०८१ रहेको छ भने शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका आ आफ्नै निर्दिष्ट कार्यविधिहरू रहेका छन्। प्रदेश अनुदानको हकमा माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पुस्तिका जारी भएको देखिन्छ। तर परीक्षणको लागि तयार गरेको रूब्रिक्समा दिइएका अङ्क प्रदान गर्ने आधारहरू कतिपय सूचकको हकमा प्रचलित कानुन, उल्लिखित निर्दिष्ट विधि र प्रक्रियासँग तादात्म्य मिलेको देखिँदैन। यस्तोमा सुधार गरिनुपर्दछ।

सेवाग्राही सन्तुष्टिमा विभिन्न क्षेत्रका सेवाग्राहीलाइ समेट्ने प्रयास राम्रो रहेको छ। तर उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने फाराम एकै प्रकारको भन्दा पनि उनीहरूको आफ्ना खास खास कामसँग वा उनीहरूले प्राप्त गरेको सेवासँग सम्बन्धित भएर मात्र सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अवस्था भएमा मापन बढी वस्तुनिष्ठ हुने देखिन्छ। तसर्थ, उल्लिखित विषयहरूमा आगामी दिनका परीक्षणमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

## ३.९. परीक्षणकर्ताको राय सुझाव

परीक्षणकर्ता विज्ञहरूले दिएको राय परामर्श हेर्दा परीक्षण मार्ग दर्शनले तुलनायोग्य बनाउन मापनका साधनहरूमा अङ्कन प्रणालीमा जोड दिएको भए पनि सूचकमा राखिएका विषयहरूमा विशेष गरी भाग-१ र भाग-२ का सूचकहरूमा अङ्कन मापनको सन्दर्भमा काम गर्दा यो अङ्क विविध कारणले निर्देशनालयहरूबिच तुलनायोग्य देखिँदैन। तसर्थ भाग-१ र भाग-२ मा दिएका थप जानकारी र सुझावहरू तथा भाग-३ मा दिएका विश्लेषणात्मक विवरणहरूका आधारमा परीक्षणका प्राप्तिहरूलाई परिमाणात्मक विश्लेषण (quantitative analysis) भन्दा पनि गुणात्मक विश्लेषणको (Qualitative Analysis) गरिनु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। यस्तो विश्लेषणबाट जुन अवधारणाअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गर्दा नेपाल सरकारले कार्यविवरण स्वीकृत गरेको हो त्यो भूमिकामा पूर्ण रूपमा निर्देशनालयलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरू र प्रदेश सरकार र विशेषतः शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका समेतका विषयमा समीक्षा भई प्रणाली सुधार गर्न वा कार्य विवरणमा पुनः परिभाषित गर्न योगदान पुग्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

# परिच्छेद चार

# प्राप्ति र सुझावहरू

## ४.१. कार्यसम्पादन परीक्षणका मुख्य मुख्य प्राप्तिहरू

१. कार्यसम्पादन परीक्षण सम्बन्धमाः कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधनले परीक्षणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व कार्यसम्पादन परीक्षणप्रति सकरात्मक रहेको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय परीक्षणप्रति तत्पर र जागरूक एवम् संवेदनशील रहेको छ।

२. कार्यविवरणसम्बन्धी सूचकका सम्बन्धमाः निर्देशनालयलाई तोकिएका कार्य विवरणको आधारमा सूचक तयार पारिएको भए पनि कार्यविवरणमा भएका भाग-१ का ३३ ओटा सूचकमध्ये १० ओटा सूचकहरू (३०.३०%) मा सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको र ५ ओटा सूचकहरू (१५.१५%) मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले भूमिका वा जिम्मेवारी नदिएको र कुनै सहजीकरण पनि नगरेका कारण कुल ३३ मध्ये १७ ओटा (५१.५१%) कार्यविवरणमा मात्र शिक्षा विकास निर्देशनालयले काम गर्न पाउने वा गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले पहिचान भएका ती १७ ओटा कार्यविवरणलाई मात्र कार्य सम्पादनको अङ्क मापनका लागि प्रयोग गरिएको छ।

३. कतिपय कार्यहरू निर्देशनालयका निमित्त सान्दर्भिक नै नहुनेः शिक्षक निवृत्तिभरण वितरण, शिक्षक तलब पारित गराउने र शिक्षक सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्नेजस्ता कार्यका हकमा प्रदेशले कानुनी रूपमा जिम्मेवारी पाइनसकेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका अरु कतिपय कार्यहरू सुरु नै नभएको अवस्थासमेत देखियो। जस्तै, कुनै प्रदेश निर्देशनालयको हकमा कुल ३३ मध्ये १५ (४५%) ओटा बुँदा मात्र सान्दर्भिक भएको पनि भेटिएको छ। प्रदेश स्तरमा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने कुरा निर्देशनालयको कार्यविवरण परे पनि कुनै प्रदेशमा सो नीति बनाउने सन्दर्भमा काम सुरु नभएको वा कुनैमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सो काम भएको र निर्देशनालयको खासै संलग्नता हुन नसकेको जस्तो स्थिति समेत देखिएको छ। त्यस्तै, कुनै प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालय नरहेको अवस्था छ भने कुनैमा जनशक्ति योजना निर्माण गर्ने वा शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति दिने जस्ता कार्यको सुरु नै नभएको, अवस्थासमेत देखिएको छ। त्यसैगरी शिक्षकको सेवा, शर्त, योग्यता र सक्षमतासम्बन्धी मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी काम नभएको देखिएको छ।

४. सूचकको भाग-१ सँग सम्बन्धित सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा ३४ पूर्णाङ्कमा विश्लेषण गरिएको छ भने भाग-२ सँग सम्बन्धित सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्बेक्षणमा ३० पूर्णाङ्कमा विश्लेषण भएको छ। दुवै खण्डको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम हेर्दा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको कामकाबारे सेवाग्राहीबाट प्रदेशगत अवस्थामा फरक फरक प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू र कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही

शिक्षक तथा अभिभावक तुलनात्मक रूपमा बढी सन्तुष्ट छन् भन्ने देखिन्छ। सबै सेवाग्राहीलाई एकै प्रकारको प्रश्नावली बनाउने भन्दा पनि उनीहरूको आफ्ना खास खास कामसँग वा उनीहरूले प्राप्त गरेको सेवासँग सम्बन्धित भएर मात्र सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अवस्था भएमा मापन बढी वस्तुनिष्ठ हुनेसमेत देखिएको छ।

५. भाग-३ मा व्यक्त भएका खुला विचारका विषयमाः यसमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण नभएको वा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नपाएको कारण कार्यविवरणबमोजिमका अधिकांश कार्यहरू कार्यान्वयनमा रहेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको रहेको छ। यसमा सुधार गर्न निर्देशनालयलाई हाल तोकिएका ३३ वटा कार्यविवरणबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट कानुनी आधारहरू तयार भई ती कार्यविवरणको मर्मबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने अन्यथा कार्यविवरण परिमार्जन गरी अद्यावधिक गर्न उपयुक्त हुने ढङ्गका सुझावहरू यस खण्डमा प्राप्त भएका छन्।

६. समष्टिगत प्राप्ताङ्क र यसको व्याख्याः शिक्षा विकास निर्देशनालयले भाग-१ को कार्यसम्पादनमा कुल ५१ पूर्णाङ्कमा अधिकतम अङ्क ४२ (८२.३५%) देखि न्यूनतम अङ्क २२ अङ्क (४३.१४%) रहेको देखिन्छ। यसमा नूनतम अङ्क र अधिकतम अङ्कबिचको फरक झण्डै दोब्बर रहेको छ। निर्देशनालयगत हिसाबले हेर्दा कोशीको २६, मधेशको २२, बागमतीको ४२, गण्डकीको ३४, लुम्बिनीको ३२, कर्णालीको ३० र सुदूरपश्चिमको ३६ रहेको छ। त्यसैगरी भाग-२ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको अङ्कलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरेर हेर्दा न्यूनतम ३८.४६% देखि अधिकतम ९६.३५% को बिचमा रही ठुलो अन्तर देखिन्छ। प्रदेशगत हिसाबले यो प्रतिशत कोशीको ४६.६७, मधेशको ३८.४६, बागमतीको ८६.८२, गण्डकीको ७०.६९, लुम्बनीको ५४.४७, कर्णालीको ८३.८६ र सुदूरपश्चिमको ९६.३५ रहेको छ। परीक्षण मार्गदर्शनअनुरुप कार्यसम्पादनको भारित प्राप्ताङ्क र कार्यसम्पादनको समग्रस्तरलाई हेर्दा प्रदेशगत हिसाबले कोशीको ४९.७१ (सामान्य वा सन्तोषजनक), मधेशको ३९.५१(कमजोर), बागमतीको ८०.८७ (धेरै राम्रो), गण्डकीको ६६.० (राम्रो), लुम्बिनीको ५७.९१ (सामान्य वा सन्तोषजनक), कर्णालीको ७१.०३ (राम्रो) र सुदूरपश्चिमको ८३.३७ (धेरै राम्रो) रहेको छ। यसरी कार्यसम्पादन स्तरलाई विश्लेषण गर्दा सातओटा प्रदेश निर्देशनालयमध्ये दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको धेरै राम्रो, दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको राम्रो, दुईओटा प्रदेश निर्देशनालयको सामान्य र एउटा प्रदेश निर्देशनालयको कमजोर स्तरको रहेको पाइएको छ। कार्यसम्पादन स्तरमा विविधता आउने धेरै ओटा कारणहरू हुनसक्ने, र कतिपय कारणहरू निर्देशनालयको अधीनमा नरहने प्रकृतिको समेत हुनसक्ने हुँदा यो परीक्षणमा यी सङ्गठनले प्राप्त गरेको अङ्कको निरपेक्ष तुलना गर्ने विषयमा भने धेरै नै होसियारी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।

७. प्रदेश स्तरमा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने अलग्गै मन्त्रालय नरही शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई हेर्ने गरी एउटै मन्त्रालयबाट सो काम सम्पादन हुँदै आएको तर, शिक्षा क्षेत्र मात्र हेर्ने गरी शिक्षा

विकास निर्देशनालय स्थापना भएको विषयलाई आधार मानेर कुनै प्रदेशमा (जस्तै- गण्डकी) जिल्ला स्तरमा सोझै मन्त्रालयको मातहत रहने गरी सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। तर, कुनै अर्को प्रदेशमा (जस्तै- कर्णाली प्रदेश) १० जिल्ला मध्ये ९ जिल्लामा सो संरचना रहने र ती कार्यालयहरू निर्देशनालयको मातहतमा सञ्चालन हुने गरी सङ्गठन सञ्चालनमा रहेको तथा निर्देशनालय रहेको जिल्लामा भने सामाजिक विकास कार्यालय नरहने र सो काम समेत निर्देशनालयबाट नै सम्पादन हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। कुनै प्रदेशमा (जस्तै- सुदूरपश्चिम) सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयहरू रहेको र ती कार्यालयले गर्ने काममध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित काममा निर्देशनालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ।

८. जिल्लास्तरमा सङ्घीय निकायका रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहँदै आएको, र प्रदेश मन्त्रालय मातहत सामाजिक विकास कार्यालय रहँदा कतिपय अवस्थामा काममा दोहोरोपना भएजस्तो पनि देखिएको छ। यसप्रकार जिल्लास्तरमा शिक्षाका काम हेर्ने दुई दुई ओटा संरचना रहँदासमेत निर्देशनालयको मातहत कुनै कार्यालय नरहेको जस्तो अवस्था देखिँदा निर्देशनालयको कार्यसम्पादन क्षमता समेत प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा निर्देशनालयले कसलाई निर्देशन दिने हो वा, कोमार्फत काम गराउने भन्ने जस्तो अन्यौल रहेको देखिन्छ। अर्थात, संचरनागत द्विविधाले गर्दा प्रभावकारितामा असर गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

९. परीक्षणका सम्बन्धमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष: परीक्षणका लागि तयार पारिएको सूचकको भाग-१ मा उल्लेख भएका विषय निर्देशनालयलाई तोकिएका कार्य विवरणको आधारमा तयार पारिएको। तर कार्य विवरणमा भएका कतिपय विषयहरू अहिले पनि शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ र अन्य कानुनी प्रबन्धका हिसाबलेबमोजिम सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका विभागीय निकायबाट नै सम्पादन भइरहेको अवस्था देखिएकोले ती सूचकहरूमा मापन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यस्तै कार्य विवरणमा भएका कतिपय विषयहरूमा निर्देशनालयले चाहेरमात्र काम हुन सक्ने अवस्था नरहेको बरू प्रदेश सरकार अन्तरगतको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व ती काम गराउनका लागि बढी जिम्मेवार हुने अवस्थामा देखिएकोले त्यस्ता सूचकमा वस्तुगत ढङ्गले कार्य सम्पादन स्तर मापन हुन नसक्ने अवस्था रहेको।

१०. परीक्षणका लागि तयार पारिएको सूचकको भाग-२ मा बजेटको भार र कार्यक्रमको प्रकृतिलाई विचार नगरी सबै शीर्षकलाई समान अङ्कभार दिइएका कारण भाग-२ को अङ्कनमा सूचकहरू कार्यक्रमको नतिजा भन्दा पनि प्रक्रियामुखी हुने अवस्था रहेको छ। चालु खर्चका तलब भत्ता, कर्मचारी पोसाक, इन्धन, बिजुली, कार्यालय प्रयोजनका सामग्रीहरूको मर्मत सम्भार, लगायतका विषयहरूको खर्च प्रणालीलाई मार्गनिर्देश गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली रहेका छन्। सङ्घीय अनुदानको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/०८१ रहेको छ भने शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका आ आफ्नै निर्दिष्ट कार्यविधिहरू रहेका छन्। प्रदेश अनुदानको हकमा माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पुस्तिका जारी भएको देखिन्छ। तर परीक्षणको

लागि तयार गरेको रूब्रिक्समा दिइएका अङ्क प्रदान गर्ने आधारहरू कतिपय सूचकको हकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र उल्लिखित कार्याक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिले तय गरिदिएका निर्दिष्ट विधि र प्रक्रियासँग तादम्यता मिलेको देखिँदैन।

११. सेवाग्राही सन्तुष्टिमा विभिन्न क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेटने प्रयास राम्रो रहेको छ। तर उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने फाराम एकै प्रकारको भन्दा पनि उनीहरूको आफ्ना खास खास कामसँग वा उनीहरूले प्राप्त गरेको सेवासँग सम्बन्धित भएर मात्र सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अवस्था भएमा मापन बढी वस्तुनिष्ठ हुने देखिएको छ। दुवै खण्डको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम हेर्दा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको कामबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू र कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही शिक्षक तथा अभिभावक तुलनात्मक रूपमा बढी सन्तुष्ट छन् भन्ने देखिन्छ।

१२. भाग-३ मा व्यक्त भएका खुला विचारका विषयमाः यसमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण नभएको वा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कुनै भूमिका वा जिम्मेवारी नपाएको कारण कार्यविवरणबमोजिमका अधिकांश कार्यहरू कार्यान्वयनमा रहेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको रहेको छ। यसमा सुधार गर्न निर्देशनालयलाई हाल तोकिएका ३३ ओटा कार्यविवरणबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट कानुनी आधारहरू तयार भई ती कार्यविवरणको मर्मबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने अन्यथा कार्यविवरण परिमार्जन गरी अद्यावधिक गर्न उपयुक्त हुने ढङ्गका सुझावहरू यस खण्डमा प्राप्त भएका छन्।

१३. जुन विषयको मापन र परीक्षण हुन्छ त्यसमा सार्वजनिक चासो बढछ, र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढ्न सहयोग पुग्छ भनिन्छ ("What gets measured, gets done")। परीक्षणले कार्यसम्पादनमा थप चासो जगाउँछ, थप मेहनत गर्न जाँगर चलाउँछ, किनकि मानव स्वभाव अनुरुप काम गरे बापत जस पाउने, अरुको दृष्टिमा पर्ने, सार्वजनिक रूपमा गौरवको अनुभूति हुने अवस्था आउने स्थितिमा पक्कै पनि थप मेहनत गर्न जाँगर चल्छ। त्यसकारण कार्यसम्पादनको परीक्षणमार्फत सार्वजनिक सङ्गठनलाई थप मेहनत गर्न जगाउन, काम गर्नेलाई चिनिने गरी प्रोत्साहित गर्न र साङ्गठनिक प्रभावकारिता वृद्धि गरी जनसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। शिक्षा विकास निर्देशनालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको कार्यलाई समेत यसै सन्दर्भमा हेर्नु मनासिब हुने देखिन्छ।

## ४.२. सुझावहरू

१. सङ्घीय तहमा कार्यविवरण स्वीकृत भएपछिको करिब सातवर्षको कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गरी उपयुक्त कदम चाल्न विषयगत मामिला हेर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कार्यविवरण स्वीकृति गर्न प्रस्ताव गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको कार्यविवरण अनुरुपको काम निर्देशनालयले सहजरूपमा गर्न पाउने गरी अपर्याप्त रहेका र बाधक बनेका कानुनी प्रबन्ध मिलाउन र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विषयहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२

ले व्यवस्था गरेको विषयगत समितिमा समीक्षा गरी कार्यविवरणका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२. प्रदेश तहमा शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयले स-साना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धीजस्तो देखिने प्रकृतिका कार्यक्रमको सट्टा शिक्षाका समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउने गरी आफूलाई तयार गर्ने र सोअनुसार वार्षिक कार्यक्रमका प्रकृतिमा पुनःअभिमुखीकरण गर्नु मनासिव हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा वस्तुपरक शैक्षिक तथ्याङ्क विश्लेषण, योजना निर्माण, शिक्षाका कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, शिक्षण प्रविधिमा सुधार, जस्ता पक्षमा काम गर्ने क्षमता नभएको भनेर बेलाबेलामा व्यक्त हुने गरेका विषयलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको रिक्तता मान्ने हो भने निर्देशनालयले सो रिक्तता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रदेश भित्रका तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी शैक्षिक मुद्दाहरूबारे छलफल चलाउने, स्थानीय तहमा शिक्षा योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा बनेका योजनाको समीक्षा गरी प्राविधिक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, स्थानीय तहका जनशक्तिको यस क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने, प्रदेशभित्रका अनुभवहरू एक आपसमा साटफेर गर्ने जस्ता क्रियाकलापमार्फत समग्र शिक्षा सुधारमा सहयोग पुऱ्याउने सम्भावना देखिन्छ। यसका निमित्त प्रदेश निर्देशनालयको क्षमता विकासले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ।

३. जुन अवधारणाअन्तर्गत कार्यविवरण स्वीकृत गरिएको हो त्यो भूमिका र जिम्मेवारी खासगरी उच्चशिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयले पाउन नसकेको अवस्था देखिन आएको र कतिपय स-साना प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि निर्देशनालयको कार्यविवरणलाई नजरअन्दाज गरी मन्त्रालयबाटै सम्पादन भइरहेको अवस्था देखिएकोले नेपाल सरकारबाट निर्देशनालयको रूपमा कार्यविवरणमा स्पष्टताका साथ उल्लेख भएका यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयस्तरबाट समीक्षा भई कार्य प्रणाली सुधार गरिनु पर्दछ वा कार्य विवरणमा पुनः परिभाषित गरिनु पर्दछ।

४. शिक्षक तालिमको सहजीकरण, अनुगमन र नियमनका विषयमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रका बिचमा समान बुझाइ नभएका कारण सार्थक सहभागिता र समन्वयमा असर परेको पाइएकोले सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविवरण समेतलाई मध्यनजर गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिन वा सहजीकरण गर्न र आवश्यक परे कार्यविवरणको व्याख्या वा परिमार्जन गर्नेतर्फ कार्य गर्न मनासिव हुने देखिन्छ।

५. प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने, विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने गराउने र प्रदेशस्तरमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने विषयमा निर्देशनालयले आन्तरिक छलफल तथा तयारी गरी आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरी सो कार्यलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ।

६. प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने विषयमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यविवरण र निर्देशनालयको जनशक्ति समेतका आधारमा प्रदेश सरकारले समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गरिनु पर्दछ।

७. विद्यार्थीको पहुँच र सहजतालाई ध्यानमा राखी एसइइ र एसएलसीका पुराना प्रमाणपत्रका नाम थर तथा जन्म मितिमा समान्य त्रुटि सच्याउनेसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली वा अन्य कानुनी प्रबन्धबाट थप व्यवस्थित गरी निर्देशनालयलाई नै जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ।

८. विद्यालयको पूर्वाधार विकासतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा र एकल अनुदानमा निर्माण हुने ठुला विद्यालय भवनको निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र कामलाई प्रभावकारी एवम् मितव्ययी बनाउन पूर्वाधार विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयको स्वीकृत डिपिआरबमोजिम बहुवर्षीय स्रोतको सुनिश्चितता गरी ठेक्का एकैपटक गर्ने गराउने र कार्यसम्पादनका आधारमा सालबसाली भुक्तानी गर्ने गरी प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।

९. शिक्षा विकास निर्देशनालयले स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा अनुगमन योजना र विषयको प्रकृति हेरी अनुगमन सूचक बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। यसरी सूचकमा आधारित भएर गरिएको अनुगमनको कम्तीमा अर्धवार्षिक र वर्षिक समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरी समीक्षा गर्ने र सरोकारवाला निकायहरूमा सम्प्रेषण गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्दछ।

१०. प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३० को उपदफा (२) ले प्रदेश सरकारलाई अनिवार्य गरेको बजेट प्रबन्धसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक प्राविधिक तयारीका काम गर्ने र सोही ऐनको दफा ३६ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको प्रगति विवरणलाई स्थानीय तहबाट प्राप्ति गर्न र कार्यक्रम तर्जुमा, अभिमुखीकरण र समीक्षाका विषयमा छलफल गर्ने तथा सो को एकीकृत विवरण तयार पारी सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकाय शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा समेत पठाउने व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ।

## सन्दर्भसामग्री


नेपाल सरकार (२०२८)। *शिक्षा ऐन (संशोधन सहित)* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०५७)। *शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संशोधन सहित)* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०५९)। *शिक्षा नियमावली (संशोधन सहित)* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०६३)। सार्वजनिक खरिद ऐन *(संशोधन सहित)* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०७२)। *नेपालको संबिधान* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०७५)। *अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०७६)। *राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली (संशोधन सहित)* । www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०७७)। *सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्वन्ध) ऐन*। www.lawcomission,gov.np

नेपाल सरकार (२०७७)। *अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली* । www.lawcomission,gov.np

प्रदेश सरकार (२०७५)। *सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन*। https://giwmscdnone.gov.np/media/files/

प्रदेश सरकार (२०७८) । *गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति*। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पोखरा

प्रदेश सरकार (२०७८) । *सुदूरपश्चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली*। https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/

प्रदेश सरकार (२०७९) । *प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७९/८०-२०८२/८३)*। सुदूरपश्चिम प्रदेश, नीति तथा योजना आयोग, धनगढी कैलाली।

प्रदेश सरकार (२०७९) । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन। सुदूरपश्चिम प्रदेश, *https://moea.sudurpashchim.gov.np/content/*

प्रदेश सरकार (२०८०) । निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय *(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)* निर्देशिका। सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी कैलाली।

प्रदेश सरकार(२०८०) । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली। सुदूरपश्चिम प्रदेश, https://moea.sudurpashchim.gov.np/content

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (२०७८)। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ संक्षिप्त नतिजा। थापाथली, काठमाडौं। www.censusnepal.cbs.gov.np/results/downloads

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (२०७८)। *प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि*। सिंहदरबार, काठमाडौं।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, (२०६३)। *शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन (Performance Based Monitoring) सूचकहरू* । केशरमहल, काठमाडौं।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (२०६३) । *आ.व. २०८०/०८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका*। सानोठिमी, भक्तपुर।

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०७९)। *शैक्षिक दर्पण*। दिपायल, डोटी

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०८०)। *शैक्षिक बुलेटिन* । दिपायल, डोटी

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०८१)। स्थिति प्रतिवेदन (Statue Report) आ. व. २०८०/०८१। हेटौंडा, नेपाल।

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०८१)। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ. व. २०८०/०८१। हेटौंडा, नेपाल।

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०८१)। *शैक्षिक बुलेटिन सुदूरपश्चिम प्रदेश*। दिपायल, डोटी।

शिक्षा विकास निर्देशनालय (२०८१)। *शैक्षिक बुलेटिन सुदूरपश्चिम प्रदेश*। दिपायल, डोटी।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७९)। *पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका*। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०८२)। *शैक्षिक सूचना-२०८१।* सिंहदरबार, काठमाडौं।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०७६)। *विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण (NASA), २०१८ कक्षा ५, संक्षिप्त सार्वजनिक प्रतिवेदन*। सानोठिमी, भक्तपुर।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०७७)। *विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण (NASA), २०१९ कक्षा १०, संक्षिप्त सार्वजनिक प्रतिवेदन*। सानोठिमी, भक्तपुर।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०८१)। *शिक्षा विकास निर्देशनालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन र परीक्षण साधन।* सानोठिमी, भक्तपुर।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०८१)। *शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन देखि २०८१ असार मसान्तसम्म)*। सानोठिमी, भक्तपुर।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७७)। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि। https://mofaga.gov.np/detail/1697

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७९)। *व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका।* सिंहदरबार काठमाडौं।

सामाजिक विकास कार्यालय (२०७९) *। वार्षिक प्रगति विवरण २०७८/०७९*। सामाजिक विकास कार्यालय, दिपायल डोटी।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (२०८१)। विद्यालय स्तरीकरण सूचक, २०१८। गण्डकी प्रदेश, पोखरा।

सामाजिक विकास मन्त्रालय (२०८०)। आ.ब. २०८०/०८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०६८)। सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका। सिंहदरबार, काठमाडौं।

सूचना तथा प्रसारण विभाग (२०८१)। *नेपाल परिचय (१२ औं संस्करण)*।सञ्चारग्राम, तिलगंगा, काठमाडौं।

CEHRD (2081). *Flash I Report- 2080 (2023/24)*. Center for Education and Human Resource Development, Sanothimi, Bhaktapur.

Education Review Office (2018), *National Assessment of Student Achievement, 2017: Technical Report.* Sanothimi, Bhaktapur

Education Review Office (2018), *National Assessment of Student Achievement, 2017: Public Report.* Sanothimi, Bhaktapur

Education Review Office (2018), *National Assessment of Student Achievement, 2017: Main Report.* Sanothimi, Bhaktapur

Education Review Office (2020), *National Assessment of Student Achievement, 2019: Main Report.* Sanothimi, Bhaktapur

Education Review Office (2022), *National Assessment of Student Achievement, 2020: Main Report.* Sanothimi, Bhaktapur

MOEST (2022), Survey Report on Public and Community Libraries in Nepal. Ministry of Education, Science and Technology/ Shanti Volunteer Association/ READ Nepal

Talbot, Colin. (2010), Theories of Performance: Organizational and Service Improvement in the Public Domain. New York: Oxford University Press

# अनुसूचीहरू

## अनुसूची १ः कार्य विवरणमा आधारित सेवाप्रवाहको सामान्य अवस्थाको परीक्षण (भाग-१) साधन

**परीक्षकलाई निर्देशनः**

- महल (ग) मा दिइएको क्रम सङ्ख्या १ देखि ४ सम्मको सूचकहरूमध्ये उपयुक्त लागेको कुनै एकमा रेजा लगाई सूचकगत प्राप्ताङ्कको महल (ङ) मा लेख्नुहोस् ।
- 'मन्त्रालय' भन्नाले प्रदेश स्तरको शिक्षा सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलाई बुझाउँछ ।
- महल (ख) मा दिइएको एक वा एकभन्दा बढी प्रमाणहरूको आधारमा पुस्ट्याइँ गर्नुहोस् ।
- दिइएको सूचकको कार्यक्रम र कार्यसम्पादनसम्बन्धी उल्लेखनीय जानकारी भएमा सूचकको तलपट्टि दिइएको खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् ।
- भाग-१ को यस खण्डलाई ९०% अङ्कभार दिइएको छ ।

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| १. शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धताअन्तर्गतका विभिन्न नीति, आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने | • सम्झौता तथा प्रतिबद्धतासम्बन्धी कागजातहरू<br>• कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको योजना तथा निर्णय | • कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको पाइएमाः ०<br>• कम्तीमा एउटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः १<br>• दुईओटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः २<br>• दुईभन्दा बढी कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २. प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने दिगो विकासका लक्ष्य (SDG) अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम | • कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा निर्णय<br>• प्रतिवेदन | • कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको पाइएमाः ०<br>• कम्तीमा एउटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः १<br>• दुईओटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः २<br>• दुईभन्दा बढी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमाः ३ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने | | | | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ३. प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने | • सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशन पत्र<br>• सहयोग पुऱ्याएको विवरण खुल्ने कागजात | • सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएबमोजिम वा स्वस्फूर्त रूपमा एउटा पनि कार्यमा सहयोग नपुऱ्याएको भएमाः ० <br>• सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएको वा स्वस्फूर्त रूपमा १ ओटा कार्यमा सहयोग पुऱ्याएको भएमाः १<br>• सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएको वा स्वस्फूर्त रूपमा २ ओटासम्म कार्यमा सहयोग पुऱ्याएको भएमाः २<br>• सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सहयोग माग भई आएका सबै तथा स्वस्फूर्त रूपमा ३ वा सोभन्दा बढी कार्यमा सहयोग पुऱ्याएको भएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ४. विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन व्यवस्था प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने | • कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा निर्णय<br>• प्रतिवेदन | • कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको पाइएमाः ०<br>• कम्तीमा एउटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः १<br>• दुईओटा कार्यक्रम कार्यान्यवन गरेको पाइएमाः २<br>• दुईभन्दा बढी कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ५. प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने | • स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा निर्णय तथा व्यवस्थापकीय कागजातहरू<br>• नियमनसम्बन्धी साधन, कार्ययोजना तथा संयन्त्र | • कुनै पनि कार्य नभएको पाइएमाः ०<br>• डिपिआर स्वीकृति भइसकेको भएमाः १<br>• कार्यान्वयनमा आएको भएमाः २<br>• कार्यान्वयनमा आई नियमन तथा अनुगमन भएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| ६. शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने | • तयारी मापदण्ड<br>• अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, कार्ययोजना, निर्णय, प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात | • कुनै पनि कार्य नभएको पाइएमाः ० <br>• मापदण्ड निर्धारण गरिएको भएमाः १<br>• मापदण्डअनुसार अनुमति दिइएको भएमाः २<br>• माथिको बुँदासहित एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुमति पाएका सबै कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको भएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ७. प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने | • छात्रवृत्ति वितरणको कार्यविधि/निर्देशिका/मापदण्ड तथा निर्णय<br>• कार्यसम्पन्न विवरण खुल्ने कागजात | • कुनै पनि कार्य नभएको पाइएमाः ०<br>• कार्यविधि नबनाई सिधै निर्णय गरी छात्रवृत्ति वितरण र व्यवस्थापन गरिएकोमाः १<br>• कार्यविधि/निर्देशिका/मापदण्ड बनाई छात्रवृत्ति वितरण र व्यवस्थापन गरिएकोमाः २<br>• माथि २ र ३ नम्बरसहित अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थित गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ८. शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने | • सहयोग पुऱ्याएको नीति तथा कानुनी दस्ताबेजको मसौदा<br>• मन्त्रालयको निर्देशन पत्र<br>• निर्देशनालयको निर्णय पुस्तिका | • कुनै पनि कार्यमा सहजीकरण नगरेको पाइएमाः ०<br>• दुईओटा नीति तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरेको पाइएमाः १<br>• चारओटा सम्म नीति तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरेको पाइएमाः २<br>• चारभन्दा बढी नीति तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गरेको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ९. प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने | • स्वीकृत मापदण्ड<br>• अनुगमन र परीक्षण योजना<br>• प्रतिवेदन र सुधार योजना | • कुनै पनि कार्य नगरेको पाइएमाः ०<br>• मापदण्ड निर्धारण गरिएकोमाः१<br>• तयारी मापदण्डअनुसार नियमन तथा अनुगमन गरिएकोमाः२ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| | | • बुँदा नम्बर ३ सहित प्रतिवेदन तयारी र सुधारको योजना निर्माण गरिएकोमा:३ | | |
| थप जानकारी: | | | | |
| १०. प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने | • सहजीकरण र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइएको विवरण खुल्ने कागजात<br>• निर्णयहरू<br>• प्रतिवेदनहरू | • कुनै पनि कार्य नगरेको पाइएमा: ० <br>• चालु आवमा एक पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि सहजीकरण र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइएकोमा: १<br>• चालु आवमा २ पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि सहजीकरण र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइएकोमा: २<br>• चालु आवमा ३ वा सोभन्दा बढी पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि सहजीकरण र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइएकोमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| ११. प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने | • कार्ययोजना तथा कार्यदलको विवरण<br>• जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको दस्तावेज<br>• जनशक्ति योजना तर्जुमा गरिएको दस्तावेज | • नगरिएको भएमा: ०<br>• कार्ययोजना तयारी तथा कार्यदल बनाई जिम्मेवारी तोकिएको भएमा: १<br>• जनशक्ति प्रक्षेपण मात्र गरिएको भएमा: २<br>• जनशक्ति प्रक्षेपण र जनशक्ति योजना तर्जुमा गरिएको भएमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| १२. विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक छनोट र अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षासम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरू सम्पादन गर्ने | • शिक्षक सेवा आयोगको पत्र<br>• सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन | • नगरिएको भएमा: ०<br>• कार्यक्रमबारे स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई जानकारी र परिपत्र गरिएकोमा: १<br>• शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित सबै कार्यहरू सम्पादन गरिएकोमा: २<br>• सम्पादित कार्यको समीक्षा र विश्लेषण गरी सुधारका लागि योजना निर्माण गरिएकोमा: ३ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| थप जानकारीः | | | | |
| १३. विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने | • स्वीकृत मापदण्ड<br>• अनुगमन र परीक्षण योजना<br>• प्रतिवेदन र सुधार योजना | • कुनै पनि कार्य नगरेको पाइएमाः ०<br>• मापदण्ड निर्धारण गरिएकोमाः१<br>• तयारी मापदण्डअनुसार नियमन तथा अनुगमन गरिएकोमाः२<br>• मापदण्डअनुसार नियमन तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयारी र सुधारको योजना निर्माण गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| १४. स्थायी शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, बिमा, औषधी उपचार खर्च, पारिवारिक निवृत्तभरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति र उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने | • विभिन्न सेवा सुविधा वितरण गरिएको अभिलेख<br>• परिपत्र | • कुनै पनि सेवा सुविधा वितरण नगरिएको पाइएमाः ०<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार ५० प्रतिशत सम्म कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः १<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार ७५ प्रतिशत सम्म कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः २<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| १५. स्थायी शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गराउने | • परिपत्र<br>• तलबी प्रतिवेदन पारित गरिएको अभिलेख | • तलबी विवरण पारित नगरिएकोमा वा सो सेवासम्बन्धी जानकारी वा परिपत्र नगरिएकोमाः ०<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार ५० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पन्न हुने गरेकोमाः १<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म कार्यसम्पन्न हुने गरिएकोमाः २<br>• परीक्षणको दिनसम्मको एक महिनामा प्राप्त निवेदनअनुसार शतप्रतिशत कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः ३ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| थप जानकारीः | | | | |
| १६. शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने | • सम्पत्ति विवरणको अभिलेख<br>• परिपत्र | • अभिलेख नराखिएकोमा सो सेवासम्बन्धी जानकारीसम्बन्धी परिपत्र नगरिएकोमाः ०<br>• प्रदेशअन्तर्गतका ५० प्रतिशत शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण राखिएको पाइएमाः १<br>• प्रदेशअन्तर्गतका ७५ प्रतिशत शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण राखिएको पाइएमाः २<br>• प्रदेशअन्तर्गतका शत प्रतिशत शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण राखिएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| १७. शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीनलगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने | • स्वीकृत नीतिगत मार्गदर्शन तथा अन्य डक्युमेन्ट | • कुनै पनि कार्य नगरिएको पाइएमाः ०<br>• नीतिगत मार्गदर्शन तयारीको प्रक्रियामा रहेको पाइएमाः १<br>• नीतिगत मार्गदर्शन तयारी र स्वीकृत भएको पाइएमाः २<br>• अनुसन्धान र अध्ययनमा आधारित भई नीतिगत मार्गदर्शन तयारी गरिएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| १८. प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने | • निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक<br>• विद्यालय एवम् विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख<br>• स्थानीय तह तथा विद्यालयमा गरिएको परिपत्रहरू | • कुनै पनि कार्य नगरिएको पाइएमाः ०<br>• पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाएको भएः १<br>• योजनाअनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमध्ये कुनै एक निर्माण तथा स्वीकृति गरी वितरण गरेको पाइएमाः २ | ३ | |

| कार्यविवरण<br>(क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण<br>(ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार<br>(ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क<br>(घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क<br>(ङ) |
|---|---|---|---|---|
| | • वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्णयहरू | • पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा स्वीकृत गरी वितरण गरेको पाइएमाः ३ | | |
| थप जानकारीः | | | | |
| १९. सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने | • विद्यालय एवम् विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख<br>• स्थानीय तह तथा विद्यालयमा गरिएको परिपत्रहरू<br>• वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्णयहरू | • कुनै पनि कार्य नगरिएको पाइएमाः ०<br>• सामान्य निर्देशन र परिपत्रबमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमाः १<br>• नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यविधि स्वीकृति गरी स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएमाः २<br>• कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण एवम् प्रतिवेदन तयारी गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २०. प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने | • अनुगमन योजना र अनुगमन साधन<br>• प्रतिवेदन | • चालु आवमा अनुगमनको कुनै पनि कार्य नगरिएको पाइएमाः ०<br>• योजना तथा कार्ययोजनाबिना नै अनुगमन गर्ने गरिएकोमा वा २५ प्रतिशतभन्दा कम पालिकामा अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गरिएकोमाः १<br>• अनुगमन योजनासहित चालु आवमा २५ प्रतिशत पालिकामा अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गरिएकोमाः २<br>• अनुगमन योजनासहित चालु आवमा ५० भन्दा बढी पालिकामा अनुगमन गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने | • मन्त्रालयको परिपत्र<br>• सहजीकरण गरिएको नीतिगत मसौदा | • कुनै काम नभएकोः ०<br>• नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्न मन्त्रालयसँग समन्वय मात्र गरिएको<br>• कम्तीमा एक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| | | • कम्तीमा दुई वा दुई भन्दा बढी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरेको | | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्तिको नियमन गर्ने | • छात्रवृत्ति वितरण गरिएको अभिलेख | • कुनै काम नभएकोः ० <br>• नियमन गर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिका बिना नै नियमन गरेको वा कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्यालयमा नियमन गरिएकोमाः १ <br>• स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम ५० प्रतिशतसम्म पालिकामा नियमन गरिएकोमाः २ <br>• स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम सबै पालिकामा नियमन गरिएकोमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने | • मन्त्रालयको पत्र र निर्देशन <br>• सहजीकरण गरिएको पाठ्यक्रमको मसौदा | • कुनै पनि कार्य नभएकोमाः ० <br>• मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको पाइएमाः १ <br>• मन्त्रालयबाट तयार गरिएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको मसौदा माथि पृष्ठपोषण दिने गरिएको पाइएमाः २ <br>• पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको मसौदा तयार गरी वा तयार गर्ने कार्यमा सरिक भई सहजीकरण गरिएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २४. सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुनेगरी प्रदेश भित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अध्यावधिक गर्ने | • अद्यावधिक तहगत तथ्याङ्क | • कुनै कार्य नभएको पाइएमाः ० <br>• परम्परागत विधिमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको पाइएमाः १ <br>• प्रादेशिक एकीकृत सूचना प्रणालीको सफ्टवेयर तयार गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको पाइएमाः २ <br>• तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| २५. विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने | • अनुसन्धान प्रतिवेदन | • कुनै कार्य नभएको पाइएमा: ० <br>• गत र चालु आवमा कम्तीमा १ ओटा शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सन्चालन गरिएको पाइएमा: १ <br>• गत र चालु आवमा २ ओटा शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सन्चालन गरिएको पाइएमा: २ <br>• अनुसन्धानका प्राप्तिहरूका आधारमा सुधारको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको पाइएमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| २६. सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षासम्बन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्दान्त कार्यान्वयन गर्ने | • सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षा सम्बन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्दान्त कार्यान्वयन गर्ने | • प्राप्त भएका फैसला तथा कानुनी सिद्धान्तमध्ये कुनै पनि कार्यान्वयन नगरेको भएमा: ० <br>• प्राप्त भएका फैसला तथा कानुनी सिद्धान्तमध्ये ५० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको भएमा: १ <br>• प्राप्त भएका फैसला तथा कानुनी सिद्धान्तमध्ये ७५ प्रतिशत सम्म कार्यान्वयन गरेको भएमा: २ <br>• प्राप्त भएका फैसला तथा कानुनी सिद्धान्तमध्ये सबै कार्यान्वयन गरेको भएमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| २७. साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने | • विद्यालयको अभिलेख <br>• व्यवस्थापन कार्यविधि <br>• विद्यालय व्यवस्थापन गर्न दिइएको निर्देशन <br>• गरिएको कार्यको अभिलेखीकरण | • कुनै कार्य नभएको पाइएमा वा विद्यालयको अभिलेख नै नभएको पाइएमा: ० <br>• विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि तथा निर्देशका स्वीकृति भएको पाइएमा: १ <br>• स्वीकृत कार्यविधिअनुसार ५० प्रतिशत विद्यालयहरू व्यवस्थित गरिएको पाइएमा: २ <br>• स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सबै विद्यालयहरू व्यवस्थित गरिएको पाइएमा: ३ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| थप जानकारीः | | | | |
| २८. प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण (audit) कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न | • परीक्षण कार्य सम्पादन गरिएको अभिलेख<br>• विद्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको पत्राचार | • कुनै कार्य नभएको पाइएमाः ० <br>• शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तथा सङ्घीय निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा परीक्षण गरिएको पाइएमाः १<br>• प्रदेशको आफ्नै पहलमा परीक्षण कार्य गरिएको पाइएमाः २<br>• परीक्षण कार्यको प्राप्ति तथा प्रतिवेदन विश्लेषण गरी सुधारको कार्योजना बनाएको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| २९. अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने | • निरक्षर जनसङ्ख्याको अद्यावधिक तथ्याङ्क<br>• सञ्चालित साक्षरता कार्यक्रमहरू | • कुनै पनि कार्य नभएको वा अद्यावधिक तथ्याङ्क नभएको पाइएमाः ०<br>• मन्त्रालयसँग समन्वय गरी साक्षर तुल्याउने तथा साक्षर जिल्ला र प्रदेश घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरिएको पाइएमाः १<br>• योजनाअनुसार चालु आवमा कम्तीमा ५० प्रतिशत निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर बनाउने र कम्तीमा ५० प्रतिशत निरक्षर जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमाः २<br>• योजनाअनुसार चालु आवमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर बनाउने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी निरक्षर जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइएमाः ३ | ३ | |
| थप जानकारीः | | | | |
| ३०. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने | • परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तथा कार्यविधि<br>• परीक्षा सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदन<br>• राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिपत्र तथा निर्देशन तथा मापदण्ड | • कार्य नभएको पाइएमा वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशन र मापदण्ड नै प्राप्त नभएमाः ०<br>• राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको निर्देशन र मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई अनुरोध गरेको पाइएमाः १ | ३ | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| | | • परीक्षा सञ्चालनार्थ स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइएमा: २<br>• गत आव तथा चालु आवको परीक्षा सञ्चालन गरी प्रतिवेदन तयारी गरिएको पाइएमा: ३ | | |
| थप जानकारी: | | | | |
| ३१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलगायत कानुनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्य सम्पादन गर्ने | • पहिचान गरिएका कार्यको सूची<br>• कार्यान्वयन गरेको अभिलेख तथा विवरण | • यस्ता कुनै पनि कार्य नगरेको पाइएमा: ०<br>• यस्ता १ कार्य सम्म गरेको पाइएमा: १<br>• यस्ता २ कार्य सम्म गरेको पाइएमा: २<br>• यस्ता ३ वा ३ भन्दा बढी कार्य गरेको पाइएमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| ३२. प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजीकरण,अनुगमन र नियमन गर्ने | • कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका<br>• परिपत्र तथा निर्देशन<br>• अनुगमन प्रतिवेदन | • कुनै कार्य नगरिएको पाइएमा: ०<br>• शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका/मार्गदर्शन जारी गरिएकोमा: १<br>• शिक्षा तालिम केन्द्रको अवस्था र समस्यामा आधारित भई सहजीकरणको खाका तयार गरिएकोमा: २<br>• चालु आवमा कम्तीमा एक पटक शिक्षा तालिम केन्द्रको अनुगमन गरिएको पाइएमा: ३ | ३ | |
| थप जानकारी: | | | | |
| ३३. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएका अन्य कार्य गर्ने | • मन्त्रालयको निर्देशन तथा पत्र<br>• कार्यसम्पन्न विवरण तथा प्रतिवेदन | • कुनै कार्य नगरिएको पाइएमा: ०<br>• चालु आवमा परीक्षणको मितिसमम्म मन्त्रालयबाट तोकिएका कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्यसम्पन्न गरिएकोमा: १ | | |

| कार्यविवरण (क) | पुस्ट्याइँ गर्ने प्रमाण (ख) | कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अङ्क प्रदान गर्ने आधार (ग) | सूचकगत पूर्णाङ्क (घ) | सूचकगत प्राप्ताङ्क (ङ) |
|---|---|---|---|---|
| | | • चालु आवमा परीक्षणको मितिसमम्म मन्त्रालयबाट तोकिएका कम्तीमा ७५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः २<br>• चालु आवमा परीक्षणको मितिसमम्म मन्त्रालयबाट तोकिएका कम्तीमा सबै कार्यसम्पन्न गरिएकोमाः ३ | | |
| थप जानकारीः | | | | |
| **जम्मा सूचक सङ्ख्याः ३३** | **जम्मा पूर्णाङ्क ९९** | **जम्मा प्राप्ताङ्कः** | | |

## अनुसूची २ः सेवाग्राही सन्तुष्टि लेखाजोखा साधन (भाग-१)

**(सेवाग्राही १५ जना अङ्कभार १०%)**

**परीक्षकलाई निर्देशन**

१. शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख सेवाग्राहीहरू शिक्षा तालिम केन्द्र, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय सरकारअन्तर्गतका शिक्षा शाखाहरू, विद्यालयहरू र शिक्षकहरू रहेका छन्।

२. परीक्षण अवधिमा निर्देशनालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूसँग भेट गर्ने र माथि उल्लेख गरिएका सम्बन्धित निकायहरूमा स्थलगत भेटगरी वा सम्भाव्य सूचना प्रविधिको विविध माध्यमहरू (इमेल र फोन) उपयोग गरी माथि १ न. बुँदाको एक समूहबाट २ जना भन्दा बढी नपर्ने गरी तपसिलका १५ जना सेवाग्राहीहरू सन्तुष्टि लेखाजोखाको लागि पहिचान र छनोट गर्नेः

- विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाटः २ जना
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमध्येबाटः २ जना
- स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरूमध्ये बाटः ३ जना
- शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख तथा अधिकृतहरूमध्येबाटः २ जना
- प्रादेशिक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूमध्येबाटः २ जना
- शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक मध्येबाटः २ जना
- सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना कार्यक्रम बजेट अनुगमन हेर्ने अधिकारीहरूमध्येबाटः २ जना

३. तल महल क मा दिइएको कार्यक्रमगत सूचकहरूको सम्बन्धमा सन्तुष्टिको स्तर हेरी महल ख मा भए रेजा लगाउने र महल ग घ र ङ मा भए क्रमशः ०, १, २ अङ्क लेख्ने

४. आफूले अङ्कन दिएको सन्तुष्टिको स्तरको कारण बारे महल A B C D E मा भएको विवरणअनुसार प्राथमिकताको आधारमा १ देखि ५ सम्म अङ्क लेख्ने। अर्थात् सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिको प्रमुख कारणलाई कारणलाई १ र सबैभन्दा कम महत्वको कारणलाई ५ अङ्क दिने

५. आफूले अङ्कन दिएको सन्तुष्टिको स्तरको कारण बारे पुछारमा दिइएको कोठामा लेख्ने

६. भाग-१ को यस खण्डलाई १०% अङ्कभार दिइएको छ।

## नेपाल सरकारबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई तोकिएको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सन्तुष्टिको स्तर

**१. (विद्यालयका शिक्षक वा प्रअ\विव्यस अध्यक्ष/स्थानीय तह शिक्षा अधिकृत/समन्वय इकाइ प्रमुख /प्राधायापक /तालिमकेन्द्र प्रमुख/मन्त्रालयका अधिकृतका लागि)**

सेवाग्राहीको नामः पदः विद्यालय वा संस्थाको नाम र ठेगानाः

जिल्ला र स्थानीय तहको नामः सूचना प्राप्तिको माध्यमः टेलिफोन/अनलाइन/प्रत्यक्ष/इमेल

| कार्यक्रमगत सूचकहरू | सन्तुष्टिको स्तर | | | | सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| **क** | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| १. शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धताअन्तर्गतका विभिन्न नीति, आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने | | | | | | | | | |
| २. प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने दिगो विकासका लक्ष्य (sustainable development goal) अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने | | | | | | | | | |
| ३. प्रदेश स्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानुन, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने | | | | | | | | | |

| **कार्यक्रमगत सूचकहरू** | **सन्तुष्टिको स्तर** | | | | **सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| ४. विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन व्यवस्था प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| ५. प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| ६. शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| ७. प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने | | | | | | | | | |
| ८. शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानुन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने | | | | | | | | | |
| ९. प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र परीक्षण गर्ने | | | | | | | | | |
| १०. प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने | | | | | | | | | |

| कार्यक्रमगत सूचकहरू | सन्तुष्टिको स्तर | | | | सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| ११. प्रदेशका लागि मानव संशाधन आवश्यक्ता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने | | | | | | | | | |
| १२. विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक छनोट र अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षासम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरू सम्पादन गर्ने | | | | | | | | | |
| १३. विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| १४. स्थायी शिक्षकको निवृत्तिभरण, बिमा, औषधी उपचार खर्च, पारिवारिक निवृत्तभरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति र उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने | | | | | | | | | |
| १५. स्थायी शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गराउने | | | | | | | | | |
| १६. शिक्षकको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने | | | | | | | | | |
| १७. शिक्षा क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारी, प्राविधिज्ञ तथा शिक्षकका लागि सेवाकालीनलगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने | | | | | | | | | |

| **कार्यक्रमगत सूचकहरू** | **सन्तुष्टिको स्तर** | | | | **सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| १८. प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने | | | | | | | | | |
| १९. सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| २०. प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने | | | | | | | | | |
| २१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने | | | | | | | | | |
| २२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रबृत्तिको नियमन गर्ने | | | | | | | | | |
| २३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने | | | | | | | | | |

| **कार्यक्रमगत सूचकहरू** | **सन्तुष्टिको स्तर** | | | | **सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| २४. सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशभित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अध्यावधिक गर्ने | | | | | | | | | |
| २५. विभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने | | | | | | | | | |
| २६. सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षासम्बन्धी फैसला तथा कानुनी सिद्दान्त कार्यान्वयन गर्ने | | | | | | | | | |
| २७. साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने | | | | | | | | | |
| २८. प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण (audit) कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न | | | | | | | | | |

| **कार्यक्रमगत सूचकहरू** | **सन्तुष्टिको स्तर** | | | | **सन्तुष्टि तथा असन्तुष्टिको कारण** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) | निर्देशनालयको कार्य क्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधनको उपलब्धता (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानिय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना (Duplication) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता पर्याप्तता (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था (Monitoring and Follow-up Support) |
| २९. अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने | | | | | | | | | |
| ३०. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने | | | | | | | | | |
| ३१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलगायत कानुनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्य सम्पादन गर्ने | | | | | | | | | |
| ३२. प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजीकरण,अनुगमन र नियमन गर्ने | | | | | | | | | |
| ३३. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएका अन्य कार्य गर्ने | | | | | | | | | |
| **जम्मा** | | | | | | | | | |

## अनुसूची ३: कार्यक्रमगत अवस्थाको परीक्षण (भाग-२)

**(आ.व.२०८०/८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था)**

| कार्यसम्पादन सूचक | अङ्क प्रदान गर्ने आधार | पुस्ट्याइँका प्रमाण |
|---|---|---|
| १. कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचना तथा सञ्चार/पत्राचार गरिएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था तोकेर पत्राचार गरिएकोमाः ०.५ अङ्क<br>• बुँदा २ सहित खुला सूचना प्रकाशन गरिएकोः १ अङ्क | • चलानी गरिएको पत्र<br>• प्रकाशित सूचना<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| २. आर्थिक तथा प्रशासनिक ऐन नियमका आधारमा तयार गरिएको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना भएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• कार्यतालिका भएमाः ०.५ अङ्क<br>• विस्तृत कार्ययोजना भएमाः १ अङ्क | • कार्यतालिका<br>• कार्ययोजना<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ३. कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृत योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि/निर्देशिका/मार्गदर्शन/टिप्पणी निर्णयका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• स्वीकृत टिप्पणीका आधारमा कार्यान्वयन तथा खर्च गरिएकोमाः ०.५ अङ्क<br>• स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि/निर्देशिका/मार्गदर्शनका आधारमा कार्यान्वयन तथा खर्च गरिएकोमाः १ अङ्क | • स्वीकृत टिप्पणी आदेश<br>• स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि/निर्देशिका/मार्गदर्शन<br>• बिल भरपाईहरू र अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ४. कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात् सोको उपयोग र प्रभावबारे अनुगमन/मूल्याङ्कन गरिएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• कुनै स्पष्ट योजनाबिना नै अनुगमन गरिएकोमाः ०.५ अङ्क<br>• अनुगमन योजना स्वीकृत गरी अनुमगन गरिएकोमाः १ अङ्क | • अनुगमन योजना<br>• अनुगमन प्रतिवेदन<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| ५. कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रम बजेट निकासा गर्ने निकायमा पेस गरिएको | • नभएकोमाः ० अङ्क<br>• प्रतिवेदन तयार गरिएकोमाः ०.५ अङ्क<br>• प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएकोमाः १ अङ्क | • कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन<br>• प्रतिवेदन पेस गरेको चलानी पत्र<br>• अन्य सान्दर्भिक कागजात |
| | **जम्मा अङ्कः ५** | |

**परीक्षकलाई निर्देशनः**

१. महल 'क' मा दिइएको सबै कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पूर्णाङ्क महल 'ग' मा दिइएअनुसार ५ अङ्क रहेको छ।

२. महल 'क' मा दिइएको प्रत्येक कार्यक्रमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्यसम्पादनका ५ सूचकहरूमा विभाजन गरी अङ्क प्रदान गर्ने आधार तय गरिएको छ। प्रत्येक सूचकको मूल्याङ्कन अङ्कभार १ कायम गरिएको छ। यसरी एक कार्यक्रमको लागि जम्मा अङ्कभार ५ कायम गरिएको छ।

| | |
|---|---|
| ३. | दिइएको रूब्रिक्सका आधारमा प्रत्येक कार्यमक्रमको लागि एक सूचकका लागि १ अङ्कमा नबढ्ने गरी उपलब्ध पुस्ट्याइँ र प्रमाणका आधारमा महल 'घ' देखि 'ज' सम्म प्राप्ताङ्क लेख्ने। फारामको पुछारमा अङ्क जोडेर लेख्ने |
| ४. | महल 'झ' मा प्रत्येक कार्यक्रमको महल 'घ' देखि महल 'ज' सम्मको प्राप्ताङ्क जोडेर लेख्ने |
| ५. | कार्यक्रमहरूलाई चालु खर्चअन्तर्गत, पुँजीगत खर्चअन्तर्गत र समष्टिगत गरी जम्मा अङ्क निकाल्ने |
| ६. | भाग-२ को यस खण्डको लागि ९०% अङ्कभार छुट्याइएको छ। |

## कोशी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**(क) चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| **१.** बौद्धिक अपाङ्ता स्रोत कक्षामा रहेका बालबालिकाका लागि सीपमूलक तालिम र यसको लागि कच्चा सामग्री व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२.** SEE परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्वन्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय शिक्षा प्रमुखसँग अन्तरक्रिया | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३.** स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतको क्षमता विकास तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **४.** उत्कृष्ट नतिजा भएका र सुधार गर्नुपर्ने माध्यमिक विद्यालयवीच अनुभव आदन प्रदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५.** निजामती आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक सुधारका लागि अध्ययन प्रतिवेदन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **६.** सामुदायिक क्याम्पसहरूको प्रोफाइल तयारी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७. SEE परीक्षाको प्राप्ताङ्क सफ्टवेयरमा प्रविष्टी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. SEE परीक्षाको विद्यार्थीको मार्क प्रविष्टी, रूजु तथा नतिजाको प्रकाशनको तयारी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. प्राविधिक धार सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका प्रशिक्षकहरूका लागि पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०. स्थानीय मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११. शिक्षक कासमू तथा अभिलेख व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | ५५ | | | | | | |
| थप जानकारीः यसमा निर्देशिकामा भएको भन्दा स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण र सङ्ख्या फरक परेको भनि परीक्षकले सच्याउँदा १९ सूचकबाट ११ कायम भएको भई पूर्णाङ्क ९५ बाट ५५ कायम हुन आएको। परीक्षकअनुसार आ व २०८०/०८१ को सट्टा २०८१/०८२ को कार्यक्रम सूचकमा प्रिन्ट हुन गएको। | | | | | | | | |

**(ख) पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज |
| १. निजामती आवासीय विद्यालयको छात्रावास निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. अन्य मेसिनरी औजार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. निर्मित भवनमा ट्रष्ट लगाउने कार्य | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. फर्निचर तथा फिक्चर्स | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | २० | | | | | | |
| थप जानकारीः यसमा निर्देशिकामा भएको भन्दा स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण र सङ्ख्या फरक परेको भनि परीक्षकले सच्याउँदा ६ सूचकबाट ४ कायम भएको भई पूर्णाङ्क ३० बाट २० कायम हुन आएको। परीक्षकअनुसार आ व २०८०/०८१ को सट्टा २०८१/०८२ को कार्यक्रम सूचकमा प्रिन्ट हुन गएको। | | | | | | | | |

## मधेश प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, जनकपुरधामका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| १. कक्षा १२ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रति जिल्ला ५ ओटा विद्यालयहरूमा ICT व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रालयबाट छनोट भएका प्राविधिक विद्यालयहरूमा प्रविधियुक्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. प्रदेशका ८ ओटै जिल्लामा एक एकओटा विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउन ICT Lab मा सहयोग | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE व्यवस्थापन तथा इकुपमेन्ट्स जडान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. "बालमैत्री शिक्षा विकास कार्यक्रम" स्थानीय निकायले छनोट गरेका बाल विकास केन्द्र/शिशु कक्षा | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. फोहोर मलाई कार्यक्रमअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. प्रदेश स्तरीय सभाहल (Auditorium) निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. दलित शिक्षा बीजक सहयोग कार्यक्रम (मुसहर, चमार, डोम, दुसाध र हलखोर जातिका लागि) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०.पिछडा वर्गहरूको हकहित संरक्षण एवं सशक्तीकरण विशेष कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११.EMIS/तथ्याङ्क सत्यापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १२.मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियानलाई सफल पार्न, विद्यार्थी भर्ना अभियान र टिकाउदर | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३.छात्राहरूको लागि लोक सेवा परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन (मधेश प्रदेशका आठओटै) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १४.अनलाइन छोरी बिमा मुद्दति खाता सञ्चालनको लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण क्षमता | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १५.शिक्षा विकास निर्देशनालयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १६.आधारभूत तहमा अध्ययनरत बालबालिकाको लागि विद्यालयहरूमा आउटडोर गेम स्टेसन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १७.सामुदायिक तहमा अध्ययनरत कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १८.सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद सामग्री किट वितरण कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १९.प्रदेशअन्तर्गतका प्राविधिक विद्यालयहरूलाई ICT तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २०.समन्वय इकाइसँग छलफल/बैठक अनुगमन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २१.स्थानीय तहहरूको समन्वय र साक्षेदारीमा साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन, साक्षर वडा, साक्षर पालिका | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २२.बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ निर्देशक समिति एवम् पदाधिकारीहरूको अनुगमन एवम् कार्यक्रम खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २३.निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित पठनपाठनको लागि AIVR LAB | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २४.शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| २५.शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| २६.राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **जम्मा** | | **१३०** | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

## बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौडाका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| १. मिसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. करार सेवा शुल्क | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. कर्मचारी तालिम खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. कार्यक्रम खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. भ्रमण खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०. विविध खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११. सरकारी निकाय समिति एवम् बोर्डहरूलाई ससर्त चालु अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १२. सरकारी निकाय समिति एवम् बोर्डहरूलाई ससर्त पुँजीगत अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १३. छात्रवृत्ति | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १४. घरभाडा | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १५. मेसिनरी तथा औजार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १६. फर्निचर तथा फिक्चर्स | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| १७. माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइ अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १८. स्थानीय तहमो सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १९. शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २०. सामुदायिक पुस्तकालय सबलीकरण कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २१. प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २२. विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २३. शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २४. माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २५. आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि चालु अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २६. नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २७. सामुदायिक क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २८. सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २९. विद्यालय बस कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३०. माध्यमिक विद्यालयस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३१. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३२. कक्षा १० परीक्षा सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३३. विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३४. वार्षिक बुलेटिन, प्रतिवेदनलगायत डकुमेन्टेसन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ३५. शैक्षिक योजना निर्माण, वार्षिक कार्यक्रम, डकुमेन्टेसन, तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन र वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३६. माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, उत्पादन र वितरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३७. प्रदेश शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना, सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३८. नमुना विद्यालय गुरूयोजना कार्यान्वयन प्रगतिको आधारमा पुँजीगत अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३९. आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा चालु अनुदान (जनजागरण मावि दुधौली सिन्धुली, नीलकण्ठेश्वर मावि गौरीशङ्कर दोलखा, शङ्खादेवी मावि बेनिघाट रोराङ धादिङ, रत्नराज्य मावि, जुगल सिन्धुपाल्चोक, राष्ट्रिय मावि मजवाङ कालिका चितवन) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४०. स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखसँग समन्वय बैठक | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४१. शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४२. शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४३. शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **जम्मा** | | २२० | | | | | | |
| **थप जानकारी:** | | | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| | | | | | | | | |

## गण्डकी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, पोखराका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**(क) चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| १. SEE परीक्षाका लागि मूल्याङ्कन समिति, विज्ञ समिति, विषयगत समिति, रोस्टर, प्रश्न बैङ्कलगायतको अन्य समितिहरूको बैठक खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. SEE परीक्षा व्यवस्थापन (रजिस्ट्रेसन, आवेदन, विद्यार्थी हाजिरीलगायत अन्य परीक्षा फाराम छपाइसमेत) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **४.** शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन पुरस्कार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५.** असल अभ्यास प्रवर्धन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **६.** SEE परीक्षाको प्रश्न बैङ्क निर्माणका लागि विषयगत शिक्षक कार्यशाला | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **७.** शैक्षिक प्रदर्शनी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **८.** शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **९.** विषयगत शिक्षक समूह परिचालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१०.** अपाङ्ग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **११.** सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति (उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१२.** उपभोग तथा सञ्चालन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१३.** न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका (कक्षा ८-१०) मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान तथा प्रविधि विषय) विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१४.** स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१५.** कोभिड-१९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको लागि राहत अनुदान (निरन्तरता) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१६.** शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१७.** शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१८.** राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **जम्मा** | | ९० | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

**(ख) पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | | ज |
| १. SEE परीक्षा प्रयोजनका लागि सर्भर (Server) खरिद | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. SEE परीक्षाको सर्भर नेटवर्किङ (Networking for Service Room) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. सर्भर सिस्टम सेटअप | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. SEE परीक्षाको प्रयोजनका लागि प्रिन्टर (Heavy Duty) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. कार्यालय सुरक्षाका लागि सिसिटिभी खरिद तथा जडान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. पावर ब्याकअप (Power Back up) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. एसी (AC) जडान (Server, Tab1, Tab2) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. प्रिन्टर, ल्यापटप, फोटोकपी खरिद | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. SEE सर्भरको लागि फायरवाल (Firewall) सफ्टवेयर खरिद | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०. प्रदेशस्तरमा SEE परीक्षा व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११. SEE को उत्तरपुस्तिका भण्डारणका लागि कार्यालयको छतमा ट्रस निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **जम्मा** | | ५५ | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

## लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, देउखुरी दाङको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**(क) चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको स्रोत | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| १. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया कमलहरी मुस्लिम र दलित समुदायका छात्राहरूलाइ कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक रु १००० का दरले छात्रवृत्ति | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. कक्षा ११ र १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति (अन्य) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका आङ्गिक र सामुदायिक विद्यालय/शिक्षालयहरूलाइ सहयोग | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. विशेष अनुदान : श्री मावि मौरिघाटको भौतिक पूर्वाधार विकास, राप्ती उपत्यका, दाङ | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. विद्यालय स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. विद्यालय शौचालय निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. विद्यालयमा पर्खाल निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. विद्यालयमा मर्मत तथा भौतिक सुधार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०. शैक्षिक सूचना प्रणालीसम्बन्धी तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११. महिला विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १२. विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रम (अटिज्म विद्यालयसमेत) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १३. चालु आ.व.मा समायोजन हुने विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहयोग कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १४. मापदण्डका आधारमा १२ जिल्लाका विद्यालयहरूमा रु ५ लाखका दरले बालमैत्री विद्यालय निर्माण कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको स्रोत | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **१५.** धार्मिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१६.** अनौपचारिक शिक्षा तर्फको तह १-२ को संश्लेषित पाठ्यक्रम तथा सिकाइ सामग्रीहरू र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप प्रबोधीकरण तथा कार्यक्रम सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१७.** साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन र स्थानीय तहलाई सहयोग | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१८.** विपद् व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (सङ्घ ससर्त अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **१९.** वार्षिक, चौमासिक प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन (सङ्घ ससर्त अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२०.** शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा समन्वय बैठक (सङ्घ ससर्त अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२१.** प्रदेश स्तरीय IEMIS व्यवस्थापन (सङ्घ ससर्त अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२२.** कक्षा १० (SEE) परीक्षा सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२३.** विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति (सामुदायिक र आङ्गिक) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२४.** सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२५.** मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सीमान्तकृत छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२६.** पुस्तकालयहरूलाई ई-लाइब्रेरीको रूपमा विकास गर्न तथा भौतिक पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२७.** सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२८.** विज्ञान सङ्ग्रहालयको स्थापना | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **२९.** विज्ञान विषय सञ्चालन हुने ठुला विद्यालयहरूमा विज्ञान सामग्री सहयोग | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३०.** विज्ञान, गणितसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई सहयोग कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३१.** प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३२.** मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको स्रोत | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **३३.** शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३४.** शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **३५.** राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | १७५ | | | | | | |
| **थप जानकारीः** | | | | | | | | |

**(ख) पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज |
| **१.** खुला व्यायामशाला निर्माण | ५ | | | | | | |
| **२.** सामुदायिक खेलमैदान/कभर्ड हल तथा अन्य खेलकुद संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति | ५ | | | | | | |
| **३.** कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (अन्य पुँजीगत) | ५ | | | | | | |
| जम्मा | १५ | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | |

**कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू**

**(क) चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |
| १. मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २. निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार खर्च | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ३. मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ४. पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ५. सेवा र परामर्श खर्च | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ६. करार सेवा शुल्क | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ७. स्थानीय तहमा कार्यरत महिला बालबालिका शाखाका कर्मचारीहरू माझ अन्तरक्रियात्मक ताजगी तालिम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ८. उ.पु.परीक्षण, सम्परीक्षणको लागि परीक्षक, समपरीक्षकहरूलाई परीक्षण केन्द्रमा अभिमुखीकरण | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ९. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका परीक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आवेदन/रजिस्ट्रेसन तालिम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १०. सामाजिक विकृति तथा कुरीति विरुद्धको सचेतनामूलक अन्तरक्रिया/गोष्ठी/अभिमुखीकरण कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| ११. बाल अधिकार तथा बालबालिका माथि हुने शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय विरुद्धको तालिम गोष्ठी | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १२. सामाजिक विकास कार्यालयहरूको लागि कार्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यशाला (३ दिने) | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १३. वार्षिक समीक्षात्मक कार्यशाला | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १४. स्थानीय तहसँग कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तरक्रिया | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १५. SEE परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १६. कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसन तथा समष्टिगत फाराम छपाइ तथा ढुवानी | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १७. कक्षा १० को रजिस्ट्रेसन तथा समष्टिगत फाराम छपाइ तथा ढुवानी | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १८. प्रशान्ती वृद्धाश्रम सुर्खेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सहयोग | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| १९. वृद्ध सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर-८, सुर्खेतको लागि सञ्चालन सहयोग | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २०. मानवसेवा आश्रम सुर्खेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २१. IEMIS को अद्यावधिक, विकास र तालिम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २२. एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष शिक्षा सञ्चालन विद्यालय शैक्षिक सामग्री अनुदान कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २३. अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक तथा मानवीय सहायता कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २४. सार्वजनिक शिक्षा सुधार (उच्च शिक्षण संस्थाहरूसँग सहकार्य समेत) | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| २५. सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल, कर्णाली प्रदेशको समन्वय र सहकार्य | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **२६.** श्री वागेश्वरी मा वि .वि. राकम ICT सिम्ता गा.पा. ६, सुर्खेत | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **२७.** जिल्लास्तरमा विद्यालय तहका विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **२८.** विज्ञान, खोज तथा अनुसन्धान प्रोत्साहन कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **२९.** जिल्ला खेलकुद समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३०.** समन्वय बैठक (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक) | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३१.** अल्पकालिक आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३२.** दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३३.** स्थानीय कला, हस्तकला तथा संस्कृति पहिचान, जगेर्ना तथा प्रवर्धन कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३४.** सामाजिक हानिकारक अभ्यास न्यूनीकरण तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धनका लागि सचेतीकरण | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३५.** जातीय विभेद विरुद्धको अभियान | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३६.** लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३७.** प्रदेशस्तरीय शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण र वितरण | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३८.** अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी अभिमुखीकरण | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **३९.** जेष्ठ नागरिकका लागि जिल्ला दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४०.** प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४१.** परीक्षा, उच्च तथा प्राविधिक शाखाको अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४२.** SEE उत्तरपुस्तिका परिक्षण व्यवस्थापन कार्यक्रम | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४३.** कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **४४.** माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कक्षा ११ र १२ परीक्षा अनुगमन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४५.** निर्देशनालयको आन्तरिक भ्रमण अनुगमन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४६.** प्रदेश कार्यालयमा भ्रमण गर्नुहुने अतिथिको स्वागत, सत्कार तथा कार्यालय चियापन | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४७.** प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति (३ वर्षे डिप्लोमा/ प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह) | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४८.** उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **४९.** उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **५०.** उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपुन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **५१.** उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति | प्रदेश चालु | ५ | | | | | | |
| **५२.** राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिता (जिल्लास्तरीय) | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५३.** विपद् व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५४.** वार्षिक, चौमासिक प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५५.** शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा समन्वय बैठक | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५६.** शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५७.** शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| **५८.** राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| जम्मा | | २९० | | | | | | |
| **थप जानकारी:** | | | | | | | | |

**(ख) पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज |
| १. दलित छात्रावास निर्माण वीरेन्द्रनगर ८ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २. कर्णाली नागरिक अतिथि सेवा गृह निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ३. किरीयापुत्री भवन निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ४. सिम्ता गाउँपालिका-६, राकम, सुर्खेतमा मान सिं स्मृति भवन र शालिक निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ५. एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ६. नेपाल राष्ट्रिय आवि चाँदनीचौकी ४ कोठे भवन निर्माण विनपा ९ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ७. भवानी मावि चिउरीगैरा ४ कोठे भवन निर्माण भेरीगङ्गा नपा ५ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ८. श्री सरस्वती आवि घारी मेहलकुनाको ४ कोठे भवन निर्माण गुर्भाकोट नपा ८ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| ९. विद्याज्योति आवि कुइनेको ४ कोठे भवन निर्माण पञ्चपुरी नपा ११ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १०. श्री पशुपति मावि पुल्टारको ४ कोठे भवन निर्माण लेखवेशी नपा ७ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ११. श्री नेरा मावि धनरासको ४ कोठे भवन निर्माण चौकुने गापा १ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १२. श्री अम्मरज्योति आवि बुटीको ४ कोठे भवन निर्माण वराहताल गापा ६ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १३. श्री मालिका मावि मटेलाको ४ कोठे भवन निर्माण चिङ्गाड गापा ४ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १४. श्री नेरा प्रावि मुग्रेको ४ कोठे भवन निर्माण सिम्ता गापा ९ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १५. धर्म संस्कृतिसम्बन्धी पूर्वाधार विकास सहयोग (बौद्ध गुम्बा निर्माण विनपा 9 सुर्खेत) | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १६. प्रदेशस्तरीय SEE परीक्षा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका लागि परीक्षण कक्ष निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १७. कम्प्युटर, प्रिन्टरलगातय आवश्यक पर्ने अन्य मेसिनरी सामग्रीहरू | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १८. ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, भेरीगङ्गा नगरपालिका-१२ छिन्चु, सुर्खेतको अपुरो भवन | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| १९. हिंसा पीडित सेल्टरको कम्पाउन्ड निर्माण | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २०. सूर्यप्रकाश मावि पलैटेको शौचालय निर्माण पञ्चपुरी नपा २ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २१. सरस्वती आवि घारी मेहेलकुना शौचालय निर्माण गुर्भाकोट न.पा.८ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २२. ज्ञानज्योती प्रावि काल्चे शौचालय मर्मत गुर्भाकोट नपा १ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २३. श्री वसन्त आवि सुगरखाल शौचालय निर्माण वराहताल गापा १ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २४. श्री मालिका सूर्यज्योति प्रा.वि. लयपोखरा शौचालय निर्माण सिम्ता गा.पा. ८ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २५. श्री जनकल्याण मावि घेरावार निर्माण सिम्ता गापा ७ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २६. श्री ने.रा. प्रावि बडकाँडा घेरावार निर्माण चिङ्गाड गा.पा. ४ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २७. श्री जनज्योति आ.वि. घेरावार निर्माण वराहताल ४ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २८. श्री नेरा मावि खजुरा घेरावर वा मर्मत वीरेन्द्रनगर नपा ८ सुर्खेत | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |
| २९. निर्देशनालयका लागि फर्निचरलगायत सामग्री खरिद | प्रदेश पुँजीगत | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ३०. खेलमैदान निर्माण चौकुने गा.पा. 8 सुर्खेत | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | १५० | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

## सुदूरपश्चिम प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का कार्यक्रममा आधारित सूचकहरू

**(क) चालु खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| **क** | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** | **च** | **छ** | **ज** | **झ** |
| १. कर्मचारी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. SEE को प्रमाणपत्रहरूमा नामथर, जन्ममिति संशोधन समितिको बैठक व्यवस्थापन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. पालो पहरा भत्ता, शिशुस्याहार भत्ता र अतिरिक्त समयमा काम गरेको खाजा खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. निजामति कर्मचारीको पोसाक खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. सवारी साधन मर्मत खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ८. मर्मतसम्भार (फोटोकपी, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रोजेक्टर आदि) मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ९. शिक्षा विकास निर्देशनालयको आवास भवन मर्मतसम्भार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १०. भूकम्मको कारण क्षतिग्रस्त भवनको मर्मतसम्भार | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ११. कार्यालयको दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरू | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १२. कार्यसम्पादनका आधारमा सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १३. कर्मचारी क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १४. प्रदेशस्तरमा SEE परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १५. सचेतना तथा जानकारी एवम् सूचनामूलक सन्देश प्रकाशन/प्रशारण तथा सम्प्रेषण/वितरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १६. SEE परीक्षा उपु ढुवानीका लागि जिल्लाहरूलाई थप रकम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १७. कषा १० को विशिष्टिकरण तालिकाको प्रयोग तथा प्रश्न बैङ्क स्थापनाका लागि विषयगत शिक्षकलाई तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १८. परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| १९. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका परीक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारका लागि आवेदन/रजिष्ट्रेसन फाराम इन्ट्रीसम्बन्धी दुई दिने तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २०. शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २१. शिक्षक कासमु व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तह/जिल्ला स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| २२. परीक्षण केन्द्र भएका जिल्लामा उपु परीक्षणको लागि परीक्षक, समपरीक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २३. शैक्षिक क्यालेन्डर तयारी र छपाइ | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २४. STEM Education को विकास र प्रवर्धनका लागि ३ दिने विज्ञान/गणित शिक्षक कार्यशाला | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २५. सामाजिक विकास कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २६. अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य (विद्यार्थी भर्ना अभियान, विद्यार्थी निरन्तरताका लागि प्रचारप्रसार तथा जनचेतना अभिवृद्धि) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २७. एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) अद्यावधिक तथा तालिम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २८. निर्देशनालय तथा सामाजिक विकास कार्यालयलगायतको अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| २९. प्रदेशस्तरीय शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण, छपाइ र वितरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३०. निजामती कर्मचारी सन्तति आवासीय विद्यालय दिपायलको व्यवस्थापन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३१. कार्यसम्पादनको आधारमा विज्ञान विषय पढाइ हुने सरकारी क्याम्पसलाई अनुदान कार्यक्रम | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३२. कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तयारीका लागि छलफल, निर्माण र प्रकाशन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३३. विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३४. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सामाजिक विकास कार्यालयलगायतलाई अभिमुखीकरण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३५. सामाजिक विकास कार्यालयहरूको लागि २ दिने योजना तर्जुमा गोष्ठी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३६. शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइट अद्यावधिक र नोटिस बोर्ड सञ्चालन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| ३७. कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३८. विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुगमन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३९. प्रदेशमा SEE कक्षा १० तथा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कक्षा १२ परीक्षा अनुगमन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४०. जिल्लास्तरीय सामाजिक विकास कार्यालयहरू र स्थानीय तहका सामाजिक विकास शाखाबाट सम्पादित महिला बालबालिक अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुगमन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४१. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा समन्वय बैठक | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४२. शिक्षा विकास निर्देशनालय (चालु खर्च) | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४३. शिक्षक सेवा आयोग (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (कार्यक्रम खर्च), विविध | सङ्घीय ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | २२० | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

**(ख) पुँजीगत खर्चअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू**

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| क | | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज |

| कार्यक्रमको नाम ↓ | कार्यक्रमको किसिम | पूर्णाङ्क | कार्यसम्पादन सूचकगत प्राप्ताङ्क | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुचक → | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | जम्मा |
| पूर्णाङ्क → | | ५ | १ | १ | १ | १ | १ | |
| १. स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास गर्न छनोट भई DPR तयार भएका विद्यालयका लागि पूर्वाधार विकास अनुदान | सङ्घ ससर्त अनुदान | ५ | | | | | | |
| २. छनोट भएका ठुला विद्यालय विकासका लागि प्रदेशको लागत साझेदारी भवन, गत आवको निरन्तरता अधुरो भवनसमेत क्रान्ति राज्यलक्ष्मी मावि घोडाघोडी नगरपालिका कैलाली (स्थानीय तह र प्रदेशकोसँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास गर्न छनोट भई DPR तयार भएका विद्यालयका लागि पूर्वाधार विकास अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ३. छनोट भएका ठुला विद्यालय विकासका लागि प्रदेशको लागत साझेदारी भवन निर्माण, गत आवको निरन्तरता अधुरो भवन निर्माणसमेत महेन्द्र मा.वि. खलङ्गा, महकाली नगरपालिका, दार्चुला (स्थानीय तह र प्रदेशको सँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास गर्न छनोट भई DPR तयार भएका विद्यालयका लागि पुर्वाधार विकास अनुदान) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ४. छनोट भएका ठुला विद्यालय विकासका लागि प्रदेशको लागत साझेदारी भवन निर्माण, गत आवको निरन्तरता अधुरो भवन निर्माणसमेत हिमालय मा.वि. साँफेबगर नगरपालिका, अछाम (स्थानीय तह र प्रदेशको सँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास गर्न छनोट भई DPR तयार भएका विद्यालयका लागि पुर्वाधार विकास अनुदान | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ५. विगत वर्षहरूमा निर्मित छात्रावास/विद्यालय भवनहरूको पेटी तथा सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ६. कार्यालय परिसरभित्र पानी ट्याङ्की निर्माण तथा खानेपानी व्यवस्थापन | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ७. शिक्षा विकास निर्देशनालयको भवन निर्माणको लागि DPR तयारी | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| ८. मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (नमुना विद्यालय कार्यक्रम निरन्तरता) | प्रदेश अनुदान | ५ | | | | | | |
| जम्मा | | ४० | | | | | | |
| थप जानकारीः | | | | | | | | |

## अनुसूची ४: कार्यक्रमगत पक्षमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर (भाग-२)

**(सेवाग्राही सन्तुष्टिको लेखाजोखा १०% अङ्कभार, सेवाग्राही -१५ जना)**

**(विद्यालयका शिक्षक वा प्रअ\विव्यस अध्यक्ष/स्थानीय तह शिक्षा अधिकृत/समन्वय इकाइ प्रमुख /प्राधायापक /तालिमकेन्द्र प्रमुख/मन्त्रालयका अधिकृतका लागि)**

सेवाग्राहीको नामः पदः विद्यालय वा संस्थाको नाम र ठेगानाः

जिल्ला र स्थानीय तहको नामः सूचना प्राप्तिको माध्यमः टेलिफोन/अनलाइन/प्रत्यक्ष/इमेल

**परीक्षकलाई निर्देशन**

१. शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख सेवाग्राहीहरू शिक्षा तालिम केन्द्र, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय सरकारअन्तर्गतका शिक्षा शाखाहरू, विद्यालयहरू र शिक्षकहरू रहेका छन्।

२. परीक्षण अवधिमा निर्देशनालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूसँग भेट गर्ने र माथि उल्लेख गरिएका सम्बन्धित निकायहरूमा स्थलगत भेट गरी वा सम्भाव्य सूचना प्रविधिको विविध माध्यमहरू (इमेल र फोन) उपयोग गरी माथि १ न. बुँदाको एक समूहबाट २ जनाभन्दा बढी नपर्ने गरी तपसिलबमोजिम १५ जना सेवाग्राहीहरू सन्तुष्टि लेखाजोखाको लागि पहिचान र छनोट गर्नेः

   a. विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाटः २ जना
   b. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमध्येबाटः २ जना
   c. स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरूमध्ये बाटः ३ जना
   d. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख तथा अधिकृतहरूमध्येबाटः २ जना
   e. प्रादेशिक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूमध्येबाटः २ जना
   f. शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रशिक्षकमध्येबाटः २ जना
   g. सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना कार्यक्रम बजेट अनुगमन हेर्ने अधिकारीहरूमध्येबाटः २ जना

३. तल महल क मा दिइएको कार्यक्रमगत सूचकहरूको सम्बन्धमा सन्तुष्टिको स्तर हेरी महल ख मा भए रेजा लगाउने र महल ग, घ र ङ मा भए क्रमशः ०, १, २ अङ्क लेख्ने

४. आफूले अङ्कन दिएको सन्तुष्टिको स्तरको कारणबारे पुछारमा दिइएको कोठामा लेख्ने

५. भाग-२ को यस खण्डलाई १०% अङ्कभार दिइएको छ।

**कार्यक्रमगत पक्षमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर**

| कार्यक्रमगत सूचकहरू | सन्तुष्टिको स्तर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) |
| क | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** |
| **सञ्चार र पारदर्शिताः**<br>१. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाबारे जानकारी हुने गरेको छ ? | | | | |
| २. शिक्षा विकास निर्देशनालयका गतिविधिहरूलाई वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको छ ? | | | | |
| ३. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक सेवा निर्धारित समयतालिकाअनुसार प्रदान गरिएको छ ? | | | | |
| **सान्दर्भिकता र गुणस्तरः**<br>४. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू प्रदेशको समग्र शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने रहेका छन् ? | | | | |
| ५. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाको मापदण्डहरू तयार गरिएका छन् ? | | | | |
| **अन्तर सरकारी सम्बन्ध**<br>६. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू स्थानीय र सङ्घीय सरकारको शैक्षिक कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी सञ्चालन गरिएको छ ? | | | | |
| **सहजीकरण र समन्वय**<br>७. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र प्रदान गरिने शैक्षिक सेवाबाट स्थानीय तह र केन्द्रबिच समन्वय र कार्यान्वयन सहजीकरण गरिएको छ ? | | | | |
| **अनुगमन र पेसागत सहयोग**<br>८. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरी सुधारको प्रयास गरिएको छ ? | | | | |
| **सूचना प्रविधिको उपयोग**<br>९. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग अर्थपूर्ण रूपमा गरिएको छ ? | | | | |

| कार्यक्रमगत सूचकहरू | **सन्तुष्टिको स्तर** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | थाहा छैन | असन्तुष्ट (०) | सामान्य सन्तुष्ट (१) | धेरै सन्तुष्ट (२) |
| क | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** |
| १०. शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रदेशअन्तर्गतका विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि विकास गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ? | | | | |
| **स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग**<br>११. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाको लागि पर्याप्त बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ ?<br>१२. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाको लागि कर्मचारीहरू र कार्यालयको क्षमता विकास गरिएको छ ? | | | | |
| **समावेशीकरण र समताको अवसर**<br>१३. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रमको वितरण र सेवालाई समावेशी र समतामूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिएको छ ? | | | | |
| **योजना तथा तथ्याङ्क व्यस्थापन**<br>१४. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ ?<br>१५. शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवासम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क व्यवस्थित गरिएको छ ? | | | | |
| जम्मा प्राप्ताङ्क | | | | |
| **सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट हुनुको कारण लेख्ने** | | | | |

## अनुसूची ५: कार्यानुभवको प्रतिविम्वन (भाग-३)

माथि प्रस्तुत कार्यक्रम तथा कार्यविवरण सङ्घीय संरचनाअनुरूप निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र सुहाउँदो रहेको छ वा छैन ? यदि छैन भने कुन काम चाहिनेभन्दा बढी दिइएको छ र कुन चाहिने काम पनि छुटाइएको छ ? सोसम्बन्धी मुद्दा र समाधानका उपायहरूलाई तल दिइएको खाकाबमोजिम आफ्नो कार्यथलोको अनुभवका आधारमा खुला टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुहोस्। आवश्यक भएमा थप पानासमेत प्रयोग गर्न सकिने छ।

| कार्यक्रमको प्रकार | | निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रअनुसार कार्यक्रमहरू सान्दर्भिक र पर्याप्त रहेका छन् ? (Relevancy and Adequacy) | कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदान गरिएको अख्तियारी, अधिकार र स्रोत साधन पर्याप्त छ ? (Authority and Resource) | कार्यक्रमहरू प्रदेशको शिक्षा विषयक मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयको कार्यक्रमसँग दोहोरोपना अन्तरसम्बन्धित रहेको छ / छैन ? (Duplication and Linkage) | कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता, तथा दक्षता पर्याप्त छ छैन ? (Professional Development and Training) | कार्यक्रमको अनुगमन तथा सहयोग योजना तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ छैन ? (Monitoring and Follow-up Support) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. निर्देशनालयको ३३ बुँदे कार्य विवरण | मुद्दा तथा समस्या (Issue and Problem) | | | | | |
| | समाधानको उपाय (Solution) | | | | | |
| २. प्रदेश अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | मुद्दा तथा समस्या (Issue and Problem) | | | | | |
| | समाधानको उपाय (Solution) | | | | | |
| ३. सङ्घीय ससर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू | मुद्दा तथा समस्या (Issue and Problem) | | | | | |
| | समाधानको उपाय (Solution) | | | | | |

**अनुसूची ६: शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रमुख, सूचना अधिकृत र विज्ञ परीक्षकको नामावली**

| प्रदेश | शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रमुख र सूचना अधिकारी | विज्ञ परीक्षकको नाम थर र स्थलगत अवलोकन मिति |
|---|---|---|
| कोशी | प्रमुखः निर्देशक कृष्ण प्रसाद पोखरेल<br>सूचना अधिकारीः सन्तोष कुमार बराल | विष्णु प्रसाद अधिकारी<br>मितिः २०८१ चैत्र २१-२५ |
| मधेश | प्रमुखः निर्देशक ठुलोबाबु दाहाल<br>सूचना अधिकारीः किशोरी कापर | परीक्षकः डिल्लीराम लुइँटेल<br>मितिः २०८१ चैत्र १४-१७ |
| बागमती | प्रमुखः महानिर्देशक खुबीराम अधिकारी<br>सूचना अधिकारीः पवित्रा तिमल्सेना | परीक्षकः देवीना प्रधानाङ्ग<br>मितिः २०८१ चैत्र २७-देखि ३ दिन |
| गण्डकी | प्रमुखः महानिर्देशक घनश्याम पौडेल<br>सूचना अधिकारीः बिमला कुमारी शर्मा | परीक्षकः डा. तुलसी प्रसाद थपलिया<br>मितिः २०८१ चैत्र १०-१३ |
| लुम्बिनी | प्रमुखः निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेल<br>सूचना अधिकारीः माधव प्रसाद पोखरेल | परीक्षकः बाबुराम पौडेल<br>मितिः २०८१ चैत्र २४-२६ |
| कर्णाली | प्रमुखः निर्देशक दीपा हमाल<br>सूचना अधिकारीः लोक प्रसाद पौडेल | परीक्षकः दिनेश कुमार श्रेष्ठ<br>मितिः २०८१ चैत्र १८-२२ |
| सुदूरपश्चिम | प्रमुखः महानिर्देशक दुर्गादत्त विष्ट<br>सूचना अधिकारीः कृष्ण बहादुर बोहोरा | परीक्षकः दीपक शर्मा<br>मितिः २०८१ चैत्र १९-२४ |

## अनुसूची ७ : अङ्क तालिका

### ७.१. भाग-१ कार्य विवरणका सूचकमा परीक्षकले दिएको अङ्क विवरण

| Indicators | Koshi | Madhesh | Bagmati | Gandaki | Lumbini | Karnali | SuPa | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | | 3 | 1 | 3 | | | NA |
| 4 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | | 3 | 2 | 0 | | | NA |
| 6 | 0 | | 3 | 1 | 0 | | | NA |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | NA |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | NA |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | NA |
| 14 | 0 | | 0 | | 0 | | | NA |
| 15 | 0 | | 0 | | 0 | | | NA |
| 16 | 0 | | 1 | | 0 | | | NA |
| 17 | 0 | | 3 | 2 | 0 | | | NA |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | NA |
| 19 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | NA |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | NA |
| 22 | 0 | | 3 | 2 | 0 | | | NA |
| 23 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | NA |
| 24 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 27 | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | NA |
| 28 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 2 | |
| 33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Total | 34 | 23 | 68 | 51 | 37 | 32 | 39 | |
| Total Rev. | 26 | 22 | 42 | 34 | 32 | 30 | 36 | |

(SuPa=Sudurpaschhim, NA= Not Applicable in score calculation, Rev=Revised)

### ७.२. भाग-१ को सेवाग्राही सन्तुष्टिमा सर्वेक्षणमा प्राप्ताङ्क तालिका विवरण
(छनोट गरिएका १७ सूचकमा सेवाग्राहीले दिएको अङ्क र त्यसको औसत विवरण)

| 1. Koshi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0.4 |
| 2 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 0.2 |
| 4 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 7 | 0.7 |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.1 |
| 9 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | 3 | 0.3 |
| 10 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 11 | 1.1 |
| 12 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | 13 | 1.3 |
| 20 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 7 | 0.7 |
| 24 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 5 | 0.5 |
| 25 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 0.2 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 19 | 1.9 |
| 28 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.1 |
| 29 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 0 | | 6 | 0.6 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 18 | 1.8 |
| 31 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0.4 |
| 32 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 7 | 0.7 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 20 | 2.0 |
| Total | 15 | 13 | 7 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 13 | 10 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 130 | 13.0 |
| 2. Madesh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0.4 |
| 2 | 0 | | 0 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 0.6 |
| 4 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 9 | 1.0 |
| 9 | | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 0.4 |
| 10 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 0.7 |
| 12 | | 1 | 0 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 9 | 1.0 |
| 20 | 2 | | 0 | | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | 6 | 0.7 |
| 24 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 10 | 1.1 |
| 25 | | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | 1 | 0.1 |
| 26 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 0.3 |
| 28 | | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 0.2 |
| 29 | | 1 | | | 1 | | | 0 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0.4 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 | 0.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0.2 |
| 32 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 7 | 0.8 |
| 33 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 4 | 0.4 |
| Total | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9.3 |
| 3. Bagmati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.7 |
| 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 0 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 8 | 0.7 |
| 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1.0 |
| 7 | 1 | 1 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.9 |
| 9 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 0.4 |
| 10 | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | | 2 | 0 | 6 | 0.5 |
| 12 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1.1 |
| 20 | | | | | 2 | | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 0.3 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1.5 |
| 25 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 5 | 0.5 |
| 26 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 6 | 0.5 |
| 28 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.1 |
| 29 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1.4 |
| 30 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 11 | 1.0 |
| 31 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 0 | 6 | 0.5 |
| 32 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | 9 | 0.8 |
| 33 | | | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 0.5 |
| Total | 6 | 6 | 7 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 9 | 25 | 17 | 137 | 12.5 |
| 4. Gandaki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1.0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.5 |
| 4 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1.0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 1.5 |
| 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.5 |
| 12 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.5 |
| 20 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1.0 |
| 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.5 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.5 |
| 29 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1.0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.5 |
| 31 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.5 |
| 33 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 1.5 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.5 |
| 5. Lumbini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 8 | 0.9 |
| 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 2 | 8 | 0.9 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 8 | 0.9 |
| 7 | | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 12 | 1.3 |
| 9 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | 1 | 8 | 0.9 |
| 10 | | | 1 | | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
| 12 | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 13 | 1.4 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | | 7 | 0.8 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 1 | 10 | 1.1 |
| 25 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | | 8 | 0.9 |
| 26 | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 11 | 1.2 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | 2 | 10 | 1.1 |
| 29 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 13 | 1.4 |
| 30 | 0 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 15 | 1.7 |
| 31 | | | 2 | | 2 | | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | 2 | 10 | 1.1 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 13 | 1.4 |
| 33 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 12 | 1.3 |
| Total | 12 | 10 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 27 | 25 | 171 | 19.0 |
| 6. Karnali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1.3 |
| 4 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1.1 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1.5 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1.3 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1.3 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1.8 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1.6 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1.8 |
| 25 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.8 |
| 26 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.8 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1.2 |
| 29 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 18 | 1.5 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1.8 |
| 31 | | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 11 | 0.9 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1.4 |
| Total | 28 | 22 | 26 | 11 | 21 | 27 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 32 | 29 | 277 | 23.1 |
| 7. SuPa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | Total | Average |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1.5 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1.5 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2.1 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1.7 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1.5 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1.9 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 26 | 1.7 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1.7 |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 18 | 1.2 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 22 | 1.5 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1.6 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1.7 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1.8 |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 23 | 1.5 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1.6 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1.8 |
| Total | 34 | 32 | 34 | 27 | 18 | 34 | 31 | 25 | 27 | 34 | 34 | 16 | 16 | 22 | 34 | 418 | 27.87 |

(SuPa= Sudurpaschhim)

## ७.३. भाग-२ को कार्यक्रमगत सूचकमा सम्बन्धित परीक्षकले दिएको अङ्क विवरण

### ७.३.१. कोशी प्रदेश

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | | | | | | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 5 | | | | | | 0 |
| 8 | 5 | | | | | | 0 |
| 9 | 5 | | | | | | 0 |
| 10 | 5 | | | | | | 0 |
| 11 | 5 | | | | | | 0 |
| **Recurrent Total** | **55** | **5** | **5** | **4** | **1** | **5** | **20** |
| Capital | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Capital Total** | **20** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **15** |
| **Grand Total** | **75** | **8** | **8** | **7** | **4** | **8** | **35** |

### ७.३.२. मधेश प्रदेश

| Indicators | FM | Marks obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | | | | | | 0 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | | | | | | 0 |
| 8 | 5 | | | | | | 0 |
| 9 | 5 | | | | | | 0 |
| 10 | 5 | | | | | | 0 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 5 | | | | | | 0 |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 5 | | | | | | 0 |
| 16 | 5 | | | | | | 0 |
| 17 | 5 | | | | | | 0 |
| 18 | 5 | | | | | | 0 |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 5 | | | | | | 0 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| **Recurrent Total** | **130** | **12** | **13** | **11** | **3** | **11** | **50** |
| Capital | No | | | | | | |
| **Capital Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Grand Total** | **130** | **12** | **13** | **11** | **3** | **11** | **50** |

### ७.३.३. बागमती प्रदेश

| Indicators | FM | Marks Obtained in Indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 34 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 5 | | | | | | 0 |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| Indicators | FM | Marks Obtained in Indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| 38 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 |
| 41 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 42 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 |
| 44 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| **Recurrent Total** | **220** | **37** | **36.5** | **35.5** | **39.5** | **42.5** | **191** |
| Capital | No | | | | | | |
| **Capital total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Grand Total** | **220** | **37** | **36.5** | **35.5** | **39.5** | **42.5** | **191** |

## ७.३.४. गण्डकी प्रदेश

| Indicators | FM | Marks obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 3 | 5 | | | | | | 0 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | | | | | | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Recurrent Total** | **90** | **15** | **15** | **15** | **14.5** | **13** | **72.5** |
| Capital | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | | | 0 |
| 2 | 5 | | | | | | 0 |
| 3 | 5 | | | | | | 0 |

| Indicators | FM | Marks obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| 4 | 5 | | | | | | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 5 | | | | | | 0 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Capital Total** | **55** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **30** |
| **Grand Total** | **145** | **21** | **21** | **21** | **20.5** | **19** | **102.5** |

## ७.३.५. लुम्बिनी प्रदेश

| Indicators | FM | | Marks obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FM | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 4 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 11 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 12 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 13 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 17 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 18 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 19 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 24 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 26 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 27 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |

| Indicators | FM | | Marks obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FM | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| 28 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 29 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 30 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 31 | 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Recurrent Total** | | **175** | **20** | **13.5** | **21** | **13** | **21** | **88.5** |
| Capital | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Capital Total** | | **15** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **15** |
| **Grand Total** | | **190** | **23** | **16.5** | **24** | **16** | **24** | **103.5** |

### ७.३.६. कर्णाली प्रदेश

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 9 | 5 | | | | | | 0 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 13 | 5 | | | | | | 0 |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 16 | 5 | | | | | | 0 |
| 17 | 5 | | | | | | 0 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 28 | 5 | | | | | | 0 |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 5 | | | | | | 0 |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 53 | 5 | | | | | | 0 |
| 54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 56 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 57 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Recurrent Total** | **290** | **51** | **51** | **51** | **42** | **49** | **244** |
| Capital | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | | | | | | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 5 | | | | | | 0 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 5 | | | | | | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 5 | | | | | | 0 |
| 23 | 5 | | | | | | 0 |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Capital Total** | **150.0** | **25.0** | **25.0** | **25.0** | **25.0** | **25.0** | **125.0** |
| **Grand Total** | **440** | **76** | **76** | **76** | **67** | **74** | **369** |

## ७.३.७. सुदूरपश्चिम प्रदेश

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Total |
| Recurrent | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Total |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 5 | | | | | | 0 |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| Indicators | FM | Marks Obtained in indicators | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Total |
| **Recurrent Total** | **220** | **43** | **43** | **43** | **40.5** | **43** | **212.5** |
| Capital | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
| **Capital Total** | **40** | **7.5** | **8** | **8** | **6.5** | **8** | **38** |
| **Grand Total** | **260** | **50.5** | **51** | **51** | **47** | **51** | **250.5** |

## ७.४. भाग-२ को सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा सेवग्राहीले प्रदान गरेको अङ्क विवरण

| 1. Koshi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 10 | 1.1 |
| 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | 11 | 1.2 |
| 3 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 11 | 1.2 |
| 4 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | 1.1 |
| 5 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 0 | | 4 | 0.4 |
| 6 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 6 | 0.7 |
| 7 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 7 | 0.8 |
| 8 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7 | 0.8 |
| 9 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 11 | 1.2 |
| 10 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 10 | 1.1 |
| 11 | | | | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | 4 | 0.4 |
| 12 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 9 | 1.0 |
| 13 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 0 | | | 1 | | 2 | | 6 | 0.7 |
| 14 | | | | | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | 2 | | 2 | | 7 | 0.8 |
| 15 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 9 | 1.0 |
| Total | 7 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 0 | 122 | **13.6** |

| 2. Madesh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 | 0.9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | | 10 | 1.3 |
| 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 0.5 |
| 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | 5 | 0.6 |
| 5 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 0.4 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | 0 | 0 | | | | | | 4 | 0.5 |
| 7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | 4 | 0.5 |
| 8 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | 1 | | | | | | 3 | 0.4 |
| 9 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 7 | 0.9 |
| 10 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 0.6 |
| 11 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | 3 | 0.4 |
| 12 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | 3 | 0.4 |
| 13 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4 | 0.5 |
| 14 | 1 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | 3 | 0.4 |
| 15 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 0.4 |
| Total | 13 | 7 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | **8.5** |

| 3. Bagmati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
| | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1.4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1.5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 13 | 1.2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1.3 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1.1 |
| 6 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.4 |
| 7 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 12 | 1.1 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 14 | 1.3 |
| 10 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 13 | 1.2 |
| 11 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.9 |
| 12 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.9 |
| 13 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 12 | 1.1 |
| 14 | | | 1 | | 2 | 0 | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1.0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | 2 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.1 |
| Total | 9 | 10 | 14 | 0 | 24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 14 | 30 | 25 | 192 | **17.5** |

| 4. Gandaki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
| | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 14 | 1.3 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 12 | 1.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 12 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 11 | 1.0 |
| 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 11 | 1.0 |
| 6 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 11 | 1.0 |
| 7 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 0 | | | | 11 | 1.0 |
| 8 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 10 | 0.9 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 13 | 1.2 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 | 0.6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | | 7 | 0.6 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | | 9 | 0.8 |
| 13 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 11 | 1.0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 13 | 1.2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 13 | 1.2 |
| Total | 10 | 13 | 9 | 18 | 19 | 25 | 17 | 14 | 18 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | **15.0** |

5. Lumbini

| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | 2 | 10 | 1.1 |
| 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | 2 | 10 | 1.1 |
| 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 10 | 1.1 |
| 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 0.9 |
| 5 | | | 0 | | 2 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 9 | 1.0 |
| 6 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 9 | 1.0 |
| 7 | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 10 | 1.1 |
| 8 | | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | 2 | 8 | 0.9 |
| 9 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | 6 | 0.7 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 2 | 2 | 8 | 0.9 |
| 11 | 1 | | 0 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | 2 | 6 | 0.7 |
| 12 | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 10 | 1.1 |
| 13 | 1 | | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0.9 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0.9 |
| 15 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0.9 |
| Total | 10 | 3 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 26 | 128 | **14.2** |

6. Karnali

| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1.7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1.5 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.4 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.2 |
| 5 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1.6 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.3 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.4 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.2 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.3 |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.3 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.4 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.3 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.3 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1.4 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1.5 |
| Total | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 17 | 19 | 17 | 17 | 226 | **20.5** |

7. Sudurpaschhim

| Questions | Marks given by different clients | | | | | | | | | | | | | | | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1.7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1.8 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1.7 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.6 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | २ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1.7 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1.9 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1.7 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1.5 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1.7 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1.7 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1.5 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1.5 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1.7 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1.6 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1.7 |
| Total | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 7 | 30 | 27 | 30 | 30 | 15 | 16 | 21 | 25 | 374 | **24.9** |